राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का तेरहवां दिवस संख्या १२

शनिवार,
दिनांक २१ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक म. पू. ८-५ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, कृषि, श्रम, यातायात, गृह, चिकित्सा, अकाल सहायता, खाद्य, रा. केनाल, पंचायत विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री मनोहरसिंह मेहता।

मांडलगढ़ तहसील में सिंचाई की योजनाएं

२११. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि मांडलगढ़ तहसील में बहुत सारी नदियां बहती हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि इन नदियों में बड़े-बड़े जल के दह भी हैं ?

(३) क्या सरकार का इस क्षेत्र में नये काम भी हाथ में लेने का इरादा है ताकि मांडलगढ़ क्षेत्र अनाज का भण्डार बन सके ? यदि हां, तो जेतपुरा के अलावा अब कौन-कौन से नये काम सरकार हाथ में लेने वाली है ?

(४) बेड़च, बनास तथा त्रिवेणी में जहां-जहां पर भी बड़े दह हैं क्या सरकार उनका उपयोग करने की भी कोई योजना बना रही है ?

(५) क्या यह सही है की लिफ्ट इरिगेशन तथा बांध की सिंचाई दरों में बड़ा अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या बांधों से सिंचित होने वाली भूमि की सिंचाई की दरों में थोड़ी बढ़ोतरी करके लिफ्ट इरिगेशन की सिंचाई की दरों में कुछ कमी करने का सरकार विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (१) मांडलगढ़ तहसील में सिर्फ बेड़च, बनास, एवं मेनाल नदियां बहती हैं। बाकी छोटे-छोटे नाले हैं।

(२) जी हां, कहीं-कहीं ऐसे पानी के दह हैं।

(३) जी हां, जेतपुरा के अलावा डामटी,

Page No. 2

(श्री जसराज)

कोकड़ा योजना निर्माणाधीन है, अमवासा योजना सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी है, पंडोल एवं देवलिया योजना (बिजौलिया) तैयार की जा रही है।

(४) सिर्फ त्रिवेणी के नीचे बनास में पानी का एक दह है, जहां लिफ्ट योजना पर विचार किया जा रहा है।

(५) जी हां, क्योंकि लिफ्ट सिंचाई योजना में पानी बन्ध द्वारा लिफ्ट किया जाकर सिंचाई की जाती है, जिस पर खर्चा अधिक पड़ता है।

(६) जी नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने यह जो फर्माया है कि तीन-चार नदियां बहती हैं, यह सही नहीं है। वहां १० नदियां बहती हैं, आवली वगैरह का तो आपने लिखा ही नहीं है।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : असल नदियां तो यही हैं, बाकी नाले हैं।

श्री अध्यक्ष : असल बात यह है कि आप आपस में ही समझ लेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने कहा कि सिंचाई की दरें नहीं बढ़ा सकते, लिफ्ट इरिगेशन की दरों में कमी नहीं कर सकते तो आप यह कर दीजिये कि लिफ्ट इरिगेशन की दरों को कुछ कम कर दीजिये और इसमें जितनी कमी होती है, वह सिंचाई की दरों को बढ़ा कर दोनों में समन्वय बैठा दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बात तो आपकी ठीक है लेकिन सभी माननीय सदस्यों की यह राय नहीं है। बाड़ी पर अभी हुआ वह आपको मालूम है। ऐसी हालत में सरकार सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही काम करती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय !

धर्मादा या व्यापार समिति टैक्स की वसूली

२१२. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मण्डियों में व्यापारी किसानों से माल खरीदते समय धर्मादा कर या व्यापार समिति टैक्स आदि वसूल करते हैं ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं, जिनके अनुसार उक्त राशि (फण्ड) को खर्च किया जा सके ?

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : (१) जहां कृषि विपणन का कानून लागू हो गया है वहां इस प्रकार की वसूली नहीं होती।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगासहाय : लाखों रुपया मण्डियों में व्यापारियों द्वारा किसानों से जुटाया जाता है और इस पैसे को वे व्यापारी लोग अपनी जाति, संस्थाओं के काम में लेते हैं, उस पैसे से किसानों के फायदे का कोई काम नहीं किया जाता, जब कि वह पैसा किसानों से जुटाया जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, मण्डियों में व्यापारियों द्वारा किसानों

Page No. 3

(श्री गंगासहाय)
से इस तरह जुटाये गये पैसे को किसानों के हित के कार्यों में खर्च कराये जाने की व्यवस्था की जाय।

श्री शोभाराम : यह मैंने निवेदन किया कि जहां कृषि विपणन कानून लागू हो गया है वहां इस तरह की वसूली नहीं होती है, जहां यह कानून लागू नहीं है, वह क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यह हमें मालूम नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या २१३

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जैलिया !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१४

श्री परसराम गंगाराम !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१५

श्री हरलाल मीणा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१६

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१७

श्री भैरोंसिह शेखावत !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१८

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

अकाल राहत कार्य खोले जाने का आधार

२१९. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) अकाल राहत कार्यों को खोले जाने की क्या विधि या नीति प्रत्येक जिले के स्तर पर अपनाई गई ?

(२) क्या प्रत्येक जिले में अकाल राहत कार्य खोले जाने के पूर्व राहत समिति द्वारा सिफारिश प्राप्त की गई ? क्या ऐसे भी जिले हैं जिनमें अकाल राहत कार्य समिति के बजाय कोई छोटी समिति का निर्माण कर दिया गया जो राहत कार्यों की सिफारिश राज्य सरकार को करती रहेगी ?

(३) ऐसे कौन मन्त्री हैं जिन्होंने अपने स्तर पर ही विभिन्न जिलों में राहत कार्य खोले जाने की स्वीकृति दी ? क्या ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने बिना राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए अकाल राहत कार्य खोल दिए ?

(४) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना खोले गये राहत कार्यों की संख्या क्या है और किन-किन जिलों में है ?

(५) ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जो बिना स्वीकृति खोले जाने पर उनको बाद में रेग्यूलेराइज किया गया ?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार !

नर्स मिड्वाइफ ट्रेनिंग सेन्टर, डूंगरपुर

२२०. **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा-सु.) : क्या चिकित्सा-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डूंगरपुर में नर्स मिड्वाइफ ट्रेनिंग सेन्टर पर उपलब्ध कितनी सीटें हैं ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त ट्रेनिंग सेन्टर के डूंगरपुर में प्रारम्भ करने के मूलभूत उद्देश्यों में स्थानीय महिलाओं विशेषकर आदिवासियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना था ? यदि हां, तो चालू सत्र में कितनी महिलाएं भर्ती की गई ? इनमें कितनी डूंगरपुर जिले की, राजस्थान की और कितनी गैर राजस्थानी हैं ?

(३) गत तीन वर्षों में इस सेन्टर से किस-किस जिले की कितनी-कितनी महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ? इनमें कितनी आदिवासी थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) डूंगरपुर में ऑग्जिलरी नर्स मिड्वाइफ ट्रेनिंग सेन्टर, इन्डियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा संचालित है, जिसमें ६० सीटों की व्यवस्था है।

(२) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(३) गत तीन वर्षों में इस सेन्टर में निम्नलिखित महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है :—

(१) डूंगरपुर २६

(२) उदयपुर १२+३ अन्य जिलों से।

(३) गैर राजस्थानी ३५

इनमें से २७ आदिवासी हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रश्न संख्या २२१

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२२

श्री फूलचन्द बाफना !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२३

श्री दौलतराम सारण !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२४

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२५

श्री रावतराम !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२६

श्री ओमदत्त भाटी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२७

Page No. 5

(श्री अध्यक्ष)

श्री चुन्नीलाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२८

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२६

श्री देवीलाल बुरासिया !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : २३५।

श्री अध्यक्ष : आप जेलिया नहीं हैं।

श्री दिग्विजयसिंह।

२३०. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लावा का तालाब, तहसील टोंक में स्थित है और उससे पिलाई होती है? यदि हां, तो कुल कितना रकबा सिंचित है?

(२) क्या यह सत्य है कि यह ठिकाना उनियारा द्वारा बनवाया गया था? यदि हां, तो उस समय इससे कितनी भूमि सिंचित होती थी?

(३) क्या यह सत्य है कि गत अकाल राहत कार्यों में इस बांध की मरम्मत करवाई गई थी जिससे उसकी पाल को भी ऊंचा किया गया है? यदि हां, तो कुल कितनी फीट पाल ऊंची की गई और कितना खर्चा हुआ?

(४) क्या यह सत्य है कि अब इस पाल के ऊंचा करने से पेटे में आने वाले ग्रामों में इस वर्ष पानी चला गया या जिससे ग्राम-वासियों में भय बना हुआ है?

(५) क्या विभाग द्वारा इस बांध पर चादर नहीं बनाई जा सकती ताकि अधिक पानी नहीं रहे और अन्य ग्राम जो डूबते हों वे बच सकें?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (१) जी हां, इस तालाब में १३६ एकड़ भूमि में सिंचाई होती है।

(२) यह बांध सन् १६५५ में सिंचाई विभाग को तहसील टोंक द्वारा स्थानान्तरित किया गया था। उस समय इस बांध की नहर से सिंचाई १३६ एकड़ तथा २२ एकड़ पेटा काश्त बतलाया गया था।

(३) जी हां, यह बांध की मजबूती के लिए पाल को चौड़ा किया गया तथा आब की बुवाई की गई। इस पर कुल २८,३५८ रु. खर्च हुए हैं।

(४) जी नहीं।

(५) पक्की चादर बनाई जा सकती है लेकिन इससे पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या सही है कि पाल की ऊंचाई बढ़ जाने से उसके पेटे में आने वाले ग्रामों में पानी चला गया था?

सिंचाई-मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): इसका भराव पहले भी ८ फीट था अब भी ८ फीट है।

श्री दिग्विजयसिंह : गत मानसून में इस बांध की मरम्मत करवाने से पहले गांवों के अन्दर पानी बह गया। मेरा सिर्फ कहना यह है कि इस बांध पर चादर बनवा दें ताकि गांवों के अन्दर जो पानी भर जाता है, वह न हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इन्क्वायरी नहीं की है। फिर भी देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

भारत-पाक संघर्ष के समय १५ दिन की बमबारी के नाम से प्रकाशित पुस्तक

२३१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि जोधपुर में श्री अमृत नाहटा द्वारा "भारत-पाक संघर्ष के समय पन्द्रह दिन की बमबारी पर लेख' नामक एक किताब प्रकाशित की गई थी ?

(२) क्या यह भी सच है कि सरकार ने विधान सभा में यह मंजूर किया था कि कि 'पन्द्रह दिन की बमबारी पर लेख' नामक किताब की १००० प्रतियां साधना प्रेस, जोधपुर में छपी थीं ? यदि हां तो छपाई का पेमेन्ट कितने रुपये प्रेस को किसने दिए व किताबें किस व्यक्ति ने प्रेस से ली थी ?

(३) क्या यह भी सच है कि 'पन्द्रह दिन की बमबारी पर लेख' नामक किताब को सरकार ने जब्त किया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा कितनी प्रतियां और किसके पास से ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : इस प्रश्न का संबंध गृह विभाग से है, इसलिए उसको स्थानान्तरित किया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने पहली असेम्बली में भी पूछा था तब शिक्षा विभाग ने जवाब दिया था कि जब्त की है, फलां प्रेस में छपी हैं। इसका गृह विभाग से क्या संबंध है ?

राव श्री धीरसिंह : यह किताब कोई शिक्षा विभाग में नहीं चलती है। बाहर अगर कोई किताब छपती है तो उससे शिक्षा विभाग का ताल्लुक नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने पहली असेम्बली में प्रश्न पूछा था और आपने जवाब दिया था कि शिक्षा विभाग....

राव श्री धीरसिंह : कब जवाब दिया था ?

श्री जयनारायण सालोदिया : इससे पहली असेम्बली में कि फलां प्रेस में इतनी कापियां छपी हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : इस किताब को प्रोसक्राइब करने का अधिकार गृह विभाग को है।

श्री अध्यक्ष : स्थानांतरित किया गया।

(प्रश्न संख्या २३२)

श्री रामप्रसाद बोहरा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

(श्री अध्यक्ष)

श्री केशरीसिंह हाड़ा !

बन्सोली बांध के निर्माण में अवाप्त भूमि

२३३. **श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिंडोली)** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम गाडरिया, तहसील नैनता के काश्तकारों के खाते की जमीन किस-किस की कितनी-कितनी और कब बंसोली बांध के निर्माण वास्ते अवाप्त की गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या काश्तकारों को उनकी जमीन का मुआवजा दे दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) मुआवजे के स्टेटमेन्ट परगना दंडनायक अधिकारी, नैनता के पास कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई, कोटा खण्ड, बून्दी द्वारा कब भेजे गए और वहां से लौटकर पुनः उनके पास कब आए ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (१) सूची संलग्न है।

(२) मुआवजे की रकम ४१,७५३.४५ रु. बनती है जिसके भुगतान हेतु रकम उपजिलाधीश नैनता को दिनांक १०-३-६६ को भेजी गई थी। इसमें से ८७८४.८७ का भुगतान हो चुका है लेकिन ग्राम नाहरिया के कृषकों ने मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया है क्योंकि वे कुओं व मकानों का मुआवजा भी साथ ही लेना चाहते हैं।

(३) सिचाई खण्ड-बून्दी-द्वारा मुआवजे के स्टेटमेन्ट परगना अधिकारी, नैनता को दिनांक २१-६-६६ को भेजे गए थे और इनके अवार्ड्स दिनांक ७-१२-६८ को प्राप्त हुए ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, या तो सरकार सूची नहीं दे और अगर देती है तो ऐसी स्पष्ट दे कि पढ़ी तो जा सके। खेद के साथ निवेदन है कि आज जो सूची मुझे प्राप्त हुई है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : मुझे भी बड़ा खेद है जो प्रतिलिपि मुझे दी गई है, उस पर मैं आंख भी नहीं लगा सकता।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : I am sorry कि ऐसी सूची माननीय सदस्य के पास पहुँची है, लेकिन उद्देश्य यह है कि क्योंकि मकान और कुओं को एक साथ लेना चाहते थे और उनके अवार्ड्स नहीं हुए थे। हमारी ओर से मुआवजे की रकम डिपोजिट कराने के बावजूद ४१ हजार में से ८ हजार ही उठाए गये, बाकी लोगों ने नहीं ली। अवार्ड्स कुछ में हुए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं, उनमें भी जल्दी से जल्दी अवार्ड्स कराकर मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी भुगतान की जायगी।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : कौन से साल में अवाप्त की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अवाप्त करने की तारीख तो याद नहीं लेकिन जब यह बांध बना तब अवाप्त करने के नोटिसेज दिए गये। हरेक की अलग-अलग तारीख चाहें तो यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : बांध बना लिये, जमीन ले ली गई, कोई अवाप्ति का नोटिस

Page No. 8

(श्री केशरीसिंह हाड़ा) नहीं दिया गया और उन से बाकायदा लगान वसूल होता गया।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : मेरी जानकारी के अनुसार वसूली नहीं होती है। अगर होती होगी तो न केवल उनको लगान का रिफण्ड कराया जायगा बल्कि जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की है उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : राज्य सरकार ने भूमि कब अपने कब्जे में ले ली थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : कब्जे की तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : वर्ष बता दें, महीना बता दें, अनुमानतः यह भूमि राज्य सरकार ने अपने कब्जे में कब ली ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : यह बांध बना तब।

श्री दौलतराम सारण : यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार जिस किसी की जमीन चाहती है ले लेती है, नहर के नीचे, बांध के नीचे ले लेती है, मुआवजा नहीं देती है, लगान लेती रहती है। सदन में यह प्रश्न अनेक बार आ चुका है। आपने सर्क्यूलर्स जारी किए हैं। कानून में प्रावधान है कि बिना मुआवजा दिए भूमि-संपत्ति नहीं ली जा सकती लेकिन उसके बाद भी किसानों की तरफ, जो कि अनपढ़ हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता और मनमाने तरीके से जमीन ली जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : मैं इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : जिन अधिकारियों ने इस तरह की हरकत की है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वैसे ये हरकतें नहीं रुक सकतीं, अध्यक्ष महोदय, आप राज्य सरकार को इसके लिए बाध्य करें।

श्री अध्यक्ष : मैं भी सजग करना चाहता हूं राज्य सरकार को।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : बांध बनना कब शुरू हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : ४–५ वर्ष की पहले की बात है।

श्री दौलतराम सारण : अब आप सोचिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : इस सम्बन्ध में हम विशेष जागरुक रहेंगे। इसके बाद में कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : लाखों रुपये राजस्थान में मुआवजे के बकाया चल रहे हैं और सरकार कतई जागरुक नहीं है। बड़ी खेदजनक बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी !

भू-संरक्षण कार्यों में गबन

२३४. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या कृषि-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या माह मार्च, अप्रेल, मई, जून व जुलाई, १९६९ में नागोर जिला भू-संरक्षण अधिकारी, नागौर द्वारा ग्राम मेरवास, तहसील

(श्री रामसिंह कुड़ी)
जायल व ग्राम लाई, तहसील मेड़ता में अकाल राहत कार्यों में कार्य करवाया गया? यदि हां, तो क्या इन गांवों में फर्जी मस्टर रोल बनाकर सरकार के हजारों रुपये सरकारी अधिकारियों ने हजम कर लिए?

(२) क्या इस प्रकार की जांच के सिलसिले में उप-संचालक; कृषि एवं भू-संरक्षण, जोधपुर के सम्मुख श्री नेमीचन्द दीक्षित ने लिखित में स्वीकार किया है कि हां, ऐसा फर्जी मस्टर रोल उसने बनाया एवं उस मस्टर रोल की रकम तत्कालीन भू-संरक्षण अधिकारी में एवं अन्य तत्कालीन अधिकारियों में वितरित कर गबन कर ली? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

कृषि-मन्त्री (श्री शोभाराम) : (१) जी हां, प्रारम्भिक जांच में फर्जी मस्टर रोल का होना सही पाया गया।

(२) जी हां, भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा रकम लिये जाने के सम्बन्ध में अभी जांच जारी है। श्री नेमीचन्द को १९-३-६९ को ही सस्पेण्ड कर दिया गया है एवं आगे विभागीय जांच जारी है।

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या भू-संचालक महोदय ने जो जांच की थी, उसको स्टे कर दिया है?

श्री शोभाराम : किसके खिलाफ?

श्री रामसिंह कुड़ी : यह कह कर स्टे कर दिया है कि इस में भूतपूर्व भू-संरक्षण अधिकारी इन्वाल्व्ड हैं, इसलिए मैं जांच नहीं कराना चाहता, बाद में की जायगी। इस तरह का स्टे कर दिया है?

श्री शोभाराम : मैं फाइल मंगवाऊंगा और देखूंगा। अगर गलत तरीके से सस्पेण्ड किया है तो उचित कार्यवाही करूंगा।

बीकानेर जिले की पंचायतों के पास जन्म-मृत्यु के आंकड़े

२३५. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की ग्राम पंचायतों के पास जन्म-मृत्यु के आंकड़े रखने का रजिस्टर बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि इस भयंकर अकाल में फैली बीमारी से मरने वालों की संख्या को ग्राम पंचायत के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करने दिया? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

(३) बीकानेर जिले की ग्राम पंचायतों में १ जनवरी से लेकर आज तक मरने वालों की सूची पंचायत वाइज मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पांचू के मृतकों की संख्या का रजिस्टर राज्य सरकार ने छीन लिया और उस रजिस्टर को किसी अधिकारी द्वारा जला दिया गया है? यदि हां, तो यह घटना किस तारीख को हुई?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं, बीकानेर जिले की अधिकांश पंचायतों में जन्म-मृत्यु के आंकड़े रखने के रजिस्टर चालू हैं।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(२) जी नहीं।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जो सूची दी है वह १२३ आदमियों की दी है, जब कि बीकानेर जिले में कम से कम ८-६ हजार आदमी पिछले साल बीमारी से मरे।

एक माननीय सदस्य : किस आधार पर कहते हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इस आधार पर कि मैं रात-दिन गांवों में घूमता हूं और मेरे पास.......

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह गलत है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि पांचू अकेले में ४५० व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और रजिस्टर छीन कर जलाए गए हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : गलत है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बिल्कुल सही है। क्या राज्य सरकार जांच कराने के लिये तैयार है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह आरोप कि रजिस्टर किसी ने गायब कर दिया है, उसको जला दिया गया है, यह आपने जिक्र किया है लेकिन आपने नाम मेन्शन नहीं किया है। आप बता सकें तो जांच करा सकते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार इस तरह का कोई रजिस्टर नहीं जलाया गया। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के पास यह रजिस्टर रहता है। पंचायत ने अपने पास नहीं रखा, हालांकि उनको अपने पास रखना चाहिए था।

श्री रावतराम (स्वापर-सू.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि ४५० आदमियों की मृत्यु हुई और मन्त्री महोदय कहते हैं कि १२३ की हुई तो आप इस पंचायत की स्पेसिफिक जांच करवायें। गांव में जाने से पता लग जावेगा। क्या आप जांच कराने के लिए तैयार हैं पर्सनली इस पंचायत के इस गांव की ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर माननीय सदस्य इन ४५० आदमियों की सूची दे दें तो मैं जांच करा दूंगा।

श्री रावतराम : सूची का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य का आरोप है और अगर यह आरोप गलत साबित हुआ तो यह माफी मांग लेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माफी का सवाल नहीं है। पूरे बीकानेर जिले के लिए सरकार ने १२३ आदमियों की सूची दी है जब कि मेरा कहना है कि ४५० आदमियों की मृत्यु हुई है एक ही पांचू गांव में। आपने जो आंकड़े दिये हैं वे बिल्कुल गलत हैं और निराधार हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या मन्त्री महोदय जांच करायें तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं पूरे जिले की सूची देने के लिए तैयार हूं। यह सवाल पिछली बार पिछले सेशन में भी उठा था लेकिन कोई जांच नहीं हुई। आप तो अध्यक्ष महोदय, पांचू गांव की इन्क्वायरी करा लें ताकि पता लगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के दिमाग में गलतफहमी हो रही है कि राज्य सरकार मृत्यु के आंकड़ों को छिपाना चाहती है। वह कोई आंकड़े नहीं छिपाना चाहती। यहां तक दूसरे जिलों में हजारों की मृत्यु हुई है वह भी नहीं छिपाया है। कानून के अन्तर्गत जो नियम बने हैं और नियम २११ के नीचे इस प्रकार की हिदायत पिछली बार भी हमने की थी कि जो पंचायतें मृत्यु और जन्म को अंकित नहीं करेंगी, उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जायेगी। कुछ के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही प्रारम्भ भी की है और यह कहना कि १२३ के नाम हैं उनकी काफी लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। इसलिए आप देख लें जिले की एक-एक गांव की दी है। मैं आपको बताऊं कि पांचू की ग्राम पंचायत अपने पास रजिस्टर नहीं रखती थी और उन्होंने जन्म-मरण का रजिस्टर वहां के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में रखा था। हमने पंचायत को हिदायत दी कि उनको रजिस्टर अपने पास रखना चाहिए। पांचू के बारे में आप कह रहे हैं कि वहां मृत्यु ज्यादा हुई है और जो आप कह रहे हैं वह सही है तो आप सूची दे दें मैं जांच करवा लूंगा। नाम, वल्दियत सब कुछ जब तक नहीं होगी तो जांच नहीं करवाई जा सकती। पांचू के बारे मे तथ्य भी दिये जाने चाहिए।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि पंचायतों के कागजात की और उनकी कार्यविधि की और कार्य की समय-समय पर विकास विभाग के अधिकारी जांच करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : करनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : अगर जांच करते हैं और उसके बाद भी पंचायतें रिकार्ड ठीक मेन्टेन नहीं करती हैं तो क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है जिनका दायित्व है मार्गदर्शन करने का और रिकार्ड को ठीक मेन्टेन कराने का ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायतों के कार्य करने का जहां तक सवाल है, राज्य सरकार चीफ कन्ट्रोलिंग अथोरिटी है और राज्य सरकार का नामिनी डिप्टी डी० डी० ओ० है और वह पंचायतों का निरीक्षण करता है और पंचायतों का निरीक्षण करने के बाद में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर वह किसी जगह मार्गदर्शन नहीं कर सका है तो वह लेप्सेस हैं और उसको देखा जा सकता है। लेकिन पंचायतों को रजिस्टर रखना चाहिये– इस प्रकार की हिदायत पिछली बार इस सदन में प्रश्न उठा था उसके बाद दी थी और राज्य सरकार ने एक लैटर के जरिये ही नहीं बल्कि दो-तीन सर्क्यूलर्स के जरिये इस बात के लिए पंचायतों को पाबन्द किया था कि पंचायत लेवल पर मृत्यु और जन्म के आंकड़े रखे जाने चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो कार्यवाही उनके खिलाफ की जायेगी। पांचू के बारे में पांचू पंचायत की तरफ से लेप्सेस हैं कि उन्होंने रजिस्टर नहीं रखा। उनको

Page No. 12

(श्री परसराम मदेरणा)
हिदायत हुई कि उनको रखना चाहिए और जो रजिस्टर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में था और उसमें जो आंकड़े थे वह मैंने रखे हैं।

श्री दौलतराम सारण : जब पंचायत का दायित्व है कि जन्म और मरण के आंकड़े रखे लेकिन नहीं रख रहे हैं और आम तौर से यह आपको जानकारी है तो ऐसी स्थिति में क्या विकास विभाग और पंचायत विभाग का दायित्व नहीं हो जाता कि वह पंचायतों को इस मामले में सतर्क करे और जांच करके ठीक तरह से रिकर्ड मेन्टेन करवाये ?

श्री परसराम मदेरणा : पांचू का सवाल मुझे ववेश्चन तैयार करते हुए ध्यान में आया तो मैंने २-५-६९ को जानकारी करने की कोशिश की और डिप्टी डी० डी० ओ० को कहा कि पंचायत वाले मेन्टेन नहीं करते हैं तो उसने क्या कार्यवाही की या क्या आदेश दिये। यह सूचना उन्होंने नहीं भेजी है। मैं देखूंगा कि इस प्रकार की इन्फार्मेशन डिप्टी डी० डी० ओ० से मिले, उनका कर्त्तव्य था कि वह पंचायत को पाबन्द करते और अगर पंचायत वाले अनुपालना नहीं कर रहे थे तो उनके खिलाफ उनको कार्यवाही करनी चाहिये थी। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अगर डिप्टी डी० डी० ओ० के बारे भी लेप्स होगा तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्षजी, पांचू के प्राइमरी हैल्थ सैन्टर के बारे में जिक्र किया। मैं निवेदन करूंगा कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में कुल टोटल मृत्यु के आंकड़े कितने के हैं यह बतायें ?

श्री परसराम मदेरणा : १०

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि पांचू प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में पिछली साल बीमारी से मरने वालों की संख्या २७० है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष, महोदय, अब ये ४५० से २७० पर आ गये। मेरे पास १० की इन्फार्मेशन है। दो सूचनायें हैं। राज्य सरकार जो भी सूचना देती है और माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं, हमारे पास में जो इन्फार्मेशन वहां के अधिकारियों के मार्फत आती है उसको हम आधार मानकर चलते हैं। माननीय सदस्य २७० की कहते हैं तो जांच करा ली जायेगी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार यह सवाल उठा था। मैं पांचू गया और वहां के २१७ आदमियों की तस्दीकशुदा सूची है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पेश करने के लिए तैयार हूं जब कि पूरे बीकानेर जिले की १२३ आदमियों के मरने की सूची दी गयी है, जब कि अकेले पांचू के हैल्थ सैन्टर के रजिस्टर के अनुसार २७० आदमियों की तस्दीकशुदा वहां के अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर सहित सूची पेश करने के लिए तैयार हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इस लिस्ट में कहीं ५० है, कहीं ७७ है तो आप यह १२३ की फिगर कहां से लाये ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : फिर मेरे पास सूची है वह गलत होगी। मुझे जो सूची दी गयी है इसके मुताबिक फिर यह गलत है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि आपने यह आदेश जारी किया उससे पूर्व पंचायतों द्वारा कोई जन्म-मरण के रजिस्टर मेन्टेन नहीं किये गये थे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो पांचू में ही नहीं किया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : फिर आपके पास यह सूची किस आधार पर आई ? जब रजिस्टर मेन्टेन ही नहीं किये तो आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सूची तो सभी जगह रखी है लेकिन पांचू की पंचायत ने न रख कर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर ने रखी।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने आदेश जारी किये उसके पूर्व पंचायतों द्वारा जन्म और मरण के रजिस्टर मेन्टेन नहीं किये गये। और क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने सम्बन्धित पंचायत के रजिस्टर मंगाये तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मृत्यु के आंकड़े नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायतों में सूची है उसके अनुसार रिकर्ड मेन्टेड है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर !

श्री दौलतराम सारण : और निरीक्षण करके पंचायतों का मार्गदर्शन नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : पहले श्री दिग्विजयसिंहजी ने पूछा उसका उत्तर आने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार मार्गदर्शन नहीं कर सकती है। उनकी आटोनामी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती लेकिन इस बात के लिए हमने आह्वान किया है और हमने चेतावनी भी दी है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी विकास अधिकारियों की होगी और यदि विकास अधिकारी असफल रहेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने भी प्रश्न किया है उसका तो उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : क्या आधार है ? रजिस्टर ही नहीं मिला तो आंकड़े का क्या आधार है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): पहले रजिस्टर थे ही नहीं तो आंकड़ों का क्या आधार है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : पञ्चायत में जब रजिस्टर ही नहीं है मृत्यु को अंकित करने का तब जो आंकड़े आपके पास आये हैं, वे किस आधार पर हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सभी पञ्चायतों में रजिस्टर नहीं हो–ऐसा नहीं है। मैंने यह नहीं कहा है कि दूसरी पञ्चायतों में रजिस्टर मेन्टेन नहीं किये गये हों। माननीय सदस्य ने खास तौर से पर्टिक्यूलर पंचायत समिति के लिये कहा। पांचू पंचायत में रजिस्टर न रखकर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में रखा गया।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने यह कहा था कि आपके आदेश देने के पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मृत्यु का रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया गया है,

Page No. 14

(श्री दिग्विजयसिंह)
तो मैंने यह पूछा कि जब आपने कहा कि नहीं है तो आंकड़े किस आधार पर दिये ?

श्री अध्यक्ष : इस पांचू पंचायत के।

श्री दिग्विजयसिंह : अधिकतर जिला बीकानेर की पंचायतों का यह क्वेश्चन था। पांचू का नहीं था। मैंने वही पूछा था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : At least the Ministers should not be allowed to blow hot and cold at the same time.

श्री अध्यक्ष : In English ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हां और ना दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के आदेश पूर्व में ही थे....

श्री दिग्विजयसिंह : आपने....

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। पंचायत एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा २५६ के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत का अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह जन्म-मृत्यु और विवाह के सम्बन्ध में पंजीकरण हेतु रजिस्टर रखे जिसमें इससे सम्बन्धित विवाह आदि प्रत्येक ग्राम के अलग-अलग दर्ज किये जायें। इस प्रकार के आदेश तो बहुत पूर्व के हैं। अतः वे पंचायतें या तो रजिस्टर नहीं रख रही थीं या रजिस्टर तो रख रही थीं लेकिन उनको अप-टू-डेट मेन्टेन नहीं कर रहीं थीं। इसलिए पिछली बार जब यह प्रश्न सदन में आया तो वह रजिस्टर रखने के लिए दुबारा सक्यूलर इश्यू किया गया। सक्यूलर एक नहीं किया गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अलग किया है और चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को अलग हिदायत दी थीं कि इस प्रकार के रजिस्टर अप टू-डेट पंचायतों को मेन्टेन करने चाहियें। अगर अपने कर्त्तव्य को वहन करने में पंचायतें कहीं असफल रही हैं तो उन पंचायतों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। साथ ही साथ विकास अधिकारी का यह कर्तव्य है कि इन पंचायतों में इस प्रकार के रजिस्टर सही तरीके से दर्ज करने के लिए वह पंचायतों को आदेश दें और उनका समय-समय पर निरीक्षण भी करते रहें, और उनका इस तरह से विकास....

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया !

श्री परसराम मदेरणा : अधिकारी इन क्षेत्रों में दर्ज करवाने....

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन है इस पर। क्या मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो आपने सक्यूलर निकाला है उस सक्यूलर के पहले राजस्थान में जितनी मृत्यु हुई हैं, उनका मुकम्मिल रिकार्ड पंचायतों में नहीं रहा, और इस कारण इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कितने आदमी मरे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मुकम्मिल नहीं रहा यह बात नहीं है, लेकिन मुकम्मिल नहीं रहने के बाद में तो माननीय सदस्य समय-समय पर इस सदन के प्रांगण में इस बात को बार-बार उठा रहे थे और राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि राज्य सरकार आंकड़े छिपाना चाहती है। तो उसके बाद

Page No. 15

(श्री परसराम मदेरणा)
में स्पेशली इसकी गणना करवाई थी और गणना दूसरे अधिकारियों को लगा करके करवाई है और पंचायतों को हिदायत देने के बाद में पूरे रजिस्टर मेन्टेन करवाये हैं ताकि माननीय सदस्यों के दिमाग में यह शंका-आशंका न रहे कि राज्य सरकार रजिस्टर मेन्टेन नहीं कराना चाहती है या उसमें कोई....

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो बाद की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : जब आप यह मानकर चलते हैं कि रिकार्ड मुकम्मिल नहीं रहा तो यह बात सही है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु, जन्म के आंकड़े इकट्ठा करने की व्यवस्था की गई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निकाले गये और उस समय से जब तक यह आपने आदेश दिये हैं उस समय तक राजस्थान में कितनी मृत्यु हुई हैं उसके सही आंकड़े इकट्ठे नहीं किये जा सकते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता कि वह वे आंकड़े पिछले वर्ष से सही मेन्टेन नहीं कर रहे थे लेकिन जिस वक्त बाड़मेर में....

श्री भैरोंसिंह : पिछले वर्ष के बाद के लिए कहा था ।

श्री परसराम मदेरणा : और जैसलमेर में....

श्री भैरोंसिंह : इस मामले के उठाने के पहले के आप बताइये ।

श्री परसराम मदेरणा : पहले की बात कैसे बता सकता हूं कि क्या पोजीशन थी और क्या नहीं थी । वे कह रहे थे कि आंकड़े मेन्टेन कर रहे थे लेकिन इत्तला नहीं हो रही थी और माननीय सदस्य सदन के जानते हैं कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को कोई सेलेरी नहीं देते हैं और न उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे जो हैं क्लर्क रखें । वे खुद रजिस्टर मेन्टेन करते हैं । हो सकता है कि उसमें लेप्सेज हों तो लेप्सेज को पूरा करने के लिए और लूपहोल को प्लग करने के लिए राजस्थान सरकार ने आदेश दिये हैं और उन आदेशों की अनुपालना हो रही है....

श्री रामसिंह कुडी : पांचू पंचायत का सरपंच जान बूझकर रजिस्टर नहीं रखता है और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को रखने के लिये कहा है तो क्या राज्य सरकार के नोटिस में यह आया था ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर !

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं ने कहा है कि ग्राम पंचायतों में रजिस्टर मुकम्मिल रखे गये हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर ! माननीय मन्त्री महोदय

श्री परसराम मदेरणा : मैं अपने ग्राम की पंचायत का सरपंच दो टर्न तक रहा हूं तो सभी प्रकार के रजिस्टर मेन्टेन किये गये हैं । जहां तक मेरे गांव का प्रश्न है वह भी मेन्टेन हो रहे थे और मैंने इसलिये कराये थे कि राजस्थान में गांवों में राशन कार्ड हैं

(श्री परसराम मदेरणा)
तो राशन कार्ड के अन्दर पर्सेन्टेज की कितनी बढ़ोतरी हुई है। शुगर वितरण के मामले में तो उस वक्त मैंने पूरी जांच करवाई थी, सप्लाई तहसीलदार से कह कर।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : ये आंकड़े मेन्टेन हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय मन्त्री महोदय स्वयं....

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम।

श्री भैरोंसिंह : सरपंच थे तो उन्होंने इसको रिकार्ड में एन्टर किया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : अलग से नहीं है।

प्रश्न संख्या २१४

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१५

श्री हरलाल मीणा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : २३६ रह गया।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया अनुपस्थित हैं।

प्रश्न संख्या २१६

श्री वृद्धि चन्द्र जैन !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह !

भारत-पाक संघर्ष के दौरान बिना पासपोर्ट आदि के पाकिस्तान गये व्यक्ति

२१७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६५ के भारत-पाक संघर्ष के दौरान कितने व्यक्ति बिना पासपोर्ट या वीसा के पाकिस्तान चले गये और उनमें से कितने वापिस आये ?

(२) इन व्यक्तियों के विरुद्ध पासपोर्ट कानून की अवहेलना के आरोप में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (१) सन् १९६५ के भारत-पाक संघर्ष के समय भारतीय सीमा से कुल २३,७०९ मुसलमान अवैध रूप से पाकिस्तान निष्क्रमण कर गये थे। उनमें से कुल ४५२ व्यक्ति वापिस भारत में आये।

(२) इन लौटे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा २५ (ए) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

Page No. 17

श्री भैरोंसिह : क्या जो लोग पाकिस्तान चले गये और वापिस नहीं आये उनके खिलाफ कोई मुकदमे रजिस्टर्ड किये गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो लोग चले गये उनके खिलाफ किये गये।

श्री भैरोंसिह : उनके क्या परिणाम निकले ?

श्री हीरालाल देवपुरा : परिणाम निकलने का सवाल क्या ? क्या कार्यवाही आगे की जा सकती है ? वे चले गये हैं और वापिस लौटकर नहीं आये।

श्री भैरोंसिह : क्या उनकी नागरिकता के अधिकार छीन लिये गये हैं और उनकी प्रापर्टी जब्त कर ली गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रिकार्ड के अन्दर हैं मेरे पास नहीं है।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : नागरिकता के अधिकार छीनने के लिये पहले अर्ज कर दिया गया था कि भारत सरकार कानून में तरमीम करने के लिये विचार कर रही है। अभी कानून में तरमीम नहीं हुई है, परन्तु जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है उनके खिलाफ मुकदमात रजिस्टर्ड इसलिए कर दिये गये हैं कि अगर वे वापिस आयें तो उनको उस जुर्म में सजा दिलाई जा सकती है और उनका प्रोसीक्यूशन हो सकता है। जहां तक जमीन का सम्बन्ध है तो उसके बारे में आप जानते हैं कि कानून के अन्दर अमेंडमेंट करके उसको एवेक्वेन्ट होल्डिंग समझकर सरकार ने उनको अपने पास कब्जे में ले लिया है।

श्री भैरोंसिह : भारत सरकार ने नागरिकता खत्म कर दी है और राजस्थान सरकार को उसकी जानकारी भी नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून में तरमीम हुई तो खत्म हो गई नागरिकता।

श्री भैरोंसिह : खत्म तो हो गई ना ? मैं यही पूछ रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून को लेकर वह होगी।

श्री भैरोंसिह : नागरिकता के अधिकार खत्म हुए या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आज उस कानून के अन्दर तरमीम होगी और उसके अन्दर यह साबित हो जायगा कि भारत-पाक संघर्ष के जमाने में यहां से चले गये तो उनकी नागरिकता उस कानून के अन्दर तरमीम होने पर खत्म होगी।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि आपके कानून के अन्दर २३ हजार आदमी, जिनके लिए आपने बताया कि वे पाकिस्तान चले गये तो इन २३ हजार आदमियों की नागरिकता के अधिकार खत्म हुए या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कानून में तरमीम हुई है वह यही हुई है कि जो भारत-पाक संघर्ष के जमाने में यहां से चले गये और दूसरे मुल्क की नागरिकता

Page No. 18

(श्री दामोदरलाल व्यास)
अख्त्यार कर ली तो यहां की नागरिकता खत्म हो गई।

श्री भैरोंसिंह : अभी तो आपने यह फर्माया था कि भारत सरकार को लिखा है वह विचार कर रही है और अभी यह फर्मा रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार को लिखा तरमीम की है।

श्री भैरोंसिंह : तरमीम तो हो गयी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खयाल से।

श्री भैरोंसिंह : मेरे खयाल से नहीं। मैं डेफिनेट जानकारी चाहता हूं कि तरमीम हो गयी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में तो हो गयी और पुख्ता जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री देवीलाल बुरासिया !

जयपुर उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

२१३. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या श्रम-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर उद्योग के श्रमिकों ने दिनांक २२-१२-६९ से किन-किन कारणों से हड़ताल कर रखी है ?

(२) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग का मैनेजमेन्ट हड़ताली कर्मचारियों की यूनियन से वार्ता तक करने को तैयार नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि यह हड़ताल मैनेजमेन्ट की नाजायज जिदों के कारण ही जारी है जिसको कि उसने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है ?

(४) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग के अधिकतर कर्मचारी काम पर नहीं जा रहे हैं और फैक्ट्री को जबरन नये अल्पवयस्क श्रमिकों की भर्ती करके जिनकी कि भर्ती जयपुर औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा फैक्ट्री एक्ट के विरुद्ध है, नाजायज तरीकों से पुलिस के सहारे फैक्ट्री एरिया में रोक कर चलाया जा रहा है ?

(५) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त बहुवर्णित हड़ताल को समाप्त करवाने के लिये कोई ठोस प्रयास किये हैं ?

श्रम-मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर के श्रमिकों ने सीमेन्ट वर्क्स कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये दिनांक २१-११-६९ के मांग-पत्र में वर्णित मांगों के पूरे न होने से हड़ताल की थी।

(२) जयपुर उद्योग के प्रबन्धक का कहना था कि सीमेन्ट वर्क्स कर्मचारी संघ के जिन पदाधिकारियों ने मांगें उठायी हैं वे यूनियन का प्रतिनिधित्व नहीं करते अतः वे उन प्रतिनिधियों से वार्ता करने को तैयार नहीं हैं।

(३) जी नहीं।

(४) फैक्ट्री में हड़ताल के दौरान कुछ कर्मचारी काम पर जा रहे थे और कुछ

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
नये कर्मचारी भी केज्यूअल श्रमिकों के रूप में भर्ती किये गये। ऐसा करना औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा फैक्ट्री एक्ट के विरुद्ध नहीं है। पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जबर्दस्ती नहीं की गई।

(५) राज्य सरकार के प्रयत्नों से सीमेंट वर्क्स कर्मचारी संघ की ओर से राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस तथा प्रबन्धकों के बीच दिनांक २७-१-७० को समझौता हो गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक २६-१-७० की मध्य रात्रि के बाद हड़ताल समाप्त हो गई।

श्री देवीलाल बुरासिया : फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे वे अल्पवयस्क थे या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने फैक्ट्री इन्सपेक्टर को खास तौर से भेजा था। शिकायत गलत पायी गयी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री कृष्णकुमार गोयल !

मेडिकल डिपार्टमेन्ट की एप्रूव्ड लिस्ट

२१८. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेडिकल डिपार्टमेन्ट की एप्रूव्ड लिस्ट मेडिकल कॉलेजों के पर्चेजेज पर भी लागू होती है?

(२) यदि हां, तो मेडिकल कॉलेज अपने अलग से निविदा क्यों मांगते हैं?

(३) यदि मेडिकल कॉलेज एप्रूव्ड लिस्ट पर पर्चेजेज नहीं करें तो सरकार उस पर क्या एक्शन ले सकती है और क्या आज तक कभी कोई एक्शन लिया गया है?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
(१) जी नहीं।

(२) अलग से निविदा मांगने का कारण यह है कि कॉलेजों की आवश्यकतायें अस्पतालों की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं।

(३) जहां तक कॉलेजों के पर्चेजेज करने का प्रश्न है, प्रधानाचार्य अपने वित्तीय अधिकारों के अनुरूप काम कर सकते हैं। यदि सम्बद्ध अस्पतालों में सामान की आवश्यकता होती है तो वह चिकित्सा निदेशालय द्वारा अनुमोदित दरों पर ही क्रय की जाती हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही न करने के बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि मेडिकल डिपार्टमेन्ट का जो कान्ट्रेक्ट करता है साल भर के लिये उसके अन्दर मेडिकल कॉलेज को भी शामिल करके टेन्डर इन्वाइट करता है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेडिकल कॉलेज के लिये नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत जो अस्पताल होते हैं उनके लिये होते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो आपका मेडिकल डिपार्टमेन्ट है और टेन्डर्स इन्वाइट करता है उसके अन्दर सारे राजस्थान के हॉस्पिटल्स को बताते हुए मेडिकल कॉलेज की जरूरत भी बताते हुए टेन्डर इन्वाइट करता है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेडिकल कॉलेज उनसे पर्चेजेज करने के लिये बाध्य नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेडिकल कॉलेज जो पर्चेजेज करता है उसके लिये क्या नियम बने हुए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रिन्सिपल को वित्तीय अधिकार हैं और उन अधिकारों के अनुसार पर्चेजेज कर सकते हैं। जनरल फाइनेन्शियल रूल्स हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार पर्चेजेज के लिये इस प्रकार के रूल्स निर्धारित हैं जिनके अन्तर्गत वे पर्चेजेज करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अन्तर्गत हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को अधिकार हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेडिकल कॉलेज के लिये पर्चेज करने के लिये क्या कोई कमेटी बनी हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोई कमेटी नहीं बनी हुई है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या फाइनेन्शियल रूल्स के अधीन यह आवश्यक है कि पर्चेजेज के लिये पर्चेज कमेटी बननी चाहिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपने कॉलेज के लिये पर्चेज कमेटी बना ली है और पर्चेज करती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। मेडिकल कॉलेज में पर्चेजेज फाइनेन्शियल रूल्स को स्ट्रिक्टली फोलो करते हुए किये जायं उसके लिये एक पर्चेज कमेटी घोषित की जाय ताकि पक्षपात न हो इसके लिये क्या विचार किया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनके कॉलेज की कमेटी बनती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर !

लूनी और उसकी सहायक नदियों पर बांध

२२१. **श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लूनी और उसकी सहायक नदियों पर कितने और किस-किस स्थान पर बांध बना लिये गये हैं ? क्या कुछ बांधों की और स्वीकृति हो रही है अथवा निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो कितनी धनराशि प्रत्येक पर स्वीकृत की गई है और ये कहां बनाये जा रहे हैं ?

(२) इन बांधों में कितना पानी रोक लिया गया है और नये बनने वाले बांधों में और कितना पानी रोक लिया जावेगा ?

(३) क्या यह सही है कि जोधपुर, पचपदरा, बाड़मेर, सांचोर आदि तहसीलों के लूनी नदी के आस पास के गांव वाले इसी नदी में अथवा आसपास कुएं खोद कर सैंकड़ों वर्षों से पीने एवं सिंचाई हेतु पानी लेते आ रहे हैं ?

Page No. 21

(श्री मती मंदनकौर)

(४) क्या नदी पर बांध बांधने के पश्चात् कुओं का पानी खारा और गहरा हो गया है ?

(५) क्या नदी के नहीं बहने से गहराई और खारापन निरंतर नहीं बढ़ता जायेगा ?

(६) क्या इससे पेयजल और सिंचाई के पानी जिसका लाभ नदी के पास बसे लोग सैंकड़ों वर्षों से उठा रहे थे, वे पानी से वंचित नहीं हो जावेंगे ?

(७) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र की पानी की भीषण अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त मात्रा में पानी नदी में छोड़ने के पश्चात् भी अतिरिक्त पानी को रोकने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) :

(१) सूचियां संलग्न हैं।

(२) जो बांध बनाये जा चुके हैं उनकी पानी रोकने की क्षमता १७७६६ एम० सी० फुट है तथा जो बांध बनाये जा रहे हैं उनकी क्षमता ५६७ एम० सी० फुट है।

(३) जी हां।

(४) ऐसी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(५) वर्षा पूरी नहीं होने पर और नदी के बिलकुल न बहने पर ऐसा असर पड़ सकना संभव है।

(६) पानी के कम होने पर ऐसा होना संभव है।

(७) नदी में बांधों से पानी छोड़ने का प्रश्न हो नहीं उठता है। बांध में क्षमता से अधिक पानी आने पर ओवर फ्लो द्वारा पानी नीचे की ओर बहेगा तथा बांध के नीचे की नदी के संग्रह क्षेत्र से भी पानी एकत्र होकर आगे जावेगा, जिससे कुओं का जल स्तर ऊंचा होता रहेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, वर्ष १९५८-५९ में मंत्रिमंडल ने क्या यह निर्णय लिया था कि लूनी और उसकी सहायक नदियों पर कोई बांध नहीं बनाये जायेंगे और लूणी नदी जो आगे जाकर फैल जाती है और कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : केबिनेट का ऐसा निर्णय मेरी जानकारी में नहीं है।

श्रीमती मदनकौर : मंत्रिमंडल का निर्णय था। क्या लूनी नदी का पानी कच्छ की खाड़ी में गत वर्षों में गिरा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ज्यादा वर्षा होती है और पानी अधिक होता है तो कच्छ की खाड़ी में ही जाता है।

श्रीमती मदनकौर : क्या यह सही है कि कच्छ की खाड़ी में पानी नहीं गिरा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सालवार आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। अभी दो-तीन वर्ष पहले जब बाढ़ आई थी उस साल पानी जरूर कच्छ की खाड़ी में गिरा था।

Page No. 22

श्रीमती मदनकौर : बांध बनाये जांय उस पर, यह कहां तक उचित है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, यह एक अहम सवाल है। इसकी मैंने जानकारी की है। लूनी और सहायक नदियों का अजमेर के आसपास में जो केचमेन्ट है वह २५ हजार मिलियन क्यूबिक फीट है, आजादी से पहले इस पर काम बन चुके थे। उनके बारे में प्रश्न के उत्तर में बताया था कि १८ हजार मिलियन क्यूबिक फीट कई तालाबों को बनाने से रोका जा सका है। यह काम तो पन्द्रह बीस, पचीस और उसके पूर्व भी कई तालाबों पर हो चुका है। अभी जो काम हाथ में लिये हैं वे ५७० एम० सी० फुट है, जिसका पुराने कामों के मुकाबले कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर भी इस प्रश्न की महत्ता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया है, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर मोतीरामजी नियुक्त किये गये हैं। वे सारे प्रश्न को एक्जामिन करेंगे और सलाह देंगे उस रोशनी में कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : इम्पोर्टेन्ट क्वश्चन है अध्यक्ष महोदय।

क्या यह सही है कि १४ जनवरी को कोई नये बांध का निर्माण का कार्य कराया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस काम को लिया गया और जो प्लान में कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत लिये गये हैं अथवा अधूरे थे और पहले लिये जा चुके थे उन सब की जो कैपेसिटी होगी और ५६७ एम. सी. बतायी गयी है वह उन्हीं से सम्बन्धित है।

श्रीमती मदनकौर : अकाल कार्य राहत में जो काम लिये जाते हैं तो क्या टेक्निकल दृष्टि से सर्वे आदि के लिये सम्बन्धित विभाग से राय ली जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इरिगेशन डिपार्टमेन्ट इस बात से इन्कार थोड़े ही कर रहा है।

श्री भैरोंसिह : पाली डिस्ट्रिक्ट में गिलोलिया बांध के निर्माण करने से पूर्व सर्वे कराया गया था और इसका इम्पैक्ट पचपदरा बाड़मेर वगैरा में क्या पड़ेगा इसका भी विचार कर लिया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारे बांध का क्या असर पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है पूरा एग्जामिन करके कार्यवाही की है और फिर भी हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट की कमेटी मोतीरामजी की अध्यक्षता में बनायी जाय जो इसको और अच्छी तरीके से एग्जामिन करके हमको सही रूप में बता सकें।

श्री भैरोंसिह : जो सर्वे कराया गया था वह एक्सपर्ट का सर्वे नहीं था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे इन्जिनीयर्स की राय थी और उसके बजाय भी एक्सपर्ट कमेटी की राय ले लेना चाहते हैं जिससे सारे प्रॉस्पैक्ट्स को एग्जामिन करके बता सकें।

श्री भैरोंसिह : क्या सरकार इसको उचित समझेगी कि मोतीरामजी कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय तब तक पाली डिस्ट्रिक्ट

(श्री भैरोंसिंह)
में जो काम कराये जा रहे हैं उनको रोक दिया जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रोकने का प्रश्न नहीं है जिन कामों को हम स्वीकृत कर चुके हैं और दो वर्ष से अकाल राहत के जो कार्य चल रहे हैं, उनके ऊपर काम तामीर की रोक लगाना वाजिब भी नहीं है। यह जरूर प्रयत्न करूंगा कि मोतीरामजी चीफ इन्जीनियर की रिपोर्ट आ जाय।

श्री भैरोंसिंह : तब तक तो बाड़मेर, जैसलमेर को बर्बाद कर देंगे।

श्रीमती मदनकौर : इस प्रकार के बांध बनाते गये तो वह इलाका गैर आबाद हो जायगा। मैं जानकारी के लिये कह दूं कि ५५/५६ में सिंचाई ५८.६७ एकड़ में होती थी वह अब ४,४१३ एकड़ में ही रह गयी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात का असेसमेन्ट नये सिरे से करायेगी कि इस बात के कारण बाड़मेर, जालोर जिले के किसानों में भयंकर असन्तोष है कुए के अन्दर वाटर लेवल धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। पानी की समस्या वहां पर भयंकर होती जा रही है। उस बांध के होने के कारण होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर और जालोर जिले में जो अकाल राहत काम करा रहे हैं उसमें इसको भी समावेश करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो विचार व्यक्त किये गये हैं वह एक साइड के किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको पता होगा वहां का क्षेत्र इसी कारण खाली होता जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जालोर और बाड़मेर जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इस नदी का पानी जाता था उस क्षेत्र के लोगों को उस पानी का उपयोग करने का अधिकार होगा।

श्री भैरोंसिंह : पहले आपने बनास का पानी रोक कर अजमेर को दिया वहां के कुए सूख गये, अब इधर के क्षेत्र को भी बरबाद करने पर तुले हुए हो।

श्रीमती मदनकौर : एक क्षेत्र की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं और दूसरे क्षेत्र की उनकी कोस्ट पर सिंचाई के लिये पानी दिया जाता है यह कहां तक न्याय संगत है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दो जिले बिल्कुल उजाड़ हो जायेंगे। एक तरफ तो आप पानी के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। दोनों जिलों को पीने के पानी की योजना के लिये धन खर्च कर रहे हैं ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। आप यह फैसला करलें कि बाड़मेर और जालोर जिले में कोई नागरिक नहीं रहे तो बात दूसरी है आप जो यह बांध बना रहे हैं यह निश्चित हैं इससे इन दोनों जिलों के लोगों की तबाही होगी।

इस बांध में खर्चे में भी घोटाले हुए हैं ये आरोप मैंने नहीं आपके शंकरलालजी ने कई दफा सदन में लगाये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप पाली से परिचित नहीं हैं यह जो गोनालिया

(श्री मूलचन्द डागा)
बांध है उसके नीचे बड़े-बड़े जागीरदारों के तालाब जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरी बला से बड़े जागीरदार जायं चूल्हे में।

श्री अध्यक्ष : इन्हें रोका जाय।

श्री विजयसिंह : वे तो पहले ही चले गये अब कौन से बड़े जागीरदार हैं अब तो मूलचन्दजी डागा जैसे बड़े जागीरदार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो बांध का काम शुरू ही नहीं किया ?

श्री भैरोंसिंह : इस बांध को तुड़वाया जाय, नहीं तो दो जिले बिल्कुल तबाह हो जायेंगे। आपने उसको तोड़ा नहीं तो लोग तोड़ देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपका काम तो बना हुआ काम बिगाड़ना है।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना।

राजकीय सैकेन्डरी विद्यालय, सादड़ी की वार्षिक पत्रिका

२२२. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजकीय सैकेण्डरी विद्यालय, सादड़ी (जिला पाली) की वार्षिक पत्रिका (सत्र १९६६-६७, सत्र १९६७-६८) के अंक की ओर ध्यान गया है ?

(२) क्या उपर्युक्त पत्रिका के निम्न पृष्ठों पर निम्न प्रकाशित मैटर की ओर सरकार का ध्यान गया ?

पृष्ठ संख्या २१ "किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता ? लाख प्रतिभा शालिनी लड़कियां हों, लेकिन वे अगर किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी और यदि वह अस्वीकार कर दिया तो शायद प्रतिहिंसा से तड़फ उठेगी"।

पृष्ठ संख्या ६७ यह भी खूब रही।

"खेड़वा नामक गांव में एक खूबसूरत और सुन्दरता प्रिय दुल्हन ने ठीक फेरों के वक्त अपना घूंघट उलट दिया, बड़े साहस से निर्णय देते हुए बोली : काले दूल्हे को गोरी बीबी नहीं मिल सकती"

(३) उपर्युक्त प्रकाशित सामग्री का उद्देश्य छात्रों को क्या सिखाना है ?

(४) क्या सरकार उपर्युक्त प्रकाशन को उचित समझती है ? यदि नहीं, तो इसे अनुचित समझने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(५) इस पत्रिका की कुल कितनी प्रतियां छपीं और कुल कितने रुपये खर्च हुए ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :
(१) जी हां।
(२) जी हां।

(३) उपर्युक्त सामग्री का पत्रिका में प्रकाशन होना अवांछनीय था।

(४) श्री परसराम गोयल, प्रधानाध्यापक व श्री दीनदयाल पुरी गोस्वामी, सह सम्पादक, वार्षिक पत्रिका, राजकीय देवीचन्द मायाचन्द और लाईवाला सैकेण्डरी स्कूल, सादड़ी को निलम्बित करने तथा

(राव श्री धीरसिंह)

उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी आरम्भ करने के आदेश निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को दे दिये गये हैं ।

(५) कुल ६०० प्रतियां छपीं व १३०६. १२ पै० खर्च हुये ।

श्री फूलचन्द बाफना: यह आदेश कब दिया ?

श्री धीरसिंह : १६-३-७० को ।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं यह पूछना चाहता हूं यह पत्रिका निकली और फिर बन्द की गई, क्या जो वितरित हुई उसको वापिस इकट्ठी की जा सकती है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह वाजिब किस तरह से नहीं है ?

श्री धीरसिंह : यह पत्रिका छपी है उसके बाद जो पोर्शन आपने कोट किया है उसके ऊपर कागज चिपका दिया गया है। अब इस तरह से कागज लगने के बाद वह हिस्सा पत्रिका में नहीं है। छपने से पहले इसको प्रधानाध्यापक ने नहीं देखा उनको सस्पेन्ड कर दिया गया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी चालू कर दिया गया है।

श्री फूलचन्द बाफना : कितनी पत्रिकायें बंट जाने के बाद आपने कागज लगवाया ?

श्री धीरसिंह : आपके प्रश्न पूछने के बाद नोटिस में आया और हमने कागज चिपकवा दिया।

श्री मूलचन्द डागा : आप इसमें खराब बात किसे कहते हैं। दकियानूसी ख्यालात अभी तक आप लड़कों में रखना चाहते हैं। पुरानी रूढ़ियों को आप अभी तक रखना चाहते हैं। आपको यह बन्द नहीं करना चाहिये। यह गलत तरीका है।

श्री शिवचरण माथुर : आप उन पंक्तियों को देखिये जिस स्तर पर यह मेटर आया है, वह अवांछनीय है।

श्री मूलचन्द डागा : केवल अवांछनीय कहने से अवांछनीय नहीं होता, इसके साथ बड़ा प्रश्न हमारे समाज की रूढ़ियों का जुड़ा हुआ है आप क्या आज की पीढ़ी को उसी स्तर पर रखना चाहते हैं ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है एक लड़की घूंघट उलटती है तो यह उसका प्रयत्न सराहनीय है और कई सदस्य यह कहते हैं कि लड़की का सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध साहस प्रशंसनीय है। यह उनका कहना है कि गोरे दुल्हे को क्या काली बीबी नहीं मिल सकती ?

श्री मूलचन्द डागा : ये क्रान्तिकारी विचार हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : माननीय डागा साहब पता होना चाहिये दूसरा मेटर ज्यादा सीरियस नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : सैकण्ड मेटर सीरियस नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : मुझे ऐसा मालूम होता है कि डागा साहब पृष्ठ संख्या २१ वाले मेटर को सीरियस नहीं मानते ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या पृष्ठ संख्या ६७ पर जो

Page No. 26

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
यह लिखा हुआ है काले दूल्हे को गोरी बीबी नहीं मिल सकती, यह डागा साहब की जन्म-पत्री से मेल खाता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दौलतराम सारण।

लूणकरनसर के राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की शिकायतें

२२३. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जलोत्थान योजना लूणकरनसर के कार्य पर लगे अकाल पीड़ित मजदूरों की ओर से शिकायतें हैं कि :—

(१) मजदूरों के किये हुए काम की नपाई में गोलमाल की जाती है जिससे उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती।

(२) मजदूरी समय पर नहीं मिलती तथा उसमें बहुत विलम्ब होता है ?

(३) मजदूरों के लिये निर्धारित मात्रा में सस्ती दरों पर गेहूं आटा, घृत, दुग्ध पाउडर आदि नहीं मिलता तथा अन्यत्र बेच दिया जाता है ?

(४) राशन कार्ड फर्जी बना कर काफी संख्या में इस्तेमाल होते हैं ?

(५) खाद्यान्न के डिपो स्थानीय व्यक्तियों को नहीं देकर दूर-दूर के अपने सिफारिशियों को दिये गये हैं, जो मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जैसे आर० डी० २२० व आर० डी० ३७५ ?

(२) क्या राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित अधिकारियों के पास भी किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या व कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(१) जी नहीं।

(१) ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार के सामने नहीं आई है।

(२) जी नहीं। मजदूरी यथा सम्भव समय पर ही दी जाती है।

(३) जी नहीं। गेहूं आटा, घृत, दुग्ध पाउडर आदि अन्यत्र बेचे जाने की कोई शिकायत राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं। खाद्यान्नों के डिपो जहां तक सम्भव हुआ है, स्थानीय व्यक्तियों को ही दिये गये थे। मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(२) राज्य सरकार के पास किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सम्बन्धित अधिकारियों के पास ३.४ मामलों में काम की कम नाप की शिकायत मिली थी, जिस पर सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुनः काम का

(श्री गंगाराम चौधरी)

नाप चैक किया जाकर नियमानुसार जितनी और मजदूरी देय बनती है, उतनी दिला दी गई।

(१ म० पू०)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्षजी मेरे पास इस तरह के पत्र आये हैं, इस तरह की शिकायतें आई हैं। पत्रों और शिकायतों के आधार पर ही मैंने पूछा है।

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार के समक्ष और अधिकारियों के समक्ष इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है ; वैसे मैंने काम के नाप के सम्बन्ध में जिक्र कर दिया है। आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

एक माननीय सदस्य : यदि इन पत्रों को आपके पास पेश किया जाय तो क्या आप...

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर, दूदू, भरतपुर एवं दौसा बस स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं

२१४. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर, दूदू, भरतपुर एवं दौसा आदि राजस्थान स्टेट रोडवेज के स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिये खाने-पीने की दुकानों के लिये किराये पर जमीन दी हुई है? यदि हां, तो स्टेट रोडवेज को कितना किराया मासिक, किस-किस स्टेशन से प्राप्त होता है ?

(२) जोधपुर, दूदू, भरतपुर एवं दौसा में स्टेट रोडवेज के केबिन के दुकानदारों को कितनी-कितनी जमीन दी हुई है और उनसे किस अनुपात से किराया लिया जाता है ?

(३) क्या बस स्टेशन स्टेट रोडवेज दूदू के दुकानदार और राजस्थान स्टेट रोडवेज के बीच कचहरी में केस चल रहा है ? यदि हां, तो किस बारे में ? इस केस में स्टेट रोडवेज का कितना खर्चा व नुकसान हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज व दुकानदार के बीच में इकरारनामा लिखा हुआ है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? उसकी प्रति मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जोधपुर, भरतपुर के बस स्टेण्ड पर निगम ने दुकानों के लिए लाइसेन्स दिये हैं। जो लाइसेन्स फीस इन स्टेशनों से प्राप्त होती है उसकी सूची संलग्न है। दौसा और दूदू के बस स्टेण्डों पर निगम ने अभी किसी को लाइसेन्स नहीं दिये हैं।

(२) सूचना संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है।

(३) जी हां, दूदू बस स्टेण्ड पर श्री होतूमल और निगम के बीच सिविल मुकदमा इस समय डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन कोर्ट

Page No. 28

(यातायात मन्त्री)

जयपुर में चल रहा है। मामला Sub-judice है।

(४) जी नहीं चूंकि मामला Sub-judice है। इसका जवाब देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

पंचायत समिति, अचनारा के ट्रैक्टर पर व्यय की गई राशि

२१५. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति, अचनारा के ट्रैक्टर पर १२०००) रुपया सन् १९६९ में रिपेयरिंग पर खर्च किया है ? यदि हां, तो अब उसकी कन्डीशन कैसी है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस ट्रैक्टर के लिये सामान खरीदने स्वयं विकास अधिकारी गये ? यदि हां, तो कहां-कहां पर गये एवं इस कार्य के निमित्त कितना यात्रा व्यय उठाना पड़ा ?

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त राशि खर्च करने पर भी ट्रैक्टर बंन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और यह राशि किस हैड से खर्च की गई ?

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

२१६. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में बसों के किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है ?

(२) क्या जोधपुर से चौहटन वाया बाड़मेर, जोधपुर से जैसलमेर वाया पोकरण एवं बाड़मेर से जैसलमेर बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। अगर हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) उक्त मार्ग का कब तक राष्ट्रीयकरण किया जायगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। निगम का निर्णय पहले राष्ट्रीयकृत मार्गों के सहायक मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना है।

(३) अभी निश्चित समयावधि के बारे में बतलाना सम्भव नहीं है।

जिला उदयपुर में फ्लू की बीमारी से मृत्यु

२२४. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला उदयपुर में फ्लू की बीमारी से काफी लोगों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

(२) सराड़ा, खेरवाड़ा, गोगुन्दा, गिरवा, झाड़ोल में कितने-कितने व्यक्ति इस बीमारी से मरे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) विभाग की तरफ से बिमारी की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(चिकित्सा मन्त्री)

उत्तर

(१) जी हां, ३८७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(२) उक्त बीमारी से मृतक व्यक्तियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

गांव का नाम	मृतकों की संख्या
सराड़ा	१७९
खेरवाड़ा	५३
गोगुन्दा	३
गिरवा	५४
झाड़ोल	६

(३) उक्त बीमारी की रोक के लिए जिले के २० भ्रमणशील इकाइयां मय गाड़ी व चालक तथा पर्याप्त औषधियों के स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरियां तथा सभी पैरा मेडिकल स्टाफ भी फ्लू को रोकथाम में कार्यरत किया गया था। समस्त स्टाफ को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां दी हुई थी जो रोगियों को मुफ्त वितरण करते थे। इसके अलावा सरपंच, स्कूल मास्टर एवं ग्राम सेवकों को भी रोगग्रस्त गांवों में मुफ्त दवाइयां वितरित करने के लिए दी हुई थीं। विभाग द्वारा ए० पी० सी०, एस्प्रीन, सल्फामिडाइन ओरीसोल आदि दवाईयां जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास पर्याप्त रूप में थीं।

राजस्थान कैनाल लिफ्ट ईरिगेशन योजना

२२५. श्री रावतराम (छापर) : क्या राजस्थान कैनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान कैनाल लिफ्ट ईरिगेशन का कार्य कब प्रारंभ हुआ और अब यह कार्य किस स्तर पर चल रहा है ?

(२) उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है तथा इस योजना के अन्तर्गत कितनी बीघा जमीन की सिंचाई होगी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत तहसील लूणकरणसर (बीकानेर) तथा तहसील सरदार शहर (चूरू) के कुछ गांवों को सिंचाई में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं ? कृपया गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें तथा यह भी बतावें कि उक्त गांवों का कितना-कितना रकबा सिंचाई में लिया गया है ?

उत्तर

(१) राजस्थान कैनाल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का कार्यारंभ दिनांक ५ जुलाई, १९६८ को हुआ।

(२) इस योजना के अंतर्गत ५८.१६ करोड़ क्यूबिक फीट मिट्टी की खुदाई का कार्य किये जाने का अनुमान है। जनवरी, १९७० तक ६.५ करोड़ क्यूबिक फीट मिट्टी की खुदाई का कार्य और १.१८ मील लाइनिंग का कार्य हो चुका है। पानी की सप्लाई के लिये पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है। पम्पिंग स्टेशनों पर पावर की सप्लाई के लिये ट्रांसमिशन लाईन लगाने का कार्य राज्य के विद्युत् विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना पर कुल ८.२६ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है तथा १,२६,००० एकड़ जमीन की सिंचाई होगी।

(३) उक्त योजना के अन्तर्गत तहसील सूरतगढ़, लूणकरणसर तथा बीकानेर के ही कुछ गांवों को सिंचाई में शामिल किया गया

Page No. 30

(राजस्थान कैनाल मन्त्री)

है। ऐसे कुल ७४ गांव हैं, इन गांवों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

परिचर्या अधीक्षक के पद पर पदोन्नति

२२६. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) परिचर्या अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का क्या मापदण्ड है ?

(२) गत ५ वर्षों में कितने पुरुष, कितनी महिलाएं अधीक्षक के पद पर पदोन्नति किये गये ?

(३) क्या इस पद पर पुरुषों को पदोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? जबकि सभी प्रशिक्षक सम्पूर्ण आवश्यकताओं से सम्पन्न हैं ?

(४) क्या इस प्रकार पुरुषों की पदोन्नति रोकना भारतीय संविधान व राणावत वेतन आयोग के प्रतिवेदन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है ?

(५) अगर है तो राज्य सरकार उसके निराकरण के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(अ) परिचर्या अधीक्षक ग्रेड प्रथम व द्वितीय के पद पर पदोन्नति के लिये निम्न माप दण्ड स्वीकृत है :—

नाम पद	पद जिससे पदोन्नति दी जावेगी	पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव
१. परिचर्या अधीक्षक ग्रेड द्वितीय	सहायक परिचर्या अधीक्षक	सहायक परिचर्या अधीक्षक के पद पर दो वर्ष का सेवा कार्य।
२. परिचर्या अधीक्षक ग्रेड प्रथम	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड द्वितीय	परिचर्या अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के पद पर २ वर्ष का सेवा कार्य।

(२) सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं। यह इसलिये है क्योंकि जिस पद से पदोन्नति दी जाती है उन पर केवल महिलायें ही कार्य करती हैं।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

गिलाई सागर बांध से सीपेज

२२७. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खन्डार): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला सवाई माधोपुर की तहसील खंडार के गिलाई सागर बांध के सीपेज को रोकने के लिये राज्य सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? अगर हां, तो क्या ?

(२) क्या राज्य सरकार ने उक्त सीपेज होने के कारणों की जांच की या नहीं ? क्या इससे बांध टूटने का खतरा तो नहीं है ?

(३) क्या उक्त बांध के सीपेज को रोकने से काफी जमीन की सिंचाई हो सकती है ?

उत्तर

(१) जी हां, बांध पर ब्लैंकेट एवं ब्लो-ट्रेन्च बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(२) जी हां, सीपेज के कारणों की जांच करा ली है उसमें बांध के टूटने की कोई आशंका नहीं है।

(३) जी हां।

झालावाड़ जिले में चैरिटी फण्ड के नाम से ली गई राशि

२२८. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ जिले में शक्कर कन्ट्रोल के कोटे पर शक्कर डीलर्स से चैरिटी फण्ड के नाम से कोई राशि ली जाती रही है ? यदि हां, तो यह कबसे तथा किस आदेश से ली जा रही है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) अब तक कुल कितनी राशि इस फण्ड में जमा हुई है तथा किस-किस तहसील से कितनी-कितनी राशि आई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या उक्त धनराशि किसी बैंक में जमा है ? यदि हां, तो बैंक का नाम बताने की कृपा करें ? यदि नहीं, तो किसके पास है ?

(४) क्या उक्त राशि का व्यय भी किया गया है ? यदि हां तो किस कार्य हेतु ? सूची प्रदान करें।

(५) क्या उक्त चैरिटी फण्ड के होने से झालावाड़ में शक्कर १)९० पैसे एवं कोटा में १)५५ पैसे किलो बिकी है ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर ऊन की मण्डी

२२९. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर ऊन की सबसे बड़ी मण्डी है और वहां पर ऊन को कृषि उपज विपणि अधिनियम के अन्तर्गत नहीं ले रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज विपणि अधिनियम के अन्तर्गत अन्य मण्डियों के लिये ऊन को मुक्त करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(३) अगर हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि पड़ोसी राज्यों में भी ऊन कृषि उपज विपणि अधिनियम के अन्तर्गत आती है ?

उत्तर

(१) जी हां, बीकानेर राज्य में ऊन की एक बड़ी मण्डी है। यह सही नहीं है कि ऊन को कृषि उपज विपणि अधिनियम के अन्तर्गत बीकानेर में मण्डी क्षेत्र के लिये अनुसूचित उपजों में नहीं लिया है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां, पंजाब, हरियाणा के पड़ौसी राज्यों में भी ऊन को वहां के कृषि उपज विपणि अधिनियम के अन्तर्गत रखा गया है।

जिला झालावाड़ में ओलावृष्टि से क्षति

२३२. रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ता० १९-१-१९७० को जिला झालावाड़ की

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
झालरापाटन, पचपहाड़ व खानपुर तहसीलों के ग्रामों में ओले पड़ने से फसलों को भारी नुकसान हो गया था? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ओले पड़े? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या इन ग्रामों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है अथवा नहीं? यदि हां, तो क्या इन ग्रामों में तत्काल सहायता पहुँचाई गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(१) जी नहीं। तारीख १९-१-१९७० को जिला झालावाड़ की झालरापाटन, पचपहाड़ व खानपुर तहसील के ग्रामों में ओले पड़ने से फसलों को साधारण नुकसान हुआ था। जिन ग्रामों में ओले पड़े उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) इन ग्रामों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया न इन ग्रामों में तत्काल सहायता पहुँचाई गई क्योंकि नुकसान की मात्रा को देखते हुए इसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्योपुर में पकड़े गये डाकू के बयान की नकल

२३६. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा के शाहबाद क्षेत्र के अतिरिक्त एस. पी. ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में जाकर वहां पर पकड़े गये कुख्यात डाकू माधोसिंह द्वारा दिये गये बयानों की नकल लाए हैं?

(२) क्या यह सही है कि उक्त डाकू ने अपने बयानों में यह बताया है कि डाकू लोग राजस्थान के शाहबाद क्षेत्र के सीताबाड़ी के निकट ग्राम सूंडा में एक बड़े सरदार के गन्ने के खेतों में कई दिनों तक रहे और रात्रि को उसके मकान पर आकर खाना खाते थे? यदि हां, तो उस सरदार का क्या नाम है और सरकार ने उन बयानों के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(१) जी नहीं। अलबत्ता भंवरसिंह डकैत मध्यप्रदेश में गिरफ्तार हुआ था, उसके बयान की नकल लाई गई थी।

(२) जी हां। भंवरसिंह ने सरदार स्वर्णसिंह निवासी सूंडा के सम्बन्ध में इस प्रकार का बयान दिया था। स्वर्णसिंह के खिलाफ इस आधार पर तत्काल एक केस ह० द० २१६ ए. (आई० पी० सी०) दर्ज किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

थाना देवली में दर्ज मामला

२८४. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला टोंक के पुलिस थाना देवली के अन्तर्गत ग्राम सिरोही में दिनांक ८-१-१९७० को जागोण में भजन बोल रहे व्यक्तियों पर नाथू पुत्र माधू मीणा सिरोही ने हमला किया?

Page No. 33

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(२) क्या यह भी सही है कि भजन बोल रहे व्यक्तियों में से सुखा खटीक के मुंह पर बन्दूक की चोट की जिससे उसके दांत टूट गए ?

(३) क्या उक्त घटना की सुखा खटीक ने पुलिस में मय मेडिकल सर्टिफिकेट के रिपोर्ट की ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं, यह सही नहीं है सही यह है कि दिनांक ९-२-७० की रात्रि को ग्राम सिरोही में सुखा पुत्र केसरा खटीक जब काना खाती के घर से भजन बोल कर ९-३० बजे बाहर निकला तब नाथू पुत्र माधो मीणा, सिरोही ने उस पर हमला किया व लाठी से मारा जिससे सुखा के साधारण चोटें आईं।

(२) जी नहीं, यह गलत है।

(३) जी नहीं। सुखा ने उसके साथ मारपीट की कोई इत्तला पुलिस में नहीं की अतः इस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

देश द्रोहिता के अपराध में सजा

२८५ श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर जिला सत्र न्यायाधीश श्री डी०सी० शर्मा ने सन् १९६८ में किसी कर्मचारी को देश द्रोहिता के अपराध में सजा दी है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि श्री डी० सी० शर्मा, सत्र न्यायाधीश, जिला जयपुर ने सन् १९६८ में राज्य कर्मचारी श्री मशीरुद्दीन कुरेशी पुत्र श्री जहरुद्दीन भारतीय नागरिक को देश द्रोह के अपराध में सजा दी है।

सरकारी जीप व ट्रक का निजी कार्यों में उपयोग

२८६ श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की डाकू ग्रस्त तहसील शाहबाद क्षेत्र में डी०आई० एस० पी० श्री दुर्गपालसिंह को सुरक्षा के लिये भेजा गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी इस क्षेत्र की ग्राम पंचायत समरानियां के निकट ग्राम के करीब २५०–३०० बीघा भूमि पर खेती कर रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी अपनी खेती के काम के लिये सरकारी ट्रक व जीप को काम में लेता है ?

उत्तर

(१) जी हां। परन्तु श्री दुर्गपालसिंह, उप-अधीक्षक, आरक्षी का मुख्यालय शाहबाद के बजाय माह जून सन् ६९ से मांगरोल किया जा चुका है।

(२) जी नहीं, श्री दुर्गपालसिंह, उप-अधीक्षक, आरक्षी को २० बीघा भूमि

Page No. 34

(गृह मन्त्री)

सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिक होने के कारण प्रदान की गई हैं।

(३) जी नहीं।

फिल्मी कलाकारों पर गुण्डों का हमला

२८७. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही हैं कि १-५-१९६९ को जयपुर नगर में फिल्मी कलाकारों पर गुण्डों ने हमला बोल दिया था।

(२) क्या यह भी सत्य है कि इम्पीरियल होटल से निकलते ही नीली कार में बैठे हुए युवकों ने शराब की बोतलें फेंकना शुरू किया ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि पुलिस के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी जनता को राहत नहीं मिलती।

उत्तर

(१) जी हां, इस आशय की इत्तला थाना अशोकनगर, जयपुर पर दिनांक २९-४-६९ को दर्ज हुई थी।

(२) जी नहीं। आपसी झगड़ा होना इत्तला अव्वल में बताया गया किन्तु मुलजिमान के खिलाफ कोई स्वतन्त्र शहादत नहीं मिली। अतः एफ. आई. आर. दी गई है।

टूरिंग टाकीज, अकलेरा

२८८. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि अकलेरा कस्बे में वर्ष में लगभग ८-९ माह तक कोई न कोई टूरिंग टाकीज चलता रहा है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त सिनेमा किसी बन्द बिल्डिंग में न होकर खुले टेन्ट में चलता है और प्राइमरी स्कूल में पिछवाड़े के हिस्से में चलता है ? यदि हां, तो उसका किराया कितने रुपये माहवार कौन संस्था लेती है और अब तक कुल कितनी राशि किस किस टाकीज से कितने में ली गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि सिनेमा वाला सायं ६ बजे से साढ़े नौ बजे तक खेल शुरू न होने तक नियमित रूप से रिकार्डिंग जोर-शोर से बजाता रहता है और भोंडी तथा भद्दी आवाजों में चित्र की एवं अभिनेता व अभिनेत्रियों की पब्लिसिटी करता रहता है ?

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त नियमित रिकार्डिंग एवं सिनेमा की जोर शोर की आवाज तथा १ बजे चित्र की समाप्ति पर रेकार्डिंग आदि के कारण उस मोहल्ले के निवासी परेशान हैं तथा बालक सो नहीं पाते, छात्र अध्ययन नहीं कर पाते और रोगी विश्राम नहीं कर सकते ?

(५) क्या यह सत्य है कि उक्त मोहल्ले के कई नागरिकों ने कई शिकायतें

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)
जिलाधीश एस. डी. ओ. एवं पुलिस स्टेशनों को की हुई हैं ? यदि हां, तो कितने सिनेमा मालिकों का चालान कब कब किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) प्राइमरी स्कूल के अहाते में सिनेमा के अश्लील एवं अतिरंजित चित्र छात्र एवं छात्राओं के चरित्र एवं मनोभावों पर क्या कुप्रभाव डाल सकते हैं ? क्या शासन ने कभी यह सोचने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो किस सिनेमा मालिक को कब नोटिस प्रशासक ने दिया। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि भविष्य में परमिट देते समय जनता को किसी प्रकार की शिकायत एवं परेशानी का अवसर नहीं आने दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। जिन टूरिंग टाकीज से स्कूल द्वारा राशि ली गई है वह नीचे अंकित करदी गई है:—

१. जनता टूरिंग टाकीज	३८७) रु.
२. दुर्गा टूरिंग टाकीज	४६५) रु.
३. लक्ष्मी टूरिंग टाकीज	५०) रु.
४. महावीर टूरिंग टाकीज	७२०) रु.
५. बम्बई टूरिंग टाकीज	३१२) रु.
योग	१९३४) रु.

(३ व ४) जी नहीं। केवल एक शिकायत माननीय सदस्य से प्राप्त हुई थी जिस पर रेकार्डिंग व चित्र के चालू व समाप्ति का समय निर्धारित कर दिया गया था।

(५) जी नहीं। केवल एक शिकायत माननीय सदस्य द्वारा की गई थी पर बाद में चूंकि उनकी ओर से लिखित पत्र इस आशय का प्राप्त हो गया कि उन्हें बाम्बे टाकीज से अब तक कोई शिकायत नहीं रही, आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

(६) अश्लील व अतिरंजित चित्र प्रदर्शित करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) चल-चित्र प्रदर्शित करने का अनुज्ञा पत्र देते समय जिलाधीश द्वारा जनता की शिकायतों एवं असुविधाओं का पहले भी ध्यान रखा जाता था व भविष्य में भी रखा जावेगा।

चूरू जिले की सिंचाई योजना

२८९. श्री रावतराम (छापर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले के गांवों में सिंचाई के लिये सरकार के सामने क्या योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि चूरू जिले के गांवों में सिंचाई हेतु घग्घर बाढ़ के पानी तथा राजस्थान कैनाल की लिफ्ट इरिगेशन योजना से पानी देने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

(सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

१. अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

(२) राजस्थान नहर से लिफ्ट सिंचाई के सम्बन्ध में खर्च किया जायेगा।

गुड़ा बांध की सीपेज समस्या से प्रभावित ग्राम

२९०. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बून्दी स्थित गुड़ा बांध कमान्ड क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं जो बांध की सीपेज समस्या से प्रभावित हैं ?

(२) सीपेज समस्या का मुकाबला करने के लिये क्या सरकार ने अब तक कोई ठोस योजना बनाई ? यदि हां, तो वह क्या है और वह किस प्रकार अमल में लाई जावेगी ?

(३) अब तक इस ओर क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य किये गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या इस विषय की जानकारी जनता चतरगंज द्वारा स्वास्थ्य मन्त्री श्री बृजसुन्दर शर्मा को दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(५) गुढ़ा कमाण्ड क्षेत्र में ऐसा कितना क्षेत्र है जिस पर पानी नहीं दिया जा सका ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(६) क्या सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जिस जिस भू-खण्ड में पानी नहीं दिया जा सकेगा उसे कमाण्ड क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जावेगा। यदि हां, तो इस कमाण्ड से कितना क्षेत्र निकाला गया है।

उत्तर

(१) बांध की सीपेज से कोई भी ग्राम प्रभावित नहीं है नहरों की सीपेज से २३ ग्राम प्रभावित हैं। इन ग्रामों की सूची संलग्न है।

(२) सीपेज समस्या के निवारण हेतु नहरों में जहां २ सीपेज होता है वहां २ लाइनिंग बिछाने का निश्चय किया है और वह कार्य धन की उपलब्धि पर प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा।

(३) अब तक नहरों के पानी के सीपेज को रोकने के लिए पांच मील लाइनिंग का कार्य कराया गया है जिसमें ५३६०००) रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

(४) जी हां, पहाड़पंच ग्राम में नहर के सीपेज को रोकने के लिए लाइनिंग डालने हेतु तखमीना बना लिया गया है। इसमें ५४०००) रुपया व्यय होने का अनुमान है। धनराशि मिलने पर यह कार्य कराया जा सकेगा।

(५) सूची नं० १ संलग्न है।

(६) १९६८ एकड़ भूमि जो नहरों के पूर्ण प्रवाह में नहीं आती है, उससे पहले ही अन कमाण्ड कर लिया गया है। शेष भूमि में सिंचाई की जा सकती है और ऐसी भूमि को कमाण्ड से निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

—

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

रामपुरा टैंक पर पिंचिंग का कार्य

२९१. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रामपुरा टैंक जो चम्बल राइट मेन कैनाल का है उसके बाहर पत्थरों द्वारा पिचिंग की गई है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि पिचिंग बिना चूने के खाली पत्थर जमा करके की गई है और उन पत्थरों को कोई भी उठाकर ले जा सकता है ?

(३) यदि हां, तो उस कार्य पर कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) रामपुरा टैंक के बाहर कुछ हिस्सों में फिल्टर-टैंक बनाया गया है।

(२) फिल्टर टैंक बनाने के लिए केवल सूखी रोड़ी व पत्थर ही पट्टी में जमाये जाते हैं।

(३) इस कार्य पर लगभग ९२,०००) रु० खर्च हुआ है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर में सामान की सप्लाई

२९२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापिका, महाराजा बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड़, जयपुर द्वारा दिनांक २४-११-१९६९ को अग्रवाल छात्रावास के नाम मेस का सामान सप्लाई का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो कितने मूल्य के सामान का आदेश दिया गया और उक्त सामान कब प्राप्त किया ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सामान की कीमत का भुगतान उक्त फर्म को नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सामान की कीमत का भुगतान किसी दूसरी फर्म को कर दिया गया और पिछला रेकार्ड गायब करके दूसरे के नाम से ही सप्लाई आर्डर भी दिया बताया ? यदि हां, तो क्यों और वह कौन सी फर्म है जिसको यह गलत भुगतान किया गया है ?

(२) सरकार के ध्यान में यह कब आया और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) यह सत्य नहीं है। सामान फर्म भार्गव ब्रदर्स से लिया गया था और उसी को भुगतान किया गया।

(३) फरवरी, ६८ में अग्रवाल छात्रावास ने अपना क्लेम शाला में प्रस्तुत किया जो उपरोक्त आधार पर सही नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में सी० आई० डी० विभाग द्वारा भी मामले की जांच की जा चुकी है।

Page No. 38

स्कूलों को अनुदान

२९३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) ; क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता देते समय सरकार इस बात की भी जांच करती है कि सहायता प्राप्त करने वाली संस्था का रजिस्टर्ड विधान नियमानुसार है या नहीं ? यदि हां, तो कस्बा लाडनू, जिला नागौर की सहायता प्राप्त जे. बी. हायर सेकेन्ड्री स्कूल, लाडनू के विधान के सम्बन्ध में कब जांच की गई और उक्त विधान सरकार की राय में नियमानुसार है या नहीं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सहायता प्राप्त स्कूलों के अनुदान प्रार्थना-पत्रों के साथ सम्बन्धित संस्था के रजिस्टर्ड विधान की प्रति लगानी आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों और उसका क्या उपयोग किया जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां । सहायता अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व संस्था के विधान की जाँच की जाती है। जे. बी. उ. मा. विद्यालय लाडनू के विधान को विभाग ने वर्ष १९६३ में मान्यता दी है । यह नियमानुसार नहीं है ।

(२) यदि संस्था का पहला प्रार्थना-पत्र होतो विधान की प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होता है । यह जांच हेतु लगाया जाता है।

पंचायत समितियों को सौंपे गये कृषि फार्म

२९४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ कृषि फार्म पंचायत समितियों को सौंपे थे ? यदि हां, तो कौन कौनसे फार्म किस किस पंचायत समिति को कब-कब सौंपे गये और उन फार्मों का क्या-क्या क्षेत्रफल व क्या-क्या साज-सामान व मकान तथा सिंचाई के साधन थे और बुक वेल्यू के आधार पर कितने-कितने मूल्य के थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त फार्मों को पंचायत समितियों को सौंपते समय और आज दिन घाटे-नफे की क्या-क्या स्थिति है ?

(३) जिस उद्देश्य से उक्त कृषि फार्मों की स्थापना की थी उस उद्देश्य की पूर्ति अब हो रही है या नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) उक्त फार्मों के घाटे में जाने के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिये क्या-क्या उपाय काम में लिये गये और लिये जायेंगे ।

(५) इस प्रकार लगातार घाटे में जा रहे फार्मों से आगे चलकर इस योजना का भविष्य क्या होगा ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९५९ में जब पंचायत राज स्थापित किया गया था तो कृषि विभाग के स्थापित कुछ बीज गुण फार्म

(कृषि मन्त्री)

पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये गये थे जिनकी पूर्ण सूचना तालिका १ पर अवलोकन करें।

(२) फार्मों के घाटे-नफे की सूचना तालिका २ पर अवलोकन करें।

(३) जी हां।

(४) कुछ फार्म ही अब घाटे में हैं जिन के मुख्य कारण फार्मों पर सिंचाई के साधन भूमि की समतल, भूमि की उर्वरा शक्ति आदि है। इनको सुधारने हेतु पूर्ण कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने अब तक यह निश्चय कर लिया है कि सब फार्मों को १२४ "कैपीटल आउट ले" में ले लिया जावे अतः सन् १९७०-७१ से सभी फार्म लाभ में आजाने की आशा है।

(५) जैसा ऊपर बताया, अब सभी फार्म लाभ में आ जाने की आशा है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

ट्यूब वैल योजना

१९५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में २५० ट्यूब वैल भारत सरकार से बनाने का प्रोग्राम जो सन् १९६३ में चालू हुआ था उसमे किस-किस वर्ष में कितने-कितने कहां-कहां बनाये गए?

(२) इन ट्यूब वेल्स में से कितने सफल घोषित किये गये और कितने कितने एम्बेडड कर दिये गए?

(३) सफल ट्यूब वेल में जो मशीनरी तथा पम्पिग सेट थे क्या उन का उपयोग में आना प्रारम्भ हुआ?

(४) क्या यह सही है कि इस प्रोग्राम के अन्दर १९६८ तक केवल ११० असफल ट्यूब वैल बनाए गए हैं और बाद में इस प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि सभी सफल ट्यूब वैलों पर पम्पिग मशीनरी १९६८-६९ में लगाई गई और पिछले पांच वर्षों में बने हुए ट्यूब वेल बेकार पड़े रहे?

(५) अभी तक कितने ट्यूब वैल बिना पम्पिग मशीनरी लगे हुए पडे हैं और उसका कारण क्या है? क्या यह सही है कि कुछ ट्यूब वैलों पर ग्रामीण जल-योजना के अलावा भी सरप्लस पानी है जिसका उपयोग खेती बाड़ी, सिंचाई व घास सब्जी में लिया जा सकता है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या यह सही है कि अधिक क्षमता वाले जो ट्यूब वैल २० राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को हस्तान्तरित किये वे अभी तक बेकार पड़े हैं और उन पर अभी तक पम्पिग मशीनरी नही लगी है?

(६) क्या यह सही है की बिजली से चलने वाले ट्यूब वैल्स पर जहां की पानी ४० फीट से गहरा है तमाम खर्चों सहित उत्पादक कीमत ७५ न. पे. प्रति एक हजार गैलन आयेगी तथा उससे सिंचाई की जा सकती है यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस योजना पर कितना खर्च किया है?

(७) युनाइटेड नेशन की सहायता से जो वाटर सर्वे हो रहा है उसमें अब तक कितने ट्यूब वैल किन-किन जिलों में बने हैं

Page No. 40

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
और ट्यूब वैलों को उपयोग में लाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

(८) क्या सरकार इस वर्ष नये ट्यूब वैल खोदने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कितने ट्यूब वैल किस किस ग्राम में बनाये जावेंगे ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) २५० नल कूप योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की समन्वेषीय नल कूप संस्थान द्वारा २८१ नलकूप जून १६६४ से मार्च, १६६८ तक सौंपे गये जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) २८१ नल कूपों में से १४० नलकूप सफल सिद्ध हुए हैं।

(३) जी हां।

(४) इस प्रोग्राम के अनुसार मार्च, १६६८ तक १४० नलकूप सफल तथा १४१ नलकूप असफल के रूप में निर्माण हुए। मार्च, १६६८ के पश्चात् भारत सरकार की समन्वेषीय नल कूप संस्थान ने राजस्थान में इस योजना के अन्तर्गत नलकूप खोदने का काम बन्द कर दिया। जी नहीं, जैसे कि ट्यूब वैल पूर्णतया तैयार होकर सफल घोषित किये गये वैसे २ ही मशीनरियों के ऑर्डर देकर उनको लगा दिया गया तथा नलकूप चालू कर दिये गये।

(५) १४० नलकूपों में से ६५ नलकूप जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा पेय जल वितरण हेतु उपयोग में लाये गये जिन पर मशीनरी इत्यादि लगाकर ६५ नलकूप को चालू कर दिया हैं। शेष नलकूपों में से ६ एम. ई. एस. को व ३६ नलकूप राजस्थान भू-जल मंडल को हस्तान्तरित कर दिये हैं। इन ३६ नलकूपों को भी मशीनरी इत्यादि लगाकर चालू कर दिया है। वे ३६ नलकूप खेती के लिए उपयोग में लाये जावेंगे। यह सही है कि कुछ ट्यूब वैल पर ग्रामीण जल योजना के अलावा भी सरप्लस पानी उपलब्ध है. लेकिन जन-स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं मिला जिसमें खेतीबाड़ी सिंचाई व घास उगाने के लिए पानी का कनेक्शन मांगा हो। ऐसे स्थानों पर जन स्वास्थ्य विभाग को अपनी निश्चित दरों पर पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है।

(६) अधिकांश नलकूप केवल पेय जल वितरण हेतु ही काम में लाये जा रहे हैं। जो कृषि हेतु लगाये गये नलकूप हैं उनके बारे में वितरण दर राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(७) युनाइटेड नेशन की सहायता से ४ नलकूप जालौर जिले में तथा २ नलकूप जैसलमेर जिले में बने हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तर कराने तथा उपयोग के बारे में कार्यवाही चल रही है।

(८) भू-जल मंडल द्वारा ५ राजकीय नलकूप राजा खेड़ा (भरतपुर) में बन रहे हैं तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों में १०० नलकूपों में से २५ नलकूप अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बनाए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त रूरल वाटर सप्लाई एवं अरबन वाटर सप्लाई के लिए जो नलकूप आवश्यक हैं वे उन योजनाओं के अन्तर्गत बनाये जावेंगे। उनकी संख्या व स्थानों का निर्णय नहीं हुआ हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।)

ड्रग कन्ट्रोल आॅर्डिनेन्स का उल्लंघन

२९६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि श्री सुखदेव जनाना अस्पताल, लाड़नूं के संचालकों द्वारा राजस्थान ड्रग कन्ट्रोल आर्डिनेन्स के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला विभाग के ध्यान में आया था? यदि हां, तो कब और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस प्रकार के मामले को सरकार के ध्यान में आते ही पुलिस को सौंपना चाहिये था? यदि हां, तो इस मामले को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया?

उत्तर

(१) जी नहीं। उक्त मामला प्रचलित नियमों के उल्लंघन की सीमा में नहीं जाता, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(२) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत, सहरोद के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

२९७. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील अटरू, जिला कोटा की ग्राम पंचायत, सहरोद के सरपंच श्री विश्वनाथ शर्मा के ऊपर प्रोजेक्ट आदि का गेहूं करीब पन्द्रह सौ मन एक लम्बे समय से बाकी है और उस सम्बन्ध में जिलाधीश, कोटा द्वारा सात रोज में जमा कराने का नोटिस क्रमांक ३७५८-६१/ विकास/६९, दिनांक ३०-५-६९ के द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो उस नोटिस पर क्या कार्यवाही की गई? नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जांच करवाई जा रही है। जिलाधीश, कोटा ने दिनांक ३०-५-६९ को नोटिस जारी किया किन्तु श्री विश्वनाथ, सरपंच, सहरोद, ने नोटिस में अन्कित तथ्यों को अस्वीकार किया, जिससे जिलाधीश ने दि० ३०-६-६९ को विकास अधिकारी, अटरू को जांच का आदेश दिया है। जांच होने पर सही स्थिति ज्ञात हो सकेगी। नोटिस की प्रति सदन की मेज रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

पंचायत समिति, नोखा के अध्यापकों का फिक्सेशन

२९८. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले की पंचायत समिति, नोखा में कितने अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले विचाराधीन पड़े हैं और कितनों का फिक्सेशन तय कर दिया गया है?

(२) क्या यह सही है कि अध्यापक वर्ग को समय पर वेतन न देने व फिक्सेशन

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

आदि न होने जैसी गम्भीर समस्याओं पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे अध्यापक वर्ग में निराशा फैली हुई है ? क्या सरकार उनको समय पर वेतन देने व फिक्सेशन करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) एक अध्यापक का १९५६ की वेतन शृंखला का फिक्सेशन होना बकाया है, जो कि शिक्षा विभाग से होना है। १-९-६१ की वेतन शृंखला में सब अध्यापकों के फिक्सेशन हो चुके हैं। १-९-६८ से लागु हुई वेतन शृंखला में फिक्सेशन करने सम्बन्धी कार्य चालू कर दिया गया है व शीघ्र ही पूरा कर दिये जाने की सम्भावना है।

(२) पंचायत समिति, नोखा के अधीनस्थ सभी अध्यापकों को समय पर ही निश्चित तारीखों को भुगतान किया जाता है व वेतन चुकारा सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं है।

ग्राम पंचायत, चन्द्राई के सरपंच से वसूली

२९९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरपंच, ग्राम पंचायत, चन्द्राई, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर से ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से कितनी रकम वसूल करनी थी उसमें से कितनी रकम वसूल हो चुकी है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसा आदेश जिलधीश, नागौर को दिया था कि उक्त राशि शीघ्र वसूल की जावे ? यदि हां, तो उसकी पालना कहां तक हुई ?

(३) उक्त वसूली के सम्बन्ध में सरकार अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) ५२४.८३ पै० वसूल करते थे, उसमें से ७४.८३ पै० वसूल हो चुके हैं।

(२) जी नहीं।

(३) शेष राशि की वसूली पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा की जा रही है।

ग्राम पंचायत, चन्द्राई द्वारा नीलामी

३००. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत, चन्द्राई, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर ने चरागाह, तालाब, नाड़ी, पायतन आदि के खेजड़ियों का लूंग नीलाम किया था और उसकी आय पंचायत में जमा की गई है ? यदि हां, तो इस वर्ष और गत वर्ष में किन-किन खसरा नम्बरों की किन-किन भूमियों की खेजड़ियों का लूंग कब-कब किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने रुपयों में नीलाम किया और कब-कब कितने-कितने रुपये जमा किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त पंचायत के अधिकार में कौन-कौन सी भूमि किन-किन खसरा नम्बरों की

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तथा कितने-कितने बीघा कब-कब से हैं? यदि इनमें कोई नाड़ी या तालाब की हो तो नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) गत वर्ष कोई नीलामी नहीं की गई थी। इस वर्ष नीलाम किये लूंग की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

रानोली पंचायत के सरपंच से बकाया की वसूली

३०१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उप-जिला विकास अधिकारी, सीकर ने दि० २७-२-६८ को अतिरिक्त विकास आयुक्त, जयपुर को एक पत्र क्रमांक एफ. ५६ (वि.) ६८ नम्बर १२३५ लिख कर यह सूचित किया है कि रानोली पंचायत के सरपंच में खाद व बीज की रकम का ४५०००/- रुपये बकाया है?

(२) क्या यह सही है कि दिनांक १६-४-१९६६ से दिनांक ६-८-१९६८ तक सरपंच को खाद बीज की रकम जमा कराने हेतु १८ बार नोटिसेज दिये गये परन्तु सरपंच ने न तो रकम जमा कराई न हिसाब पेश किया? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(३) क्या यह भी सही है कि सरपंच जानबूझकर सरकारी नोटिसेज की अवहेलना कर रहा है?

(४) उप-जिला विकास अधिकारी, सीकर द्वारा जो रकम सरपंच में बकाया पर निकाली गई है वह किस अवधि की है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। सरपंच के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों की विस्तृत जांच उप-जिलाधीश, सीकर द्वारा करवाई जा रही है एवं खाद-बीज सम्बन्धित रेकार्ड अब सरपंच ने पेश कर दिया है। इसलिये इसकी पूरी जांच होने पर राशि वसूल करने से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(३) जी हां। सरपंच ने अब रेकार्ड पेश कर दिया है और हिसाब की जांच जारी है।

(४) खाद व बीज की बकाया राशि वर्ष १९५९ से १९६४ तक की अवधि की है।

बीकानेर जिले के गांवों में पानी का अभाव

३०२. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले में कुल कितने ऐसे गांव हैं जो पानी के अभाव में खाली हो चुके

Page No. 44

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

हैं व ऐसे कितने गांव हैं जहां सरकार द्वारा रेलगाड़ी व ट्रकों द्वारा पानी पहुँचाया जा-रहा है ?

(२) पानी किस-किस स्थान से लाया जा रहा है और उनकी दूरी मिलों में क्या है ?

उत्तर

(१) बीकानेर जिले में ऐसा कोई गांव नहीं है, जो पानी के अभाव में खाली हुआ है, न ऐसी कोई सूचना जीलाधीश अथवा राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। पांच गांवों में रेलगाड़ी व गांवों में ट्रकों द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है ?

(२) जिस-जिस स्थान से जहां पानी पहुँचाया जा रहा है उसकी दूरी निम्न प्रकार है:—

स्थान जहां से पानी पहुँचाया जा रहा है	जहां पानी पहुँचाया जा रहा है	दूरी मीलों में
१	२	३
रेल बोर्न टैंक		
लालगढ़	लूणकरणसर	५३ मील
,,	नान्चगणा	५८ ,,
,,	दुलमेरा	४८ ,,
,,	मलकीसर	६७ ,,
,,	अर्जुनसर	८७ ,,
ट्रक बोर्न		
शिवनाड़ी	बोलेरा	३१ ,,
,,	कावनी	२९ ,,
,,	मोतीगढ़	४० ,,
,,	तूरसर	१६ ,,
शिवनाड़ी	आलवाली	२१ मील
,,	मनावतोंवाला	४२ ,,
,,	तूरासर	४२ ,,
,,	कालासर	३८ ,,
,,	बांदरवाई	३३ ,,
,,	बरूवं	१६ ,,
,,	करणीसर भाटियान	३७ ,,
,,	लाखसर	२९ ,,
काना	धुलदेसर	८० कि.मी.
महाजन	मांडेरा	८९ ,,
,,	खोकराना	५७ ,,
,,	रोजा	१८ ,,
,,	बीयरवाली	८० ,,
,,	मुचलकी	८४ ,,
,,	खिलेरिया	५७ ,,
,,	एहनीवाला	८० ,,
,,	खाकोलाई	५५ ,,
कोलायत दियात्रा	टोंकरा	१५ कि.मी.
,,	उदट	३० ,,
,,	नोखड़ा	३३ ,,
,,	मोडायत	७५ ,,
,,	बजू	६० ,,
गड़ियाला	गरासर	२१ ,,
,,	मीठड़िया	२१ ,,
रणजीतपुरा	बरसलपुर	२१ ,,

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

तकावी की राशि

३०३. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में इस वर्ष बैल, ऊंट, बीज तथा खेती के लिये तकावी देने हेतु कुल

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
कितनी धनराशि रखी गई है तथा उसका बंटवारा किस-किस जिले में कितना-कितना किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर तहसील में सारे मद मिलाकर केवल ६ लाख रुपया ही तकावी के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो ४० हजार अकाल पीड़ित परिवारों को वितरण किस प्रकार कितना-कितना होगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(९-३-७०)

टोंक जिले में अकाल राहत कार्य

१५. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला टोंक में अकाल राहत कार्यों में सिंचाई विभाग द्वारा कुल कितने कार्य कराये गये ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिले में ऐसे कितने तालाबों पर कार्य चलाया गया जिनसे सिंचाई बिल्कुल नहीं होती है ? यदि होती है तो कुल रकबा कितना है ? कृपया पृथक्-पृथक् तालाबों का रकबा मय नाम तालाब दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) उपरोक्त सूची में ही सूचना अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(९-३-७०)

पंचायत समितियों द्वारा वितरित बीज और खाद का ऋण

१७. श्री केसरीसिंह हाड़ा हिन्डौली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान की समस्त पंचायत समितियों द्वारा बीज और खाद का जो ऋण वितरित किया गया है वह कुल ६ करोड़ ५२ लाख ५० हजार ११५ रुपये और ५४ पैसे हैं ?

(२) कुल ऋण में बीज व खाद के नाम से कितनी-कितनी राशि है, जिलेवार बतलावें ?

उत्तर

(१) प्राप्त सूचना के अनुसार १५ ९६ ९७,३११.१९ की राशि का ऋण वितरित किया गया है।

(२) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

स्थगित प्रश्न
(९-३-७०)

अकालग्रस्त क्षेत्रों में कृषि व पशु पालन विभाग के स्टाफ से कार्य

१९. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के जिन जिलों में आठ नौ साल से अकाल है वहां पर न खेती होती है तथा वहां के पशु भी हर साल बाहर चले जाते हैं, ऐसे जिलों में पंचायत समितियों के कृषि व पशु पालन सम्बन्धी स्टाफ (कर्मचारी) से क्या काम लिया जाता है? ऐसी हर पंचायत समितियों की लिस्ट दी जावे जिनमें एक साल से ज्यादा अकाल रहा हो?

उत्तर

(१) राज्य में ऐसा तो कोई जिला नहीं है जहां आठ-नौ साल से अनवरत अकाल की स्थिति हो तथा जहां से सारे ही पशु बाहर चले जाते हों। अकाल की स्थिति वाले जिलों की पंचायत समितियों में जहां लघु सिचाई के साधन हैं, वहा कृषि सम्बन्धी स्टाफ कृषकों का मार्ग दर्शन करता है। इसी प्रकार पशुपालन सम्बन्धी स्टाफ क्षेत्र में रुक रहे, क्षेत्र से बाहर जाने वाले व वापिस आने वाले मवेशियों का इलाज व देखरेख करते हैं। इसके अतिरिक्त स्टाफ को अकाल राहत कार्यों के संचालन पर भी लगाया जाता है। जिन पंचायत समितियों में एक वर्ष से ज्यादा अकाल की स्थिति रही है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

स्थगित प्रश्न
(११-३-७०)

पुलिस विभाग में नियुक्तियां

६१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की करेंगे :—

(१) राज्य के हर जिले में सन् १९६९ में पुलिस के कितने सिपाही व अन्य पदों पर नियुक्तियां की गईं जिनमें कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग लिये थे? हर जिले की नामवार सूचियां सदन की मेज पर रखें?

(२) जयपुर में अगस्त, सितम्बर व ६ अक्टूबर तक कितने सिपाही पुलिस में भर्ती किये गये जिनमें कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती किया गया? जातिवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर मय नामों के रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) राजस्थान पुलिस में सन् १९६९ में कुल २३३९ व्यक्तियों को सिपाहियों, उप-निरीक्षकों व क्लास ४ के पदों पर नियुक्तियां की गईं। जिनमें से १२७ अनुसूचित जाति के व ९८ जनजाति के लोग लिये गये। इनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(२) जयपुर में अगस्त, सितम्बर व ६ अक्टूबर तक कुल २६५ सिपाही पुलिस में भर्ती किये गये। जिनमें से ३५ अनुसूचित जाति के व १५ जनजाति के उम्मीदवार भर्ती किये गये। सूची संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

(९: ०१ म. पू.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि मुझे श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें अजमेर नगर परिषद् के आयुक्त रैवेन्यू ऑफिसर तथा अन्य चार कर्मचारियों ने मिलकर दि० १९-३-७० को मोहर्रम की छुट्टी के दिन एक रेडिमेड दुकान के ताले तोड़कर सामान निकालकर ले जाते समय पुलिस को बुलाया जाकर माल को रोका गया तथा नगर परिषद् के अधिकारियों आदि के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज कराये जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह मामला कटौती प्रस्ताव के जरिये पुलिस की मांग पर उठाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अलवर के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा एक चपरासी की पिटाई करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई थी। उसके उत्तर में राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने खुद ने यह बयान दिया है कि उसको मजिस्ट्रेट ने नहीं मारा बल्कि वह तो उसे अच्छी तरह से रखते हैं। उस चपरासी का यह भी कहना है कि उसके पेट में तकलीफ थी, जिसके कारण वह अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसके बाद तहसीलदार उसे थानागाजी इलाज के लिये ले गये। उपरोक्त दोनों मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः मैं दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री राम किशन, श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, श्री नत्थीसिंह व श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा ने जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं उस विषय में यह स्पष्ट है कि वहां की एक विशेष स्थिति थी जो अब बदल गई है और वहां राष्ट्रपति शासन भी हो गया है। उस प्रान्त की आन्तरिक स्थिति से सीधा सम्बन्ध भी राज्य सरकार से न होकर भारत सरकार का है। अतः पश्चिम बंगाल के आन्तरिक मामलों के सन्दर्भ में यहां चर्चा करना संवैधानिक एवं परम्पराओं की दृष्टि से उचित नहीं होगा। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

अनुदानों की मांगो पर विचार। मांग सं० २५।

श्री भैरोंसिंह : पहले एडजोर्नमेंट मोशन मैंने दिया था और आपने कहा था जल्दी ही व्यवस्था दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : उन पर व्यवस्था देना है।

श्री भैरोंसिंह : कब तक

श्री अध्यक्ष : कल हम छुट्टी पर हैं परसों छुट्टी पर हैं। इसके बाद व्यवस्था कर दूंगा

Page No. 48

श्री भैरोंसिंह : लम्बी छुट्टी पर जायेंगे तब ?

श्री अध्यक्ष : वह सुदूर है। नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दो विशेषाधिकार भंग होने की मैंने सूचना दी थी। एक तो श्री मनफूलसिंह से सम्बन्धित जो उन्होंने माननीय देवीदत्त गाड़िया के विरुद्ध आरोप लगाये हैं मैं समझता हूं बड़ा गम्भीर प्रश्न है। सदन की मर्यादा भंग हुई है, विशेषाधिकार भंग हुआ है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि वादविवाद के दौरान यह मामला लिया जाय और जांच के लिये यह मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय। दूसरा श्री अमृतलालजी यादव द्वारा १५ हजार की रिश्वत लिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य मोहनलाल मोदी ने आरोप लगाया है। उसके लिये भी विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय दोनों सूचना सम्भवत: मैंने १७ तारीख को दे दी थी।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसी आशय का एक विशेषाधिकार का प्रश्न मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : पहले विशेषाधिकार प्रश्न की मैंने जानकारी प्राप्त की है। दूसरे विशेषाधिकार का प्रश्न श्री शीशराम, सदस्य, विधान सभा से सम्बन्धित कोई रसीद से है, रसीद दी गई या नहीं दी गई, उस पर मैं स्वयं जानकारी कर रहा हूं। श्री शीशरामजी से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : हमसे तो जानकारी नहीं ली।

श्री अध्यक्ष : आपसे भी कर लूंगा।

एक माननीय सदस्य : श्री शीशरामजी ने तो आपको बता दिया।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मन्त्रीजी।

अनुदान की मांगों का उपस्थापन

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,२४,७३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं० २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) ४४–सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,१८,५६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं० ४०, मुख्य शीर्षक ९८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल

Page No. 49

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) १००-सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २८,८६,८१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री बी० एन० जोशी (राज्य वित्त-मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं० २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध, सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,९५,६१,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या २५, २६, ४० व २४ पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या २५

(१) श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (ऐसी योजनाओं की स्थापना और प्रबन्ध के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या २६

(२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (सिंचन निर्माण कार्यों पर लगे धन का पूरा रिटर्न नहीं मिलता, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन।

(३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में सिंचाई योजनाओं का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४०

(४) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर लग रही धन राशि तथा उनकी व्यवस्था के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

(५) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न नदी योजनाओं पर लग रही पूंजी का उचित रिटर्न न मिलने तथा उनके द्वारा सिंचन की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(६) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या २५

(७) श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र में

(श्री महेन्द्रसिंह)
विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत में बरती गई ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

(८) मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट की कई नहरें त्रुटिपूर्ण एवं अधूरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

(९) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट की नहरों के रिसने से उत्पन्न वाटर लोगिंग की समस्या पर चर्चा के लिए)।

(१०) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत बनी नहरों के रिसन से ग्रामों के आवागमन के सब मार्ग खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

(११) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा पानी सप्लाई में आये दिन बाधा उपस्थित करने एवं पक्षपात करने पर चर्चा के लिए)।

(१२ मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों द्वारा पिलाई की दरें मनमाने तौर पर दर्ज करने पर चर्चा के लिए)।

(१३) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट में किसानों पर लगाये गये बेटरमेन्ट लेवी नामक टैक्स से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

(१४) श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (इन योजनाओं के अंतर्गत पिलाई की दरें अधिक लगाई जायें ताकि पैसा भी वापिस मिले और कुओं पर लिफ्ट इरिगेशन पर अधिक भार न पड़े, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(१५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४२- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अधीन पिलाई की दरों में बार-बार रद्दोबदल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(१६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४- सिंचन, नौचालन, तटबन्दन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बंधों की एनीकटों के निर्माण पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४०

(१७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(१८) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोठड़ी नदी पर एनीकट तथा बीगोद बड़लयास में लिफ्ट इरिगेशन पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २४

(१९) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध, सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े वर्गों को आवश्यक सहायता देकर समाज का उपयोगी अंग बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

(२०) श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक २४–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल सिंचित क्षेत्र में बढ़ रही समस्याओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(२१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (हाड़ौती क्षेत्र में नदियों में प्राप्त पानी के साधनों का विभाग द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

(२२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय लिफ्ट योजनाओं की दरें व्यावहारिक बनाने व सिंचाई का रकबा बढ़ाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

(२३) श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु.): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सराड़ा, खेरवाड़ा, गोगुंदा, गिरवा के आदिवासी क्षेत्रों में इस मांग के अधीन सिंचन योजनाओं के सर्वे कराने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४०

(२४) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में परशाद के पास की बहने वाली नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

(२५) श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन-सु.): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की पाटन, कालेड़ा तहसीलों में चम्बल नहर व माइनरों की खुदाई व सफाई का कार्य समय पर नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

(२६) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील पाटन, तालेड़ा में चम्बल नहर के पानी के भराव से हजारों एकड़ भूमि ऊपर होने पर चर्चा के लिए)।

Page No. 52

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(२७) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला-बून्दी की तहसील केशोरायपाटन एवं तालेड़ा में चम्बल नहर द्वारा टेल तक के गांवों में समय पर पानी नहीं पहुँचने पर हुए फसल को भारी नुकसान पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४०

(२८) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००—सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा में ग्राम करवर, आतरदा, अरनेढ़ा के पास सिंचाई के बांध का सर्वे करा कर योजना अनुसार हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(२९) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००—सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कमान्ड एरिया को अन-कमान्ड करने पर चम्बल नहर का पानी जो गत वर्षों में पहुँचाया अब अन-कमान्ड करों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २४

(३०) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

(३१) श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक—४२ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय [कोटा बारां की Left Canal (बायीं नहर) को बढ़ाकर इससे पूरा लाभ न उठाने पर चर्चा के लिए]।

(३२) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर से शिवपुरी सड़क पर पड़ने वाले चम्बल नदी के पाली घाट पर घाट अथवा पुल न बनाए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(३३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर से शिवपुरी सड़क पर पड़ने वाली चम्बल के पाली घाट पर नौका उतराई १.२५ एक रुपया पच्चीस पैसे से प्रति व्यक्ति वसूल किये जाने पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या २५

(३४) श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (योजनाओं की धनराशि का सदुपयोग न होकर भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है इस पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या २६

(३५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के

(श्री भगवानदास शास्त्री)
अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई योजनाओं में दलगत नीति पर चर्चा के लिए)

(३६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (औजार आदि यंत्र समय पर न दिये जाने से उन्नति में बाधा होती है, इस पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या ४०

(३७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक राशि के प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)

(३८) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक-६६ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (विभिन्न सिंचाई योजनाओं में धन वितरण में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)

(३६) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर धनराशि का प्रावधान विवेकपूर्ण न होने पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या २४

(४०) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या २५

(४१) श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२–हुबप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या २४

(४२) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)

(४३) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावास खोलने एवं छात्रावास हेतु भवन निर्माण में समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए).

मांग संख्या २५

(४४) श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा काम्प्रेक्स नियन्त्रण सम्बन्धी राजस्थान के पक्ष की यथार्थता पर चर्चा के लिए)।

(४५) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा जल-विवाद पर राजस्थान के पक्ष की यथार्थता पर चर्चा के लिए)।

Page No. 54

(श्रीमती मदनकोर)

(४६) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भारत स्थित पश्चिम हिमालय की नदियों के पानी का राजस्थान सरकार द्वारा पूर्ण उपयोग न कर पानी सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(४७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की एक शाखा फलसूंड होती हुई लूनी नदी में मिलाने की सम्भावनाओं की सर्वे करवाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

(४८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अरावली श्रेणी के पश्चिमी ढालू पर बांध बनाये जाने पर लूनी घाटी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४०

(४९) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कर कर दिया जाय (पश्चिम राजस्थान में स्थित नल-कूपों से सिंचाई सुविधा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

(५०) श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी जनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी घाटी योजना की शीघ्र क्रियान्विती के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(५१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सिंचाई की उचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(५२) मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लूनी नदी पर जिला पाली व अन्य जगहों पर बांधों द्वारा पानी रोकने सम्बन्धी योजनाओं के बारे में चर्चा के लिए)।

(५३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बड़गांव व जेतपुरा नदियों के पानी को डाइवर्ट कर नहर निर्माण की योजना पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४०

(५४) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के शीघ्र निर्माण के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २४

(५५) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नगर आयोजना विभाग द्वारा जिला जालौर में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
गृह निर्माण ऋण देने हेतु सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

(५६) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में डेरी विकास एवं दुग्ध वितरण योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(५७) मांग संख्या, २४ मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये मकान, पीने के पानी के कुए एवं सिंचाई कुओं के निर्माण हेतु सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(५८) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिये पाइप लाइन व बिजली कनेक्शन दिलाने में सहायता न देने पर चर्चा के लिये)।

(५९) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(६०) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सांख्यिकीय विभाग द्वारा गलत आंकड़े प्रदर्शित करने के लिये चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २५

(६१) श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना के फलस्वरूप जिला कोटा व बून्दी में हजारों बीघा भूमि सीवेज व नहर से बरबाद हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(६२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को समय पर लघु सिंचाई कार्यों के लिये धन नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(६३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में पुराने टूटे बांधों की मरम्मत नहीं कराने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

(६४) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डौली तहसील में सरकार द्वारा २२ वर्षों में एनीकट्स नहीं बनवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २४

(६५) श्री देवीदत्त गाड़िया: मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक–४०बहुप्रयोजन नदी योजनाओं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर में किसानों की आई हुई भूमि का मुआवजा अभी तक कई किसानों को नहीं दिया गया और इसी प्रकार से उक्त नहर से विभाग द्वारा लिफ्ट इरिगेशन के लिये जो धोरे बनाए गए उनमें आई किसान की भूमि का मुआवजा (ग्राम अता आदि के पास वाले) किसानों को नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

(६६) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक–४२ बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर में कई स्थानों पर गांवों के निकट सीधे फुट ब्रीज बनाने से किसानों को होने वाली कठिनाईयों पर चर्चा के लिए)।

(६७) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक–४२ बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर के पानी के सीपेज के कारण तहसील मांगरोल के ग्राम बड़ौदा के सरकन्या व धाकड़खेड़ी गांवों में पानी का भारी फैलाव हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

(६८) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की तहसील लाड़पुरा, दिगोद, इटावा एवं मांगरोल क्षेत्र में चम्बल नहरी पानी से सीपेज व वाटरलोगिंग की गंभीर समस्या पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(६९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक–४४ सिंचन नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां, शाहबाद, अटरु व अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र में सिंचाई के जितने भी अधूरे तालाब पड़े हैं उनको अभी तक पूरा नहीं किए जाने के कारण उत्पादन में हो रही भारी क्षति पर चर्चा के लिये)।

(७०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की तहसील किशनगंज क्षेत्र में सिंचाई का गोपालपुरा टैंक (बंध) के निर्माण कार्यों को शीघ्र चालू नहीं किए जाने के कारण जनता में भयंकर असंतोष व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

(७१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक-४४ सिंचन नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां पंचायत समिति को ग्राम पंचायत लिसाड़िया के ग्राम गोपालपुर के निकट बंधा जो सन् १९५७ में बाढ़ से टूट गया था अभी तक नहीं बनाया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

(७२) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक-३९ विविध, सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शहर व कस्बों में अनुसूचित जाति के लोगों की जो गृह निर्माण कोलोनी बनाई जाती है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को निर्धारित संख्या में नहीं रखने पर चर्चा के लिये)।

(७३) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक–३९ विविध सामाजिक विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

अनुसूचित व अनुसूचित जन-जाति को विशेष कर अनुसूचित जाति में कोली, कलाल, खटीक, रेगर, बैरवा, चमार आदि लोगों को आर्थिक सहायता अनुपात में नहीं देकर राजनैतिक आधार पर २-३ जाति के लोगों को ही मदद दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(७४) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां-गुना में हरिजन (भंगी) गृह कोलोनी निर्माण योजना को षड्यंत्र-कारी ढंग से रद्द करने पर चर्चा के लिये)

(७५) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के निर्धन व शिक्षित युवकों को सरकारी व समाज कल्याण विभाग में नौकरी दिए जाने में भारी भेद-भाव व पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

(७६) मांग संख्या २४ मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के सहरियों के लिये दिए जाने वाले अनुदान की रकम में भारी घोटाले पर चर्चा के लिये) ।

(७७) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में सहरियों के लिये बनाई गई शुभधरा भालपुरा एवं पेनावदी कोलोनी निर्माण में भारी घोटाला एवं सहरियों की भूमि, बंधे एवं एनीकट आदि पर बड़े-बड़े व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जों पर चर्चा के लिये) ।

(७८) मांग संख्या, २४ मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा की पंचायत समिति, शाहबाद क्षेत्र के आदिवासी गांवों में पीने के पानी का अभाव तथा मकान बनाने, खेती आदि के लिये अनुदान की रकम नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

(७९) श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान को मिलने वाले पानी को पूरी मात्रा में नहीं लिये जाने के कारण योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

(८०) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रवृत्तियों में व्यापक भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

(८१) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के नाम पर सवर्णों द्वारा पैसों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(८२) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा मकान बनाने के लिये दी गई सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(८३) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं में विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(८४) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं की समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में मकान किराये के नाम पर फर्जी बिल बनाकर रकम उठाने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० २५

(८५) श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर की मरम्मत व अन्य कार्यों पर धन की व्यवस्था कम रखी है, इस पर चर्चा के लिये)।

(८६) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर की शाखाओं को पक्का करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

(८७) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत होने वाली फिजूल खर्ची को रोके जाने पर चर्चा के लिये)।

(८८) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर की व्यवस्था अत्यन्त खराब है, इससे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

(८९) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा व गंग केनाल का पानी पूरा लिये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २६

(९०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय मशीनरी का दुरुपयोग होता है-इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४०

(९१) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिए)।

(९२) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सिद्धमुख नहर निर्माण कार्य शुरू किये जाने पर चर्चा के लिए)।

Page No. 59

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(९३) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में लिफ्ट योजना में देल्दास नहर का निर्माण कार्य शुरू करने पर चर्चा के लिये)।

(९४) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नोहर नहर जो ओट्ट से निकालने की योजना है उसका कार्य शुरू किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(९५) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की दासूवाली डिस्ट्रीब्यूट्री से नौलखी तक एक माइनर निकालें जाने पर चर्चा के लिए)।

(९६) मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ९९–सिचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की रावतसर बांध को गधेलो हेड तक पूर्व योजनानुसार पक्का किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(९७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९८–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण कार्यों में धन कम रखा है, इस पर वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

(९८) श्री सूवालाल चौधरी (दूदू): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की तहसील दूदू व फुलेरा में बंधों की मरम्मत हेतु धनराशि के प्रावधान के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(९९) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छोटे बंधों की पिलाई का प्रशासन, तहसील व पंचायतों को देने से समय पर कृषि को पानी नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

(१००) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर ज़िले के बन्ध कालख की मुख्य नहर के पानी के उपयोग हेतु नहर न बना कर पानी फ़ैलने पर चर्चा के लिए)।

(१०१) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध कालख सागर के पानी की आव सानोद के पहाड़ के पास बन्द हो जाने से बन्ध खाली रहने पर चर्चा के लिये)।

(१०२) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय [बन्ध धीरावतान (मेजमावाद) के पानी की आव को बन्द कर के बन्ध छापरवाड़े में पानी ले जाने से लघु सिंचाई योजना असफल रहने पर चर्चा के लिये]।

(१०३) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य

(श्री सूवालाल चौधरी)
सरकार द्वारा लघु सिंचाई योजना को प्राथमिकता देने में व बजट में धनराशि कम रखने पर चर्चा के लिये)।

(१०४) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुराने बन्धों की सिंचाई रेट को बढ़ाने व जिन्स पर सिंचाई रेट वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

(१०५) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के बन्धों की देखरेख पंचायत व तहसील के जिम्मे होने से बंधों की टूट-फूट की मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २५

(१०६) श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना का व्यय ६८–६९ के लेखों के अनुपात से बढ़ाने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

(१०७) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा-नांगल परियोजना का व्यय ६८-६९ के लेखों के अनुपात में घटाने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(१०८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में सिंचाई अभियन्ता का कार्यालय स्थापित किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

(१०९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (रूपांकन और अन्वेषण संचालकालय में विशेषज्ञों के अधिक पदों को स्थापित किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

(११०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सिंचाई लघु कार्यों के लिये धन का आवंटन, ऋण व अनुदान नहीं दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

(१११) मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जल तत्व विज्ञानवेत्ता कार्यों की अपूर्णता के बारे में चर्चा के लिये)।

(११२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई की दस परियोजनाओं के लिये ४५,८८,०००) रुपये ब्याज की राशि चुकाने एवं प्रतिवर्ष आज तक चुकाये गये प्रत्येक योजना के ब्याज की राशि का इन योजनाओं से प्राप्त होने वाली आय से सामन्जस्य न रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

(११३) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत

मांग को घटाकर १) रुपया कम कर दिया जाय (अभावग्रस्त क्षेत्रों में सिचन कार्यों को अधिक से अधिक हाथ में लिये जाने तथा इस संबंध में सर्वेड योजना नहीं बनाने के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

(११४) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के लघु सिचन कार्यों की राज्यव्यापी योजना बनाई जाकर ऋण देकर अधिक से अधिक दो साल में सारे स्त्रोतों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

(११५) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति जायल, जिला नागौर के अधूरे सिंचाई के कुओं को ऋण की शेष राशि देने पर चर्चा के लिए) ।

(११६) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की सिंचाई योजनाओं के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

(११७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००, रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के कुओं के लिये ऋण अनुदान योजना चालू करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

(११८) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर आन्दोलन की मांगों को स्वीकार किये जाने एवं अन्य परियोजना क्षेत्रों में समाधान के बारे में चर्चा के लिए) ।

(११९) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर का युद्ध स्तर पर निर्माण कराने एवं पोरबन्दर तक निर्माण कराने के बारे में चर्चा के लिए) ।

(१२०) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की सर्वेड स्कीम को हाथ में लिये जाने के बारे में चर्चा के लिए) ।

(१२१) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (घग्घर का पानी सिंचाई के लिये चूरू, नागौर, बीकानेर एवं सीकर जिलों में दिये जाने के बारे में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २४

(१२२) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (राज्य में भिक्षा वृत्ति बन्द नहीं कर सकने की सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

(१२३) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वेश्यावृत्ति को समाप्त

नहीं कर सकने के संबंध में सरकार की असफलताओं पर चर्चा के लिए) ।

(१२४) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गजेटियर, सांख्यिकी, टाउन प्लानिंग, समाज कल्याण, मूल्यांकन विभाग एवं सार्वजनिक उद्यान विभाग में की गई कटौतियों पर चर्चा के लिए) ।

(१२५) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अधीन विभागों की विभागीय प्रवृत्तियां जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में ही उन्हीं की देखरेख में चालू करने से खर्चों में कमी की संभावनाओं पर चर्चा के लिए) ।

(१२६) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कमजोर वर्गों के उत्थान संबंधी योजनाओं की असफलताओं पर चर्चा के लिए) ।

(१२७) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अधीन के विभागों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वृद्धि पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २६

(१२८) श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत छोटी जमीन वालों को पानी देने की व्यवस्था संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या ४०

(१२९) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (रायपुर तहसील, जिला पाली में छोटी-छोटी योजनाओं को अभी तक हाथ में न लेने पर चर्चा के लिये) ।

(१३०) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्ध आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मुख्य नहर की लीसेग आंच काम शीघ्र प्रारंभ करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

(१३१) श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उचित स्थानों पर बंध एवं सिचाई साधन बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

(१३२) श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (वागन नदी पर गरदाना बांध के शीघ्र निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

(१३३) श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन,

(श्री दिग्विजयसिंह)

तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग से में १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील उनियारा, जिला टौंक में टूटे हुए सिचाई के तालाबों को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

(१३४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (लडानिया बांध, तहसील उनियारा, जिला टौंक की नहर को ग्राम मोहम्मदपुरा तक पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४०

(१३५) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम राजकोट, तहसील देवली जिला टौंक में राजकोट के बांध का सर्वे भी हो चुका है और उस पर कुछ धनराशि भी खर्च हो चुकी है, उसे इसी वर्ष पूरा कराए जाने पर चर्चा के लिए)।

(१३६) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय सुयड़ी बांध, तहसील उनियारा, जिला टौंक, गत वर्ष अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत विभाग द्वारा करीब २ लाख रुपया खर्च किया गया था उसको इस वर्ष विभाग द्वारा पूर्ण न कराने पर चर्चा के लिए)।

(१३७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में वर्ष १९७०-७१ के लघु सिचाई साधनों पर कुछ भी धन नहीं रखा गया है उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(१३८) श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध का डिसिल्टिंग करवाने बाबत चर्चा के लिये)।

(१३९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध की नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सलियों आदि की मरम्मत बाबत चर्चा के लिये)।

(१४०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध के पानी का पेय जल के रूप में उपयोग होने के कारण खुशहाली कर के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

(१४१) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (साही डाइवर्शन कार्य पर कार्यरत मजदूरों को चिकित्सा, शिक्षा, अनाज आदि की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(१४२) श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन,

Page No. 64

(श्री अमोलाल यादव)
नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शाबो नदी जो अलवर जिले की तहसीलों के ग्राम कारोडा, सोडावास के बीच बहती है उस पर पुल की आवश्यकता है जिससे कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ जाये, निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

(१४३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शाबी नदी पर बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

(१४४) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े वर्गों के लोगों को अधिक धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

(१४५) श्री नन्दलाल (किशनगंज-सु.) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील किशनगंज की नदी बिलासी पर सिंचाई हेतु बांध की योजना बिलासी प्रोजेक्ट को चालू करवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

(१४६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के अधूरे व मरम्मत वाले तालाबों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

(१४७) श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले में नदी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४०

(१४८) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले में सिंचाई योजनाओं की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये) ।

(१४९) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले में बनास योजना के अन्तर्गत सिंचाई की उचित व्यवस्था करने तथा यहां की अन्य नदियों पर भी ऐसी सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २६

(१५०) श्री हंसराज आर्य (भादरा) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई निर्माण कार्यों के अन्तर्गत लगने वाली राशि समय पर खर्च नहीं होती और करोड़ों रुपये लेप्स हो जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१५१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई कार्यों में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

(श्री हंसराज आर्य) :

(१५२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई स्थापना हेतु औजारों और स्थिर सयंत्रों की खरीद में गोलमाल होती है तथा औजार बेकार पड़े रहते हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

(१५३) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

(१५४) श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हुकरिया, सोमनदी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर पर सिंचाई हेतु तालाब बंधवाने के लिये सर्वे की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

(१५५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बरोठी का नाका, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, पर सिंचाई हेतु तालाब बंधवाने के लिये सर्वे कराने पर चर्चा के लिये) ।

(१५६) श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पारवती, पर्वन, अन्धेरी, लासी आदि नदियों के बहाव से प्रति वर्ष होने वाले भारी भूमि के कटाव को रोके जाने पर चर्चा के लिये) ।

(१५७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा क्षेत्र में स्थित पार्वती नदी के पानी का उपयोग सिंचाई हेतु चर्चा के लिये) ।

(१५८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ोद में लासी नदी पर पुराने टूटे हुए बन्धे को तुरन्त ठीक कराये जाने पर चर्चा के लिए) ।

(१५९) श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर तथा आलनिया नहर पर विभाग द्वारा अव्यवस्था से सिंचाई में बाधा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २६

(१६०) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नदियों से पानी लेकर सिंचाई कराने के कार्य को लेकर और प्रोत्साहित करने पर चर्चा के लिये) ।

(१६१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु नहरों, कुओं आदि के निर्माण करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

(१६२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुओं द्वारा सिंचाई निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने पर चर्चा के लिये)।

(१६३) **महेन्द्रकुमार** (पाड़वा-सु०) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में सिंचाई के अधूरे कार्यों को पूरा न किये जाने तथा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २४

(१६४) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों के लिये होस्टल, बिल्डिंग, छात्रवृत्ति व सेवाओं की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(१६५) श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गांव गिरोलिया का बांध समय पर पूरा न होने की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

(१६६) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हेमावास बांध से पानी काश्तकारों को सही रूप में वितरित न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(१६७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर में बांडी नदी के तटबन्धन का कार्य अधूरा छोड़ दिया, इस पर चर्चा के लिये)।

(१६८) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांव बदरे का वास, खेरवा) नदी के तटबन्धन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

(१६९) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भिखमंगों की समस्या के निराकरण हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(१७०) **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग-सु०) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में तलाबों की मरम्मत करवाने हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराए जाने पर चर्चा के लिये)।

(१७१) श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की पूर्व योजनानुसार जो बाड़मेर जिले में होकर कच्छ की खाड़ी तक पहुँचाने की थी उस योजना को क्रियान्वित करने में उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

(१७२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०१ रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी घाटी योजना को राजस्थान में कार्यान्वित कर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के बारे मे चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४०

(१७३) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लूनी एवं उसकी सहायक नदियों पर बनाए जा रहे बांधों के फलस्वरुप निकटवर्ती बाड़मेर तथा जालौर जिलों के क्षेत्रों में पानी की कमी पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

(१७४) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग की बाड़मेर जिले के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के उत्थान के लिये सक्रिय कदम उठाने में उदासीनता एवं निष्क्रियता पर चर्चा के लिये) ।

(१७५) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर के गाड़ोलिया लोहारों को बसाने के लिये भवन निर्माण में माकूल सहायता नहीं देने से उनमें तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

(१७६) श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अनूपगढ़ में राजस्थान नहर से पूरा पानी न दिए जाने पर व पानी देने में गड़बड़ी के सम्बन्ध में चर्चा से लिये) ।

(१७७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नहरों की मरम्मत व सफाई समय पर नहीं करने के कारण काश्तकारों को समय पर पानी नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१७८) लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में सिंचाई की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(१७९) श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नीम-का-थाना क्षेत्र में सिंचन की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री मोहनलाल मोदी)

(१८०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में तालाबों की मरम्मत के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१८१) किशनलाल वर्मा (सिकराय-सु.): मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय के बन्ध माधो सागर से जाने वाली पूर्व नहर व पश्चिम नहर की मरम्मर न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या ४०

(१८२) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जमवारामगढ़ के बन्ध से तहसील दौसा के गावों में नहर से जो पिलाई होती थी उसे बन्द किए जाने से सिंचाई सम्बन्धी कठिनाई उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(१८३) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आदिवासी क्षेत्र में ट्यूब वैल्स की स्कीम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

(१८४) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु जमीन दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

(१८५) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिये गृह निर्माण की समस्या हल करने के लिए उनको लोन देने की पृथक् से व्यवस्था किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

(१८६) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिये सर्विसेज में २८% रिजर्वेशन दिए जाने की घोषणा को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(१८७) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में आदिवासी कल्याण वित्त निगम स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २६

(१८८) श्री रतनलाल रोत (चौरासी-सु.) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में सिचाई का एक डिविजन खोलने पर चर्चा के लिये)।

(१८९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के

Page No. 69

(श्री रतनलाल रोत)
अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में तालाबों पर मिट्टी दबाने हेतु रोलर, ट्रैक्टर्स तथा ट्रक नहीं है, उस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४०

(१९०) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर की सीमा पर बहने वाली सोम नदी की कमला आबां स्कीम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(१९१) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के पीठ कस्बे के पास अमरपुरा बांध का कार्य प्रारम्भ कराने पर चर्चा के लिये) ।

(१९२) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अमरपुरा तालाब पर पूंजी की कमी के कारण कार्य नहीं किया जाता है, उस पर चर्चा के लिये) ।

(१९३) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में भादर, वीलापन टैंकों की नहरों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २६

(१९४) श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सरवाड़ के ग्राम शेरगढ़ के तालाबों के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये) ।

(१९५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सरवाड़ के ग्राम शेरगढ़ के भभूत सागर की मरम्मत करवाने बाबत चर्चा के लिये) ।

(१९६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी पंचायत समिति के तालाबों के अधूरे कार्य पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये) ।

(१९७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के अजगरा बांध को बड़ा बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४०

(१९८) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील केकड़ी में लसाड़िया बान्ध निर्माण करने पर चर्चा के लिए) ।

(१९९) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी तहसील में बिसुन्दनी बांध निर्माण करने पर चर्चा के लिए) ।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(२००) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टोरडी फीडर के निकालने से केकड़ी तहसील के काश्तकारों में असन्तोष पर चर्चा के लिए)

(२०१) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी तहसील के नदी नालों पर एनीकट बनाने के बारे मे चर्चा के लिए)।

(२०२) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरवाड़ तहसील में डोराई के नाले को बांध कर बांध बनाने बाबत चर्चा के लिए)।

(२०३) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम ऊंदरी के पास खाल पर रपट बनाकर सेजा को बढ़ाने बाबत चर्चा के लिए)।

(२०४) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील देवली के मानसागर में एक कैनाल और निकाल कर ग्राम बोगला की सिंचाई करने पर चर्चा के लिये)।

(२०५) **श्री कल्याणमल (जहाजपुर):** मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील जहाजपुर में ग्राम टीटोड़, सेरूण, बोजेडा बान्धों पर वर्ष १९७०-७१ में धन रखवाने तथा मानडिब के बान्ध एवं बालपुरा बान्ध की सर्वे करवाने पर चर्चा के लिए)।

(२०६) **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):** मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भानिया खेड़ी, पंचायत समिति पिड़ावा में एनिकट (बांध) अनावश्यक रूप से बनाकर पैसे का दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिए)।

(२०७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००- सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भीमसागर बांध जिला झालावाड़ के अब तक न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(२०८) **श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी):** मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में लिफ्ट से नहर लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

(२०९) **श्री देवीलाल (सराड़ा):** मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सराड़ा पंचायत समिति को लघु सिंचाई कार्यों के लिये सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

२१०. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में लटी आमलो तालाब से सिंचाई किये जाने पर चर्चा के लिऐ)।

(श्री देवीलाल)

(२११) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में गोपालपुरा तथा ऊंटीं के पास गोमती नदी से सिंचाई हेतु सर्वे कराए जाने पर चर्चा के लिए) ।

(२१२) श्री डूंगराम राजोरिया (दौसा-सु.): मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में चांदराणा बांध के निर्माण में देर हुई इस विषय में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

(२१३) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पिछड़ी जाति के लोगों के हितों में पारित प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या ४०

(२१४) श्री परसराम (परबतसर-सु.) : मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील में ग्राम बंवाल में बांध का कार्य इस साल पूरा करवा कर सिंचाई हेतु पानी देने पर चर्चा के लिए) ।

(२१५) श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

(२१६) श्री चुन्नीलाल (खण्डार-सु.) : मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम पढ़ाणा में बनास नदी से लिफ्ट सिंचाई की योजना पर चर्चा के लिये) ।

(२१७) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में साबी बांध के बनवाने में ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

(२१८) श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (रेलाबांध, तहसील नीम का थाना) में कृषकों को इस साल पिलाई में पानी न देने से फसल सूखने से हो रहे आर्थिक नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

(२१६) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से से १००) रुपया कर दिया जाय (समाज कल्याण परियोजना, श्री मधोपुर की जीप के दुरुपयोग के बारे में चर्चा के लिये) ।

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(२२०) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण परियोजना, श्री माधोपुर के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

(२२१) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (माह जून) सन् १९६८ में समाज कल्याण परियोजना श्री माधोपुर, द्वारा बच्चों की भारत दर्शन यात्रा में बच्चों से खर्च के रूप में अनुचित रकम लेने व अन्य व्यक्तियों को यात्रा कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

(२२२) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण परियोजना श्री माधोपुर के अध्यक्ष पद पर श्री कुरूप को मनोनीत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४०

(२२३) श्री कन्हैयालाल (बस्सी–सु.) : मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जमवाड़ा में नदी का रुख बदले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

(२२४) श्री नाथूलाल करौल (जमवारामगढ़): मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जयपुर की पंचायत समिति, जमवारामगढ़ के ग्रामों में नालों को न रोका जाने पर चर्चा के लिये) ।

(२२५) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला जयपुर की पंचायत समिति चाकसू में बन्ध श्यामपुर की मंजूरी न होने पर चर्चा के लिये) ।

(२२६) महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर): मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित भीमसागर व हरिश्चन्द्र सागर से सिंचाई की असन्तोषजनक प्रगति पर चर्चा के लिये) ।

(२२७) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर क्षेत्र में स्थित तालाबों तथा सिंचाई के साधनों के विकास में विलम्ब करने पर चर्चा के लिए) ।

(२२८) श्री शङ्करलाल जाट (कपासन) : मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई निर्माण कार्यों को गति देने तथा उनमें किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

(२२९) मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९८– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत

(श्री शंकरलाल जाट)
मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी जो लग रही है उसके अनुपात में लाभ नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

(२३०) श्री गंगासहाय (कठूमर–सु.) : मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के छात्रावासों व उन्हें छात्रवृत्तियां के मिलने में कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(२३१) मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९--विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर चर्चा के लिये)।

(२३२) श्री रावतराम (छापर) : मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९--विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा सुधारने पर चर्चा के लिये)।

(२३३) श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खादी कमीशन द्वारा जैसलमेर जिले से अपना केन्द्र यानि मुख्यालय बाहर ले जाकर वहां कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(२३४) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम): मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी गयी रियायतों को पूरा न करने के बाबत चर्चा के लिये)।

(२३५) श्री लादूराम सुलाणिया (फागी): मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९– विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (परिगणित जातियों व जन-जातियों को संगठित करने हेतु नये तरीके अपनाने हेतु चर्चा के लिये)।

अनुदान की मांग संख्या २४, २५, २६ व ४० पर विचार

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा, मांगों के सम्बन्ध में पहले भी निवेदन किया था कटौती प्रस्तावों पर अधिक से अधिक १५ मिनिट।

श्री जुझारसिंह : क्या कहा ? पार्टी वाईज नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्तावों पर जो माननीय सदस्य समय लेंगे, वह अधिक से अधिक १५ मिनिट। पहले भी मैंने निवेदन किया है और १२ बजे सिंचाई मन्त्रीजी इसका उत्तर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुविधानुसार मेम्बर को टाइम देते हैं।

श्री अध्यक्ष : सुविधा के अनुसार देख लिया जायेगा।

श्री जुझारसिंह : पार्टीवाइज भी टाइम दिया होगा ?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव दिये हैं उन पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय सिंचाई विभाग और सिंचाई की प्रगति राजस्थान के लिये एक विशेष महत्व रखती है, राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, अनडेवलप्ड रहा है । इसके विकास के लिये सिंचाई की सुविधा अत्यन्त आवश्यक है । अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मे जितना धन राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाओं पर लगाया है और जो कुछ भी किया है उसके अनुरूप अभी हमारा रिटर्न नहीं मिलने लगा है, इसका कारण जहां तक मैं मानता हूं वह यह है कि राजस्थान सरकार जिन योजनाओं के एग्जीक्यूशन और डिस्ट्रिक्ट्स को छांटने में पक्षपात बरतती है । अध्यक्ष महोदय जो फिगर्स बजट में उपलब्ध हैं, उनके आधार पर मैं निवेदन कर सकता हूं कि राजस्थान सरकार के सिंचाई योजनाओं के ऊपर लिये हुये ऋण के ऊपर करीब ३८० पाइन्ट ९९ लाख रुपये का इन्टरेस्ट देना पड़ता है और उसके मुकाबले जो इनकी आमदनी है वह करीब २८३ लाख ९ पाइन्ट ९९ की है ।

इस तरह से इनको ब्याज की रकम के ऊपर भी करीब एक करोड़ २२ लाख ९७८ रुपये का नुकसान होता है। यह जो इनकी परफारमेंस है अपने आप में बताती है कि जितना ब्याज इनको देना पड़ता है उसके मुकाबले करीब सवा करोड़ रुपया आमदनी से ज्यादा चुकाना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय, ये सब बातें जहां तक हां मैं सोचता हूं, इस वजह से हैं कि राजस्थान सरकार को जो अलग अलग योजनायें और उनका जो एक्जीक्यूशन है, उनके बारे में सरकार ने विवेक से काम नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई तरह की योजनाएं चालू हैं । मेजर इर्रिगेशन स्कीम्स है माइनर इर्रिगेशन स्कीम है, लिफ्ट इरीगेशन और मीडियम इर्रिगेशन स्कीम्स हैं। सब इर्रिगेशन स्कीमों में हर स्कीम के बारे में राजस्थान सरकार को जितना करना चाहिये वह नहीं कर पा रही है । खास तौर से मेरे यहां के बारे में, कोटा डिविजन की तरफ ही अपना यह भाषण रखूंगा । हमारे यहां जो सबसे बड़ी सिंचाई योजना है—वह है चम्बल और इस चम्बल से करीब ५ लाख ९३ हजार एकड़ रकबा सिंचित होने वाला है और इस ५ लाख ९६ हजार एकड़ में से अभी अध्यक्ष महोदय दस वर्षों के सिंचाई के बाद भी वह एरिया अभी स्टेबीलाइज नहीं हो पाया है और नहीं पूरा इर्रीगेट हो पाया है। मैं मन्त्री महोदय का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि की जो फीगर्स आपने दिये हैं चम्बल के बारे मे, चम्बल में यह डबल क्राप एरिया है और यह योजना आपने डबल क्राप के लिये बनाई है लेकिन अभी तक जो इसकी परफारमेंस है वह इस प्रकार से है जो १९६५-६६ के आंकड़े दिये हैं उसमें खरीफ में करीब १४ हजार ९९० एकड़ और रबी में १ लाख ४० हजार ४४० एकड़ में सिंचाई हुई है। १९६६-६७ में इसी प्रकार रबी की १ एक लाख ४८ हजार ८८० एकड़ में और खरीफ की १५,७७० एकड़ में सिंचाई हुई । १९६७-६८ में रबी की सिंचाई एक लाख ४७ हजार ४३९ एकड़

(श्री जुझारसिंह)

क्षेत्र है और खरीफ ८३१२ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई है यह सिंचाई राइट मेन केनाल की बताई है। लेफ्ट मेन केनाल में भी आप देखें। १९६५-६६ में रबी में ८० हजार और खरीफ में १५ हजार एकड़ है। ६६-६७ में रबी में ७६३६५ और खरीफ में ५२१९, ६७-६८ में रबी १०५१३२९ और खरीफ में ८२७४ एकड़ बताया है। आगे के फीगर्स मेरे को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। यह जो आंकड़े आपने दिये थे उसमें इसको नहीं बताया गया था। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि यह जो खरीफ में जितनी सिंचाई होती है वह रबी के मुकाबले में १०% ही है।

(९.१२ म. पू.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक डबल क्रॉप पैटर्न डवलप नहीं होता है तब तक यह वन क्राप पैटर्न पर चम्बल में लाभदायक नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें लैण्ड रिक्लेमेशन और डवलपमेंट के बारे में बताया गया है। इस में इस बात को खास तौर से बताया गया था कि चम्बल के एरिया में सिंचाई आने के बाद क्रॉप पैटर्न चैंज करना होगा और उन्होंने अलग-अलग क्रापों के लिये रकबा निर्धारित भी किया था। रबी में कितना रकबा होगा और खरीफ में पैदा होने वाली जो क्रॉप्स हैं उसका रकबा क्या है? अभी तक आप लोग जहां तक खरीफ की क्रॉप्स हैं एस्टेब्लिश नहीं हो पाये हैं और ज्यादातर ज्वार ही वहां होती है उसके ऊपर चम्बल का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहता हूं। जब तक खरीफ का पैटर्न चैंज नहीं होगा और मेजर इरिगेशन का क्रॉप पैटर्न नहीं बनाया जायगा तब तक आप वहां के काश्तकार में खुशहाली नहीं ला सकते। जैसा कि आप अनुभव करते हैं, खरीफ में पानी एफ्योर्ड होता है, बरसात का पानी होता है और चम्बल में पानी की कमी नहीं होती है और दूसरी बात यह है कि नुकसान कम होता है। इसलिये खरीफ की क्रॉप पैटर्न को एस्टेब्लाइज करते हैं और ज्यादा एरिया में इरिगेशन हो सकता है जो काश्तकारों की खुशहाली के लिये आवश्यक है। लेकिन इस पैटर्न को १० वर्षों के बाद भी जैसा मैंने अभी निवेदन किया है सिर्फ टोटल इरिगेटेड एरिया का बहुत कम पर्सेन्टेज है और इरिगेशन का करीब १० पर्सेन्ट आता है। इसका मतलब यह है कि चम्बल का पैटर्न अभी तक एस्टेब्लाइज नहीं हो पाया है और अभी डबल क्रॉप पैटर्न नहीं हो पाया है। इसके लिये इरिगेशन डिपार्टमेंट रेसपान्सीबल है। मैं यह निवेदन करूंगा सिंचाई मंत्रीजी से कि इस सम्बन्ध में ज्यादा ध्यान दें और इसका किसी तरह से इरिगेशन एश्युर करें और काश्तकारों को खरीफ में ज्यादा फसल बोने के लिये उनको प्रोत्साहन दें।

दूसरा निवेदन मेरा यह है उपाध्यक्ष महोदय कि चम्बल में पानी के साथ-साथ और बहुत-सी प्रॉब्लम हैं। चम्बल में लैण्ड रिक्लेमेशन—इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चम्बल के लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोग्राम के तहत १९५५-५६ में इरिगेशन सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड लेवलिंग और फीड चेनल्स और दूसरी तरह के डवलपमेंट के

(श्री जुझारसिंह)

प्रोग्राम बनाये हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, ५५-५६ में इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के टोटल एरिया का ५% रिक्लेमेशन के मेजर्स लेने का प्रोग्राम था और ५५-५६ में २७ लाख १६ हजार का खर्चा करने का प्रावधान था। एग्रीकल्चर सेक्टर में बेस इयर में यानी ५५-५६ में ३% रिक्लेमेशन मेजर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा लिये जाने को थे और ४२६ लाख-खर्च करने का था। इस तरह ११ साल का प्रोग्राम था और साल दर साल रिक्लेमेशन का पर्सेन्टेज बढ़ते जाने चाहिये थे और ११वें इयर में १२५% रिक्लेमेशन टोटल एरिया का इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को करना था और इसमें ६८ लाख ५० हजार का सर्वे का प्रावधान था। इसी तरह से एग्रीकल्चर में ११वें इयर में १६% रिक्लेमेशन करने का टारगेट था और १५० लाख, याने एक करोड़ ५० लाख इन १२ सालों में देट मीन्स ६८-६६ तक इनको यह डेढ करोड़ रुपया रिक्लेमेशन पर खर्च करना था। इन दोनों डिपार्टमेन्टस से ५५-५६ के बाद से १२ वर्षों में चम्बल एरिया में, चम्बल कमाण्ड एरिया में रिक्लेम करने की स्कीम थी। उपाध्यक्ष महोदय जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक रिक्लेमेशन का काम शुरू नहीं हो पाया है और इस टोटल प्रोग्राम में करीब १४ करोड़ रुपया इस हिसाब से, इस प्रोग्राम के माफिक खर्च करने वाले थे वे नहीं हुए हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल का एरिया चम्बल कैनाल के पहले ही कल्टीवेटेड एरिया था। उसमें काश्तकार किसी तरह से काश्त करता था। वह नॉन-इर्रिगेटेड काश्त थी। लेकिन उस एरिया में कल्टीवेशन के पाइन्ट ऑफ व्यु से कई तरह की प्राब्लम फील्ड की, चकबंदी की थी और आज तक वहां की जमीन में बढ़ा हेवी इरोजन है। यहां के फीगर्स के माफिक दूसरे विभाग ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार कोटा क्षेत्र में बहुत ज्यादा करीब ७५% इरोजन होता है और इस इरोजन का असर इर्रिगेशन पर भी पड़ता है और उसकी फर्टीलिटी पर भी पड़ता है। इसोलिये यह लैंड रिक्लेमेशन का प्रोग्राम इस क्षेत्र में, इस चम्बल के क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक माना गया था और जब तक लैंड रिक्लेमेशन का प्रोग्राम शुरू नहीं किया जायगा तब तक इर्रिगेशन सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, १६६८ तक यह रिक्लेमेशन का प्रोग्राम खत्म हो जाने वाला था, लेकिन उसकी अभी शुरूआत भी नहीं हुई है। इन्होंने रिक्लेमेशन प्रोग्राम के लिए १४ करोड़ का प्रोविजन किया था और सौ रुपये पर एकड़ के हिसाब से रिक्लेमेशन के चार्जेज फिक्स किये थे। अभी इटावा में यह प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, उसके अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूं कि कोस्ट ऑफ रिक्लेमेशन पर एकड़ इन इटावा है वह आठ सौ से एक हजार तक आता है। जहां पर ज्यादा डिप्रेशन की जमीन है और स्लोप और ग्रेडिएन्ट्स ज्यादा है वहां पर लेवलिंग में और भी ज्यादा चार्जेज लगेंगे। इस कारण लेवलिंग के चार्जेज एक हजार से नीचे नहीं आयेंगे। ऐसा किया जायगा तो कॉस्ट ऑफ रिक्लेमेशन इस चौदह करोड़ की जगह पर एक सौ चालीस करोड़ हो सकती है। और इस रिक्लेमेशन के प्रोग्राम को जितना आप डिले करेंगे उतने ही चार्जेज ज्यादा बढते जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल के क्षेत्र में राज्य सरकार की इर्रिगेशन के पेटर्न को स्टेबिलाइज करने के लिए, काश्तकारों को इर्रिगेशन की

(श्री जुझारसिंह)

सुविधा पहुँचाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए या और जो राज्य सरकार के प्रोग्राम में था यह नहीं किया गया हैं। इससे वहां के काश्तकारों को नुकसान हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि राज्य सरकार इस तरफ ध्यान दे।

इसी प्रकार से राजस्थान सरकार की मीडियम और माइनर स्कीम हैं उनके बारे में जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मेरा अनुभव है कोटा डिविजन का और दूसरे क्षेत्रों का वह यह है कि उनके बारे में राज्य सरकार जागरूक नहीं रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में, मेरी खुद की कान्स्टीट्यूएन्सी में पांच इरिगेशन की स्किम्स चलती हैं। यह पांच इरिगेशन की स्किम्स हैं उनसे जिन गांवों में सिंचाई होती है वह है, आलनिया प्रोजेक्ट का पानी नौ गांवों में आता है, परवन प्रोजेक्ट का पानी है वह पांच गांवों में आता है और कालीसिन्ध का प्रोजेक्ट है उसके नीचे बत्तीस गांव आते हैं। इस प्रकार कुल ४६ गांवों में डिफरेन्ट इरिगेशन स्कीम से जमीन सिंचित होती है। मैं यह अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी मिडियम स्किम्स हैं, जो भी मेजर स्किम्स हैं और जो भी माइनर स्किम्स हैं इनमें से कोई राजस्थान के अन्दर स्किम्स एकोर्डिंग टू प्रोजेक्ट नहीं चल रही है, उसके हिसाब से नहीं चल रही है। इस कारण उन सब स्किम्स के अन्दर नुकसान हुआ है। इरिगेटेड एरिया जितना कमाण्ड में आता है उसमें कम एरिया सिंचित हो रहा है इस कारण कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह जो होनी चाहिए उसमें ज्यादा होती है। इसी तरह से जो लिफ्ट इरिगेशन है, तीन लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम्स मेरे एरिया में चलती हैं, उनके बारे में मैं निवेदन कर सकता हूं कि उसके अन्दर इरिगेशन रेट्स बहुत हेवी है क्योंकि जितना कमाण्ड एरिया इस लिफ्ट इरिगेशन के तहत आना चाहिए उतना एरिया हेवी रेट्स की वजह से काश्तकार नहीं करते है। इस प्रकार की राज्य सरकार की जो योजनायें हैं, उन सब में, उपाध्यक्ष महोदय, आज असंतुलन है और पेटर्न के माफिक कोई भी स्किम नहीं चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ फिगर्स देना चाहता हूं। सांगोद तहसील में आलनिया में ४६०१ एकड़ तमाम कमाण्ड एरिया है, उसमें साठ पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी के आधार को मान कर चलें तो २६४० एकड़ सिंचाई एरिया घोषित किया हुआ है इतने एरिया में साल दर साल सिंचाई होनी चाहिए, उसके मुकाबले में आज वहां पर १७३६ एकड़ में सिंचाई हो रही है। इसी प्रकार परवन में १८०० एकड़ तमाम कमाण्ड एरिया है और साठ पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी पर इरिगेट करने से १०८० एकड़ में सिंचाई करने का प्रावधान बनाया हुआ है लेकिन उसके मुकाबले में १७२ एकड़ में सिंचाई हुई है। इसी प्रकार से कालीसिन्ध पिक अप वेअर में कुल कमाण्ड एरिया ८८६८ एकड़ है, उसमें साठ पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी के आधार पर जो एरिया कमाण्ड करना चाहिए वह है १०३३ एकड़, इसमें सिंचाई हो रही है। तो यह जितनी इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, उनमें जो कमाण्ड एरिया घोषित किया हुआ है और सिंचित एरिया जो घोषित किया हुआ है उसमें से दस पर्सेन्ट एरिया के अन्दर विभिन्न सिंचाई की स्किम्स के तहत सिंचाई कर पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कालीसिन्ध पिक अप वेअर का सवाल है,

(श्री जुझारसिंह)
आलनिया का सवाल है और परवन का सवाल है उनको अभी तक स्टैबिलाईज नहीं कर पाये हैं। कालीसिंध पिक अप वेअर १६५८ में तैयार हो गया था, आज बारह साल हो गये हैं लेकिन आज भी काश्तकारों में अनिश्चितता है कि इस साल पानी मिलेगा या नहीं। अब की बार तो पानी नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, जो स्किम्स चलाई हैं– उनके जो फिगर्स दिये हैं और जितने एरिया को कमाण्ड करके इरिगेट करने वाले थे, उस आधार पर इन तमाम स्कीम्स में टार्जेट को सरकार अचीव नहीं कर पाई है। यह इस डिपार्टमेंट की शिथिलता के कारण और डिपार्टमेंटल प्रिजुडिसेज की वजह से यह सारा हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इरिगेशन के सम्बन्ध में इम्बेलेन्स क्रियेट किया हुआ है और उस इम्बेलेन्स को जानबूझकर खड़ा किया है। जहां तक इरिगेशन का टार्जेट का सवाल है सर्टेन एरिया में जरूरत से ज्यादा प्रिफरेन्स दिया गया है। ऐसे एरिये हैं जिनमें इरिगेशन के साधन ज्यादा सहूलियत से और ज्यादा इकॉनामी से डाइवर्ट हो सकते थे उन एरिया में बिकाज ऑफ पालिटिकल कन्सीडरेशन्स काम हाथ में नहीं लिये गये हैं और उनके मुकाबले में उस एरिया में जहां से मंत्री महोदय, सम्बन्धित हैं या जिससे दूसरे पावरफुल मंत्री सम्बन्धित हैं इन्डिस्क्रिमिनेट्री रुप से रुपया लगाया गया है और जिसका रिटर्न राजस्थान सरकार को नहीं मिल पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो माइनर इरिगेशन की स्किम्स हैं उनमें पिछले वर्षों में १६५१-५२ से १६६७-६८ तक जो रुपया खर्च किया गया है वह करीब सात करोड़ सत्यासी लाख आता है. उसमें से तीन करोड़ चालीस लाख रुपया सिर्फ उदयपुर डिविजन में खर्च किया गया है। सात करोड़ सत्यासी लाख का टोटल खर्च माइनर इरिगेशन में हुआ है। राजस्थान में जिसमें से चालीस प्रतिशत इस उदयपुर डिवीजन में खर्च किया गया है, और जो रिटर्न मिला है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिटर्न मिला है, वह तीन करोड़ चालीस लाख खर्च करने के बाद में उदयपुर में केवल ४०,४०७ एकड़ जमीन को ही सिंचित कर पाया है।

एक माननीय सदस्य: बहुत बढ़िया है।

श्री जुझारसिंह : बहुत बढ़िया नहीं है, दूसरे जिलों के अनुपात में आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि कम इन्वेस्टमेंट करने पर भी दूसरे इलाकों में कितना ज्यादा रिटर्न आया है। कोटा में, उपाध्यक्ष महोदय, दस स्कीम हाथ में ली हैं, जब कि उदयपुर में २१६ स्कीम हाथ में ली हैं और ४१२ टोटल स्कीम राजस्थान में पिछले अठारह वर्षों में चलाई गई है, उनमें से २१६ स्किम्स उदयपुर डिविजन में हाथ में ली गई जिनसे ४०,४०७ एकड़ रकबा इरिगेट कर दिया गया है। उसके मुकाबले में कोटा में दस स्कीम्स हाथ में ली हैं और १७, १४ लाख रुपया खर्च किया है, उदयपुर के तीन करोड़ चालीस लाख के मुकाबले में कोटा में १७.१४ लाख खर्च किया है और उन दस स्कीम्स का रिटर्न आया है कि १४,६३० एकड़ रकबा सिंचित हुआ है।

Page No. 79

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : कोटा चम्बल में नहीं है ?

श्री जुझारसिंह : आप समझते नहीं हैं, इरिगेशन दूसरी चीज है। उसी तरह से....

श्री रामकिशन (वैर) : चम्बल भी ले जाते उदयपुर में।

श्री जुझारसिंह : यह जा नहीं सकती। अगर मंत्री महोदय इसमें पहिये लगा कर इसे उड़ा कर ले जा सकते हैं तो ले जायं। इसको भी।

श्री रामकिशन : ट्रक में लाद ले जायं।

श्री जुझारसिंह : इसी प्रकार से भरतपुर में कुल छब्बीस वर्क इन्होंने मंजूर किये हैं, जिनमें कोस्ट लगी है १६.४५ लाख रुपये, सिर्फ १६.४५ लाख रुपये और एरिया इरिगेटेड हुआ है ६७, ३६० एकड़ जब कि ३ करोड़ ४० लाख रुपया खर्च करने के बाद उदयपुर डिवीजन में ४०, ४०७ एकड़ एरिया इरिगेट हो सका है, वहां भरतपुर में १६.४५ लाख रुपया खर्च हुआ है और ६७, ३६० एकड़ रकबा इरिगेट हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे जिलों के भी फिगर्स आप देखें। नागौर के अन्दर पांच स्किम्स हाथ में ली हैं, १७.५७ लाख रुपया खर्च हुआ है और १२५ एकड़ रकबा इरिगेट हुआ है। पाली में १४ स्किम्स हाथ में ली हैं, उन पर ५८.२५ लाख रुपया खर्च हुआ हैं और ३२० एकड़ जमीन का इरिगेशन हो पाया है। बून्दी में दस स्किम्स हाथ में ली हैं, उन पर ३८.९७ लाख रुपया खर्च हुआ है और २९३० एकड़ रकबा सिंचित हो पाया है। झुंझुनूं के अन्दर नौ स्कीम हाथ में ली है, उन पर २.६४ लाख रुपया खर्च किया है और एक एकड़ भूमि भी सिंचित नहीं कर पाये हैं। इसी प्रकार सीकर में दो स्किम्स हाथ में ली हैं, १८.५२ लाख रुपया खर्च हुआ है और एक भी एकड़ रकबा सिंचित नहीं कर पाये हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनूं में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।

श्री जुझारसिंह : मैं जो फिगर्स दे रहा हूं, यह राजस्थान गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट के फिगर्स दे रहा हूं। इसी तरह से दूसरे जिलों के फिगर्स हैं, उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। राजस्थान में छब्बीस जिले हैं, उन सबकी डिटेल्स देने का कोई मतलब नहीं है। मेरा निवेदन है कि कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ ऐसे जिले हैं जिनमें माइनर इरिगेशन को डवलप करने के बहुत से साधन हैं जिन पर कोस्ट कम लगने के ऊपर बहुत सेटिसफेक्ट्री रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन इन इलाकों को जानबूझ कर डवलप नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में पॉलिटिकल कन्सीडरेशन की वजह से, पर्सनल इन्ट्रेस्ट की वजह से, पर्सनल कान्स्टीट्यूएन्सी होने की वजह से या अन्य किन्हीं कारणों से आउट ऑफ प्रपोर्शन रुपया लगाया जा रहा है और उसके रिटर्न जितने राजस्थान सरकार को मिलने चाहियें थे वे नहीं मिल पाये हैं। यही वजह हैं कि आज आपका टोटल इरिगेशन स्किम्स पर जो खर्चा हुआ है, उसका इन्ट्रेस्ट तक हम नहीं चुका पाये हैं। उस खर्च की हुई राशि पर जो इन्ट्रेस्ट की रेट है, उसके बराबर भी हमें इरिगेशन से आमदनी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि इरिगेशन एरियाज को सिलेक्ट करने में साइन्टिफिक वे में नहीं सोचा गया, पर्सनल इन्ट्रेस्ट के वे में

(श्री जुझारसिंह)

सोचा गया है और हमें जो इसके रिजल्ट्स मिलने थे वे हमें नहीं मिल पाये हैं।

जहां तक फेमीन के सिलसिले में माइनर व मीडियम ईरिगेशन स्किम्स पर खर्चा हुआ है उसमें भी करीब १२४१ कुल वर्क्स किये गये। उन १२४१ वर्क्स में से ७३३ वर्क्स अकेले उदयपुर डिविजन में हैं। इन टोटल १२४१ वर्क्स पर जो टोटल खर्चा किया गया गया वह ७३३ लाख है। यह ७३३ लाख का कुल खर्चा इन १२४१ वर्क्स पर सारे राजस्थान में किया गया। उन ७३३ लाख में से ६०४.९३ लाख रुपया उदयपुर डिविजन में खर्च किया गया। जो टोटल खर्चा इन वर्क्स पर हुआ उसका केवल १/१० या १/८ हिस्सा सारे राजस्थान में खर्च किया गया है, बाकी सारा अकेले उदयपुर डिविजन में खर्च किया गया है। उदयपुर में १०५ ईरिगेशन वर्क्स फेमीन के तहत चले जिन पर १७६.८३ लाख रुपया खर्च किया गया। चित्तौड़ में १९२ वर्क्स खोले गये जिन पर टोटल खर्चा ७८.६६ लाख किया गया, बांसवाड़ा में १०१ वर्क्स किये गये जिन पर कुल खर्चा १३९.०३ लाख खर्चा किया गया, डूंगरपुर में ११० वर्क्स किये गये जिन पर कुल खर्चा ९०.९४ लाख किया गया। भीलवाड़ा में जहां से सिंचाई मंत्रीजी तशरीफ लाये हैं वहां पर सबसे अधिक २२५ वर्क्स चलाये गये, जिन पर टोटल खर्चा ११९.४७ लाख का प्रावधान किया गया है। इस तरह फेमीन रिलीफ में लिये गये ईरिगेशन वर्क्स पर जो टोटल ७३३ लाख का प्रावधान किया गया है, उसमें से ६०४.९३ लाख का प्रावधान तो केवल उदयपुर डिविजन के लिये किया गया है। जो फेमीन रिलीफ के तहत ईरिगेशन वर्क्स कुल १२४१ किये गये उनमें से ७३३ वर्क्स तो केवल उदयपुर डिविजन में रखे गये हैं।

तो इस तरह से अननेसेसरिली बगैर इस बात का ध्यान रखे कि इन स्किम्स का रिटर्न आयेगा या नहीं, ईरिगेशन डिपार्टमेंट पैसा लगा रहा है और उसका नुकसान राजस्थान की सारी जनता को भुगतना पड़ रहा है।

मन्त्री महोदय शायद यह कहेंगे कि फेमिन वर्क वहीं चलेगा जहां कि फेमीन है, जहां पर फेमीन नहीं है, वहां फेमीन वर्क्स कैसे चलाये जा सकते हैं। उदयपुर में फ़ेमीन था, कोटा में नहीं था, कोटा में फिर फेमीन वर्क्स क्यों चलायें? मैं निवेदन करूं पिछले साल कोटा के ४०० गांव फेमीन इफेक्टेड डिक्लेअर किये गये थे, उन फेमीन इफेक्टेड ४०० गांवों में से ११५ गांव ऐसे थे जो बैकवर्ड एरिया के हैं, जहां शहरियों की पोपुलेशन है। शाहाबाद एरिया की १४ ईरिगेशन स्किम्स ऑलरेडी सर्वेड और एप्रूव्ड पड़ी हुई है। उन १४ स्किम्स के होते हुए भी ४०० फेमीन एफेक्टेड गांवों में से इन पिछड़े हुए ११५ गांवों में ये स्किम्स हाथ में नहीं ली गई और उन एरियाज में एक लाख से ज्यादा रुपया नहीं लगाया गया और इस तरह जानबूझ कर धन का दुरुपयोग किया गया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे एरिया में पिड़ावा क्षेत्र में जहां से डिप्टी मिनिस्टर चुन कर आये हैं, वहां बानियां खेड़ी गांव है, उससे १०० गज की दूरी पर उप मन्त्रीजी का कुआ है, उस कुए में पानी नहीं रहता है, उस कुए से पानी की सप्लाई को एन्श्योर करने के लिये वहां बन्धा लगाया है, वह टूट चुका है, उस पर ५० हजार

(श्री जुझारसिंह)

रुपया खर्च किया जा चुका है। मैंने इस सम्बन्ध में पिटिशन कमेटी में पिटिशन दी थी। एक महीने पहले पिटिशन कमेटी, झालावाड़ का टूर कर के आई है, उसने उस बांध को देखा है और महसूस किया है कि एक व्यक्ति को, जो राजस्थान में उप-मन्त्री है, राजी करने के लिये उनके कुए में पानी का इन्तजाम करने के लिये यह बांध बनाया गया, इस पर ५० हजार रुपया खर्च किया गया, बाकी उस बांध से किसी दूसरे क्षेत्र को कहीं कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। इस तरह से फेमिन वर्क्स में प्रेज्युडिसीयल तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीकों से पैसा खर्च किया गया है। सारे कोटा डिविजन में फेमीन के तहत इर्रिगेशन वर्क्स के लिये एक लाख का प्रावधान है, वहां ५० हजार रुपया एक व्यक्ति विशेष के लिये खर्च कर दिया गया है, यह अपने आप में लज्जाजनक है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह व्यक्ति नहीं मन्त्री है, आखिर मन्त्री मन्त्री ही रहे, आप सोचते क्या हैं ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोटा डिविजन में कोटा, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। वहां हर पांच माइल पर नदी निकलती है, कई नाले हैं। उनमें हेडवाटर है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। वहां लिफ्ट सिंचाई योजना के द्वारा नदी-नालों के पानी का उपयोग किया जाय तो बहुत बड़े एरिये में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोटा क्षेत्र में दस-बारह जगह लिफ्ट सिंचाई स्कीम चल रही है, वह अधिकतर डीजल से ओपरेट होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि जहां फ्लो सिंचाई की रेट १२ रुपया है वहां लिफ्ट इर्रिगेशन से जो सिंचाई की जाती है उसकी रेट १५२ से १८० रुपया पर एकड़ है। फ्लो इर्रिगेशन की रेट से लिफ्ट इर्रिगेशन की रेट्स १५ गुना ज्यादा है।

मन्त्री महोदय कहेंगे कि हमने ये स्किम्स नो-प्रोफिट नो-लॉस पर चलाई है, इस पर जितना खर्चा होगा जनता को देना होगा। पर मैं यह निवेदन करूं कि आपके क्षेत्र में टैंक्स बनाये जाते हैं, आपके उधर टैंक्स से सिंचाई होती है, १० लाख रुपये एक टैंक पर खर्च कर देते हैं उससे कभी-कभी १० एकड़ को भी सिंचित नहीं कर पाते हैं तो वहां आप यह नो-प्रोफिट नो-लॉस वाला सिद्धान्त क्यों नहीं लागू करते ? आप कहेंगे कि यह तो तालावों का सवाल है, यहां नो-प्रोफिट नो-लॉस का सवाल पैदा नहीं होता। तो यह इस प्रकार की भेद भाव की नीति इर्रिगेशन के सम्बन्ध में किसी तरह न्यायोचित नहीं कही जा सकती। आपको हर इर्रिगेशन स्कीम में एक ही परिपाटी को चालू करना होगा। कोटा में नो-प्रोफिट नो-लॉस की परिपाटी चालू करते हैं तो उदयपुर में भी नो-प्रोफिट नो-लॉस की परिपाटी चालू करें। एक तरह का पैटर्न सब क्षेत्रों के लिये होना चाहिये। पर आपके यहां यह नहीं होता। १२ रुपया पर एकड़ सिंचाई की दर रख कर १० लाख का खर्चा करके कह दें कि हमारे यहां तो तालावों से इर्रिगेशन है, इसलिये १२ रुपया ही सिंचाई की दर लेंगे। यह क्षेत्र क्षेत्र में भेद और सिंचाई के पैटर्न में विभिन्नता किसी तरह उचित नहीं कही जा सकती। तो इन स्किम्स को सब्सिडाइज

(श्री जुझारसिंह)

किया जाय, नहीं तो इनको बिजली से जोड़ दिया जाय। नहीं तो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्रु डीजल सैट्स बहुत ज्यादा है।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जगह नो-प्रोफिट नो-लॉस में इन स्किम्स को चलाना चाहें तो इनको बिजली से कनैक्ट कर दें।

अभी जो लिफ्ट स्कीम्स है राजस्थान में ७३ हैं उनमें से कुछ ली जाने वाली हैं और कुछ ले ली गई हैं। अब जो ऑपरेट हो रही हैं उनमें से ३४ पावर से चलती हैं और ३९ स्किम्स डीजल से ऑपरेटेड हैं। इन ३४ पावर आपरेटेड स्किम्स में से बांसवाड़ा की २१ में हैं उनमें से १९ पावर ऑपरेटेड हैं, पावर कनेक्शन्स में इस तरह पक्षपात हो रहा है जैसे ३४ पावर आपरेटेड स्कीम में से ३१ सिर्फ उदयपुर डिवीजन में है। यहां पर यही कन्सीडरेशन किया जाता है कि अपना पेट भरो और दूसरों को रोने दो। बांसवाड़ा की स्कीम में एक बीमासारे स्कीम है जो पावर से ऑपरेटेड है। ४ एकड़ रकबा सिंचित करती है। इसी तरह से सोडली नाम का एक दूसरा एरिया है, उस स्कीम में केवल दो एकड़ की सिंचाई होती है और इसी तरह से सिलोड़ का नाला बून्दी में है, केवल ५ एकड़ में सिंचाई होती है। तो जहां पर आपको कुछ करना होता है चाहे २, चाहे ४, चाहे ५, एकड़ ही सिंचाई हो कन्सीडरेशन एरिया का नहीं होता है, कन्सीडरेशन आदमी का होता है और जहां पर ऑबलाइज करना चाहते हैं वहां लाइने चल जाती हैं। सिंचाई विभाग से किसी को पावर के लिये पैसा नहीं दिया गया, लेकिन बांसवाड़ा को १.२४ लाख रुपये सिंचाई विभाग ने पावर लाइन डालने के लिये ट्रांसफर किया है। तो आपकी जो सिंचाई की योजनायें हैं राजस्थान में, उनका बहुत अच्छा पोटेन्शल हैं कोटा क्षेत्र में अच्छा पोटेन्शल है और उनको यूटीलाइज किया जाना चाहिये लेकिन आपका दृष्टिकोण किसी व्यक्ति विशेष के एरिया को लाभ पहुंचाने का है आपका मोड ऑफ आपरेशन व्यक्ति पर आधारित है और आधार पर बनाये जाने वाले आपके प्रोग्राम्स हैं रिटर्न नहीं दे पायेंगे और किसी विकासशील देश के लिये यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। आपने बहुत समय ले लिया करीब ३५ मिनट ले लिए। समय का बटवारा इस प्रकार हैं : कांग्रेस एक घन्टा ३० मिनिट, स्वतंत्र पार्टी ४० मिनिट, जनसंघ ३० मिनिट-बी. के. डी. २० मिनिट, एस० एस० पी० १० मिनिट, निर्दलीय १० मिनिट। सरकार की ओर से उत्तर १२ बजे प्रारम्भ होगा।

महारानी शिवकुमारीजी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अभी बोला नहीं हूं। मांगो पर कल केवल बोला हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनकी पार्टी को समय दिया जाय।

श्री रामकिशन : आपने इनको यदि समय नहीं दिया, तो विधान सभा की ताकत पर समय ले लेंगे।

महारानी शिवकुमारी (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बांधों और तालाबों के बारे में निवेदन करना चाहती हूं।

(श्रीमती शिवकुमारी)

भीम सागर बांध राजस्थान को उन मीडियम इरिगेशन स्कीम में से है, जिसे १६५८ में पूरा किया जाना था। यह कोटा रियासत के समय की पुरानी सर्वे स्कीम है जिससे दो लाख की आमदनी सालाना होने वाली थी और इससे काफी इलाका खानपुर तहसील का सिंचित होने वाला था। परन्तु अभी तक इसके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। इसका रिटर्न ७.५ आने वाला था। यह स्कीम २० लाख की थी। आज उस पर करीब एक करोड़ की लागत आएगी। असनावर डूब में आने की वजह से इसका मुआवजा ५ गुना अधिक देना होगा। खर्चा पहले से ५ गुना अधिक होगा। सरकार ने अब इसको बनाने का फैसला किया है, जिसका उस इलाके में काफी स्वागत किया जायगा क्योंकि वहां के लोग कई वर्षों से आस लगाए बैठे हैं किन्तु क्या सरकार बताने की स्थिति में है कि इसे कब तक बना देगी? अगर सरकार जल्दी बना दे तो उस इलाके की सिंचाई की काफी समस्यायें हल हो सकती हैं।

इसी तरह से हरिश्चन्द्र सागर की योजना भी १८.१६ लाख की लागत की योजना है, जिसको १६६० में पूरा किया जाना चाहिये था। बनाने के बाद अब तक ४ बार बांध टूट चुका है और अब तक करीब ७६ लाख इस पर खर्चा आ चुका है। इस बांध से करीब ५० हजार एकड़ भूमि खानपुर और सांगोद तहसीलों की सिंचित होने वाली थी परन्तु अभी किसी भी साल ५ हजार बीघा से ज्यादा सिंचाई नहीं हो पाई है, जिसका कारण विभाग की बदइन्तजामी और नहरों का पक्का नहीं होना है। इसी तरह बांध पर जो नहरें बनी हुई हैं, वे पहाड़ियों में कटी हुई हैं, जिसके ठीक तरह से न बनाने के कारण ५० प्रतिशत पानी निकलकर नदी में चला जाता है और सिंचाई का कोई इन्तजाम नहीं हो पाता है, यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी बांध टूटी हुई हालत में है जिसको मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी सरकार इसको पूरा करे ताकि इससे बाकी के इलाके को फायदा पहुँचे।

उजाड़ व कालीसिंध नदियों में जगह २ लिफ्ट से सिंचाई होती है अभी करीब ३०-४० तहसीलों में पम्प लगे हैं जिनमें सैंकड़ों बीघा जमीन को सिंचाई होती है। इन स्थानों में बिजली के लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिये ताकि काफी भूमि में सिंचाई हो सके।

इसके अलावा सिंचाई के कई साधन खानपुर तहसील में हैं और अच्छे तालाब हैं जिनकी मरम्मत होने से काफी इलाका सिंचित हो सकता है। इनमें मुख्य हैं कदीला झील जो कोटा रियासत में सबसे बड़ी झील है। इसकी मरम्मत कई वर्षों से नहीं हुई है। नहरें टूट रही हैं। इसके अलावा मंडावर, गोवर्धनपुर, बोरदा का तालाब व बंध भीमली इत्यादि कई तालाब हैं, जिनकी वर्षों से मरम्मत नहीं हुई और हुई है तो इतनी खराब और कच्ची हुई है कि अब तक उनमें पानी नहीं ठहरता है। इस कारण इलाके के आसपास के कुए सूख गए और उनमें पानी की पिछले वर्ष काफी शार्टेज थी, जिससे जनता को काफी कठिनाई हुई और मवेशी पानी के बगैर प्यासे भी मर गए। इस बारे में कई बार स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया गया था, मगर अभी तक कुछ नहीं हो

(श्रीमती शिवकुमारी)

पाया है, कई वर्षों से बारिश भी पूरी नहीं हो रही है। जंगल कटने से आबहवा में फर्क आया है। इससे भी अप्रैल, मार्च से पहले कुओं का पानी सूख जाता है।

और भी कई अच्छे सिंचाई के साधन हैं, जिनमें सरोला का बांध, पिपलाज का बांध, गणेशपुरा का बांध, इन तीनों का राज्य सरकार की तरफ से सर्वे हो चुका है। इससे कम से कम १० हजार बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। तो क्या मैं आशा करूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और मेरे सुझावों को कार्य रूप में परिणित करने की कोशिश करेगी ?

विभागों का प्रगति विवरण समय पर नहीं मिलने पर आपत्ति

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सिंचाई विभाग की तरफ से प्रगति रिपोर्ट व उस विभाग के कटौती प्रस्ताव हमें मिले हैं। बराबर हर सत्र में हम देखते हैं कि प्रत्येक विभाग की रिपोर्ट या तो उसी दिन सुबह को मिलती है या सदन में मिलती है तो हम कैसे उन पर अपने विचार प्रकट करें। यह व्यवस्था का प्रश्न है या सरकार को ताड़ना देने का प्रश्न है, मुझे मालूम नहीं लेकिन इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात सही है, नीति का विषय है। बजट अधिवेशन प्रारंभ होने से पूर्व प्रगति विवरण सभी विभागों के मिल जाने चाहिए। होता क्या है कि जिस दिन विभाग की मांग आती है, उससे एक दिन पहले शाम को या उस दिन सुबह को सदन आ जाते हैं, इसके बाद वितरण होता है। मैं समझता हूं कि यह खेदजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑडिट रिपोर्ट जो ३१ मार्च, १९६९ तक मिल जानी चाहिए थी, वह आज तक भी नहीं मिल पाई है। मैं समझता हूं, आज हम १९६८ की रिपोर्ट पर विचार करें, उसके आधार पर आंकड़े सदन में रेफर करें, यह बात गलत है। हम सरकार की भर्त्सना करते हैं और चाहते हैं इस पर आसन की तरफ से सरकार को ताड़ना मिलनी चाहिए। न ऑडिट रिपोर्ट मिलती है, न प्रगति रिपोर्ट। हम पुराने आंकड़ों को रेफर करेंगे तो मंत्री कहेंगे गलत है। तो यह सरकार की बहुत लापरवाही है और माननीय सदस्यों को उनके अधिकार का सही उपयोग करने से वंचित रखने की चाल मात्र है। इसलिये लेटेस्ट पोजिशन जो डिपार्टमेंट के वर्किंग की है सदन के माननीय सदस्यों को मुहैया न करना अत्यन्त खेदजनक है। राज्य सरकार की बदनीयत है कि वह जानबूझ कर रिपोर्ट्स को मुहैया न कराये जिससे सदन में माननीय सदस्य लेटेस्ट आंकड़ों को रेफर न कर सके।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इस विभाग ने जो प्रगति विवरण दिया है वह इतना अपर्याप्त है कि उसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। किसी ने एक पन्ना, किसी ने आधा पन्ना और इस प्रकार अनर्गल वाहियात जानकारी दी, जिससे प्रगति विवरण को पढ़ कर कोई पता नहीं चला सकता कि विभाग के फंक्शन्स क्या हैं, खर्चा क्या है और प्रगति क्या हुई है। महज खाना पूर्ति कर दी गई कि प्रगति विवरण दिया जाता है। यह भी एक ऐतराज काबिल बात है।

(श्री दौलतराम सारण)

माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी ने कहा वह भी सही बात है। प्रमुख विभागों का प्रगति विवरण जिस दिन उनकी मांगें हैं उसी दिन सुबह टेबल पर मिलती है...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नौकरशाही की लापरवाही के कारण सरकार की बदनामी होती है ।

श्री दौलतराम सारण : सरकार इसके लिए प्रबन्ध करे और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति आने न दे क्योंकि हम भी अपने दायित्वों को पूरी तरह निभा पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पूरी व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा—मु०) : नौकरशाही में सरकार के नमूने हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा—मु०) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रगति विवरण मिला है उसमें तालाबों के नाम और आंकड़े सही होने चाहिये, सब गलत लिखे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : यह कोई शोक प्रस्ताव नहीं है कि सब ही माननीय सदस्य बोलें ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह खेद प्रस्ताव है ।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : आपको क्या पता है ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं समझता हूं कि सरकार की जो यह व्यवस्था है मांगों के सम्बन्ध में, वह इस सदन का निरादर है और हम चाहते हैं कि बजट पर बहस चले लेकिन यह बहस भी बिलकुल अवास्तविक और कृत्रिम होती है। हम आपको सहयोग देते हैं, सरकार को सहयोग देते हैं कि सदन की कार्यवाही चले और बजट किसी तरह से पारित हो उसमें भी सहयोग देते हैं। हम सहयोग देने के लिए कतई इन्कार हो जायं तो इससे बढ़कर तथ्यहीन कोई बात नहीं होती। सदस्यों के पास सामग्री नहीं आती है तो बजट क्या है, यह तो एक मखौल है। जनतन्त्र का भी मखौल है। जनतन्त्र की परम्पराओं की विभाग और सरकार परवाह करती है तो परवाह करनी चाहिये। लाखों रुपयों का खर्चा हो रहा है। रोजाना यह होता है। यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपका और सरकार का पुरजोर शब्दों में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो व्यवस्था है वह असंतोषजनक है, व्यवस्था ठीक ढंग से चलनी चाहिये और सदन की परम्पराओं को, सरकार का यह प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये कि पूरी तरह से निभाये।

श्री मदनसिंह दांता (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की गलती है तो हमारी भी गलती है कि हम भी बिना किसी चीज

Page No. 86

(श्री मदनसिंह)

के आये बहस शुरू कर देते हैं। पूरी किताबें आजायं तभी बहस शुरू होनी चाहिये।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय सदस्यों को प्रगति विवरण मिलने की दृष्टि से जो असुविधा हुई उसके लिये मुझे खेद है। दर असल प्रेस में छपने में देर हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह साइक्लोस्टाइल्ड है। प्रेस में छपी ही नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : कवर पेज प्रेस में छपाया है।

श्री नत्थीसिंह : आपका चित्र छपा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसीलिये खेद प्रकट किया देरी हो गई। I have expressed my regret.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : खेद प्रकट करते हैं। यह नहीं भेजें तो ही अच्छा है। यदि आपको जनतन्त्र का आदर करना है तो हम को अधिकार है कि यह आप की मांगे हैं इनको हमारी अनुपस्थिति में ही पारित कर दें, हम बहिर्गमन करेंगे। मैं यह सोच रहा था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतनी नाराजगी नहीं दिखायी जाय। आयन्दा इसका ध्यान रहेगा। देर से मिली उसके लिये में खेद प्रकट करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका खेद प्रकट करना तो ठीक है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको भी तो देखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह मैं अवश्य ही देखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

माननीय सदस्यों ने जो अपना ऐतराज उठाया वह बिल्कुल वाजिब है। यदि उनके पास उस विभाग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है तो जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि यह सदन का और माननीय सदस्यों का अनादर है। और जो जनतन्त्रवाद हमने स्वीकार किया है उसमें चर्चा से ही शासन चलाया जाता है और जब जानकारी नहीं तो चर्चा कैसी (विरोधी पक्ष द्वारा हियर ! हियर !) कोई यह नहीं कह सकता कि अफसरों की लापरवाही है। सरकार जिम्मेदार है इसके लिये जो मांग आये उसके दो रोज पहले ही प्रगति विवरण आदि भेजे जा सकते हैं। इसमें कठिनाई नहीं आनी चाहिये। इसलिये विभाग की रिपोर्ट और प्रगति विवरण समय पर आने चाहिये। बार-बार इस प्रकार की आपत्तियां आई हैं और हर अवसर पर यह कह दिया जाता है आगे ऐसा नहीं किया जायगा और फिर वही किया जाय यह बुरी बात है। सरकार को कम से कम चाहिये कि वह इस बारे में सचेत रहे।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह ४० की फौज क्या कर रही है ?

श्री नत्थीसिंह : दौरा करती है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मंत्री इस काम के लिये बना दिया जाय कि विवरण को छपाये और वितरित करे।

एक माननीय सदस्य : रामनारायण जी चौधरी को बना दिया जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ विधान सभा की कार्यवाही रात को नौ-नौ, दस-दस बजे तक चलती है इससे बहुत परेशानी होती है और कई माननीय सदस्य दूर दूर के हैं, होली पर जाना चाहते थे····

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा लगाई है। कहने के बाद फिर समय नहीं लेना चाहिये।

माननीय शंकरलालजी अपनी चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री महेन्द्रकुमार : इस रिपोर्ट में इतने गलत नाम हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के बहुत गलत नाम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

माननीय श्री शंकरलालजी।

अनुदान की मांग संख्या २४, २५, २६ व ४० पर अग्रेतर विचार

श्री शंकरलाल (जैतारण): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३२, सिंचाई के तहत हमारे सदन में चर्चा हो रही है और प्रगति रिपोर्ट देर से आने के कारण काफी माननीय सदस्यों ने बात कही लेकिन जो भी प्रगति रिपोर्ट हमें मिली है उसको देखने से हमें प्रतीत होता है कि हमारा राजस्थान इस मामले में अब तक बहुत ही पिछड़ा हुआ है।

(१० म० पू०)

और इसके लिये मैं यह जो प्रगति रिपोर्ट है उसके पेज संख्या २२ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें यह लिखा गया है इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि हमारे पड़ौसी राज्यों में से पंजाब में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५२.५% कृषि के क्षेत्र में तथा उत्तर प्रदेश में ३८% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हो गई थीं जबकि राजस्थान में सुविधायें केवल १४.७% कृषि क्षेत्र में थी। इससे स्पष्ट है कि हमारा जो राजस्थान है तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर यह जो प्रगति बताई गई है और जो कुछ प्रगति हुई है उसको देखते हुए हमें इस बात का संकेत मिलता है····

(१०.०१ म० पू०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

कि पैसा लगाने के बाद भी यह प्रगति धीमी हुई है। मैं इस प्रगति रिपोर्ट के पेज १२ की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य ने प्रथम द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजना कालों में लघु सिंचाई कार्यों पर क्रमशः १०६.६२ व १६६.६६ तथा ३२७.८३ लाख रुपये व्यय किया है जिसके फलस्वरूप पूर्ण किये गये कार्यों से उक्त योजना कालों के अन्त तक क्रमशः ५६.०, १४६.० व १३०.० हजार एकड़ भूमि में सिचाई हुई। सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जब १०६.६२ खर्च किया गया था उस वक्त ५६.० प्रगति हुई और जब १६६.६६ रुपया खर्च किया गया १४६.० एकड़ में सिंचाई की गई और जब ३२७.८३ लाख रुपये खर्च किये गये १३०.० हजार एकड़ में कुल सिंचाई हुई। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यों-ज्यों आपका

Page No. 88

(श्री शंकरलाल)

खर्चा बढ़ता गया त्यों त्यों आपका सिंचाई का क्षेत्र में कमी हुई। इसलिये सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जितना खर्चा बढ़ा उसके अनुपात में जितने एकड़ में सिंचाई होनी चाहिये थी, उस क्षेत्र में यह कमी क्यों हुई ?

सभापति महोदय, मैं इस सिंचाई के बारे में खासकर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कृषि उत्पादन का यह मुख्य स्रोत है और जिस प्रकार हमारा लक्ष्य समाजवाद का है मैं समझता हूं कि कृषि उत्पादन में इन सिंचाई योजनाओं के जरिये हम अपने इस लक्ष्य में किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते है। इसलिये इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसलिये इस प्रगति में जो खामी है, उसको देखें। इसके अलावा जो भी हम को पानी इन सिंचाई योजनाओं के मार्फत उपलब्ध होता है उससे हमारे राजस्थान के छोटे और गरीब किसानों को कितना पानी मिलता है और उनको छोड़कर बड़े-बड़े आदमियों को पानी मिल जाता है और इन छोटे काश्तकारों को महरूम कर दिया जाता है। इसकी तरफ भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर कि पाली जिले में रायपुर का जो बांध बांधा गया था, तब कई माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की थी कि यह नहीं बांधा जाना चाहिये था लेकिन बांध बंधने के बाद भी हम इस बात की उम्मीद लेकर चलते थे कि उस इलाके के अन्दर छोटे और गरीब काश्तकारों को उनकी छोटी-छोटी जमीनों को पानी मिलेगा लेकिन सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि चाहे वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई हो, सिंचाई मंत्रीजी यहां उपस्थित नहीं हैं और उप मंत्री महोदय उपस्थित हैं, मैं उनसे ही यह निवेदन करूंगा कि यह बात पहले भी विधान सभा में उठाई जा चुकी है कि रायपुर बांध का पानी गरीब काश्तकारों को न मिल कर वहां के कुछ ३-४ बड़े व्यक्तियों को ही मिलता है और जो पहला वारबंदी है, दूसरा वारबंदी है उसके अन्दर जिस प्रकार का भेदभाव हुआ है और अभी अभी इसकी मुझे सूचना मिली है कि इसके अन्दर गरीब काश्तकारों को समय पर जो पानी देना चाहिये था वह पानी उन छोटे काश्तकारों को न देकर ३-४ व्यक्तियों को ही दिया गया है जिन्होंने कि इस बांध के आस-पास बड़ी-बड़ी जमीनें ले ली हैं। वे चाहे पूंजीपति हों, भूतपूर्व जागीरदार हों, उनको यह पानी दिया जाता है और हमारे द्वारा इसके लिये आवाज उठाई जाने के बावजूद भी कि पानी छोटे-छोटे गरीब काश्तकारों को मिलना चाहिये, पानी नहीं दिया गया है। इसके लिये मैंने मंत्री महोदय को कहा और मुख्य मंत्री महोदय को भी कहा और वहां के इंजीनियर्स को भी बताया फिर भी मैं समझ नहीं पाता कि इन छोटे आदमियों को पानी न मिल कर बड़े-बड़े आदमियों को पानी मिलता है और इन छोटे गरीब काश्तकारों को इस से महरूम रखा जाता है। यह भी सुनने में आया है कि वहां का जो ओवरसियर है पाली का, जिसने कि इन गरीबों को पानी से महरूम रखा है आज उसको प्रोमोशन दिया जा रहा है यह प्रोमोशन इस आधार पर दिया जा रहा

(श्री शंकरलाल)

है कि उसने अपनी योग्यता दिखाकर सभापति महोदय इन बड़े आदमियों को पानी दिया है। इससे हमें ठेस लगती है जब हम समाजवाद का नारा लगाते हैं और लाखों रुपया खर्च कर के भी इन गरीब काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है और बड़े-बड़े काश्तकारों को पानी मिल जाता है। इस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। यह मैंने उदाहरण दिया है लेकिन ऐसे ही किस्से इसी प्रकार की शिकायतें जंवाई बांध के बारे में सुनने को मिलती हैं। मैं समझता हूं और भी कई जगह इस प्रकार की शिकायतें होंगी। मैं इस पानी के वितरण के बारे में आपकी मार्फत माननीय सिंचाई मंत्रीजी से इस बात को कहना चाहूंगा कि पानी वितरण की व्यवस्था के लिये आप एक ठोस कार्यक्रम बनावें। यह ठीक है कि आपने जगह-जगह सिंचाई की योजनाओं से पानी वितरण के लिये कमेटियां बना रखी हैं, जिसके अन्दर सरपंच, प्रधान और-और लोग होते हैं। मैं समझता हूं, हमें इस बात का कटु अनुभव है कि इन कमेटियों के द्वारा पानी का वितरण उपयुक्त तरीके से नहीं होता है। वहां के जो प्रधान सरपंच होते हैं उनकी खुद की बड़ी-बड़ी जमीनें होती हैं और वे खुद पानी के वितरण के लिये इन्टरेस्टेड होते हैं और इस पानी के वितरण के अन्दर अपने स्वार्थवश होकर गलत रुख अपना लेते हैं....

श्री मदनसिंह दांता : अनाज तो ज्यादा पैदा होता है।

श्री शंकरलाल : छोटे-छोटे काश्तकार करेंगे त भी तो ज्यादा अनाज होगा, परन्तु आपको इससे ठेस क्यों पहुँचती है। प्रश्न यह है कि जिस आदमी के पास ५-६ बीघा ही जमीन है उसको बिलकुल पानी न मिले और जिसके पास ५००-४०० बीघा भूमि है उनको पूरा पानी दिया जाये। इसलिये मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि छोटे काश्तकारों को भी अनाज के उत्पादन करने का मौका मिलना चाहिये, उनको उनके जीवन-निर्वाह से महरूम नहीं रखा जाना चाहिये। यह हमें स्वीकार नहीं है। इसलिये इस वितरण के बारे में ठोस कार्य-क्रम होना चाहिये और गंभीरता से विचार करके डिस्ट्रिक्ट लेविल के ऊपर आप एक कमेटी बनावें, विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर कोई हल निकालें कि यह वितरण व्यवस्था किस तरह से सुचारुरूप से चले और लोगों को पानी मिलना चाहिये और इन छोटे काश्तकारों को भी पानी मिल सके। बहुत से छोटे काश्तकारों के टेल पर जहां पर पानी पहुँचता है, बीच में ही वह काट दिया जाता है और इस तरह उनको पानी नहीं मिल पाता है। यह एक बड़ी समस्या है जिसको भी सभापति महोदय आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय के सामने पुरजोर शब्दों में निवेदन करता रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सीलिंग के लिये घोषणा की कि ३० स्टैण्डर्ड एकड़ से अधिक किसी के पास भूमि नहीं रहेगी लेकिन उसके साथ-साथ तारीख मुकर्रर नहीं की। सिंचाई की मांगों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्धी कानून जल्दी लागू किया जाय, सीलिंग का कानून जल्दी लागू किया जाय और उसकी तारीख निश्चित की जाय। यह कानून इर्रिगेटेड लैण्ड पर जल्दी लगाइये। जहां इस प्रकार की कीमती जमीन है, लोग बड़ी संख्या में उसका हस्तान्तरण कर रहे हैं। बाद

Page No. 90

(श्री शंकरलाल)

में ऐसी जमीन नहीं मिलेगी जो भूमिहीन किसानों को दी जा सके। इर्रिगेटेड लैण्ड पर सीलिंग कानून लागू किया जाय। सर्वप्रथम इसको लिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता है, घोषणायें तो हो जाती हैं लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता तो आखिर इस प्रकार की घोषणाओं से क्या लाभ?

तीसरा मेरा निवेदन है कि जहां तक हमारे समाजवादी दृष्टिकोण का ताल्लुक है जहां तक इर्रिगेशन डिमाण्ड्स का ताल्लुक है इर्रिगेशन की जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, जो प्राइवेट पर्सन्स के कब्जे में हैं, बड़े-बड़े बांध हैं, तालाब हैं, जिनके द्वारा प्राइवेट पर्सन्स खुद की जमीन की सिंचाई करते हैं और दूसरों से आधा हिस्सा लौटा लेते हैं। जैसे मैंने बताया हमारे जैतारण नीमाज में सूतसागर बांध है, उसको जागीरदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जा रही है। वे बीस साल से आधा हिस्सा लाटा-का लेते हैं। आज भी आजादी के बाद भी दुर्भाग्य से यह स्थिति है। ऐसे तालाबों से जिनसे किसानों की जमीन की सिंचाई होती है, उन बांधों का पुनर्ग्रहण करके उन सब बांधों को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिये, अगर आप इर्रिगेशन के जरिये वास्तव में काश्तकारों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। इस तरह की बहुत-सी स्कीम्स हो सकती हैं। पाली तहसील की स्कीम्स हैं और-और जिलों में भी कई ऐसे तालाब हैं जो प्राइवेट पर्सन्स के कब्जे में हैं, जिनके द्वारा सिंचाई होती है। इस तरह से वे किसानों का शोषण करते हैं।

सभापति महोदय, अब मेरा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जो सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किये जाते हैं, नई योजनायें ली जाती हैं, निवेदन है कि सबसे पुरानी और टूटी हुई योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये। थोड़ी बहुत टूट जाने से कई जगह ऐसा है कि सारा काम ठप्प हो गया है। आप उन योजनाओं को ठीक कर सकते हैं। आप उनको पहले क्यों नहीं लेते हैं? सभापति महोदय, पाली जिले में खारची तहसील में जोगड़ावास बांध है, जो काफी अरसे से टूटा पड़ा है। बहुत मुश्किल से इसकी दुरुस्ती के लिये हमने मन्जूरी कराई उस पर विभाग वाले कहते हैं कि यह तो बहुत थोड़ा पैसा है इससे हम क्या करेंगे? नये बांध जिनके बारे में कई माननीय सदस्य बनवाने की मांग करते हैं लेकिन मेरा उनसे भी निवेदन है कि वे इस बात पर जोर दें कि जो पुराने बांध टूटे हुए हैं, जिन पर थोड़ा पैसा लगने से जो उपयोगी हो सकते हैं, जिन पर लाखों रुपया जनता का व्यय हुआ है, उनको पहले हाथ में लेना चाहिये, इसके लिये माननीय सदस्यों को जोर डालना चाहिये।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं रायपुर तहसील के बहुतसे बांध टूटे हुए हैं। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में समेल-वाहीपुरा बांध टूटा हुआ है, अनेक सिंचाई के तालाब हैं, जिनकी मरम्मत किया जाना आवश्यक है। बोरावड की सिंचाई तालाब की रपटें हैं। मैं सोचता हूं आप लोगों को सिंचाई योजना के अन्तर्गत इन टूटे हुए तालाबों को हाथ में लेना चाहिये। बड़े-बड़े बांधों के निर्माण के बारे में भी कई सदस्य आपत्ति उठाते हैं। यह एक तरह से बाधा बनते जा रहे हैं उन गांवों के लिये

(श्री शंकरलाल)

जो इन बांधों के नीचे आते हैं। वहां के कुओं का पानी सूख जाता है और इस तरह से पीने के पानी का भी अभाव हो जाता है। ऐसी छोटी-छोटी रपटें जो पांच-दस हजार से ठीक हो सकती हैं उनको ठीक करवाया जाना चाहिये। २५ ऐसी रपटें केवल रायपुर तहसील में हैं। इन सबकी लिस्ट मेरे पास है। मैं उनको बता कर सदन का समय लेना नहीं चाहता। वह मैं माननीय मन्त्री महोदय को पेश कर दूंगा। इन पर थोड़ा रुपया खर्च करके ही आप सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गिरी बांध है जिससे सिंचाई हो रही है। उसकी जो नहरें हैं, उनको पक्की बन्धवाने का काम आप फेमीन के दौरान करें। नहरें नीची आयी हुई हैं उनको नहर को लेवल पर ऊपर लाया जाय तो उससे दूर-दूर तक सिंचाई हो सकती है। नहरों को अप-ग्रेड करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में वृद्धि की जा सकती है।

इसी तरह से साई का डेम पर काम चल रहा है वह बड़ी धीमी गति से चल रहा है। उसकी प्रगति रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि इससे १८ हजार एकड़ की सिंचाई होगी और इस पर ९ लाख रुपया व्यय होगा, लेकिन इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जितने बड़े-बड़े बांधों से सिंचाई की जो सुविधा दी जा रही है, जिसके बारे में आपका कहना है कि बड़े-बड़े जागीरदारों को इससे सिंचाई का पानी मिलता है, क्या उनमें श्री नाथूरामजी मिर्धा भी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ?

श्री शंकरलाल : मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं। नाथूरामजी उसमें हों या न हों, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि बड़े-बड़े आदमियों को पानी मिल जाता है। उसमें बड़े-बड़े जागीरदार हैं, जो स्वतन्त्र पार्टी में हैं।

श्री विजयसिंह : जागीरदारी प्रथा को समाप्त हुए बीस साल हो गये। आप उसके बाद भी जागीरदार को मानते हैं, तो आप मुझे मकराना का पट्टा दिलवा दीजिये....

श्री शंकरलाल : यह तो मेरे हाथ की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नाथूरामजी मिर्धा भी खुद एक भूतपूर्व जागीरदार हैं।

श्री विजयसिंह : मुगलों को यहां से गये ४०० से अधिक वर्ष हो गये, आपको अभी तक मुगलों का डर है क्या ? उसी तरह से ये जागीरदार भी चले गये। अब उनका नाम ले ले कर झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो।

श्री शंकरलाल : आपकी इच्छा है क्या वापिस जागीरदार बनने को, जो आप पट्टे की मांग करते हैं ?

श्री विजयसिंह : मेरी तो इच्छा है नहीं है का प्रश्न ही नहीं है। मैंने तो राजी-खुशी हस्ताक्षर किये हैं।

श्री शंकरलाल : फेमीन रिलीफ वर्क्स के अन्तर्गत काम लिया है। १९६९ के वित्तीय वर्ष और फरवरी, १९७० में इस प्रकार व्यय हुआ है। १०३८ लाख रुपये

(श्री शंकरलाल)
१९६९ में खर्च किये गये और १४,६०६ रु० १९७० के वर्ष में व्यय किये गये।

इस तरह से जब फेमीन का टाइम निकल जाता है उस समय अधूरे कामों को पूरा करने में दिक्कत आती हैं। वे काम अधूरे ही रह जाते हैं। जोरों से वर्षा आ जाय तो सब बह कर चला जाता है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधूरे काम हों, उनको पूरा कर दिया जाना चाहिये। वर्ना जो पैसा लगाया गया है वह बेकार जायगा। यह तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे कामों को क्यों लिया जाता है, जो पूरे नहीं हो सकते।

सभापति महोदय, अब अधिक निवेदन नहीं करते हुए राजस्थान कैनाल के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इसकी जो प्रगति बतायी गई है, उससे निश्चित रूप से जैसलमेर के लोगों को फायदा होगा। आज हालत यह है कि वहां के मजदूरों को वहां नहीं आने दिया जाता है। राजस्थान कैनाल की जो योजना है, उसको पूरा करने में राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को अपना पुनीत कर्त्तव्य मानकर पूरा सहयोग देना चाहिये। चाहे उसके लिये कितने ही दुःख सहन करने पड़ें, उसको पूरा करने में ज्यादा से ज्यादा ताकत लगानी चाहिये। वहां पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ानी चाहिये, उसके लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक से अधिक धनराशि की मांग करनी चाहिये और इसका काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिये।

इसके अलावा फ्लड्स के अन्तर्गत भी बहुतसी चीजें आ जाती हैं। इसका प्रकोप पाली जिले पर भी काफी रहता है। बाढ़ जाने के बाद उस ओर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है मेरे खुद के गांव की बात है, खोड गांव है, जहां गत बाढ़ में काफी घर बहकर चले गये थे। उस बाढ़ को रोकने के लिये प्रोटेक्शन मांगा गया, वह काम अधूरा है। फिर कभी इस प्रकार की यदि वर्षा हुई तो सब बह कर के चले जायेंगे। बाढ़ की रोकथाम के लिये जो काम किये जायें वे पूरे किये जायें और सिंचाई के लिये जो कार्य उपयोगी हों, जिनसे उत्पादन वृद्धि होती है, जिससे समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त होता है उस ओर हमें शीघ्रता से कदम उठाने चाहिये।

श्री रामकिशन (बैर) : सभापति महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में (एक माननीय सदस्य द्वारा व्यवधान करने पर)

सभापति महोदय, मैंने कल भी कहा था, आज भी दोहरा दूं। इनकी उम्र कम है तो इनको निकाल दिया जाय और समझ में नहीं आये तो बगल में मेरा कमरा है वहां आ जाय सारी बात समझा दूंगा।

(पुनः व्यवधान करने पर)

सभापति महोदय, ये चुप नहीं रह सकते हैं। समय कांग्रेस पार्टी का जायगा, मेरा क्या जायगा?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह तो आपके सम्बन्ध हैं।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था सिंचाई के सम्बन्ध में राजस्थान में विस्तार से विचार करने के लिये। आज जिस तरह सीमित समय है वह काफी नहीं है। इसलिये विस्तार से

(श्री रामकिशन)

जाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। एक चीज साफ है माननीय जुझारसिंहजी ने कहा, सिंचाई में राजनीति नहीं आनी चाहिये और राजस्थान सरकार की जो किताबें हैं और जो आंकड़े हैं, वे साबित करते हैं पानी की उपलब्ध बड़ी योजनाओं को चलाना चाहिये। यह बात साफ हो जानी चाहिये। मैं इसे मानता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ पहाड़ी इलाका है, लेकिन दूसरे जिलों के विकास में कम खर्च किया गया तो दो नतीजे होंगे। एक तरफ राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका है, जहां से राजस्व प्राप्त होता है, वह घाटे में चला जायगा और जहां विकास की ज्यादा सम्भावना है, वह रुक जायगी। पानी की सम्भावना जहां ज्यादा है, वहां राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया है तो मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार गंभीरता से विचार करे। मैं मानता हूं, हमारे मन्त्रियों को राज्य करने का बड़ा लोभ है और यह लोभ मनुष्य के मन में स्वाभाविक भी है, लेकिन इसकी सीमा होनी चाहिये। कुछ मन्त्री तो राज्य केवल इसलिये कर रहे हैं कि आने वाली सन्तानें उन्हें याद रखें कि हमारे पड़दादे भीखाभाई ने राजस्थान में राज्य किया था....

श्री भीखाभाई (स्वा० शा० मन्त्री) : मेरे लिये यह बात नहीं है।

श्री रामकिशन : अगर आप राज्य इसलिये करना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, समाजवादी राज्य की स्थापना, लोकतन्त्र की स्थापना और उत्पादन बढ़ाने के जितने साधन हैं उनको जल्दी से जल्दी बढ़ाने की योजना रही, तब तो ठीक है। जिलों की दृष्टि से, निर्वाचन क्षेत्र की दृष्टि से या रायपुर में दो-चार टूटे-फूटे बांधों की दृष्टि से नहीं देखना है।

आज हमारे सामने दो मुख्य समस्यायें हैं, एक तो हमारी बड़ी योजनायें जिनके पूरे होने से बिजली की उपलब्धि और सिंचित क्षेत्र बढ़ता है और दूसरी है छोटी योजनायें-कोई भी राष्ट्र उन्नति करता है तो यह देखता है कि उनका नतीजा जल्दी निकले, तात्कालिक राष्ट्र पर असर हो। आज सारे दुनिया के राष्ट्र इसी से उन्नति कर पाये हैं, लेकिन यहां तो राजस्थान का सिंचाई विभाग और केन्द्रीय सरकार का योजना आयोग इस प्रकार चल रहा है, बड़ी योजना को प्राथमिकता दी है, छोटी योजनाओं को नहीं दी है। पिछले २० वर्षों में तत्काल फायदा होने वाली योजनाओं को ले लेते, तो जो राजस्थान आर्थिक संकट में पड़ा हुआ है, तनख्वाहों के लिये कर्मचारियों को देने के लिये पैसे नहीं हैं, उनकी छंटनी करनी पड़ती है। अभी-अभी जैसा माननीय जुझारसिंहजी ने कहा, छोटी सिंचाई योजनाओं पर बहुत कम पैसा खर्च किया गया है। हम आंकड़ों को पेश करें तो आज तक योजना व्यय में-गैर योजना की बात नहीं कर रहा हूं, हम करीब-करीब ५ अरब राजस्थान में खर्च कर चुके हैं। उनमें से छोटी योजनाओं पर, जिनसे तत्काल फायदा ले सकते हैं, केवल १७ करोड़ रुपया खर्च किया है। हम सबसे पहले उन योजनाओं को लेते जो तत्काल फायदा दे सकती हैं, तो राजस्थान की प्रगति काफी हुई होती, लेकिन यहां तो रूस और अमेरिका की नकल

(श्री रामकिशन)

की है, जिनकी प्रति व्यक्ति आमदनी ज्यादा है, प्रति व्यक्ति जमीन ज्यादा है, इसलिए उनकी सम्भावनायें हमारी जैसी नहीं हैं। ये बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और राज्य सरकार के बड़े-बड़े एक्सपर्ट उनकी नकल करते हैं। अपनी तरफ से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम लेने की आदत नहीं रही है। मैं राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा और मैं समझता हूं उनका ज्ञान भी है, रुचि भी है। आगामी बजट में छोटी योजनाओं की जहां सम्भावना हो चाहे वहां से आपका एम. एल. ए. चुनकर नहीं आता है, उनको स्थान दे सकेंगे तो राजस्थान का विकास बहुत जल्दी कर सकते हैं। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार का हर विभाग लम्बे-चौड़े आंकड़े देता है और रियासतों से मुकाबला करते हैं और कहेंगे रियासतों के समय में इतना इरिगेशन होता था और अब इतना हो गया है। मैं कहता हूं, जब रियासतें खत्म हुई थीं, तब उनके पास साधन क्या था? ६ करोड़ का पहले इरिगेशन होता था तो अब १४ करोड़ का इरिगेशन हो गया है। आप उन छोटी रियासतों से, जिनके पास साधन सीमित थे, क्या मुकाबला करते हैं? अगर आपको मुकाबला करना है तो पाकिस्तान से, इन्डोनेशिया से, इजरायल से, बर्मा से करें जो आपकी तरह छोटे अविकसित राज्य थे और आज काफी आगे बढ़ गये हैं। आप इस तरह से मुकाबला न करिये कि डूंगरपुर में तीन तालाब थे और अब १३ तालाब कर दिये हैं। आप रियासतों के समय के राजस्व को देखें कितना कम था। आज हमारा भारत दुनियां भर से कर्जा ले चुका है और जो साधनहीन हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। आज आपने राजस्थान की क्या समस्या सुलझा ली? तीन करोड़ बत्तीस लाख एकड़ में सिंचाई होती थी। सिंचित क्षेत्र ४०–५० लाख के करीब आता है। आपने कौनसी तरक्की की है? बगल के एक देश इजरायल को देखिये। जोर्डन नदी से ४०० फीट पानी को नीचे करके इजरायल को दिये जा रहा है। हमारे दिमाग साफ हैं, हमारा मन स्पष्ट है तो उन देशों से प्रेरणा लें कोई प्रगति आयेगी तो उन देशों को देखने से ही आयेगी। कोई भूतपूर्व नरेशों से तुलना करने में प्रगति आ सकती है क्या? यहां तो भीखाभाई कह देंगे, भाई हमें वोट दें हम यह करेंगे, वह करेंगे। वोटरों से भीख मांगना सीखा है।

सभापति महोदय, जहां तक योजनाओं का अर्थ है विस्तार में नहीं जाने की स्थिति में हूं। इसलिये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मुख्य रूप से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से और दोनों मंत्रियों से, कुछ का तो मुझे पता नहीं कौन-कौन से विभागों के कौन-कौन मिनिस्टर हैं। यहां तो भेड़ पालक की तरह मंत्री लोग पल रहे हैं, जिनको अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। दुनियां के देशों का विकास छोटी-छोटी योजनाओं के द्वारा ही अधिक हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राजस्थान नहर, चम्बल का और राणा प्रताप सागर का महत्व कम आंक रहा हूं। हमारा मतलब जो तरीके हो सकते हैं जिनमें इन्वेस्ट करते ही हाथोंहाथ नतीजा निकल सकता है और मेरा मानना यह है कि जब तक छोटी योजनाओं को महत्व नहीं देंगे तब तक आपका सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ेगा।

अब आज कल गंगानगर का आन्दोलन केवल पानी के कारण चला है। वहां के

(श्री रामकिशन)

काश्तकार खेती करना चाहते हैं, लेकिन पानी के लिये आन्दोलन करें और १४ आदमी गोली खाकर मर जायं, इससे अधिक लज्जा की बात नहीं हो सकती है। सरकार का पहला कर्त्तव्य है कि वह पहले पानी दे। गंग कैनाल की स्थिति है जितने इलाके के लिए गंग कैनाल बनाई थी वह करीब साढ़े पांच लाख के लिये थी और कमान्ड एरिया ८ लाख और २६ लाख क्यूसेक पानी में केवल १३-१४ क्यूसेक पानी से ज्यादा नहीं लिया जाता है। पाकिस्तान को मिलने वाला पानी है उसमें हमारा एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। सम्पूर्ण पानी को लेने की तो आपकी क्षमता नहीं है। पंजाब, हरियाणा उसका मेजर पोर्शन ले लेंगे और फिर उनका क्लेम हो जायगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि पंजाब और हरियाणा में फरक है। वे भी हमारे भारत के अंग हैं, लेकिन राजस्थान की स्थिति अलग है। जब पानी एक बार चला जायेगा तो क्या आप पानी को दुबारा ले सकते हैं ? आज हमारी स्थिति यह है कि पाकिस्तान से पानी मिलने वाला है, उसको पूरी ताकत के साथ लें। और सूरतगढ़ से डालना है जैसलमेर की तरफ। इसमें खर्चा भी कम होता और सिंचित क्षेत्र भी बढ़ जाता। पर आपके इन्जीनियरों ने पानी लेने से इन्कार कर दिया। सारा गंगानगर का इलाका सूखा हो गया और आज वे आन्दोलन कर रहे हैं। आखिर आप लोग वहां पानी लावेंगे कहां से ? पानी के तीन स्थान हैं, तीन साधन हैं। नदी, बरसात और जमीन के भीतर का पानी दुनियां के बहुत से प्रगतिशील देश हैं। उन्होंने जमीन के नीचे के पानी पर भी ध्यान दिया है। आसमानी पानी की गारन्टी नहीं। इसलिये भी नहीं कि पुरानी कथाओं में कहा जाता था कि अच्छा नीतिज्ञ राजा होगा तो बरसात ज्यादा होगी। पर लड्ढा साहब आप स्वयं भी जानते हैं कि आपसे खराब राज्य दुनियां में कहीं नहीं है। धर्म के आधार पर जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं। बरसात के पानी पर हम निर्भर नहीं हो सकते। नदियों के पानी की उपलब्धि की तरफ हम पूरा ध्यान नहीं दे पाये। राजस्थान के अन्दर जमीन के अन्दर के पानी का सर्वेक्षण कराया है आपने, तो क्या आपने सारे राजस्थान को ध्यान में रख कर कोई मास्टर प्लान बनाया है कि कहां किस तरह से क्या किया जावेगा। आपने देखा होगा केनिया का डेलीगेशन आया था। उन्होंने घोषणा की है कि सात वर्ष में हर खेत पर पानी दे दिया जावेगा। क्या लड्ढा साहब उनकी तरह आप कह सकते हैं कि हर खेत में राजस्थान में सत्तर साल में भी आप पानी दे देंगे ? आपकी तैयारी नहीं है, आपकी कोई योजना नहीं है। केवल लम्पसम में एक साल जाते हैं और कोई सी एक छोटी सी योजना प्लानिंग कमीशन से ले आते हैं। भरतपुर का दबाव पड़ा। भरतपुर का दबाव पड़ा तो उधर कुछ कर दिया, जोधपुर का पड़ा तो वहां भाग पड़े और उदयपुर-डूंगरपुर का दबाव आया तो उधर बह गये। इन्जीनियर और मिनिस्टर सभी उधर दौड़ पड़े। इससे राजस्थान का भला नहीं हो सकता। इसके लिये आपकी एक मास्टर प्लान होनी चाहिये। जिससे राज्य सरकार के विभाग को पूरी जानकारी रहे, सारे राजस्थान के लोगों को, काम करने वालों को, जनता को पूरी-पूरी जानकारी हो सके कि हमारे इतने साधन हैं और इतने दिनों में इस-इस जगह

(श्री रामकिशन)
इन साधनों का उपयोग किया जावेगा और इतने दिनों में इतने वर्षों में यह सारी मास्टर प्लान पूरी कर ली जावेगी।

पहले तो आप यह बतावें कि मास्टर प्लान सिंचाई की कितने सालों के लिये बनाना चाहते हैं। हमें इन आंकड़ों की जरूरत नहीं कि राजाओं के जमाने में ऐसा था ऐसा नहीं था। वह गये गुजरे जमाने की बात हो गई। फिर आपकी किताब हमारे पास आ गई है, उसमें से हम पढ़ते रहेंगे। पर हम तो यह जानना चाहते हैं कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं राजस्थान का? आप जाते हैं प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में। ६ बजे होनी होती है तो आप सात बजे पहुँचते हैं और घंटा आधा घंटा बैठे, कुछ सुना और ८ बजे लौट आते हैं। प्लानिंग कमीशन में भी आप क्षेत्रीय दृष्टि से सोचते हैं। इन्दिराजी ने तामिलनाडू की मदद की है आपसे ज्यादा की है। वोट के लिये की है। होम मिनिस्टर कमजोर पड़ रहे हैं। प्लानिंग कमीशन वहां गया, उसने जांच की और तामिलनाडू के लिए भरपूर पैसा दिया, उसी तरह प्लानिंग कमीशन को आप बुला सकते हैं राजस्थान में जांच करने के लिए और क्या उससे अपनी जरूरत जितना पैसा तामिलनाडू की तरह उपलब्ध कर सकते हैं? तामिलनाडू विरोधी पक्ष में है, फिर भी आपसे अधिक पैसा ले जाते हैं। ऊपर से धमकाते भी हैं। इसलिये प्रधान मन्त्री उनसे दबती है। पर आप खुशामदिये हैं। दस दिन पहले आप मुरारजी के साथ थे और रंग बदला। पॉवर में जहां गिरी साहब आये, जहां उनकी जीत हुई कि आप गिरी के पास चले गये। जहां-जहां गद्दी रहेगी वहां-वहां आप चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिये आपकी भी कदर नहीं है। वे आपको समझ गये हैं कि आप तो ताकत के साथ हैं। जहां ये हैं, उनके साथ रह गये, दूसरा आवेगा तो उसके साथ चले जावेंगे, इसलिये प्रधानमन्त्री समझती है कि आप तो उनके खुशामदिये हैं, उनकी रहम पर रहेंगे। आप क्या उनको दबा सकते हैं, और दबा नहीं सकते तो प्लानिंग कमीशन से आप क्या पैसा ला सकते हैं? न पानी के लिये पैसा ला सकते हैं न बिजली के लिये।

राजस्थान नहर पूरी नहीं हो पाई। पांच करोड़ एक साल मिल गया, दूसरी योजना में तीन करोड़ दे दिये, किसी साल चार करोड़ दे दिये, जिसमें से तीन-साढ़े तीन करोड़ तो आपके स्टाफ के खर्चे पर चला जाता है। कहां तक आप इस तरह से नहर बना सकेंगे? हजार-दो हजार साल तक की इतिहास में आप अपना जिक्र कराना चाहते हैं, तो इस गति से चलें। अन्यथा प्लानिंग कमीशन पर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि ये बड़ी-बड़ी योजनाएं जिला प्रान्त या राज की योजनाएं नहीं हैं, राष्ट्र की हैं। दूसरे राज्यों ने भी इस तरह की योजनाएं राष्ट्र के नाम पर सेन्टर को ट्रान्सफर की हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की नहर के मामले में हम इस तरह से चलेंगे, तब तो वित्तीय साधनों का जो दबाव हम पर पड़ रहा है, उससे भी चलेंगे और उसको विकास के दूसरे कार्यों की तरफ लगा सकेंगे, नहीं तो हमारा बहुत पैसा इधर डाइवर्ट होता रहेगा और छोटे-मोटे दूसरे काम सारे पड़े रह जावेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री रामकिशन)

अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। आप कहें तो फिर बैठ जाऊं। क्या करूं सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें थोड़ा समय तो लगेगा।

श्री सभापति : फिर भी जितना जल्दी हो सके, पर समय के बटवारे के वक्त आपने विरोध नहीं किया। आपके लिये दस मिनिट का समय है इस पर आपने कहा था कि पूरा समय दे दिया जावे। इसके अनुसार दस मिनिट ही देना है मुझे।

श्री रामानन्द : समय बढ़ाइये सभापति महोदय!

श्री रामकिशन : सारे तथ्यों को छोड़ देता हूं। एक बात कहना चाहूंगा। अपने जिले के बारे में। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी क्या है, गांव क्या हैं इसका भी जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा। समस्या है भरतपुर जिले की बाढ़ की। पिछले वर्ष आपने पैसा दिया। मैं मानता हूं, सिंचाई विभाग ने काफी उत्सुकता दिखाई और काम हुआ। पर वहां की समस्या क्या है, इसको सही असलियत नहीं समझ सके। पर फिर भी आप मान बैठे हैं कि वहां की बाढ़ की समस्या हल हो गई। पर वैसा है नहीं करीब-करीब। इसमें फर्क नहीं पड़ा है इससे। पैसा जल्दी में आया। योजना और एस्टीमेट पूरे बने नहीं और यह जल्दी रही कि पैसा आया है जल्दी से फुर्ती से इसे खर्च कर दो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे बाढ़ नहीं रुकेगी। गम्भीरी नदी में आती है बाढ़ और बाणगंगा सूखी रह जाती है। तो मेरा सुझाव है आपको कि इसका एक हल है, बाणगंगा और गम्भीरी को एक जगह कर देने की कोशिश करें। ये दोनों पहले एक थीं भी। कड़के के पास मिलती थीं। पर बाणगंगा में पानी कम हो गया इसलिये उसका बन्ध सूखा रह जाता है इसलिये इन दोनों के मिला देने की बात मैं कह रहा हूं। इससे गम्भीरी की बाढ़ पर नियन्त्रण भी हो जायेगा और बाणगंगा के आस पास का सिंचित एरिया भी बढ़ेगा।

श्री बी० एन० जोशीजी जोर लगा रहे हैं कि बाणगंगा पर बान्दीकुई के पास बान्ध बना दो। पर जिसमें पहले ही पानी नहीं है उसको वहां बांध देने से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे भरतपुर के सारे सिस्टम को जो बाणगंगा पर निर्भर कर रहा है, उस पर आपने उस जगह बान्ध बनवा दिया तो वह सिस्टम सारा डिस्टर्ब होगा और भरतपुर का उससे लगने वाला सारा इलाका पूरा ही सूखा रह जावेगा।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आन ए पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सर। बाणगंगा पर तथा कथित बान्ध बनवाने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। आपका गलत खयाल है।

श्री रामकिशन : धन्यवाद है। इससे बढ़िया तो आदमी हो ही नहीं सकता। आपसे बढ़िया तो। तो बाणगंगा में पहले ही पानी नहीं है, मेरा यह कहना है इसलिये उसको ऊपर-नीचे कहीं बान्धें नहीं और इन दोनों को एक कर दें।

दूसरा निवेदन और है। बान्ध-बारेठा से पानी ला रहे हैं भरतपुर नगर को। भरतपुर राज ने इस दृष्टि से काफी काम किया है। हर गांव में कहीं न कहीं कोई न कोई बान्ध है। आप इसका अनुसरण करें।

Page No. 98

(श्री रामकिशन)

बन्ध-बारैठा को आप ठीक करें। पर एक हमारे पास ३०/३५ गांवों का स्थायी बान्ध है बारैठा का, जिसके आधार पर यह ३०-३५ गांवों का क्षेत्र हरा-भरा है। आप इससे भरतपुर को पानी देना चाह रहे हैं, आज तो ठीक है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जिस-जिस तरह से आज शहरीकरण हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है उस गति से बीस-पच्चीस साल बाद भरतपुर को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता हो जावेगी और उस स्थिति में बान्ध-बारैठा का सारा पानी भरतपुर चला जावेगा और वे ३०-३५ गांव जो आज उस पर आश्रित हैं उजड़ जावेंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि उस स्थिति का अन्दाज लगा कर आप आज ही उस बान्ध को कुछ ऊंचा कर दें और जोगिया नाले को उसमें डालें तो इस स्थिति से बचा जा सकेगा। लाइन डालने के लिये पाइप का प्रोवीजन कर दिया गया है, पर बान्ध-बारैठा के लिये प्रोवीजन नहीं है।

कुछ बान्ध और हैं जो भरतपुर की उस बाढ़ में टूट गये थे आज भी वे टूटे पड़े हैं। आप कहेंगे पंचायत समितियों के ये बान्ध हैं। राजस्थान सरकार ने पंचायत समितियों के लिये १५ लाख का प्रावधान किया है और मेरी जानकारी में तीन-चार जगह और हैं वहां के सारे बान्ध टूटे पड़े हैं। भरतपुर जिला परिषद् ने १॥ साल पहले प्रस्ताव किया था कि पंचायत समिति से ये बान्ध सरकार ले ले और स्वयं उनको ठीक करावे या फिर सरकार उपयुक्त फण्ड इनको ठीक करने के लिये पंचायत समिति को दे। नहीं दे सकते हैं तो आप मेहरबानी करके खुद इनको अपने हाथ में ले लें। यह ऐसा प्रश्न है कि जिसका तुरन्त हल होना आवश्यक है, नहीं तो उसके पेटे में पड़ने वाले आस-पास के हजारों कुए सूखते जा रहे हैं। इनमें पानी कम होता जा रहा है और इसका असर खेती पर पड़ना अनिवार्य है।

इसी तरह बाढ़ नियन्त्रण के लिये योजना बनाई गई। सिंचाई के लिये गुडगांवा का बान्ध बनाया। पर वह अभी वैसे हो पड़ा है। भीलवाड़ा का हो रहा है, उदयपुर के हो रहे हैं। ठीक है। मैं इससे नाराज नहीं पर आप दूसरी जगह भी ध्यान दें। यह सौतेला बरताव न करें। यह कहना है। तीसरी योजना में प्रावधान किया था हमारे यहां कि गुडगांवा बान्ध की योजना जो ३ करोड़ की है संयुक्त योजना है। वह आप कब तक पूरी करना चाहते हैं ?

इसी तरह गोरधन ड्रेन की बात है। गांव की बगल में नहर खोदी जा रही है। उसमें कुम्हेर के गांव डूब गये। अब दूसरी नहर खुदनी शुरू हो गई। दूसरी एक नहर और है, इसे भी आप चिकसाना तक ले जावें इसकी फीडर को।

तो इन सब बातों पर अमल किया गया तो भरतपुर जिले की समस्या सुधर जावेगी और सरकार को भी अधिक रेवेन्यू मिलेगी।

इसी तरह रूपारेल को भी रोका जा रहा है। अलवर, भरतपुर, जयपुर का यह इलाका यह हिस्सा सरकार को राजस्व में टेक्सेशन में आबकारी के टेक्सेशन में काफी पैसा देता है। अगर इस हिस्से की माली हालत गिरती है तो केवल राजस्थान के रेगिस्तान के भरोसे रहकर सरकार नहीं चल पावेगी, क्योंकि रेगिस्तान को भी रोक कर उसको सरसब्ज बना देने की काबलियत भी आप में नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री रामकिशन)

अभी सिंचाई कार्यक्रम के सारे आंकड़े मैंने छोड़ दिये हैं। तो इन दो-तीन दृष्टियों से आप विचार करें इस पर। एक मास्टर प्लान बनावें।

समाज कल्याण विभाग के बारे में चर्चा करनी है। खास तौर पर आजकल समाजवादी लोकतन्त्र की बातें हो रही हैं तो पिछड़ी जातियों का जिक्र जरूर होता है। राजस्थान में कितने लोग पिछड़ी जाति के हैं, उनके कल्याण के लिये सरकार ने क्या किया है ?

आपने बड़ा प्रचार किया कि तीन-चार हजार छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सरकार ने नीति बनाई है, २० होस्टल उनके और खोलने वाली है सरकार। यह समस्या होस्टल खोलने से, छात्रवृत्तियां दे देने से नहीं सुधरेगी। समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत है, समाज का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। आज उनकी जो आर्थिक हालत है उसको उन्नत करने में सहयोग दीजिये, यह प्रश्न है। जातियों के संस्कार वाला प्रश्न है। सरकार इन पुराने संस्कारों को तोड़ने के लिये क्या कार्यक्रम बनाना चाहती है। क्या कार्यक्रम बनाया है। आप तो होस्टल भी बनावेंगे तो हरिजनों के लिये अलग बनावेंगे। सवर्णों का अलग बनावेंगे। मैं कहता हूं जिनको आपको छात्रवृत्तियां देनी हैं, उनको सवर्णों के होस्टल में सवर्णों के लड़कों के बीच में रखो, इससे उन दोनों में मेलजोल बढ़ेगा, उनके रूप-रंग, स्वरूप, ज्ञान आदि का मिश्रण होगा। एक-दूसरे के नजदीक आवेंगे। आप तो आज यह कर रहे हैं कि उनकी फिर वही अलग-अलग बस्ती बसा रहे हैं। उनको अलग ही रखना चाह रहे हैं। तो आपको यह सारा काम विवेक से करना होगा। आप उनको शामिल रखो, जिससे उनकी मान्यताएं और आचार-विचारों में आदान-प्रदान होता रहे और धीरे-धीरे आगे चल कर एक हो जावें। जोर से कहा जाता है कि हमने इन जातियों के लिये यह किया, वह किया। माथुर साहब भी अभी सुना रहे थे कि कोई काम बाकी नहीं छोड़ा, जिसको उनके लिये नहीं करें। मैं पूछता हूं, आपने क्या किया ? राजस्थान में इनकी आबादी सत्तर लाख के आसपास है। लेकिन चूंकि आप का सेन्सस नहीं है, ६० के आस-पास ही मानें। तीन योजनाओं में मिलाकर और लोगों के अलावा जो इनके लिये खर्च किया है, वह यह किया है कि पहली योजना में १ करोड़ १ लाख ३५ हजार रुपया व्यय किया, दूसरी योजना में १८,०४१ व्यय किया और तीसरी योजना में १७,४६५ व्यय किया है। इस तरह आज दिन तक इन सब जातियों के लिये ८४ लाख ७२ हजार आपने व्यय किया है। पिछले २२ वर्षों में ७० लाख लोगों के लिये आपने ५ करोड़ ४११ लाख १३ हजार रुपया व्यय किया है। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में पिछड़ी जाति के कल्याण के लिये पिछले बीस वर्षों में एक व्यक्ति के पीछे एक साल में ४५ नये पैसे खर्च किये हैं। इन ४५ पैसों के तो जनसंघ के सदस्य पान ही खा जाते होंगे एक दिन में। यही तो खर्चा किया है न आपने इनके लिये ?

श्री नत्थीसिंह : एक रुपया जुरमाना देने को तैयार है कोई इनका पान खाना बन्द करवा दे।

श्री रामकिशन : तो यह आपने खर्च किया है। इससे उनकी उन्नति आप कैसे कर देंगे ? इनके जातीय संगठन अलग, भेद-भाव अलग। आर्थिक दृष्टि से इस ४५ पैसे में भ्रष्टाचार और प्रशासन का खर्चा भी आ जाता है। असल कितना खर्च किया यह और अलग है। फिर भी मान लें तो इस से कल्याण इनका नहीं होने वाला है। तो राजस्थान सरकार उनकी समस्याएं हल कर पावेगी, इसमें मुझे शंका है। यह तो जाति-बिरादरी तोड़ने का प्रश्न है। हम ये जाति-बिरादरी हमेशा के लिये अलग रखना नहीं चाहते। ये जाति-बिरादरियां टूटें, इसकी कोई योजना बनाई है आपने। सुझाव दिये थे अन्तर्जातीय विवाह हरिजनों और दूसरों में चलें। प्रोमोशन में सरकारी नौकरियों में आप ऐसे लोगों को तरजीह दें जो अन्तर्जातीय विवाह करने के लिये आगे आवें, जातिपांत को तोड़ने का साहस करें। जब तक देश में से ये जातिपांति की भेद-भाव मूलक बातें नहीं दूर होंगी तब तक न आप चीन का मुकाबला कर सकेंगे, न पाकिस्तान का।

कुछ हरिजन बच्चों को जो पालेगा-पोसेगा उसको किसी प्रकार का वजीफा आप देंगे, आप यह घोषणा करें। इससे बिरादरियां टूटेंगी। इससे कुछ नहीं होने का कि इनके लिये अलग से होस्टल खोल देंगे, यह दो-चार वार्डन रख देंगे। छात्रवृत्तियां उनको अलग से दे देंगे। इससे ये सब जातियां एक हो जावेंगी, इसमें मुझे शंका है।

आखिर मामला क्या है ? संस्कार में है जातियां हमारे। हिन्दुस्तान के ब्राह्मण भीख मांगना पसन्द करेंगे पर वे संस्कार से ही श्रम करके अपना पेट भरना हीन समझता है। वेद-पुराणों में इस तरह से समझाया गया है कि भीख मांगना ब्राह्मण का धर्म है। जोशीजी आप समझते हैं कि इस तरह से इन संस्कारों से इस देश में जात-बिरादरियां टूट जावेंगी ? मौलिक दृष्टिकोण की जरूरत है इसके लिये और इसका राजस्थान में और इस सरकार में नितान्त अभाव है।

तीसरा विभाग है टूरिज्म। राजस्थान में इसकी बड़ी सम्भावना है। पर इसे ठीक तरह से विकसित करने की जरूरत है। विदेशी यहां दो-तीन चीजें देखने आते हैं। आज तो अमेरिकन कुछ आ रहे थे मेरे वाली बस में। मैं प्राइवेट कार में आ रहा था। वे भी थे। मैंने उनसे पूछा राजस्थान में आप क्या देखना चाहेंगे ? जवाब दिया उन्होंने एक हाथी और दूसरा भूतपूर्व राजा। मैंने जवाब दिया ये काफी मिलते हैं यहां। अब इनको आप टूरिज्म का विकास करते वक्त कोई नुमाइश में ले जावें और वहां इनको दिखावें, ऐसा नहीं है। जहां-जहां रियासतें थीं वहां-वहां जो-जो दर्शनीय स्थान हैं, उनको विकसित करने की आपने कोशिश की ? टूरिज्म का बजट आपने रख रखा है ५ लाख ८० हजार, इसमें से ४ लाख २० हजार तो स्टॉफ में ही चला जाता है। बाकी तो आपके पास १२५ हजार रुपया विकास के लिये है। फिर इसमें उदयपुर आ गया। वहां वसन्त मेला लगेगा और फव्वारा लगेगा ये दो काम हैं और काम नहीं हैं।

लोग राजस्थान में प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहते हैं। जन-जातियों की पुरानी सभ्यता और संस्कृति को देखना चाहते हैं।

(श्री रामकिशन)
यहां के वन्य पशु और पशु-पक्षियों को देखना चाहेंगे। यहां के रहन-सहन, संस्कृति का अध्ययन करना चाहेंगे। इस सबकी व्यवस्था आपको करनी है, इनका विकास करना है। भरतपुर में चिड़ियों के लिये बर्ड सेंचुरी है, पर वहां पहुँचने के लिये सड़क नहीं है। बसेड़ी और डीग में इनकी सम्भावनाएं हैं। लिस्ट में आपने बताया भी है, पर वहां देखेंगे क्या। जिस टूरिज्म के माध्यम से आप विदेशी मुद्रा काफी अर्जित कर सकते थे, उसको अर्जित करने में आप पूरी तरह से अक्षम रहे हैं। आपके पास कोई योजना नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापतिजी, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं।

श्री सभापति : टूरिज्म की डिमाण्ड है क्या ?

श्री रामकिशन : है है इसमें। वह तो आप निश्चिन्त रहिये। है। सभापति महोदय, अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। मन्त्रीजी का तो पता ही नहीं।

श्री नत्थीसिंह : वे दूर पर गये हुए हैं।

श्री रामकिशन : मन्त्रीजी को पता ही नहीं है कि उनके पास क्या-क्या विभाग हैं। टाउन प्लानिंग भी उनके पास है। उनको तो एक ही पता है कि सुबह-सुबह सुखाड़ियाजी के पास गये और सलाम कर आये। और फिर मौज करना।

उनके पास स्टेटिस्टिक्स भी है। दूसरा भी है तो वे तो जानते ही नहीं, किसको सुनावें। फिर मन्त्रीजी को ज्ञान नहीं, विभागों का भी ज्ञान नहीं। यह तो सिंचाई मन्त्रीजी को यहां भेज दिया कि भीख मांगने वालों की चर्चा होगी इसलिये तुम जाओ।

आपको पता नहीं टाउन प्लानिंग भी है आपका विभाग। किस तरह शहरों का विकास हो रहा है।

श्री सभापति : नहीं भी हो तो आप तो बोल जाएं साथ ही।

श्री रामकिशन : अन्त में सुझाव है सिंचाई मन्त्रीजी को कि बातें तो आप अपने हिसाब से ही करेंगे। पर मैं भी कुछ बातों में इशारा कर देना चाहता हूं। भरतपुर में कुछ ऐसी जगह हैं जहां सर्वे आठ-आठ सालों में होता है। टेलीफोन भी करते हैं। पर असर नहीं होता। घर के लिये नहीं कर रहा हूं। राजस्थान के विकास में सभी का सहयोग लिया जाय इसलिये करते हैं। अगर राजस्थान की माली हालत गिर जावेगी तो आप इस सरकार को चला नहीं पावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव रखे हैं उन पर सरकार विचार करेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सभापति महोदय, आज जिन विभागों की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन कर देना चाहता हूं। सभापति महोदय, वैसे आपकी जानकारी में है कि जो विभाग जिस दिन विचार के लिये होता है उसी दिन उस विभाग की विवरण पुस्तिका हमको मिलती है। इस बात को लेकर आज सदन में चर्चा भी हुई लेकिन यह ओर भी खेद का

(श्री जयनारायण सालोदिया)

विषय है कि समाज कल्याण विभाग का तो कोई प्रगति विवरण आज तक दिया ही नहीं है। जब प्रगति विवरण ही नहीं दिया गया तो किस आधार पर हम चर्चा करें और आज भी प्रगति विवरण नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी डिमाण्ड है, इतना बड़ा काम है, विभाग का और उसका प्रगति विवरण भी नहीं मिले तो किस आधार पर हम डिबेट में हिस्सा लें तो मैं भविष्य के लिये यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब अन्य छोटे-मोटे विभागों के प्रगति विवरण मिल गए लेकिन समाज कल्याण विभाग ही ऐसा विभाग है जिसका कोई प्रगति विवरण सदस्यों के अध्ययन के लिये नहीं मिला तो यह खेद का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज थोड़े समय में कई विभाग हैं इसलिए समाज कल्याण विभाग पर जितना विचार हम प्रकट करना चाहते हैं उतना नहीं कर सकेंगे, समयाभाव के कारण इसलिए मैं चाहूंगा कि समाज कल्याण मंत्रीजी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की रिपोर्ट को पेश करें उस पर सेपरेट डिबेट करवायें, जिससे कि हम समाज कल्याण विभाग के बारे में सारी बातें खुलासा रूप में कह सकें।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये राज्य सरकार ने गये सत्र में कई घोषणायें की हैं, लेकिन वे घोषणायें आज तक कागजों में पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने एक घोषणा की है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का रिजर्व कोटा १२॥ पर्सेन्ट से बढ़ाकर २८ प्रतिशत करते हैं लेकिन १ प्रतिशत को भी किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी नहीं दी है उसका कारण है कि जो घोषणा की कि १२॥ प्रतिशत से बढ़ाकर २८ प्रतिशत करते हैं कोटा, यह अखबारों में छपी और प्रचार हुआ कि हरिजनों के लिये राज्य सरकार बहुत कुछ करना चाहती है। २८ प्रतिशत सरकारी नौकरियों में रिजर्व स्थान रखना चाहती है लेकिन राज्य सरकार ने दूसरे ही दिन यह आदेश निकाल दिया कि सरकारी नौकरियों पर बैन है, इसलिये चौबेजी छब्बेजी बनने गये और दुबे ही रह गये। वह १२॥ प्रतिशत भी गया और २८ प्रतिशत भी गया और १ प्रतिशत लोगों को भी नहीं रखा गया। तो ये घोषणायें जो राज्य सरकार की हैं। एक तरफ तो घोषणाएं करते हैं और दूसरी तरफ दूसरी तरह के आदेश निकालते हैं, जिससे वे घोषणायें बेकार हो जाती हैं और इस प्रकार की घोषणाओं से भ्रम फैलाने के अलावा और कोई फायदा नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि २८ प्रतिशत से पूर्व १२॥ प्रतिशत का कोटा था। मैं बिल्कुल यकीन के साथ आज कहने की स्थिति में हूं कि जो १२॥ प्रतिशत या २८ प्रतिशत का कोटा जो राज्य सरकार ने अपनी पूर्व घोषित नीति के अनुसार मन्जूर किया है, उसमें राजस्थान में एक भी विभाग ऐसा नहीं है कि जिसमें १२॥ प्रतिशत भी कोटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का पूरा हो। तो जब सरकार के ध्यान में है कि यह नीति है तो मैं फिर से मांग करना चाहता हूं कि जब

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तक २८ प्रतिशत का कोटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का पूरा नहीं हो जाता है, तब तक नौकरियों पर से बैन हटाया जाये और उनका २८ प्रतिशत कोटा पूरा कराया जावे। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप नौकरियों पर बैन रख सकते हैं लेकिन सरकार की नीति के अनुसार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का २८ प्रतिशत कोटा जब तक पूरा नहीं हो जाता, उन लोगों के ऊपर से बैन हटावें और उस कोटे को पूरा कीजिये। अगर आप चाहते हैं कि अनुसूचित जन-जाति के लोग नौकरियों में जायें, अगर आप घोषणायें ही करना चाहते हैं, अगर आप दिखावा मात्र करना चाहते हैं तो यह आपको मुबारक है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं संक्षेप में कहूंगा कि सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कटौती का निर्णय सरकारी नौकरियों में लिया है लेकिन उसी के साथ-साथ राज्य सरकार ने यह आदेश भी निकाले हैं कि जो ६ महीने से पुराना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का कर्मचारी होगा, उसकी हम छंटनी नहीं होने देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, अभी संसोपा के नेता श्री रामकिशनजी बोल रहे थे और सारे सदन के माननीय सदस्यों ने उनका भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना और ज्योंही उनका भाषण समाप्त हुआ बजाय इसके कि वह सदन में बैठते वह सदन के बाहर अपने सदस्यों के साथ चले गये। मैं मानता हूं कि जो माननीय सदस्य बोलें वह दूसरे सदस्य भी सुनें। यह उचित नहीं प्रतीत होता कि ज्योंही उनका भाषण समाप्त हुआ, वे अपने दलबल सहित चले गये।

श्री कुन्नीलाल इन्दलिया : आपके तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बैठते।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सदन की गरिमा और माननीय सदस्यों के गौरव के लिए उचित है क्या?

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न नियमों के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है। नियमों में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि किसी को बाध्य किया जा सके कि वह यहां पर बैठें।

श्री रामसिंह कुड़ी : मंत्री तो कम से कम रहें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि आप इस पर गौर फरमायें कि ज्योंही सदस्य अपना भाषण समाप्त करें सदन से बहिर्गमन नहीं कर सकते और यह बहिर्गमन की ही तारीफ में है।

श्री सभापति : बहिर्गमन को रोकने के लिए भी नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ये नियमों को तो पढ़ते ही नहीं हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ पदों की कटौती का प्रस्ताव किया लेकिन उसी के साथ राज्य सरकार ने आदेश दिया कि जो ६ महीने पुराने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के होंगे उनको इससे

Page No. 104

(श्री जयनारायण सालोदिया)

प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा और उनको नौकरियों से नहीं निकाला जायेगा। लेकिन मेरी जानकारी में है, आज मैं समयाभाव के कारण अलग-अलग विभागों का नहीं रख सकता। इस तरह के कई विभागीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ६ महीने से पुराने कर्मचारियों को इस कटौती में निकाला है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो आदेश हैं उनकी कठोरता से पालना करवाई जाये और जिन्होंने राजाज्ञा के विरुद्ध इन लोगों को निकाला हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। माननीय सभापति महोदय, छात्रवृत्ति के लिए मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यह जो ५५ प्रतिशत और ५८ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला मामला है यह बहुत ही दोषपूर्ण है। और इस वजह से कोई भी छात्र आसानी से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। एक तो रुपये की कमी और फिर कन्डीशन लगा देते हैं कि ५५ प्रतिशत और ५८ प्रतिशत मार्क्स वालों को ही देंगे यह और भी दुर्भाग्य की बात है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तरफ उस लड़के की मजबूरी देखिये और वह दिये की रोशनी में पढ़ता है, सूखी रोटी खाता है, घर का काम करता है और उसके बाद पढ़ता है। उसका आप सैंट जेवियर के लड़के से मुकाबला करते हैं और ५८ प्रतिशत मार्क्स की आशा करते हैं यह बिलकुल गलत बात है।

(११ म. पू.)

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि लड़कों की जो मजबूरियां और परेशानियां हैं, उनको देखते हुए पास के लिए जो मार्क्स हैं उन पर ही उनको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। उसके साथ में यह कायदा नहीं लगाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार को दूसरी घोषणा के लिए एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि गांधी शताब्दी में सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को ही एक साल भर के लिए जमीन एलॉट की जायेगी। लेकिन यह आपकी घोषणा घोषणा-मात्र ही रह गई है। आप आंकड़े पेश करेंगे लेकिन मैं असलियत निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोई भी तहसील में आज तक का एलॉटमेंट का कार्यक्रम बना ही नहीं। मेरा निवाई तहसील में कार्यक्रम बना और एक-दो जगह बना तो सरपंचों ने तय कर लिया कि सरपंच इसमें भाग नहीं लेंगे तो एलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं होगी तो वह जमीन एलॉट नहीं हो सकती है। एक-दो जगह इस तरह की बात भी हुई है कि पटवारी ने मिलकर दूसरे लोगों की जमीन पर अतिक्रमण करा दिया और पटवारी ने अपने रेकार्ड में दर्ज कर लिया कि अमुक जमीन पर जो कि सिवाय चक में थी उस पर अमुक आदमी ने अतिक्रमण कर लिया है इसलिए यह जमीन एलॉट नहीं हो सकती है। इसलिए यह परेशानी जो एलॉटमेंट के सम्बन्ध में है आज भी बदस्तूर चालू है, और आज भी लोगों को एक प्रतिशत भी फायदा नहीं हुआ है। जिन लोगों के लिए घोषणा की थी उनको जमीन वाजिब तौर से नहीं मिली है, न कब्जा हुआ है और न पट्टा मिला है। इस तरह से वे लोग फंसे हुए हैं। पटवारी नम्बर नहीं देता है,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तहसीलदार मीटिंग नहीं रख रहा है, सरपंच हाजिर नहीं होते हैं। सरपंचों के हाजिर होने की जरूरत है और वे हाजिर नहीं होते हैं तो मीटिंगें काम नहीं करती हैं और मीटिंगें काम नहीं करती हैं तो जमीनें एलॉट नहीं होती हैं। नाममात्र को जमीनें एलॉट हो जाती हैं तो पहले पटवारी से मिलकर अतिक्रमण करवा देते हैं और पटवारी कह देता है कि २० दिन पहले अमुक जमीन पर अमुक ने अतिक्रमण कर लिया है और जब अतिक्रमण कर दिया है तो एलॉटमेंट नहीं हो सकता है। एलॉटमेंट होकर भी उनका कब्जा नहीं है, पट्टा नहीं है। इसलिए जो आंकड़े राज्य सरकार की मारफत आपके पास आये हैं वे विश्वसनीय नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय मकान के सहायता के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी पिछली विधान सभा में कि हम मकान सहायता के लिए १ हजार के बजाय दो ढ़ाई-हजार रुपये मकान के कर्ज के लिए देंगे। गांधी शताब्दी में इस काम के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी राशि के लिये आश्वासन दिया था, लेकिन फिर वही धीरे-धीरे होते-होते रह गया। हमने यही सोचा कि मकान के लिए कर्ज दिया जायेगा, उसका प्रोफार्मा तैयार होगा और उसके लिए नियम बनेंगे, लेकिन आखिर में आकर जब साल आखिर होने लगा तो माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी ने फिर वही बात रखी कि हम तो ऋण नहीं देकर मकान सहायता ही देंगे। इस बात से लोगों को बड़ी परेशानी हुई और भी बहुत परेशानी हुई। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो यह नीतियों का आप निर्धारण करते हैं और समय-समय पर उनमें परिवर्तन करते हैं इससे भी अनुसूचित जाति के लोगों पर पड़ा फर्क पड़ता है।

तो, माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं और कुछ भी निवेदन नहीं करते हुए एक मिनिट के लिए सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। टोंक डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र बान्ध का काम बनास नदी पर गोकलेश्वर के पास बहुत पुरानी सर्वे से चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको शीघ्रातिशीघ्र फाइनल पोजीशन में लेकर उनका काम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे तो उस क्षेत्र की जनता को फायदा होगा।

सिंचाई कमेटी का जिक्र हुआ है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टोंक डिस्ट्रिक्ट में कोई सिंचाई कमेटी नहीं है। न उसकी मीटिंग होती है और न उसका काम होता है और न उसके आधार पर पानी मिलता है। पानी का झगड़ा होता है, पानी पर वाद-विवाद होता है, पानी पर लाठियां चलती हैं, पानी पर गोलियां चलती हैं, और इस तरह की बातें होती हैं और वही होता है जो गये साल हुआ है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक पानी के डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है उसकी नीति और नियम को स्ट्रोंग बनावें और उनकी स्ट्रिक्टली पालना की जाय। नहीं तो होता क्या है कि जैसा कि अभी भाई शंकरलालजी ने कहा वैसा ही होता है। जो जोरदार लोग होते हैं, जिनकी लाठी में ताकत होती है, जो लड़ने वाले होते हैं, पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं, सरकारी अफसरों को खुश करने में जो कामयाब होते हैं, उन लोगों को सरकार से पानी मिलता

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है। गरीब लोगों को, जिन लोगों को वाजिब तौर से पानी मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। न आपकी कोई कमेटी दखल करती है, न तहसीलदार साहब दखल करते हैं और न आपके इन्जीनियर्स और जो मौके के कर्मचारी हैं वे उसमें दखल करते हैं। वे उन लोगों के इशारे पर चलते हैं और इन लोगों द्वारा बताये गये रास्ते पर चलते हैं और उन लोगों को पानी मिलता नहीं है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस कमेटी को जोरदार बनाना चाहते हैं, इसके निर्णय के अनुसार ही पानी दिलाना चाहते हैं तो इसमें और तरमीम की जाय और इस कमेटी को मजबूत बनायें। यह कमेटी कोई काम की नहीं है और न उसकी मीटिंगें होती हैं और न मीटिंग के निर्णयानुसार काम होता है।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन पुराने तालाब हैं, मेरी तहसील में उनके लिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। एक हलेला का तालाब है जो निवाई तहसील में है और निवाई कस्बे के पास में है। एक निवाई तहसील में गांव डागरधर में एक तालाब है जिससे सिंचाई होती है, लेकिन पानी की जो आमद है वह लोगों ने रोक ली है। बहुत पुराने तालाब हैं। हमने बारबार यह निवेदन किया है पंचायत समितियों के मारफत, जिला परिषद् के मारफत कि इन तालाबों की मरम्मत की जानी चाहिए। जो पानी की आमद टूट गई है, रोक लिया गया है या दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है उसको इनमें लाना चाहिये जिसमें इनकी पानी की क्षमता बढ़े और जिससे लोगों का भला हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इन दोनों तालाबों की मरम्मत करायेंगे या नहरों की मरम्मत करायेंगे तो बड़ी कृपा होगी और इससे आपको और जनता को ज्यादा फायदा मिलेगा।

श्री जगन्नाथ पटेल : सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री किशनलाल वर्मा!

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा!

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि आप अपने पानी का वितरण समाजवादी ढंग से शुरू कर दें (हंसी) और अगर आप करना नहीं चाहते तो गांवों में विद्रोह को आमन्त्रण देते हैं, और गांवों में विद्रोह होगा तो जो बंगाल की हालत बन चुकी है वह होगी। गांवों में काश्तकारों का स्वाभिमान जाग चुका है। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता कह रहे थे कि जो लोग हिम्मत करके खड़े हुए हैं वे लोग अपना पानी ले लेते हैं। इन्जीनियर्स लोग अपने रवैये को पलटें। हेमावास के पानी का सवाल अभी खड़ा हुआ था, भंवरिया और मनियारी के बान्धों के पानी का प्रश्न है। जो मजबूत लोग होते हैं जो कानून को तोड़ देते हैं वे पानी ले जाते हैं और उनसे समझौता भी कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारी गलत तरीके से कर लेते हैं। यह काम का प्रश्न है कि हेमावास का पानी उनको दिया जाय जो गरीब हैं। आप कुछ कदम उठाते हैं तो वह अधूरा कदम उठाते हैं। उचित और मजबूत कदम उठाकर जिनकी जोत छोटी है उनको पूरा पानी

(श्री मूलचन्द डागा)

मिलना चाहिए । हेमावास की बात मैं बराबर पांच साल से कह रहा हूं और आज भी कहने जा रहा हूं कि हेमावास से गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को, जिनको छोटी जोत है, पानी पूरा दीजिये, उनकी आर्थिक हालत को सुधारने की तरफ ध्यान दीजिये । आपने रेगुलेटर का ऑर्डर दिया है लेकिन आज भी हेमावास नहर में रेगुलेटर नहीं पहुँचा है । कितनी ही बार आपने ऑर्डर दिया है और कितनी ही बार आपने कहा है लेकिन आपके ऑर्डर्स का उल्लंघन होता है और आपके ऑर्डर्स की अनुपालना सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं करते हैं ।

मनियारी के पानी का सवाल है, भांवरी के जागीरदार उसका पानी खेतों को पिलाता है । मैंने कहा कि यह गरीब लोगों की खेती को पानी देने के लिये बांध बांधा है । मैं कुछ लोगों के बारे में कहता हूं कि उन्होंने नदियों को बांध कर अपने-अपने तालाब बांध लिये हैं और उन तालाबों के बारे में बराबर सूचना देने पर और शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है । सिंचाई विभाग के अधिकारी उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं । मैंने कई बार कहा है कि इस प्रकार कई नदियों पर बांध बांध लिये हैं, उनके बारे में हम शिकायत करते हैं तो उसका अर्थ और तरह से निकाला जाता है. कहते हैं अच्छा तुमने शिकायत की है ? मेरा निवेदन है कि अब इस प्रकार की बातें जमाने के साथ चली गई हैं, अब गवर्नमेन्ट के अधिकारी और इन्जीनियर इस बात को महसूस करलें सभापति महोदय, कि काश्तकार अब पूरी तरह से जग गया है, अगर इन्जीनियरों ने हमारी भावनाओं का और इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, तो वही होगा, जैसा मैंने देखा है कि इन्जीनियरों की व काश्तकारों से मुठभेड़ होती है । काश्तकार उनको कहते हैं कि इन्जीनियर साहब आप इन्जीनियरी कॉलेज से पास कर के आये हैं लेकिन हमने यह इस जमीन से पास की है । इसलिये आपको जमीन को महत्व देना चाहिये । यह बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस बात को मैं कहता हूं कि हेमावास के लिये हमने बीसों बार कह दिया है, उसके बारे में मन्त्री महोदय से भी मिले, मन्त्री महोदय काश्तकारों को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर होने के बाद भी अधिकारी उसकी तामील नहीं करते हैं । पाली के बारे में मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आप इस क्षेत्र का दौरा करें, इन दिनों वहां पर पानी दिया जाता है । आप भीलवाड़ा में तो चाहे जब चले जायं, वहां के तो बहुत दूर आपने कर लिये, आप पाली के गांवों में दौरा करें । अभी जो हेमावास का पानी दिया जा रहा है वह दस कोस दूर तो दे दिया जाता है जहां फॉर्म है लेकिन पाली के गांवों में कावेड़ा में पानी नहीं दिया जाता है । मैं इस सम्बन्ध में चाहता हूं कि इसके लिए कोई न कोई तरीका निकाला जाय जिससे पानी का सही वितरण हो । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी योजना क्या है ? आप कहेंगे कि पानी पूरा आ जाय तब इसके लिए कमेटी का निर्माण होगा । मैं कहता हूं कि पहले आप योजना रखते हैं कि, पांच बीघा में पानी देंगे । अब क्या चाहते हैं, क्या यह कहना चाहते हैं कि दस बीघा में पानी जरूर दिया जायगा । मेरा निवेदन है कि आप कोई योजना नहीं बनाते हैं, इस कारण बराबर झगड़े होते हैं । पिछली साल पानी दिया, लेकिन रेगुलेटर न लगने के

Page No. 108

(श्री मूलचन्द डागा)

कारण मुकदमा बना दिया गया। हमने कोर्ट में वह मुकदमा लड़ा और लड़ते आ रहे हैं हेमावास के पानी के सम्बन्ध में। हमने सरकार को यह बात कही कि सरकार पिछले पांच वर्षों के अन्दर बराबर दो वर्ष पानी देती आ रही है लेकिन फिर भी पांच वर्ष की रिकवरी करती है। दरबार के समय में जब पानी नहीं आता था, उस समय नहरी फीस नहीं ली जाती थी। इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं होता है। मैंने निवेदन किया था कि जो बांध के काम होते हैं वे अधूरे छोड़ दिये जाते हैं इस कारण जब फ्लड आया तो वे बांध खराब हो गये। खेरवा का बांध पूरा नहीं बना है। बडेर के पास की जो योजना भेजी थी उसका रुपया भी दूसरी जगह लगा दिया गया है। इस तरह कई योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया है। मैंने कई बार कहा है कि जो भी काम आप हाथ में लें उसको पूरा कीजिये। आप एक भी काम को पूरा नहीं करते हैं और जब उसके बारे में कहते हैं तो आप कह देते हैं कि कर देंगे, कर देंगे। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी योजना बनाते हैं उसको आप पूरा कर दीजिये। इसके अलावा आपके जो इन्जीनियर्स हैं, उनके पास ऑन दी स्पोट नक्शे नहीं होते हैं। किस प्रकार वह काम होगा, इसकी योजना नहीं होती है। इस कारण उनके सामने दिक्कत ही दिक्कत है। उनसे पूछते हैं तो वे कह देते हैं कि डिपार्ट-मेन्ट में कागज पड़े हैं और वे कागज वहां से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। जिस प्रकार वकीलों की राय अलग-अलग होती है उसी प्रकार इन्जीनियर्स की राय भी अलग-अलग होती है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ। इसलिये मैं कहता हूं कि एक राय बना कर जो नक्शे और प्लान हैं उन्हें इन्जीनियर को ऑन दी स्पोट दे दीजिये। नहीं तो वे डिपार्टमेन्ट में पड़े रहेंगे और आगे आने वाले अकाल के समय किये जाने वाले अकाल राहत के काम अधूरे रह जायेंगे। मैं आपको निवेदन करता हूं कि दिल्ली से जो स्टडी टीम आई थी उसने कहा था कि जो भी काम हाथ में लें उसको समय में पूरा कर देंगे। क्योंकि अगर आप दस लाख रुपया लगाते हैं और वह काम अधूरा रह जाता है तो दस लाख रुपये वेस्ट हो जाते हैं। कई काम इसलिये अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनके प्लान बने हुए नहीं हैं और इन्जीनियर्स के पास योजना नहीं है। तीन महीने पहले की बात मुझे याद है, खारड़े के काम के लिए कलेक्टर ने मन्जूरी नहीं दी। उसने कहा कि उसका एस्टीमेट वगैरह बन कर उसके पास नहीं आया है। यह तरीका अच्छा नहीं है। आप जो भी काम लें, उस पर कितनी लेबर लगनी चाहिये, कितने इन्जीनियर चाहियें—इस सबका प्लान हो। यह नहीं होगा तो जिस काम को पूरा करना चाहिये वह काम पूरा नहीं होगा और लाखों रुपये खराब हो जाते हैं। गिरौलिया बांध की योजना है। उसके बारे में मैं मुकदमे की बात कहता हूं। हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इन्जी-नियर कहता है कि मैं हाईकोर्ट में स्टेटमेन्ट देने को तैयार नहीं हूं। मुझे बड़े दुःख से इस बात को कहना पड़ता है कि खिलाफ पार्टी से मिल कर उस केस को अधिकारी खत्म करना चाहते हैं। आप गिरौलिया के बांध को बांधना नहीं चाहते हैं....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह सरकार खिलाफ पार्टी के लोगों से मिल जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप गलत बात कहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : गलत बात नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको गिरौलिया का मीनिया हो गया है इसलिये आप चाहे जिस पर जैसा लांछन लगा देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप छिपाने की कोशिश मत करिये। यह तरीका अच्छा नहीं है।

श्री भैरोंसिह : गिरौलिया बांध बना कर जो गलती की है उसको आप मत छिपाइये।

श्री मूलचन्द डागा : हां गलती की है। उसके साथ ही डिपार्टमेन्ट उस जागीरदार की वकालत कर रहा है। विरोधी दल में जो बैठे हुए हैं वे उनकी वकालत कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : यह वकालत बहुत हो रही है....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जागीरदार कौन है ?

श्री मूलचन्द डागा : वहां जो ठाकुर है वह मुकदमा लड़ रहा है....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जागीरदार तो आजकल आप लोग हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जब डिसीजन है आपका तो क्यों नहीं पानी रोका। लेकिन रोकने का सवाल नहीं है, उस पर स्टे ऑर्डर हो गया। मेरा निवेदन है कि जब कोई कदम उठायें तो वह पूरा कार्यान्वित होना चाहिए। आज कितना पानी दिया जायगा, किस बांध से दिया जायेगा, इसकी कोई योजना, कोई प्लान तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार इस बात को देखें कि अप्रैल, मई के महीने में काम चल कर जून के एण्ड तक पूरे होंगे या नहीं और फिर काम शुरू करें। जिस प्रकार कि केन्द्रीय सरकार कहती है कि जो भी काम हाथ में लें उसको अच्छी तरह से समय पर पूरा करें ताकि उससे जो लाभ होना चाहिए और रिटर्न मिलना चाहिए वह मिल सके और वे अधूरे नहीं रहें....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कभी-कभी, मूलचन्दजी, आप भी नहीं मानते हैं। यह कहते हैं, शुरू कर दें, हो जायगा।

श्री रामकिशन : असली झगड़ा यही है कि हर व्यक्ति काम कराना चाहता है।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है, यह उत्तर दे रहे हैं। यह उत्तर ठीक है। सिचाई मंत्रीजी कहते हैं, मैंने कहा कि शुरू कर दें और उसे सिचाई मंत्रीजी ने मान लिया और शुरू कर दिया। अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जो बांध बने हुए हैं, उनको जो नहर बनानी है, जैसे बानियावास की नहर है, जिस नहर को रेल्वे लाइन से निकालना है, वह इनकम्प्लीट है। आपको कहा था कि इस नहर को पक्का बना दीजिये, लेकिन वह नहीं बनी। मंत्री महोदय मौके पर जाकर आये हैं। मैंने कहा कि काम छोटा है या बड़ा है—यह काम अधूरा पड़ा है, इसको पूरा करवायें।

दूसरे जो जमीन लेते हैं काश्तकारों की वह आपको लिख कर देते हैं लेकिन आपके

(श्री मूलचन्द डागा)
पास में यह रिकार्ड नहीं है कि किस काश्तकार की कितनी जमीन आपने कब कब्जे में ली है, किस तरह से उन काश्तकारों को आप मुआवजा देंगे ? एक का भी बता दें, भूमादरा का बता दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बंद कर दें ?

श्री मूलचन्द डागा : बस यही है। यह धमकी है हमारे खिलाफ कि बन्द कर दें। कर दो बन्द। अगर आपका कदम सही नहीं है तो कर दो बन्द। हम अपनी आवाज रखें, शिकायतें रखें और उन शिकायतों का निर्णय धमकी हो तो दीजिये धमकी। हम धमकियां के सहने के आदि हैं, और हम सहेंगे।

श्री श्रवणकुमार : बस। टांय-टांय फिस।

श्री मूलचन्द डागा : मैं डायरेक्टर लोकल बोडीज़ के बारे में कहना चाहता हूं। आदमी के निर्माण करने की जिम्मेदारी आज लोकल बोडीज़ पर है। अच्छे नागरिक पैदा करने की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं के नाम की है। लेकिन मैंने कई बार कहा है, लोकल बोडीज़ के ऑफिस में कई मुकदमें छः-छः, सात-सात साल तक पैंडिंग पड़े रहते हैं। मैंने शिकायतें कीं, लेकिन आज तक मेरी एक भी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है। मैंने शिकायत की थी कि एक आदमी ने जीते-जीते जमीन म्युनिसिपैलिटी को दे दी, सायरचन्द डागा ने जमीन दी नगरपालिका को, उसकी रजिस्ट्री नहीं, उसका कब्जा नहीं, कलेक्टर की मंजूरी नहीं। ६ हजार बोर्ड के अन्दर चले गये, क्या हुआ उसका ?

इसी तरह से मैंने एक झूले का केस बताया था कि १५००–१६०० रुपयों में झूला खरीद लिया, जब कि वह ३००) रुपये का झूला था, क्या हुआ उस मुकदमे का ? तिलक नगर की जमीन दे दी, मरे आदमियों के नाम पट्टे दे दिये। नगरपालिका अपने काम के प्रति जागरूक है या नहीं ?

श्री श्रवणलाल : आप चैयरमैन थे तभी ये बातें आपको मालूम हुईं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रवणलालजी मुझे सब मालूम है।

जो नगरपालिकाओं में आपका काम है, वह काम आप करते नहीं। नगरपालिकाओं के कार्यालयों में आप कुछ रद्दोबदल नहीं करेंगे तो हालत बद से बदतर होती चली जायगी, जो दरख्वास्तें आती हैं वे वर्षों तक पड़ी रही हैं, आपके हर काम में घपला है, जहां देखो शहरों में गंदगी ही गंदगी है, बदबू है। नगरों में गंदगी और बदबू को दूर करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है। आज जो शिथिलता नगरपालिकाओं के काम में नजर आ रही है, उसको दूर कर के मुस्तैदी से ये कार्य अंजाम देने होंगे।

समाज कल्याण के बाबत मैं एक महत्त्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज देश में जो भिखमंगों की समस्या है, उसको हमें समाप्त करना होगा। देश में भिखमंगे और समाज कल्याण विभाग ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। जैसे मध्यप्रदेश ने भिखमंगों के लिये कानून बनाया, उसी तरह हमारे यहां पर भी कानून बना कर हमें इस कलंक को धोना है। कोई हाथ फैला कर, कोई पूंगी बजा कर भीख मांगता है....

श्री श्रवणलाल : डागाजी, यह सरकार ही भिखमंगों की है।

श्री मूलचन्द डागा : और आप इनसे फायदा उठाओ। भिखमंगों की प्रोब्लेम के बाबत आपने क्या सोचा है? गलियों में भिखमंगे मिलते हैं, यह हमारे देश के लिये बहुत बड़ा कलंक है। जो कमा नहीं सकते, तो क्या हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं कि हम उनको रोटी दें, उनका पालन-पोषण करें, क्या यह समाज का कर्त्तव्य नहीं है? जितने भिखमंगे हैं, जो अपंग हैं, शरीर से लाचार हैं, उनको तो भोजन दीजिये और जो अपंग नहीं हैं उनको आप काम दीजिये, काम पर लगाइये, अगर काम पर नहीं लगते हैं तो भीख मांगना ओफेंस डिक्लेअर कीजिये। आप दोना खा कर फेंक दें और इन्सान उस फेंके हुए दोने को उठा कर चाटे, यह कितनी शर्मनाक और लज्जाजनक बात है। २२ साल की आजादी के बाद भी अगर हमने यह कदम नहीं उठाया, भिखमंगों की समस्या को हल नहीं किया, तो हजारों लोग प्रोफेशनल भिखमंगे हो जायेंगे। मां बच्चों को सिखाती है। मां बच्चों को मांगना सिखाती है, यह कितना बड़ा कलंक है? किसकी जिम्मेदारी है, इसको मिटाने की, आखिर कौन इस कलंक को मिटायेगा? जिस प्रकार मध्यप्रदेश ने और दूसरे देशों ने बेगिंग प्रोब्लेम को खत्म किया है उसी तरह इसे आपको भी खत्म करना चाहिये। अगर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा देना शर्मनाक बात होगी।

श्री श्रवणलाल : खुद भी तो सरकार से भीख मांगते हो।

श्री मूलचन्द डागा : हम मांगते नहीं, विकास के लिये पैसा लाते हैं, हमारी इज्जत-आबरू के पीछे पैसा मिलता है। देश का विकास करना है, उत्थान करना है तो, उसके लिये पैसा लाना, उस पैसे को विकास के कामों में लगाना और देश की प्रगति करना आवश्यक है। ये तीनों काम करने की हम में हिम्मत है, शक्ति है। देश को आगे बढ़ाने के लिये शक्ति चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : भिखारी कह दे कि मुझे पेट भरने के लिये भीख मांगना जरूरी है तो फिर दोष किसका है?

श्री मूलचन्द डागा : यह समाज का दोष है। आप ऐसे महारथी नेता हैं, जनसंघ वाले एक प्रोग्राम को पूरा कर दें कि हम राजस्थान में भिखमंगों को नहीं रहने देंगे, हमने अछूतोद्धार किया, जनसंघ वाले यह एक काम कर दें।

श्री भैरोंसिंह : आप यह प्रोग्राम बना दो कि सारे भिखमंगों को मंत्रियों के मकानों पर छोड़ दो शाम को ही यह सब हो जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : जिस दिन जनसंघ के वरिष्ठ नेता भिखमंगों को लेकर मंत्रियों के मकानों पर छोड़ देंगे उसी दिन यह समस्या हल हो जायगी तो आप इन भिखमंगों को कल ही मंत्रियों के मकानों पर छोड़ आओ, कल नहीं तो परसु छोड़ आओ, परसों होली का दिन है। एक बात मैं कहना चाहता हूं। भिखमंगों की समस्या को मैंने आपके सामने रखा। इस समस्या को समाप्त करने के लिये गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी समुचित कदम उठाना चाहिये। म्युनिसिपैलिटीज में रात को विश्राम के लिये विश्रान्ति गृह बनाइये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मूलचन्द डागा)

सभापति महोदय, घंटी बज गई है, क्योंकि मैं अनुशासन में विश्वास करता हूं, इसलिये एक पोइन्ट कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह : योजना बताइये, भिखमंगों की समस्या को हल करने के लिये आपके पास योजना क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पानी के लिये सवाल उठाया, उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि नहरी और बारानी के बारे में आप फरक करना चाहते हैं या नहीं। जो दो रुपया चार रुपया बीघोड़ी देता है और जो चार आना, छः आना बीघोड़ी देता है दोनों को ही बराबर पानी, हम चार रुपया बीघोड़ी देते हैं जितना पानी हमें दिया जाता है उतना ही पानी जो चार आना, छः आना बीघोड़ी देते हैं उनको भी दिया जाता है। हमारे बराबर वे लोग पानी ले लेते हैं और हम जब इसके बारे में पूछते हैं तो आप उत्तर देते हैं कि यह कमाण्ड एरिया है। बेटरमेंट लेवी वसूल करेंगे। एक बात बता दें, कौनसी बेटरमेंट लेवी हमेशा से वसूल की ? इतने साल हो गए। हम लोग शिकायत करते थे तो हम से कहते थे कि हम बेटरमेंट लेवी लेंगे इनसे। आज ८ साल के बाद सिंचाई मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कौनसी रकम बड़े-बड़े जागीरदारों को और भूतपूर्व जागीरदारों से वसूल की पिलाई हुई। चुनाव के दंगल में सही काम करने वालों के सामने खड़े हो गए। आप कहते हैं बेटरमेंट लेवी लेंगे। कब ली ? बड़े-बड़े अधिकारियों की बात करते हैं कहते हैं कि राजाओं के प्रिवीपर्सिज बंद कर दो। सरदार समंद बांध है, जोधपुर दरबार का, हमारी छाती पर बना हुआ है। दरबार की जमीन को पिलाई होगी और सैंकड़ों काश्तकार महरुम रहेंगे काश्त से। हजारों बीघा जमीन ले ली हम इंतजार करते रहे दो बीघा जमीन के लिए। तो सरदार समंद से फार्म के बजाय ज्यादा पानी काश्तकारों को मिलना चाहिए, अच्छी जोत वालों को मिलना चाहिए।

मैंने कई बार कहा कि समाजवाद की तरक्की हो रही है, उसकी तरफ मेरे ख्याल से सिंचाई मंत्री भी बढ़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : सभापतिजी....

श्री सभापति : इनके बाद। आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री जगन्नाथ पटेल : ये मेरा नाम कभी भेजेंगे भी नहीं।

श्री सभापति : आपको विशेष रूप से समय देंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो बेईमानी करते हैं उनको कभी नहीं बोलने दिया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, जिस प्रकार शिक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि लड़के में कौनसा गुण है, जिसका विकास किया जाय, ठीक उसी प्रकार से जो शासन करने वाले हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि हिंदुस्तान में कौनसी ऐसी चीज है जिसका जल्दी विकास हो सकता है। आजादी के बाद यदि हमने

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

ध्यान रखा होता कि यह कृषि प्रधान देश है, जितने बांध बना सकते हैं, जितने सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, जहां कुए ज्यादा हैं, बिजली की तरफ ध्यान दिया होता, एक अरब हाथ हैं ग्रामोद्योग की तरफ ध्यान दिया होता :

"मान लेवता आज मैं गांधीजी री सीख,
पड़ती कदो न मांगणी परदेशां सूं भीख।"

अगर हम यह मान लेते तो भीख नहीं मांगनी पड़ती। मैं २० वर्ष के बाद अपने क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं। मांडलगढ़ क्षेत्र को ईश्वर की कृपा से एक ऐसी भौगोलिक स्थिति प्राप्त हुई है कि जितनी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, उसमें से अधिक मांडलगढ़ से होकर निकलती हैं, पहाड़ खूब हैं। उस समय ध्यान नहीं दिया लेकिन सिंचाई मंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अब तो उन्होने ध्यान दिया और वहां एक अच्छा बांध बन रहा है जेतपुर। बहुत से ऐसे काम हैं जो शुरु हो सकते हैं और अकाल की दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा मददगार हो सकता है और लाखों मन अनाज अकाल क्षेत्र को भेज सकते हैं।

मेजा बांध के बाद कोठारी नदी है जो लगभग ४५ मील में बहती है और पानी बनास में जाकर मिल जाता है। इस नदी में गपेसरा गांव के पास बोरी माता का बांध बनाने के लिए सर्वे कराया जाय, श्यामपुरा के पास परियाल नाम का नाका, मालकाखेड़ा, बांदर बूता नाम का स्थान, बीगोद, बड़ल्यास तथा खरवाड़ा ऐसे स्थान हैं जो नदी के इस तरफ आ गए हैं इसलिए बिना लिफ्ट इर्रिगेशन के काम नहीं हो सकता। इसलिए जल्दी से जल्दी लिफ्ट इर्रिगेशन के काम शुरू करायें। गेनोजी तालाब बंध गये।

आरोली के पास कटलाव नामक स्थान के पास जहां एनीकट बंधे हुए थे, उनको बनायें। काछोला के पास कुंडिया एनिकट को जो टूट गया, उसको बनवायें, गोवटा को आपने ऊंचा कराया, यह अच्छा किया लेकिन और भी ४ फीट इसको ऊंचा करायें।

मोराई बांध की नहरें बड़ंदनी, सिंगोली, धाकड़खेड़ी, जाजवा तथा सराना पंचायतों की भूमि सिंचित हो सकती है लेकिन काम नहीं हो रहा है। जल्दी से जल्दी इन नहरों का काम चालू करवायें ताकि वहां पर सारी भूमि सिंचित हो सके। मांडलगढ़ ऐसी पंचायत समिति है जहां संग्रामपुरा, रानीखेड़ा, महताजी का खेड़ा, ककरोलिया का तालाब, पीतात का एनीकट, नोलप नदी का एनीकट आदि ऐसे हैं जिनकी तरफ आप ध्यान दें और अनवासा और देवल्या तुरंत बंधवाये तो चप्पा चप्पा जमीन उपजाऊ हो सकती है। मैं एक खतरे की तरफ आपको सावधान करना चाहता हूं। गंगानगर को आपने सिंचित बनाया लेकिन वहां भौतिक समृद्धि के साथ नैतिक समृद्धि नहीं दे पाए इसलिए शराब में डूब गया। तो मांडलढ़ जो अच्छा क्षेत्र होने वाला है, शराब की दुकानें जल्दी से जल्दी उठाने का प्रयास करें, नहीं तो भौतिक समृद्धि आएगी और नैतिक समृद्धि नहीं आएगी।

आज आप लिफ्ट इर्रिगेशन से सिंचाई करते हैं उसमें और जो बांध की सिंचाई है, उसकी दरों में अन्तर है, इसको कम करने की जरूरत है, जो बांध के प्रयास से बनते हैं,

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

उनकी आप सिंचाई की रेट ऊंची करें ताकि एनीकट की रेट नीची आ सके और आप जवाब देंगे कि आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। तो इसकी शुरूआत मांडलगढ़ से करें, ताकि दूसरी जगहों के लिए मांडलगढ़ उदाहरण उपस्थित कर सके, आप वहां सिंचाई की रेट आपके बांधों की ऊंची करें, जहां जहां लिफ्ट सिंचाई हो सकती है, वहां नीचा करें, ताकि समन्वय बैठ सके। कुओं का इन्डाइरेक्ट लाभ, एकीकट्स देते हैं, पानी ऊंचा आ सकता है। इसलिए जहां एनीकट बनाने का मौका है, सर्वे करायें ताकि सारे कुओं को लाभ मिल सके।

समाज कल्याण के बारे में निवेदन करूंगा कि अभी अभी बजट पेश हुआ था और हमारे मंत्रीजी ने कहा था इतने सारे अलग हास्टिल खुलने वाले हैं, इतनी समाज सेवी संस्थाओं में होस्टल खुलने वाले हैं, उनमें क्या होगा ? पोलिटिक्स पनपेगी। कृपा करके यह तो संकल्प करें कि अलग होस्टल नहीं रखेंगे। आप अलग बस्ती बसायेंगे इसका मतलब आप मेहतर को हमेशा मेहतर रखना चाहते हैं, आपका फर्ज है कि इस मामले में दूरदर्शिता से काम लें और जहां जहां बच्चों को स्कालरशिप दें पूरी दें लेकिन उन हास्टिल में दाखिल करायें जहां दूसरे लड़के भी साथ रहते हैं, इससे भेदभाव कम होगा, छूआछूत कम होगी।

आपके महकमे का कितना बढ़िया नाम है—समाज कल्याण। अगर उस महकमे में शराब पीने वाले हैं तो समाज कल्याण का नाम न लिया जाय। इस बात का ध्यान रखा जाय कि छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक अगर कोई शराब पीने वाला अधिकारी या कर्मचारी हो तो आपके विभाग में न रखें।

आप मेहतरों के सिलसिले में जल्दी से जल्दी सोचें। अगर आज भी वह सर पर मैला उठाते हैं, तो कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए आप स्वायत्त शासन मंत्री से कहें कि इस बात के आदेश निकालें कि कोई भी लैट्रिन ऐसी नहीं रहेगी, जिसमें मेहतर जाते हैं और सर पर मैला उठाते हैं और सारा शरीर उनका खराब हो जाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

श्री नंदलाल बैरवा।

श्री जगन्नाथ !

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : सभापति महोदयजी, आज सिंचाई विभाग की चर्चा हो रही है। ६९-७० का सिंचाई प्रगति विवरण भी दिया गया और आय-व्यय की प्रगति की भी।

मैं मेरे क्षेत्र की दो कमियों के बाबत सिंचाई मंत्रीजी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जो अभी हाल ही की घटना हुई है यदि टोडारायसिंह में विलायी होती तो सरकार को भी आमदनी होती और जनता

Page No. 115

(श्री जगन्नाथ)

को भी लाभ होता। टोरडी सागर बांध के लिये निवेदन करूंगा। विक्रम संवत् १९४० में यह बना था। उसके ऊपर नदियां बांध दी इसलिए इसका कैचमेन्ट एरिया कम हो गया। ३२ फुट इसकी भराई थी। इस साल २१ फुट और कुछ इन्च ही भरा था। इससे कम सिंचाई हुई। इसलिए टोरडीसागर के ऊपर जो कैचमेन्ट एरिया के पास है उसको वहां से रोक कर बांध दिया जाता है तो इसकी पानी की क्षमता पूरी हो जायगी। टोडारायसिंह तहसील टौंक के हिस्सों को पिलायी हो जायगी। टौंक के हिस्सों में कुओं में पानी कम है। नदी बनास की सेज पूर्व की तरफ जाती है और उससे पूर्व की तरफ के खेतों को ही पिलाई होती है। पश्चिमी इलाके में बनास नदी के पानी से सिंचाई नहीं होती है नदी बनास जहां शामिल होती है वहां पर उसको बांध दिया जाय तो उससे फायदा होगा।

छोटे तालाबों की सिंचाई के बाबत कहना चाहूंगा। रामपुरा बांध गोगुन्दा पंचायत में है। पहले भी काफी पैसा लगाया। नाली टूट गयी उस कारण पिलायी नहीं होती। बलेटो तालाब है उसका मुहाना टूटा हुआ है। बंधाया नहीं। पानी की क्षमता निकल गयी, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, टोडा तहसील और खेरड़ी तहसील में काफी तालाब हैं। उनकी पूरी-पूरी जानकारी लेकर सिंचाई मंत्रीजी उन कमियों को पूरा करें।

एक मिनिट !

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे यही जवाब देंगे मैं जानता हूं कि राजस्थान सरकार इस स्थिति में नहीं है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में ७ लाख एकड़ की सिंचाई होती है। मेरे क्षेत्र का जिक्र करता हूं। बनास नदी अरावली पहाड़ से निकल कर ५०० मील उत्तर और दक्षिण में बहती है। इसके दक्षिण में बड़े भारी खाड़ है। (किसी माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर) आप बैठे रहें आप का समय हो जब बोल लेना। उस नदी का सभापति महोदयजी, राजा महाराजाओं के समय में सर्वे हुआ। उस वक्त कुछ काम नहीं हुआ। राजस्थान ने जांच कराई और जांच करा कर मान लिया। नहरों की करायी। कई इलाकों में पानी पहुँच सकता है। वहां हुआ यह आप लोग ही जानते हैं। अब उस नदी के लिये राज्य सरकार भारत सरकार को निवेदन करें, ताकि उस नदी को बांध दे। भारत सरकार को कहें कि राजस्थान के लिये ही थोड़ा देखें। मैं बाहर यात्रा पर गया। ऐसी-ऐसी नदियां बंधायी हुई हैं। कुछ रुपया नदी बनास के लिये ही दे दें। इससे काफी जनता का भला करेंगे।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय।

श्री सभापति : ऐसा मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने निवेदन किया है कि उन्हें एन. डी. सी. की मिटिंग में भाग लेने के लिये दिल्ली जाना है इसलिये सिंचाई के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य बोलना चाहें वे पहले बोल लें, उनकी मांग को पारित करने के बाद बाकी का फिर उत्तर दे दिया जावेगा। सिंचाई विभाग के बाद समाज कल्याण को ले लेंगे।

(श्री सभापति)

समाज कल्याण के सम्बन्ध में उत्तर सिंचाई विभाग के बाद ही दिया जा सकेगा, इसलिये जो माननीय सदस्य सिंचाई विभाग पर बोलना चाहें वे पहले बोल लें।

श्री रामनारायण चौधरी : इतना समय तो मिलेगा ही नहीं।

(११.४७ म. पू.)

(श्री निरंजनाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री डूंगाराम राजोरिया : सिंचाई पर ही बोलूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय !

श्री भैरोंसिंह : १२॥ बजे वे चले जावेंगे।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री पुनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। संसार में भारत कृत्रिम सिंचाई में दूसरा स्थान रखता है। और कुछ वर्षों पहले सरकार ने यह घोषणा की थी और दुनिया भी जानती है कि सिंचाई के क्षेत्र में बांध बनाने वाले और नहर बनाने वाले जो भारतीय इन्जिनीयर्स हैं वे संसार में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और यहां के इन्जीनियर्स ने यहां ही नहीं विदेशों में भी बड़े २ बांध और नदी, घाटी योजनाओं में सहयोग दिया है। लेकिन सिंचाई को बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से देखें तो हमारी प्रणाली बीसवीं शताब्दी के शुरू में जो प्रणाली थी वही है, वही प्रणाली हमने अपना रखी है। शुरू-शुरू में पंजाब में नहरें बनीं, दक्षिण में नहरें बनीं, यू. पी. में नहरें बनीं तो हमारे देश में आबादी कम थी और नदियों में काफी जल उपलब्ध था उसके बाद आबादी करीब २ दुगुनी हो गयी और सिंचाई के वे ही पुराने तरीके अपना रखे हैं। नहरों से सिंचाई जहां होती है पहली दिक्कत तो यह होती है कि पंजाब की जमीनें वाटर लोगिंग के कारण खराब होने लगी हैं और अनाप शनाप खर्च होने पर भी वापिस खेती योग्य बनाना कठिन कार्य होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पड़ौसी राज्य राजस्थान जैसे आये हुए हैं वहां अकाल से ही हम हमेशा पीड़ित रहते हैं। पहली बात सिंचाई के लिये यह सोचनी होगी कि जितनी नहरें हो वह ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को सिंचित कर सकें, इस प्रकार के साधन काम में लाने पड़ेंगे। १६७० में बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सी नयी उपलब्धियां मानव समाज के सामने आयी हैं। बड़े-बड़े बिजलीघर बनने लगे हैं जहां पर कोयला और पन बिजली नहीं आ सकते थे, वहां एटोमिक बिजलीघर भी हम लगा रहे हैं और लगाये जा सकते हैं। और तो इस तरह से हमारे देश के अन्दर बड़े-बड़े स्टील प्लान्ट का निर्माण हुआ है, जिसमें हम बड़ी-बड़ी पाइप्स का निर्माण कर सकते हैं, यह विचारधारा चली है। कुछ नहरों के अन्दर उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी और छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी से इस तरह से हम खेतों में पानी ले जाते हैं, उसमें पानी का अनाप-शनाप वेस्टेज होता है और जितने पानी से जितने एकड़ में सिंचाई करते हैं उससे मैं ऐसा समझता हूं कि उससे ५-६ गुना सिंचाई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उसी पानी से हम कर सकते हैं। तो सिंचाई विभाग को एक बड़ी योजना बनानी चाहिये जिससे ज्यादा क्षेत्र लाभान्वित हो सके। दूसरी जो अब पद्धति चल पड़ी है कि हरएक नाले को, हरएक नदी को, जहां-जहां भी प्रभाव चलता है, जहां-जहां भी इसका असर होता है, वहां-वहां उसका बांध दिया जाता है। आप जानते हैं कि हमारी फसलों को चार तरीकों से सिंचित किया जाता है। पहले तो कुदरती जो बरसाती पानी आता है उससे सिंचाई होती है, दूसरा सेवज से, बरसाती पानी को जहां इकट्ठा किया जाता है उससे, तीसरा तरीका है कुओं से और चौथा तरीका है नहरों से। हमको यह विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान के अलग-अलग भागों में जहां भू-गर्भ उपलब्ध है और जहां भू-गर्भ से पानी निकाला जा सकता है, वहां की जमीन की बनावट इस तरह की होती है कि वहां पानी सतह में चला जाता है और इस कारण वहां कुए बनाये जाते हैं। हमने यह देखा है कि नदियों के जो नीचे का इलाका है वहां अनाप-शनाप कुए होते हैं, वे आज सूखते जा रहे हैं और उनका पानी कड़वा होता जा रहा है। इसलिये कोई भी सिंचाई की योजना को हाथ में लेने के पहले सिंचाई विभाग को यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह पानी कहां तक खतम होता है। यदि उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो बेशक उसका बांध के जरिये उपयोग किया जा सकता है लेकिन उससे कुए में पानी कम पड़ता है तो इस तरह से जो सिंचाई होती है उससे निश्चित रूप से सिंचाई का क्षेत्रफल कम पड़ता है। पानी चार महीने तो बांध में भरा रहता है और उसके बाद ७-८ मील तक कुछ पक्की, कुछ कच्ची नहरों में पानी ले जाया जाता है और इस तरह से आधा पानी वेस्टेज हो जाता है और आधा पानी बांध में ही सूख जाता है। इस प्रकार काश्तकार बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से जो बांध बनाये जाते हैं, उससे किसान बर्बाद हुआ है। वहां के प्रतिनिधि यह कह देते हैं कि हमने तुम्हारे लिये बांध बना दिया है लेकिन वास्तव में यह कोई बांध नहीं है और सिंचित क्षेत्र में वास्तव में कमी पड़ती है। दूसरा पक्ष सेवज का है। जाजोरी नदी में सेवज की खेती होती है, जालौर तहसील का बहुत बड़ा भाग, हजारों बीघा में सेवज की खेती होती है, तिलवाड़ा के अन्दर हजारों एकड़ में बढ़िया-बढ़िया किस्म की खेती सेवज के रूप में होती है। साँचोर का जो एरिया है, उस एरिया में हजारों एकड़ में सेवज खेती होती है। वहां ऊपर बांध को बांध कर आपने इस सब एरिया को उजाड़ दिया है। वहां पानी आप उस धरती में ले जा रहे हैं, जिसमें फसल करने की पैदाइश की गुन्जाइश नहीं हैं। वह जमीन ऐसी है जो पानी को नहीं पकड़ती है और पानी नीचे चला जाता है। उसके लिये पर्याप्त पानी उन बांधों में नहीं है और आखिर में जो सेवज खेती वहां लाभकर थी और जिसकी उपज प्रति एकड़ पैदावार मन बीसा, मन तीसा है ऐसी पैदावार करने वाली यह धरती है। उस पानी को बांध कर इस तरह की धरती को आप उजाड़ते जा रहे हैं। इसी तरह से जो तीसरा हमारा तरीका है वह है कुओं का, जिसमें ट्यूब वैल्स भी हैं। ट्यूबवैल्स को अपने दायरे में न रख कर, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत न रख कर इसके खोदने का किसी और के जिम्मे और चलाने का काम किसी दूसरे के जिम्मे आपने कर रखा है। जो ट्यूब वेल्स खोदे गये हैं, उनमें कोई एक कील

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भी खराब हो जाये, तो उसको ठीक करने के लिये ६ महीने का समय लग जाता है। इनको चलाने के लिये हर जगह बिजली नहीं दी जा सकती। यह कहा जाता है कि इसमें तीन-चार गुना बिजली का चार्ज ज्यादा होता है और वे कुएं काम में भी नहीं आ रहे हैं। एक भी कुएं का सही उपयोग नहीं हो रहा है। होना यह चाहिये था कि ये सब कुएं सिंचाई विभाग के अन्तर्गत होने चाहिये और उनका एक ग्रुप में सर्वे करायें कि उस जमीन में पानी कितनी मात्रा में है और २०-३० कुओं का ग्रुप बनावें। यह बताया गया है कि इससे सिंचाई के चार्जेज २००-१५० रुपया प्रति एकड़ आता है। परन्तु आप यह कह कर लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। गंगानगर में ७/१० रुपया एकड़ का खर्चा होता है, इसके अन्दर वहीं के नागरिकों को पानी देते हैं और यहां १५० रु० प्रति एकड़ बताते हैं। तब आपके ये पन-बिजली-घर, एटोमिक-बिजलीघर-भोपाल इलेक्ट्रिकल्स फिर किस दिन काम में आने वाले हैं? यह खर्चा इसलिये बढ़ गया कि ट्यूबवैल्स अलग-अलग जगहों पर बनाये गये हैं। अगर २० ट्यूबवैल्स के ऊपर बिजली लगाई जाती है तो कुछ इकॉनोमी आप इसमें कर सकते हैं। अकाल के ऊपर जो करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं वह इसकी सबसीडी के रूप में आप खर्च कर सकते हैं और एक निश्चित दर पर ७०/७५ रुपये के हिसाब से भी देने का हम फैसला करें तो बहुत सी फसलें पैदा कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहरी क्षेत्रों में पैदा नहीं कर सकते हैं जो वहां पैदा की जा सकती हैं। इसलिये मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूबवैल्स का काम सिंचाई विभाग अपने हाथ में ले लें और लिफ्ट इरिगेशन से इनके द्वारा सिंचाई कराई जाये। जो बांध आपने बनवाये हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि उनका उपयोग किस काम में किया जाना चाहिये, ऐसी सुबह चर्चा चल रही थी। पानी रणकच्छ रेत में चला जाता है। आप इसको बिल्कुल न जाने दीजिये, जो रिजर्व वायर है उसमें रोक लीजिये। १०-१० मील की दूरी पर एनीकट बनाये और ज्योंहि बरसात चली जावे, उनके नाले खोल दें और फिर वह पानी धीरे-धीरे चलता रहे और हरेक एनीकट उसको रोकता रहे। इससे आस पास के कुएं अच्छे हो जायेंगे। राजस्थान को आज जिसका सामना करना पड़ रहा है पानी की कमी। पानी एक कीमती वस्तु है। आज इन्जिनीयरिंग कॉलेज और रीजनल इन्जिनीयरिंग कॉलेज आदि कई तरह के कॉलेज खुल गये हैं। ऑक्सफोर्ड के इन्जिनीयरिंग कॉलेज में जो पढ़ाई कराई जाती है, उसमें और आपकी पढ़ाई में क्या फर्क है? लेकिन यहां की युनिवर्सिटी को यहां की स्थानीय समस्याओं के बारे में शोध करना चाहिये और वे नहीं करती हैं तो आपको कहना चाहिये कि पक्की नालियों से इरिगेशन करेंगे तो कितना फायदा होगा और कच्ची से कितना अधिक पानी बहेगा। इस तरह से अनुसन्धान करना चाहिये और हमारे इन्जिनीयर्स को इसका डाइरेक्शन देना चाहिये कि स्थानीय समस्याओं का मुकाबला विज्ञान की मदद लेकर कैसे हल कर सकते हैं। यह ठीक है कि मकान, बांध और बिजली की कला हमने सीख ली है लेकिन इसके साथ-साथ जो स्थानीय कठिनाइयां आती हैं उसका मुकाबला करने के काम में यह विद्या नहीं आ सकती तो यह जो आपकी शिक्षा पर खर्च हो रहा है वह निरर्थक है। यह मैं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

निवेदन करूंगा कि छोटे-मोटे नालियों का बांधों का जो आपका यह सिस्टम है उसको आप छोड़ दें और सिंचाई की योजनाओं की उपयोगिता की दृष्टि से बनाया जाना चाहिये। यह लालच छोड़ दें कि मेरे इस नाले को बांधना है। आप ऐसा करके विश्वासघात कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ और आने वाली यह पीढ़ी इससे बर्बाद हो जायेगी। मैं यह कह सकता हूं कि आपके इस सिंचाई विभाग के द्वारा इसको करना चाहिये।

१२ मध्याह्न)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव और देकर के अपना स्थान लेना चाहता हूं। राजस्थान की जमीन के अन्दर मीठा पानी कम है खारा पानी गांवों और शहरों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खारे पानी के अन्दर कितना मीठा पानी डालें जिससे वह पानी सिंचाई आदि के लिये उपयोगी हो सकता है। इस तरह से हम कुछ मीठा पानी मिलाकर खारे पानी को उपयोग में ला सकते हैं क्या ? इससे किस तरह की काश्त हो सकती है, ये सब मामले ऐसे हैं, जिनके बारे में शोध किया जाना चाहिये। आज हम जिस युग में रह रहे हैं, हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिये। यह कहना कि ऐसी योजनायें हाथ में लेने से रिटर्न्स नहीं आते हैं। मैं समझता हूं रिटर्न्स का तारीका १९ वीं शताब्दी का तरीका है आज यह सोचना कि सिंचाई की दर क्या हो ? इससे नफा नहीं रहता। आज हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स हमारी आय का सब से बड़ा स्त्रोत होता जा रहा है आज हम इस पर कितना निर्भर करते हैं। अगर हमारे प्रान्त में देश में खुशहाली होगी तो खेतों की लटाई से और लैण्ड रेवेन्यू से हमारी आमदनी बढ़ेगी। आधुनिक जो साधन हैं वे लोगों की खुशहाली पर निर्भर करते हैं आज यह सोचने का समय नहीं है कि इतने बान्ध बनाने से केवल इतनी ही सिंचाई होगी इसलिये इसको बनाया जाय या नहीं। ये सब सोचने के पुराने तरीके हैं, आज हमें यह देखना है कि हमारा किसान कितना सुखी है, खुशहाल है, नई-नई मण्डियां बनती है, स्कूलें बनती हैं इससे हमें खुशहाली को आंकना चाहिये। इन्हीं सुझावों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : Brainless Government with useless machinery.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, को बधाई दूंगा जिन्होंने सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए राज्य सरकार व इनका प्रशासन जिन विकास योजनाओं को लेकर हमेशा दम्भ भरता आया है उसको सही तस्वीर उपाध्यक्ष महोदय ने सदन के सामने रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह उद्देश्य नहीं था जिस तरीके से आप उसका अर्थ निकाल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने सही तस्वीर हमारी विकास योजनाओं की सदन के सामने प्रस्तुत की है।

यह बात सही है कि इधर बेंचों से कोई भी बोलेगा तो सच बात निकलेगी। उधर से बोलते हुए अन्तरात्मा पर जोर देना पड़ेगा और बगैर उसके सही बात बोल नहीं

Page No. 120

(श्री भैरोंसिंह)

सकते। मैं समझता हूं इतने पर भी अगर अन्तरात्मा जग जायगी, इधर बैठने से जग जाती है तो यह बड़ी खुशी की बात है।

अध्यक्ष महोदय, सब से मोटा प्रश्न सिंचाई का हमारे सामने है। सिंचाई के नाम पर हमने अरबों रुपये खर्च किया है। उसके बाद भी अन्य प्रान्तों के मुकाबले जितनी सिंचाई की सुविधाओं को देने का सवाल है, उतनी सुविधायें हम अपने किसानों को उपलब्ध नहीं करा सके। अध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई योजना माध्यम सिंचाई योजना और साधारण सिंचाई योजना, और इनके आकड़े उठाकर हम देखें तो अपने आप में पता चल जायगा कि इसमे लाभ कितना हुआ और किसको हुआ ?

(१२.०३ म० प०)

(सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

जब हमने इन योजनाओं को हाथ में लिया था, उस समय कितने साधन हमारे पास थे, किस प्रकार की रूपरेखा इन्जीनियर्स ने सामने रखी कि अमुक योजना पर दो लाख रुपया खर्च होगा और इससे दो हजार एकड़ की सिंचाई होगी लेकिन जिस समय योजना पूरी हुई तो हमने जहां दो लाख के खर्च का अनुमान लगाया, वहां हमने ६ लाख रुपये खर्च किये और दो हजार की एकड़ सिंचाई के स्थान पर २०० एकड़ भी सिंचाई नहीं कर पाये। इससे यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है जैसे कि मैंने पहले कई बार कहा है इस प्रकार की योजनायें वास्तविकता के आधार को न लेकर मुख्य रूप से राजनैतिक आधार पर ली जाती है इसलिये मैं कहूंगा कि अगर इन सारी मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं के टारगेट्स और एक्सपेन्डीचर के टारगेट्स कितनी भूमि सिंचित हुई है, उसकी तुलना में हमने कितने टारगेट्स रखे थे इनको देखेंगे तो सही स्थिति का पता चल जायगा। उससे हमें निष्कर्ष निकालने में सन्कोच नहीं होगा कि जो योजनायें बनायी गई, वे वास्तविकता के आधार पर न बनकर राजनैतिक आधार पर बनायी गई। इसलिये हम राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सके, यह सब प्रशासन के अधिकार की बात थी। जो पैसा हमने लगा दिया, जिस पैसे के कारण हमें पानी मिलना चाहिये वह पानी नहीं मिलता। यह इस बात का प्रमाण है, हमारी राज्य सरकार या तो निष्क्रिय है, प्रभावहीन है या राज्य सरकार अयोग्य है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा, सरकारी आंकड़ों के आधार पर भाखरा, गंग केनाल से १६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान था, जबकि १२ लाख एकड़ की ही सिंचाई कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १६ लाख कल्चरेबल कमाण्ड।

श्री भैरोंसिंह : यह आपकी दी हुई किताब के आंकड़ें हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १६ लाख कल्चरेबल १२ लाख कमाण्ड एरिया ये दोनों मिलाकर प्लान है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो फिगर्स रखे हैं, वे फ्लकचुएटिंग है, यह हमें कैसे पता चल सकता है। क्या इरिगेशन भी फ्लकचुएटिंग है, क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आंकड़े फ्लकचुएटिंग हैं।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान नहर से पानी उपलब्ध हो सकता है और इससे काफी क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है. लेकिन जितना पानी आना चाहिये, वह नहीं मिलता और इस कारण जितने क्षेत्र में सिंचाई होनी चाहिये, वह नहीं होती।

सिद्धमुख केनाल के नाम पर तीन लाख एकड़ एरिया हम कमाण्ड घोषित कर चुके, इसको सिवाय कागजों में लेने के कार्यरूप में नहीं ले सके।

चम्बल योजना की भी यही स्थिति है। जितने एरिया में हम सिंचाई की आशा करके चले थे, उतनी नहीं होती। आज स्थिति यह है कि असिंचित भूमि को कमाण्ड एरिया में मानकर, उस पर आप बेटरमेण्ट लेवी वसूल कर रहे हैं। इसी तरह से गुड़गांव नहर, भरतपुर फीडर, जमना योजना को राज्य सरकार कब तक पूरा कर लेगी यह पता नहीं। माही और नर्मदा की योजना पर किस समय जाकर निर्णय होगा, इसका भविष्य किस प्रकार का होगा आज भी राज्य सरकार इस बारे में विश्वासपूर्वक नहीं कह सकती इससे कितने एरिया में सिंचाई हो सकेगी।

मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इतना पैसा लगाने के बाद जितना पानी हमको मिलना चाहिये वह पानी उपलब्ध नहीं होता, इससे अधिक निष्क्रियता और हमारी क्या हो सकती है? पंजाब वाले हमें पानी नहीं देते। पंजाब वाले दें या न दें हमारे में वह पानी लेने की ताकत होनी चाहिये। पंजाब तो नहीं देगा इसी प्रकार से हमारी कमजोरी रही तो राजस्थान नहर का प्रश्न सभापति महोदय, भारत सरकार के कुछ मंत्रीगण भगवान जाने हमारे प्रान्त से क्यों रुष्ट हैं। वे कभी नहीं चाहते राजस्थान का विकास हो, राजस्थान केनाल को पूरा करने के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता दी जावे, जिसके आधार पर राजस्थान नहर का दूसरा चरण हाथ में लिया जा सके।

दूसरे चरण को अबंण्डन नहीं किया, इससे भारत सरकार की यह इच्छा जाहिर होती है कि राजस्थान नहर पर दूसरा चरण आरम्भ करने के लिये पैसे की आवश्यकता है, बिना पैसे के हम इसको किस प्रकार आरंभ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, राजस्थान के सामने एक तरह से भयंकर संकट सामने खड़ा हुआ है। राजस्थान केनाल और पोंग डेम के पानी के हिस्से का क्या होगा? वह पानी पंजाब और हरियाणा लेंगे। मैं राजस्थान सरकार से कैटोगेरिकली आश्वासन चाहूंगा कि राजस्थान केनाल को मिलने वाला पानी पोंग डेम का जितना हिस्सा है वह पानी न तो पाकिस्तान को जावेगा न पंजाब को जावेगा और न हरियाणा को जावेगा, वह राजस्थान केनाल में आवेगा। राजस्थान केनाल से सिंचाई नहीं हो सकती तो भाखरा के काम को पूरा किया जावेगा। भाखरा में भी काम नहीं आ सके तो गंग केनाल के क्षेत्र में जो उजड़ गया है उसमें राजस्थान केनाल का पानी जावेगा और अगर इन दोनों को देने के बाद भी पानी सरप्लस रहता है तो उस क्षेत्र का आपने दौरा किया होगा या नहीं, पर मैं आपको निवेदन कर दूं और जानकारी भी दे दूं कि छतरगढ़ से जैसलमेर, रणजीतपुरा का जो हिस्सा है उसके बीच-बीच में एक प्राकृतिक नाला है और ऊपर की तरफ से जैसलमेर की तरफ इस

(श्री भैरोंसिंह)
प्रकार का ढलान है, स्लोप है कि अगर ऊपर से उस बचे हुए पानी को उस नाले की तरफ छोड़ा जावेगा और राजस्थान केनाल के नाम पर लेकर डाल देंगे उसमें तो जैसे घग्घर के बाढ़ के कारण वह घग्घर की नाली कहलाती है और घग्घर की नाली में वह पानी डाल दिया जाता है उस तरह से यह पानी इस नाली में या नाले में आप डाल सकेंगे तो इस नाले के आसपास का एरिया सरसब्ज हो जावेगा और इस नाले से होकर जैसलमेर के नाचणा इलाके तक वह पानी जावेगा । पाकिस्तान को एक बूंद जाने वाला नहीं और जैसे घग्घर के पानी से खेती होती है वैसे वहां होगी ।

राजस्थान सरकार को इस मामले में बोल्ड एक्शन लेना पड़ेगा और राजस्थान सरकार राजस्थान के हक के पानी को पाकिस्तान को जाने देगी या पंजाब या हरियाणा को जाने देगी तो वित्त मन्त्रीजी और सिंचाई मन्त्रीजी आप अच्छी तरह कान खोल कर सुन लें कि नैतिकता तो यह कहती है कि आपको उस हालत में राज करने का अधिकार नहीं रह जावेगा और इस नैतिकता के उसूल का अगर आपने पालन नहीं किया तो आपको उठाकर फेंक देने के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है वह सब किया जावेगा ।

हर चीज में आपने राजनीति को घसीटा है। सिंचाई के मामले में जितना पैसा आपने उदयपुर डिविजन को दिया है इन आंकड़ों में उदयपुर डिविजन एक तरफ बाकी का राजस्थान एक तरफ। भीलवाड़ा ले लीजिये चितौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ले लीजिये। लोग कहते हैं योजना का खर्चा निकाल लीजिये । मध्यम योजनाओं का खर्चा निकाल लीजिये, राजस्थान एक तरफ चल रहा है और उदयपुर डिविजन एक तरफ चल रहा है ।

जयपुर जिले में रियासत के समय के बान्ध बने हुए थे। एनीकट बने हुए थे। जयपुर रियासत के समय जो पानी की सिंचाई की व्यवस्था की गई थी उसमें आज दिन तक आपने एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं की। बाढ़ आ गई बाकी के दिनों में इस नाम पर पैसा खर्च हो गया तो हो गया। मैं नमूना बताऊं। यहां से निकल कर भरतपुर जाने वाले लोग जानते होंगे जयपुर शहर से थोड़ी दूरी पर एक बान्ध था, टूट गया। बान्ध के भरे होने से उसके नीचे के कुओं में काफी पानी मिलता था । अब उनका पानी सूख गया और इस तरह से पांच गांव के किसान बरबाद हो रहे हैं जो उन कुओं पर जिन्दा थे। यह हालत जयपुर जिले में इस सरकार ने सौतेला बरताव करके की है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जयपुर जिले में कितने कुओं को बिजली दी गई है, यह भी थोड़ा बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : बहुत ही कम मिली है, यह आपको वहम है। राणी साहिबा आपको आपत्ति होगी कि मैं कोई उदयपुर डिविजन को दिया जा रहा है उसका विरोध कर रहा हूं कि उदयपुर डिविजन में पैसा नहीं लगाना चाहिये । यह आपका भ्रम है । मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उदयपुर डिविजन को छोड़कर अगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जावें तो क्या बोलेंगी ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं इसलिये कह रहा हूं सभापति महोदय, कि राजस्थान की सरकार ने न तो जयपुर का इस दृष्टि से सर्वे कराया कि यहां कितने बान्ध बनाये जा सकते हैं, कितने कुओं को ठीक करके खेती की उपज बढ़ाई जा सकती है न इसकी कोई योजना बनाई है। पंचायत समिति और जिला परिषद् ने जितने प्रस्ताव भेजे उन पर कभी विचार नहीं किया। बाढ़ आ जावे तो जयपुर जिले का नम्बर नहीं। नया बान्ध बनवाने का प्रश्न आ जावे तो इसकी चिन्ता नहीं। जयपुर जिले को जिस तरह से बरबाद करने की योजना इन तीन योजनाओं में राजस्थान की हुकूमत ने बनाई है उसमें तो सफलता मिल गई कि जयपुर जिले को ठीक तरह से बरबाद कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राणी साहिबा यह तो कह रही हैं कि बिजली कितनी मिली पर इसके आंकड़ों का भी उन्होंने अध्ययन किया है कि सिंचाई के नाते इरिगेटेड वेल्थ का पैसा जयपुर जिला ज्यादा देता है या उदयपुर ? कुओं की सिंचाई पर लगान जयपुर जिला ज्यादा देता है या भीलवाड़ा या चित्तौड़ ? राजस्थान में भरतपुर को छोड़ कर जयपुर जिले का दूसरा नम्बर आता है जो कुओं की सिंचाई का पैसा सबसे ज्यादा देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यहां की जमीन में वाटर की पोटेन्शियेलिटी है। उसको निकाल कर, धरती पर बहने वाले पानी को रोक कर जयपुर जिले की सिंचित क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाया जाता तो आज स्थिति दूसरी होती। पर यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। भीलवाड़ा का मन्त्री बन गया तो भीलवाड़ा के विकास की तरफ खजाना मोड़ दिया। चित्तौड़ का बन गया तो चित्तौड़ की तरफ पैसा बहा दिया और उदयपुर का बन गया तो वहां विकास के काम खोल दिये। भीखाभाई का हाथ पड़ गया तो वे ले भागे, और हरिदेवजी के नजर में आ गया तो पैसा डूंगरपुर-बांसवाड़ा ले गये। इस प्रकार की स्थिति और दूसरे जिलों के प्रति सौतेला बरताव उचित नहीं होगा।

श्री रामकिशन : आपके जिले के भी दो मन्त्री हैं ?

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा (उप-मंत्री) : यहां बोरिंग की गुंजाइश है। बोरिंग करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : भैंसवाड़ा ठाकुर साहब आपके तोल का मिल जावे तो बोरिंग करने का भी मजा आवे।

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा) : जयपुर जिले में बहुत हैं इसलिये कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : चट्टान ऐसी मिल जावे तो पानी नहीं मिले।

ऐसी ही हालत आपने सीकर, झुन्झुनू जिलों की कर रखी है। काखला बांध की बात सन् ५२ से सुनते आ रहे हैं। नरोत्तमलालजी जोशी ने और हरलालसिंहजी ने काफी जोर इस बान्ध पर दिया। वह योजना चल रही है या नहीं वह भगवान जाने। वह कागजों से भी बाहर नहीं निकल रही है।

अब मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पानी के वितरण की व्यवस्था करके चल रही है वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। गंगानगर जिले में जावें, वहां ज्यादा असन्तोष इसी वितरण की बात का है। सारे किसानों के नाम पर सरकारी

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर रखी है सारी वितरण प्रणाली को। जब चाहें जितना चाहें जिसको चाहें वे उसको दे देते हैं। देने का उनके यहां न नियम है न उप-नियम है। होंगे भी ऐसे नियम, उप-नियम तो उनके पालन का किसी तरह का नाम नहीं है। और इस कारण एक किसान को चार पानी मिल गया, पांचवें के लिये पैसा नहीं मिला उनको और झगड़ा हो गया तो नहीं दिया पानी, रोक दिया, परिणाम यह निकलता है कि वह २० बीघा में लहलहाती खेती पूरी तरह से विनष्ट हो गई, पानी के अभाव में सूख गई। यही कारण है कि जनता में इस प्रकार का असन्तोष आज वहां फूट पड़ा है। जयपुर जिले में और उन जिलों में आज सिंचित भूमि के नाम पर कुओं के द्वारा सिंचित जमीन का रेवेन्यू नहरी से भी ज्यादा देते हैं उनमें भी असन्तोष है। इस जनता के रोष से अब आप बच नहीं सकते। इस जनता की भावना को अब आप दबा नहीं सकेंगे। फिर निवेदन करना चाहता हूं आज आपने कुओं से सिंचाई पर लैंड रेवेन्यू नहरी सिंचाई की लैंड रेवेन्यू से भी ज्यादा रख रखी है।

लड्ढा साहब, आप भी नहीं चाहते पर वह समय आने वाला है राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी जनता की भावनाओं के आगे झुकना गौरव समझते हैं तो जनता की भावनाओं के सामने झुकने का अवसर अभी है। बाद में तो डन्डे के सामने झुकने की बात होगी। तब झुकने में तारीफ की बात नहीं रहेगी। वित्त मन्त्री को लेकर आप नहीं चाहते कि किसान के साथ न्याय किया जाय और धांधली करने वाले को दण्ड दिया जाय। एक जागीरदार के नाम पर बान्ध बना दिया। उस जागीरदार ने उस बान्ध से लाभ उठाने की कोशिश की है या राजनैतिक आधार पर लोगों को मुगालता देकर वोट लेने की हिमाकत की है। यह तो लड्ढा साहब जानते हैं कि इतने इरिगेशन के चार्जेज बढ़ा देने के बाद भी आमदनी सरकार को क्यों नहीं होती? मैं भी उस जागीरदार का नाम तो नहीं लेना चाहता, पर निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसा जागीरदार है वह समाप्त होगा। वह जवाई बान्ध के पानी की चार वर्षो से लगातार चोरी करता आ रहा है। नहर के पास में एक कुआ बनाया, उसमें साइफन लगा लिया और प्रतिदिन १० हजार गैलन पानी से चोरी करके अपने खेत की सिंचाई करता रहा। उस प्रकार के जागीरदार का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। उससे चार्ज करने की हिम्मत करने वाला इस सरकार में कोई नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : वह ऐसा कौन जागीरदार है?

श्री विजयसिंह (मकराना) : वह है ठाकुर साहब नाथूसिंहजी मिर्धा।

श्री भैरोंसिंह : वह हैं आपके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाथूरामजी मिर्धा साहब जो दस हजार गैलन पानी प्रतिदिन चुराकर अपने खेतों में ले जाते रहे हैं पिछले चार साल से बराबर। आप में हिम्मत हो तो बनाओ कोई मुकदमा उनके खिलाफ। आप राजाओं, जागीरदारों के नाम लेते हैं। उनको मिटाने की बात करते हैं। लगाओ

(श्री भैरोंसिंह)
मुकदमा चोरी का इन नये जागीरदार साहब के खिलाफ। बेलट पेपर बॉक्स में से बेलट पेपर चोरे, नहर में से पानी चोरा इस प्रकार से चोरो को प्रोटेक्शन देकर चलेंगे तो न तो ये चोरियां रुकेंगी न वोटों की पवित्रता कायम रह सकेगी। न सरकार की आय बढ़ेगी। कोई इन्कार करने वाला हो सरकार में, तो करे कि यह मामला गलत है।

इसलिये कहता हूं इस स्थिति में सभापति महोदय, इस प्रकार के मामलों को दरगुजर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। वितरण पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिये। इसकी पूरी तरह से देखभाल की जानी चाहिये। इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को, ऐसा है, मैंने एक निवेदन किया था कि सिंचाई मन्त्रीजी ने निवेदन किया है कि उनको एन० डी० सी० की मीटिंग में राजस्थान का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये जाना है। आज ही शाम को मीटिंग है। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए सिंचाई मन्त्रीजी का उत्तर पहले हो जावे और इसके बाद समाज कल्याण के मद में जो बोलना चाहेंगे उनको समय दे दिया जायेगा। इसके बाद उसका उत्तर हो जावेगा। इतना सा एडजस्टमेन्ट करना है।

श्री रामनारायण चौधरी : उप-मन्त्री बाद में और जवाब दे देंगे।

श्री विजयसिंह : सिंचाई मन्त्री चले जायें और न भी जावें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वहां इनकी वक़त तो रहेंगी नहीं, फालतू जाकर समय खराब करेंगे।

श्री मदनसिंह : लघु सिंचाई का काम जो है, उस पर छोटे मन्त्री बोल जावेंगे, बड़ी योजनाओं पर ये बोल जावें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि आज शाम को कडाना के बजाज सागर के और दूसरे जिन बांधों के बारे में विधान सभा में प्रश्न उठे थे उनके बारे में चीफ मिनिस्टर गुजरात से ६ बजे बात होने वाली है। चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड और एन० डी० सी० की बात खैर कल होगी। पर यह आवश्यक है क्योंकि वे कल वहां नहीं रहेंगे। इसी आशय से निवेदन किया था। यदि यह सुविधा मुझे दे दी जाय तो शाम को पहुँचने की कोशिश की जाय। मैं जो जवाब दूंगा बहुत ब्रीफ में दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जैसा माननीय सदस्यों ने बताया, कडाना डेम के सम्बन्ध में आज दिल्ली में बात हो रही है। इस सदन में बात होने से पहले सम्बन्धित प्रतिनिधियों से बातचीत की जाय और यह किस आधार पर बातचीत की जाय—सबको कोन्फीडेन्स में लेकर बात की जाय। जहां तक मुझे जानकारी है इस प्रकार का आश्वासन मुख्य मन्त्रीजी द्वारा दिया गया था पर सबको असन्तोष है इसलिये गवर्नमेन्ट ओपनली कुछ बातें नहीं कहना चाहती है और माननीय सदस्य भी कुछ ओपनली में नहीं कहना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
चाहते हैं तो पहले उनको कान्फीडेन्स में लिया जाय....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एन. डी. सी. की मीटिंग पूर्व-निश्चित थी। चीफ मिनिस्टर गुजरात वहां आ रहे हैं। आज भी मीटिंग है। इस अवसर का लाभ उठाने की दृष्टि से हम बातचीत कर रहे हैं। आपको ऐतराज नहीं होना चाहिये। रातों रात कोई बात फाइनल नहीं हो रही है। आपको कान्फीडेन्स में लेने का आश्वासन मुख्य मन्त्रीजी ने दिया है, तो हम उससे मुकर नहीं रहे हैं। ज्योंही वे आयेंगे, जिस तरह की बात कही गई है, वे करेंगे। आज हमें इनीशियेट करने का मौका तो दीजिये। मुख्य मन्त्रीजी कल दिन भर यहां रहे, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। उनको रात को ही दिल्ली जाना पड़ा। अगर आप इजाजत देंगे तो थोड़ी देर बाद मैं भी रवाना हो जाऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा आज इस डिबेट को चालू रखा जाय क्योंकि काफी सदस्य बोलने वाले हैं। आज इसकी मांग को खत्म नहीं किया जाय और अगले दिन मन्त्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री सभापति : २४ तारीख को डिमाण्ड होगी, उसका क्या होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : २४ तारीख को शुरू में जवाब दे देंगे और बाद में दूसरी डिमाण्ड पर बहस शुरू हो जायगी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमारे इलाके की हैं जो बातें ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारा कार्यक्रम विधान सभा द्वारा निश्चित किया गया है इसलिये मैंने निवेदन किया एक दिन आगे खिसकाना– आखीर वाली बहस कम हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब नहीं दें, इसकी आपत्ति नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमारे जिले की मांगों को रख दें, आप जवाब नहीं दें तो कोई बात नहीं है। बाकी २४ को दो घंटे ज्यादा चल जाय तो कोई बात नहीं है।

श्री विजयसिंह : एक-एक दिन आगे खिसक जाय और बजट है वह एक अप्रेल को पास करा लेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक अप्रेल को कैसे करा लेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है २८ तारीख के बाद एक दिन इसी की बहस के लिये रख लिया जाय।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं २८ को जवाब दे दिया जाय और वहां जो बातें होंगी उसका भी जवाब दे दिया जाय और इनको दिल्ली पधारने दिया जाय।

(विराम)

श्री सभापति : सुझाव यह है कि मांग का उत्तर ही नहीं दिया जाय और मांग पारित नहीं की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समाज कल्याण की कर दी जाय।

श्री डूंगाराम राजोरिया : २८ तारीख को हो जायगी उसमें क्या है ? आप जवाब किस बात का देंगे कोई माननीय सदस्य बोले ही नहीं हैं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सबको बोलने का मौका दिया जाय।

श्री सभापति : जो अभी तक वाद-विवाद हुआ है उसके सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्रीजी उत्तर दे दें।

श्री मदनसिंह : अपने यहां परम्परा रही है। जवाब दे देते हैं तो उसके बाद बहस होना तो मेरे खयाल से परम्परा नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मनफूलसिंहजी बैठे हैं। ये जवाब दे देंगे। ये दिल्ली पधार रहे हैं तो आप पधारने दीजिये।

श्री मनफूलसिंह : राजस्थान की बृहत् सिंचाई के सम्बन्ध में मैं क्या बता सकता हूं।

श्री सभापति : अभी इस सम्बन्ध में जो विवाद चल रहा है उसमें सरकार का ओर से आग्रह है वे उत्तर दें और मांग पारित की जाय। कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, मैं १५-२० मिनिट बाद समय दे दूंगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, मुझे बोलने की....

श्री सभापति : १५-२० मिनिट बाद समय दे दिया जायगा। अभी जो व्यवस्था है वह यह है कि भारतीय क्रान्ति दल की जो सूची यहां पर आई है और जो जानकारी दी गई है उसका समस्त समय माननीय झुझारसिंह को दे दिया गया है। जितना समय निर्धारित था उससे अधिक लिया है जबकि संसोपा के माननीय नेता महोदय बोल चुके हैं, जनसंघ के दो बोल चुके हैं, एक सदस्य स्वतन्त्र का बोल चुका है, एक सदस्य को और बोलना है उनको और समय दे दिया जायगा। कांग्रेस को एक घंटा २० मिनिट का समय दिया गया, जिसमें उसने ज्यादा समय ले लिया है। एक-दो सदस्यों को और बोलना है और मैं साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूचियां यहां पर भेजी जाती हैं उसके बाद अनेक माननीय सदस्य सीधे यहां पत्र लिख कर निवेदन करते हैं। इसमें आसन को असुविधा होती है, समय न दें तो नाराजगी होती है। यह सब मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी है। कौन ज्यादा बोलना चाहता है और कौन कम बोलना चाहता है, यह बात मुख्य सचेतक को देखनी चाहिये। जो यहां सूची भेजते हैं उसमें भी बार-बार संशोधन आ जाते हैं और वह भी संशोधन सीधे ही आ जाते हैं जबकि मुख्य सचेतक के द्वारा संशोधन आने चाहियें। इसलिये मेरा निवेदन है आसन को दुविधा में न डाला जाय। सदन की परम्परा के अनुसार एक बार सूची दीजिये और अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो वह मुख्य सचेतक के माध्यम से ही होना चाहिये। इस सम्बन्ध में शिकायत विशेष रूप से रही है। सब दलों के सचेतकों को सूचियां भेजनी चाहियें। मैं समझता हूं कि आपके यहां से सीधे पत्र चले आ रहे हैं। डाइरेक्ट कम्यूनिकेशन कोई नियम विरुद्ध तो नहीं है लेकिन सुविधा की दृष्टि से आपत्तिजनक है।

(श्री सभापति)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

आपकी शिकायत पर ही तो मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : जो आपने अभी व्यवस्था दी वह जनसंघ के मुख्य सचेतक पर भी लागू होगी ?

श्री सभापति : सभी पर लागू होगी, जिन्होंने सूचियां दी हैं।

श्री देवीलाल बुरासिया : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपकी सूची आई थी उसमें आपका नाम पहले था और अब आपने उसमें संशोधन कर दिया। आप अपने सचेतक महोदय से बात कीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा–मु०) : माननीय सभापति महोदय, सदन में सिंचाई विभाग की डिमाण्ड रखी गयी है उस पर विचार हो रहा है। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जो सिंचाई योजनायें हैं राजस्थान में ये क्षेत्रीय भावना के आधार पर नहीं होनी चाहिएं। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि किसी भी राज्य का विकास क्षेत्रीय आधार पर नहीं हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं जनतंत्र का उद्देश्य क्षेत्रीय आधार नहीं होना चाहिए। राज्य करने वाली पार्टी का जिम्मा है कि राज्य का हर क्षेत्र का हर व्यक्ति समानता से विकास करे। जो राज्य के पास साधन हैं सब ही जगह उपलब्ध कराये जायें ना कि जहां का मंत्री है उसी इलाके का विकास हो। इस तरह की परम्परायें जो सरकार डाल रही है बिल्कुल गलत हैं। इससे राज्य का चहुँमुखी विकास नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता था सरकार ने जितने भी कार्य किये हैं वे क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर किये हैं और इन क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर जिस क्षेत्र का विकास सरकार ने नहीं किया है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में क्षोभ पैदा होगा। उसके परिणाम स्वरूप पिछड़े इलाके दूसरा रूप धारण करेंगे और उन इलाकों में मैं जहां तक समझता हूं आन्दोलन भी हो सकते है। उस आन्दोलन से जो नुकसान होगा उसकी सरकार जिम्मेदार है। उस इलाके को किसी प्रकार से दोष देने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि दुखी लोग हैं जिनका विकास नहीं हुआ है। वे आन्दोलन करेंगे ही और उस आन्दोलन में जितना भी नुकसान होगा उसके लिये राज्य सरकार दोषी होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक जो किया उसको राज्य सरकार ने गलत रूप दिया। हो सकता है आज मुख्य मंत्री या कोई भी मंत्री भीलवाड़ा के हो सकते हैं, उदयपुर के हो सकते हैं, चित्तौड़ के हो सकते हैं और कल कोई भी मंत्री जिसके हाथ में ताकत आ सकती है जयपुर जिले का हो सकता है, सीकर जिले का हो सकता है और यही पोजीशन चलती रही तो मैं समझता हूं गलत परम्परा डाली गयी है और गलत परम्परा किसी माने में जनतंत्र में अच्छी नहीं कही जा सकती।

माननीय सभापति महोदय, मैं और विषयों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं और जो विषय हमारे सामने हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने करीब १५ करोड़ रुपया महती सिंचाई योजनाओं के

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

ऊपर खर्च किया, उसमें जयपुर जिले पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। यह कहां का इन्साफ है? दूसरी लघु सिंचित योजनाओं के कई काम आपने करवाये हैं। उन कामों में से ३२ योजनायें उदयपुर जिले के लिए रखीं और वे ३२ योजनाएं जहां तक मैं समझता हूं पूर्ण होने आई हैं और उन पर आपने करोड़ों रुपया खर्च किया है। दूसरे मैं चित्तोड़ जिले का हवाला दूंगा। वहां की २७ योजनायें आपने हाथ में लीं और वे सम्पूर्ण होने को आईं। ये दो जिले मैंने बताये हैं और इनके अलावा दो जिले और भी हैं उनकी भी यही पोजीशन है। जैसी इन जिलों में योजनायें हैं वैसी ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। मैं समझता हूं कि आधे पैसे तो चार जिलों में खर्च किये जायें और आधे पैसे बाकी के २२ जिलों में खर्च किये जायें यह सरकार की दोषपूर्ण नीति है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ये योजनायें बनीं इनमें ४ योजनायें जयपुर जिले की भी बनी हैं। उन चार योजनाओं के बारे में सरकार ने प्रावधान किया और इन चार योजनाओं में से एक योजना ५ साल पहले, दूसरी ७ साल पहले और तीसरी १२ साल पहले बनी। इन तीनों योजनाओं में केवल ५० हजार रुपया खर्च किया गया तो मैं निवेदन करना चाहता था क्या यह न्यायसंगत है? इसके साथ ही मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं इन तीनों योजनाओं में से एक चांदराना बांध की योजना १२ साल पहले बनी। ३ योजनाओं में ५० हजार रुपया खर्च किया। चांदराना बांध जिसकी आज से बारह साल पहले स्वीकृति हो चुकी थी और आज के ६ साल पहले बांध बन जाना चाहिए था वह आज तक वैसे का वैसा ही पड़ा है। मैं उस बांध के लिए निवेदन करना चाहता हूं। शायद वैसे तो वह बांध राज्य सरकार नहीं बनाती, परन्तु जमवारामगढ़ बांध से जो जमीन की सिंचाई होती थी वह अब नहीं होती क्योंकि जयपुर शहर के लिए जमवारामगढ़ बांध का पानी रोक दिया गया, उसकी एवज में चांदराना बांध बनाने की सरकार ने योजना बनाई। इस योजना को १२ साल से बनाकर डाल रखा था और इस वर्ष के बजट में उस बांध के लिये ढ़ाई लाख रुपया रखा है, लेकिन पहले के बनिस्बत उसका एस्टीमेट कम कर दिया और बांध को छोटा रख दिया जब कि उसका एस्टीमेट १५ लाख का बनाकर इसी साल में मैं कहना चाहता हूं १२ साल पहले राज्य सरकार ने स्वीकृति ली थी। आज मैंने इस बजट को देखा इसमें चादराना बांध के लिये १५ लाख रुपये के बजाय ११ लाख का एस्टीमेट बनाकर इस बजट में इसको प्रस्तुत किया है। जब कि पहली स्वीकृत योजना के अनुसार ४० लाख रुपये की एस्टीमेट बनना चाहिए था क्योंकि पहले को बनिस्बत आज मजदूरी बढ़ गई है, सामान भी महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने जो पहले सर्वे कराया था और जितने एरिया में भराव उसका रखा था उसको आधा कर देना दोषपूर्ण नीति है। तो मेरा निवेदन है कि जो आपने पहले सर्वे किया था, जितना पानी सरकार को रोकना था उतना ही पानी रोकना चाहिए। बांध की लम्बाई-चौड़ाई भी पहले के मुताबिक हो। इसलिए मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि जो बांध पहले कायम किया था और जितना एरिया पहले लिया था उसी के मुताबिक राज्य सरकार बनाये। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वहां के लोगों में बहुत असन्तोष

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

होगा। जितनी जमीन थी जमवारामगढ़ बांध से सिंचाई होती थी। मौजूदा एस्टीमेट के मुताबिक सिंचाई नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चांदराना बांध की स्कीम आपने बनाई है जो पहले स्कीम थी १५ लाख रु० की वह ४२ लाख की बननी चाहिए क्योंकि आज महंगाई है। अगर उसको ११ ही लाख की रखी तो उसके दुखित परिणाम होंगे। मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि अगर आपने ऐसा किया तो दौसा इलाके की रहने वाली जनता राज्य सरकार से बराबर टक्कर लेगी और सरकार का जो भी नुकसान होगा उसके लिए राज्य सरकार दोषी होगी। तो मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा था कि जयपुर जिले में केवल एक ही बांध जिसकी आपकी बनाने की योजना है और १२ साल से कुछ नहीं बनना है और उस बान्ध को काटकर भी आधा रखें तो यह राज्य सरकार की बिल्कुल गलत नीति है।

दूसरी बात यह कहना चाहता था कि जयपुर जिले में सिंचाई की छोटी योजना बहुतसी बनाई जा सकती है। तो मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता था कि अब और जिलों को छोड़ कर जयपुर जिले पर ध्यान दें। जितने भी काम और बांध बनने वाले हैं और जितनी सर्वे की हुई है जयपुर जिले पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं जयपुर जिले में कोई भी सिंचाई के साधन नहीं है। अभी-अभी एक माननीय सदस्या ने कहा था कि जयपुर जिले में सिंचाई योजना नहीं है तो उसमें बिजली ज्यादा है। ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्या को कुछ भी पता नहीं है। उदयपुर जिले और चित्तौड़ जिले के मुकाबले में जयपुर जिले में चार आना भी बिजली नहीं दी।

अब मैं राज्य सरकार को मेरे इलाके के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। मादरा कोट बांध है वह रियासत के जमाने का बना हुआ है तो उस पर कुछ खर्च करके उसको पूरा करना चाहिए। उससे सिंचाई हो सकती है। लेकिन राज्य सरकार क्षेत्रीय भावना से देखती है यह नहीं सोचती है कि उत्पादन जहां भी बढ़ता है, बढ़ाना चाहिये उससे राज्य के लोगों की ज्यादा आमदनी होगी।

महसुवा खुर्द का बांध है। मैं निवेदन करूं कि वह भी रियासत के जमाने का टूटा हुआ पड़ा है और राज्य सरकार यदि उसको बनाना चाहे तो इससे लोगों को काफी लाभ हो सकता है और राज्य सरकार की सिंचाई की आमदनी भी बढ़ सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दूसरी बात....

श्री सभापति : आपके तीसरे सदस्य को समय नहीं बचेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं....

श्री सभापति : वह आप मुझ पर छोड़िये प्रश्न। आपके तीसरे सदस्य को समय नहीं बचेगा। बोल लीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : ५ मिनिट और दे दें।

श्री सभापति : आप बोल लीजियेगा ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कुछ इलाके की बातें ही कहूंगा दो-तीन मिनिट में । ग्राम चन्द्रियावास में मौजूदा बांध, उसकी ऊंचाई के मामले के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अगर उस बांध की ऊंचाई २-३ फीट ज्यादा करदी जाय, मिट्टी डाल कर तो भराव ठीक हो जायगा और आसपास के कुओं में पानी ज्यादा होगा और वहां पर सिंचाई के लिए पानी भी ज्यादा रोका जा सकेगा ।

पापड़दा बांध नाला रोक कर बांधा जा सकता है, इससे वहां के कुओं में पानी हो सकता है, उससे सिंचाई बढ़ेगी और बांध के पेटे में भी कुछ काश्त हो सकती है और जो बांध के पानी से सिंचाई होगी वह तो है ही, राज्य सरकार को भी लाभ होगा ।

मैं कुछ एनीकट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, ग्राम डागरिया में छोटे बांध का निर्माण होना चाहिए । चार साल से राज्य सरकार के पास पंचायत समिति ने कई बार प्रस्ताव भेजा है और पंचायत समिति ने कई बार लिख दिया है और चार साल से बराबर लिखते आये हैं, लेकिन उस स्थान के लिए अब तक भी कोई सर्वे का भी काम शुरू नहीं किया है । मेरा यह निवेदन करना है कि ग्राम डिगरिया में बांध के लिए बहुत दिनों से जनता कह रही है और पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेजे हैं तो उसको बनाया जाना चाहिए ।

सूरी और बाणगंगा पर एनीकट बनने चाहिए । एनीकट बनने से उस एरिया में सिंचाई के कुओं में पानी रुक सकेगा और सिंचाई अच्छी हो सकेगी । मेसरा कलां और गोठड़ा पंचायत में भी नालों को रोक कर एनीकट बनाने चाहिए जिससे बरसात के पानी का उपयोग हो । इस दृष्टि से मैं यह सुझाव देता हूं ।

इसके अलावा पंचायत रजवास के ग्राम गुढ़ा काल्यावास है । एनीकट का निर्माण हो सकता है । पंचायत लवाण के ग्राम पूलेनिया-वास में एनीकट बनाया जाय । इससे सारी पंचायत को लाभ होगा ।

सालावास पंचायत में महाराजपुर के पास नाला निकलता है । आप चाहें तो वहां पर भी तालाब बन सकता है । भाण्डा-रेज के पास में इस प्रकार का नाला चलता है । वहां पर भी अगर कोई तालाब बनाना चाहें तो बन सकता है । डिगरिया में ठीकरिया नाले पर बांध बनाया जाय ।

मेरा यह निवेदन है कि कुछ टूटे हुए बान्ध हैं उस एरिया में । उनके बारे में अलग राज्य सरकार ध्यान दे तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । सालियावास में एक तालाब टूटा हुआ है, भाखरा में उक्त तालाब टूटा हुआ है, रामपुरा में एक तालाब टूटा हुआ है और बोरदा बंध की भी मरम्मत होनी चाहिए, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जो टूटे हुए बान्ध हैं और जो नये तालाब हैं, उनके बनाने के बारे में निवेदन किया है । अगर इनको बान्ध दें तो इस तरह से वहां के क्षेत्र को काफी लाभ हो सकता है और जो उत्पादन-क्षमता है वह भी बढ़ सकती है । उससे लोगों को लाभ होगा और राज्य सरकार को भी लाभ होगा ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जो कि अकालग्रस्त एरिया घोषित किया गया था तो उसमें दौसा के इलाके के कुछ गांवों को भी अकालग्रस्त घोषित किया गया था उसमें कुछ तालाब बन जाते तो जहां तक मैं समझता हूं कि उस इलाके का काफी विकास हो सकता था। बाकी अकालग्रस्त के डाइम पर राज्य सरकार ने किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं दिया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि क्षेत्रीय भावना को खत्म करें और जितने जिलों में सिचाई की आवश्यकता रहती है उन सारों में पैसा जिस तरह से उदयपुर और चित्तौड़ जिलों में लगाया है उसी प्रकार से लगाया जाय और उन जिलों का काम पूर्ण हो सकता है। अधूरे काम वहां भी छोड़ने के लिए निवेदन नहीं करता हूं और बाकी का बजट इस ओर खर्च करे तो राज्य सरकार की सम्पूर्ण योजनाएं सफल हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय बार-बार घन्टी बजा रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय आपने एक व्यवस्था दी थी कि आपको सहयोग करने के लिए हमारी ओर से एक सूची बोलने वालों को दी थी और उस सूची में मेरा भी नाम था। उसके हिसाब से आसन ने माननीय सदस्यों को बुलवाने की व्यवस्था की है क्या? यह मैं जानकारी चाहता था।

श्री सभापति : सूची जो दी गई और उसमें जो नाम दिये गये हैं उसके अनुसार बुलवाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहा था कि मेरा सूची में बहुत नीचे नाम है। और फिर आप कैसे कहते हैं कि मेरा सूची में नाम नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता था कि सूची के अनुसार नाम पुकार रहे हैं।

श्री सभापति : सूची में जो नाम मांगे हैं उन सब को बुलवाने के बारे में उनकी इच्छा है। सूची में जो प्रायोरिटी आती है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि उसी आधार पर आसन के द्वारा नाम पुकारें जायं। यह आसन के डिस्क्रीशन पर निर्भर करता है और मैं समझता हूं कि आसन के डिस्क्रीशन को फ्राउचर नहीं किया जा सकता है। सूची में जो नाम हैं तो प्रायोरिटी के हिसाब से नाम हैं तो प्रायोरिटी क्लेम करके सदस्य खड़े हों तो दिक्कत हो जायेगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि प्रायोरिटी के हिसाब से जो सूची में नाम हैं पर वे खड़े नहीं हुए। मैंने अभी तीन सदस्यों के नाम पुकारे थे, श्री किशनलाल वर्मा, श्री नन्दलाल बैरवा आदि तो ये तीनों सदस्य उपस्थित नहीं थे तब नाम पुकारा गया मूलचन्द डागा, वह बुलवा दिया गया। आप का नाम सूची में था लेकिन आप खड़े नहीं हुए तो आप समझ गये होंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : सूची के क्रम के अनुसार....

श्री सभापति : सूची अगर दी, तो प्रायोरिटी उसके जरिये नहीं हो सकती है।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर सूची मांगने से क्या फायदा? आपने व्यवस्था दी कि सूची दें चीफ व्हिप।

श्री सभापति : वह आसन की सुविधा के लिए है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने चीफ व्हिप के लिए कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें ।

श्री सभापति : मैंने सारे व्हिप्स के लिए कहा है, सभी सचेतकों के लिए कहा ताकि सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चले । सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चले इसके लिए सचेतकों से कहा गया है कि वह यह व्यवस्था करें कि उनके दल के जितने बोलने वाले हैं उनकी सूची आसन को दें और उस सूची के अनुसार आसन एडजस्टमेंट करता है कि एक इधर से बोले और एक उधर से । ऐसा नहीं है कि एक ही लिस्ट में से सारों को बुलवा दिया जाय । इसलिए आसन पूरी कोशिश करता है, अधिक से अधिक माननीय सदस्य डिबेट में भाग ले सकें और इस सदन के माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए एक असाधारण निर्णय आज लिया गया कि इरिगेशन की डिमाण्ड का आज जवाब नहीं होगा, इसको आज पारित नहीं करेंगे और चौबीस तारीख को पारित करेंगे । सदन के माननीय सदस्यों की जो भावना थी, उसको मैंने अध्यक्ष महोदय के पास तक पहुँचाया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है....

श्री रामनारायण चौधरी : मैं जनसंघ के चीफ व्हिप की बात नहीं कह रहा हूं ।

श्री सभापति : जनसंघ पार्टी में कोई चीफ व्हिप नहीं है । माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है । जनसंघ पार्टी में मुख्य सचेतक नहीं है । इस सदन में मुख्य सचेतक एक ही होता है ।

श्री रामनारायण चौधरी : सचेतक है जनसंघ के वह चीफ व्हिप हों....

श्री सभापति : वह आपके सहयोग से होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ चीफ व्हिप से सूची मांगी जाती है, दूसरी तरफ चीफ व्हिप के द्वारा दी हुई सूची का हनन करते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो चीफ व्हिप द्वारा दी हुई सूची है उसकी आप कद्र करें जिससे चीफ व्हिप पार्टी के सदस्यों के अन्दर भी अनुशासन रख सकते हैं ।

श्री सभापति : आप बोलना चाहें तो बोलें । श्री रामनारायण चौधरी !

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदय, जो ज्यादा आवाज उठाते हैं उनका नाम तो आप पुकार देते हैं लेकिन जो आवाज नहीं उठा सकते उनका नाम नहीं पुकारते हैं ।

श्री मोहनलाल मोदी : आप भी पुकारें ।

श्री सभापति : उनका नम्बर दो है सूची में और आयेगा सूची में दस नम्बर है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उल्टा रखा गया है, दस पर इनको होना चाहिए ।

श्री विजयसिंह : दल बदलू का नाम ठिकाने पर है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : दल बदलने वाले के लिये दस नम्बर ठीक है ।

श्री सभापति : आसन को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि सूची में जिस क्रम से नाम लिखे हैं उसी क्रम से नाम पुकारे जायं। लेकिन कोई माननीय सदस्य अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग करना चाहें और आग्रह करना चाहें तो उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है।

श्री देवीलाल बुरासिया : सभापति महोदय, इस बारे में मैंने भी आग्रह किया था।

श्री सभापति : आपने आग्रह किया था, मैं उसको सदन के सामने नहीं कहना चाहता था। आपके सचेतक महोदय ने जो सूची दी है, फिर दुबारा जो सूची दी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली सूची मे आपका नाम, नम्बर दो पर लिखा था, वह उसके बजाय अब नम्बर तीन पर लिखा है। अब आपने उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगी है वह मैं कैसे दे सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय....

श्री देवीलाल बुरासिया : मुझे दो के बजाय तीन पर कर दिया है ?

श्री सभापति : तीन पर आपका नाम लिखा हुआ है।

श्री देवीलाल बुरासिया : दूसरी सूची में ?

श्री सभापति : दूसरी सूची में। लेकिन आपके दल के चालीस मिनिट थे, मैंने, जब डूंगारामजी बोल रहे थे, तब उनसे कहा था कि कुछ समय वह आपके लिए छोड़ दें। लेकिन वह अधिक बोले और समय समाप्त हो गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, टाइम भी तो काफी बढ़ गया है। मैंने यह निवेदन किया था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को दिक्कत रहती है, आप तो आधे घण्टे बोल कर उठ कर चल देते हैं, लेकिन आसन यहां तीन-तीन घण्टे बैठा रहता है। आप तो बोले और चले गये लेकिन आप आसन की असुविधा को भी तो देखिये।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई और समाज कल्याण की मांगों के ऊपर विचार हो रहा है। सिंचाई के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाएं तो राजस्थान में हैं लेकिन उनकी व्यवस्था सुचारुरूप से नहीं होने के कारण सभी सिंचाई योजनाएं घाटे में हैं। आज एक गंग कैनाल को छोड़ कर बाकी की सब योजनायें घाटे में चल रही हैं और एक प्रतिशत के बराबर भी रिटर्न उन घाटे की योजनाओं से नहीं आता है। इससे मैं यह मानता हूं कि हमारी सिंचाई की योजनायें पूर्णतः असफल हैं। राजस्थान कैनाल, जिसका उद्घाटन श्री रामचन्द्रजी, भूतपूर्व सिंचाई मंत्रीजी के समय में हुआ था, उनके बाद में कई सिंचाई मंत्री बदल गये हैं, लेकिन राजस्थान कैनाल अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस राजस्थान कैनाल के बारे में इस सदन में कई बार चर्चायें हुई हैं, इस पर विचार हुआ है और इस सदन ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रायोरिटी बेसिस पर इसको लेकर इसे पूरा जल्दी किया जाय लेकिन गत वर्षों में इस पर अच्छी गति से काम नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह भारत सरकार के ऊपर इस बात का

Page No. 135

(श्री रामनारायण चौधरी)

दबाव डाले कि भारत सरकार स्वयं की योजना मान कर इसको जल्दी पूरा करवाये क्योंकि यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि राजस्थान सरकार अपने बजट में प्रावधान करके इसको पूरा करने की स्थिति में नहीं है। मैंने एक बार सुना था, जब भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई गंगानगर और बीकानेर आये थे उस वक्त यह बात चली थी कि राजस्थान कैनाल को केन्द्र अपने हाथ में लेकर पूरा करवायेगा, लेकिन उसके बाद उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं सभापति महोदय, अब इस सम्बन्ध में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। जो सिंचाई विभाग से प्रगति-विवरण मिला है, उसको मैंने देखा है, उसमें झुंझुनू जिले का एक भी ऐसा काम नहीं जो कि झुंझुनू जिले में किया गया है। अभी इस मांग पर बोलते हुए श्री भैरोंसिंहजी ने कहा था कि १९५२ में काटली बांध की योजना बनी थी, उसकी सर्वे हुई थी। मेरा निवेदन यह है कि १९५२ में नहीं बल्कि १९४८ में इसकी सर्वे हुई थी और इसको स्वीकार करने की बात हुई थी। लेकिन अब बीस साल से ज्यादा होने को आये लेकिन कुछ भी इस सम्बन्ध में नहीं हुआ है।

झुंझुनू जिले में रमा का बांध है, वह वैसा का वैसा पड़ा है। जब कि उस पर लाखों रुपया इस सरकार का खर्च हो गया जो अजीतसागर बांध है, उस पर फीडर बनाने की बात थी लेकिन कुछ नहीं हुआ।

उदयपुरवाटी में भी छोटे-छोटे बांध बन सकते हैं लेकिन एक का भी प्रावधान नहीं है काटली का बांध है, उससे काफी जमीन सिंचित हो सकती है। लेकिन उसके सम्बन्ध में भी कोई प्रावधान नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सभापति महोदय, व्यवस्था का सवाल है, कोरम पूरा नहीं है।

श्री सभापति : पूरा है। कितना है सदन का कोरम ?

श्री रामनारायण चौधरी : पूरा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १९ होने चाहिये।

श्री सभापति : (श्री शंकरलाल के आने पर) कोरम आ गया।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था कि झुंझुनू जिले की सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में पूरी उपेक्षा की गई है। कोई बजट प्रावधान आज तक राजस्थान बनने के बाद से झुंझुनू जिले के लिये सिंचाई के नाम से नहीं हुआ है। अलबत्ता कृषि विभाग से वहां पर कुए सुधारने की कुछ व्यवस्था हुई है। सिंचाई विभाग के द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोहारू तक नहर आ सकती है, हरियाणा के मुख्य मंत्री लोहारू तक नहर ला सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि लिफ्ट इरिगेशन के जरिये से यह झुंझुनू जिले तक नहीं आ सकता पानी। राजस्थान सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें राजगढ़ तक लिफ्ट इरिगेशन के आने की बात कही है, जबकि राजगढ़ से झुंझुनू तक आने में कोई खास अन्तर नहीं है। तो फिर कोई कारण नहीं है कि इसे उसमें शामिल नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

किया जाय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अल्प बचत के मामले में, सैनिकों के मामले में, ऊन के मामले में भुंभुनूं जिला किसी जिले से कम नहीं है। वहां पर बढ़िया जमीन है, वहां जो काश्तकार हैं वह मेहनत से काम करने वाले हैं, लगनशील हैं। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि भुंभुनूं जिले में जो सिंचाई योजनायें शुरू की हैं उनको पूरा किया जाय और राजगढ़ और लोहारू से भुंभुनूं जिले में लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पानी लाकर वहां सिंचाई की व्यवस्था की जाय।

दूसरे, समाज कल्याण के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण के बारे में इस सदन में समय-समय पर काफी घोषणायें हुई हैं और सरकार ने अपनी नीति की घोषणायें की हैं। उनके बारे में, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से....

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, नहीं सभापति महोदय!

श्री रामनारायण चौधरी : महोदय कहा। आपके सुनने में फर्क पड़ा है। कल से हाउस में ऐसी व्यवस्था चल रही है, इसमें आपका दोष नहीं है।

तो सभापति महोदय, मैं १६६८ में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण का जिक्र करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा था :

"राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन व बेचान सम्बन्धी नीति को निर्धारित कर दिया गया है। नये नियमों के अनुसार, यह प्रावधान रखा गया है कि भूमिहीन किसानों एवं अनुसूचित जन-जाति तथा अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों के लिये भूमि आवंटित की जावे। एक लाख एकड़ भूमि केवल अनुसूचित जन-जाति तथा अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों के लिए तथा पचास हजार एकड़ भूमि अन्य भूमिहीन किसानों के लिए सुरक्षित है।"

यह १६६८ के राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा कि एक लाख अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए जमीन निर्धारित की गई है। लेकिन उस सम्बन्ध में आज तक क्या हुआ? मुझे यह जानकारी मिली है कि एक एकड़ जमीन भी राजस्थान कैनाल के क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं दी गई है"

(१ म. प.)

इसके बाद १६६८ का वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, उसमें उन्होंने संकेत दिया है कि:—

"सरकार ने निश्चय किया है कि इन परिगणित जातियों और जन-जातियों के जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उन्हें राजस्थान नहर के कमाण्ड एरिया में भूमि का आवंटन किया जायेगा।"

राज्यपाल के भाषण को दोहराया है। फिर लिखा है ७२ वें पैरेग्राफ में :

"मैं सरकार के उस निश्चय को यहां फिर से दोहराना चाहता हूं कि जिन कस्बों और गांवों में अभी बिजली की सुविधा मौजूद है, वहां परिगणित जाति और जन-जातियों के

(श्री रामनारायण चौधरी)

लोगों की सभी बस्तियों में बिजली पहुंचा दी जायेगी पिछड़ी जातियों के कल्याण के मद में इस कार्य के लिये १० लाख का विशेष प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है। मुझे आशा है, अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक अधिकांश गांवों और कस्बों में यह सुविधा मुहैया करा दी जायेगी।"

१९६८ के बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री ने यह कहा, मैं आपको जानकारी दूं कि १९६८ में मैंने स्वयं ने बिसाऊ, अलसीसर, मलसीसर इन कस्बों में हरिजनों की बस्तियों में बिजली व पानी की व्यवस्था कराने के लिये बड़ी दौड़धूप की लेकिन दो साल तक कोशिश करने के बावजूद आज तक हरिजनों की बस्तियों में वहां कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। झुंझुनूं कस्बे में सिर्फ भंगी बस्ती में एक लोटिये के उद्घाटन के सिवाय और कुछ नहीं किया गया। समाज कल्याण मंत्रीजी उसके उद्घाटन के सिलसिले में तीन दफा वहां गये। इससे कम खर्चे में वह यों ही बनाया जा सकता था....

(१.०२ म. प.)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया, सभानेत्री पदासीन)

झुंझुनूं जिले की यह स्थिति है तो पता नहीं दूसरी जगह क्या स्थिति होगी। खीचड़ी के पकने का अन्दाज दो-तीन चावलों को देखने से ही लग जाता है। इसी तरह पता चलता है कि जैसी हालत झुंझुनूं जिले की है वैसी ही हालत सब जगह होगी।

१९६९–७० के बजट की तरफ, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें माननीय वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की। ६४ वें पैराग्राफ में लिखा था :

"आम तौर पर परिगणित जातियों के लोगों और खास कर हरिजनों को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मुक्ति दिलाना, गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। सिर पर मैला ढोने की प्रथा मनुष्य समाज के पतन की हद मानी जानी चाहिये और आजादी के बीस साल बाद भी यह प्रथा मिट नहीं पाई है, इसका मुझे अफसोस है। मेरी यह निश्चित धारणा है कि गांधी शताब्दी के दौरान समाज के इस कलंक को मिटाने के लिये हमें ठोस रूप में कदम उठाने चाहियें। पहले इस स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से हमने म्युनिसिपैलिटियों को हाथ ठेले और अन्य सामान खरीदने के लिये उदारता से सहायता दी थी...."

फिर आगे लिखा है :

"इस स्थिति में सुधार के लिये अगले वर्ष हम एक बड़े कार्यक्रम की शुरूआत करना चाहते हैं, जिसके लिये ५० लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष कम से कम सभी कस्बों में सार्वजनिक शौचालयों में फ्लश व्यवस्था का यथासम्भव प्रबन्ध कर दिया जाय। इस कार्य के लिये सरकार नगरपालिकाओं को शत-प्रतिशत अनुदान देगी। इस समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सुझावों का मैं अत्यधिक स्वागत करूंगा।"

यह ५० लाख रुपया पब्लिक लेट्रिन्स के लिये रखा गया था....

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : इस मद में उदयपुर, जोधपुर आदि शहरों में व्यवस्था हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता पर मेरे झुंझुनू जिले में ११ म्युनिसिपैलिटियां हैं, उनमें से एक भी म्युनिसिपैलिटी को राज्य सरकार की ओर से इस मद में सहायता नहीं दी है और एक भी पब्लिक लैट्रिन सरकार की सहायता से नहीं बनी है इसके बाद वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण के पैराग्राफ ६६ में और कहा है :—

"माननीय सदस्यों को संभवतः मालूम है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों की बस्तियों में बिजली लगाने और सार्वजनिक स्थानो पर नल लगाने के कार्य को काफी महत्व देतों रही है। जिन शहरों और कस्बों में बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, की जा चुकी हैं। पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में किये गये कार्य से राज्य स्तर पर काफी सुधार हुआ है। गांधी शताब्दी के इस वर्ष में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ऐसी सभी बस्तियों में बिजली और पानी के नल लगाने का कार्य पूरा किया जा सके और इस कार्य के लिये सालाना योजना में २० लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।"

पिछली साल घोषणा की गई की जिन जिन कस्बों में बिजली और पानी की व्यवस्था है वहां सब हरिजन बस्तियों में बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी जायगी। यह ६८ के भाषण में है, पर आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिर लिखा है :

"अकाल राहत कार्यक्रम के तहत परिगणित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छोटे सिंचाई कार्य आरम्भ किये गये हैं और उन पर कार्य जल्दी पूरा हो जाने से वहां के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने में सहायता मिलेगी। ऐसी योजनाओं पर कार्य पूरा करने के लिये २५ लाख रुपये का प्रावधान रखने का प्रस्ताव है।"

मैंने समाज कल्याण के मामले में राज्य सरकार के दो बजट भाषणों का और एक साल के राज्यपाल के भाषण का जिक्र किया। उनमें यह कहा गया था कि जिन कस्बों में बिजली और पानी की व्यवस्था है उन कस्बों की हरिजन बस्तियों में बिजली और पानी की व्यवस्था कर देंगे। कोई परसेंटेज नहीं बताया गया कि इनमें से इतने गांवों में यह व्यवस्था कर दी जायगी, बल्कि यह कहा गया है कि सेंट परसेंट उन गांवों में प्रत्येक हरिजन बस्ती में पानी और बिजली सेंट परसेंट पहुँचायेंगे। इस साल का बजट फिर पेश हो गया। मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपकी इन घोषणाओं की क्या प्रगति हुई है। और जिलों में उन्होंने कहीं प्रगति की हो, झुंझुनूं कस्बे का तो पता नहीं बाकी झुंझुनूं जिले में कहीं एक पैसा भी इन कार्यों के सम्बन्ध में खर्च नहीं किया गया है।

सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं की समाज कल्याण विभाग, जिसका अर्थ है समाज की प्रगति करना, समाज का उत्थान करना और समाज को ऊंचा उठाने के कार्य करना। उस काम में इतनी शिथिलता, लापरवाही है तो आप

(श्री रामनारायण चौधरी)
अन्दाज लगा सकते हैं कि दुसरे विभागों की क्या स्थिति हो सकती है।

समाज कल्याण विभाग के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, झुंझुनुं जिले में ८१ छात्रों का एक छात्रावास चल रहा था, १५ साल से उस छात्रावास को चौधरी महादेवप्रसादजी बंका चला रहे थे, उसको बन्द कराने में आपने सहयोग दिया है, यह महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कोरम नहीं है इस सदन में।

(गणपूरक घंटी) (विराम)

श्री रामकिशन : मुख्य सचेतकजी को तनख्वाह किस बात की मिलती है, उनको चाहिये कि सदन में कोरम बनाये रखें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (मुख्य सचेतक) : रामनारायणजी कट शोर्ट।

श्री विजयसिंह : बहुत से माननीय सदस्य घर जाना चाहते हैं, इस लिये जल्दी समाप्त किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आप लोग जितना कम समय लेंगे उतनी ही जल्दी मांगें स्वीकार होंगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आइ मूव दी क्लोजर।

श्री रामनारायण : आपको जाना है तो यू मे गो। आपको जल्दी है तो यू मे गो। प्लीज लिसन मो। मैं भी सदन का माननीय सदस्य हूं, जितना आपको क्लोजर मूव करने का हक है उतना ही मेरा भी बोलने का हक है। आपको कोई विशेष हक नहीं मिला है डिप्टी मिनिस्टर बनने से।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको भी विशेष हक नहीं मिला है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय माननीय सदस्य को धमका रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नहीं नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह मुझे क्या धमकाएगा।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज। आपस में इस तरह की बातचीत न करें। आप अपना भाषण जारी करें और सदन की परम्परा कायम रखने की कोशिश करें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था कि समाज कल्याण विभाग की गति धीमी है कार्यक्रम का कार्य रुप में परिणित करना नहीं के बराबर है। मुझे समाज कल्याण मंत्री की वह स्पीचेज याद हैं १९५२-५७ के बीच में किस उत्साह और जोश के साथ बोलते थे। मुझे मालूम होता है कि समाज कल्याण मंत्री के उत्साह का स्टेरीलाइजेशन हो गया है। आपने इस विभाग को संभाल रखा है, जितनी राज्य सरकार की नीतियां हैं, जितनी घोषणायें राज्यपाल महोदय ने समय समय पर की हैं वित्त मंत्री ने की हैं, उनकी पालना शत-प्रतिशत होनी चाहिए और उनकी पालना कहां हुआ है, इसकी जानकारी समय समय पर समाज कल्याण मंत्री को सदन में देनी चाहिए और सदन में नहीं भी दें तो अपनी योजनाओं के बारे में एक पेम्फलेट प्रत्येक माननीय सदस्य को मिलनी चाहिए कि

(श्री रामनारायण चौधरी)
समाज कल्याण क्षेत्र में गत वर्ष के बजट के अनुसार कहां तक काम किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लाभचंद वैद (सुजानगढ) : सभा-नेत्री महोदया, चूरु जिला सिंचाई के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका यह कारण नहीं कि वहां पर सिंचाई नहीं हो सकती, परंतु इसका मुख्य कारण है सरकार की ओर से उपेक्षा बरता जाना। वहां के जो कृषि अधिकारी हैं, उनको वहां की जमीन और सिंचाई का कतई ज्ञान नहीं है कि किस ढंग से सिंचाई करने से ज्यादा से ज्यादा भी जमीन सिंचित की जा सकती है थोड़े पानी से किस ढंग से ज्यादा जमीन सिंचित की जा सकती है, उनको ज्ञान नहीं है। चूरू जिले में ३०० कुए ऐसे हैं जो कृषि के लिए सरकारी लोन पर खुदे हुए हैं, लेकिन उनमें बिजली नहीं दी जाती। आज ८-९-१० साल उन कुओं को बने हुए हो गए लेकिन सरकार उनको बिजली नहीं देती और जिससे सरकार के लोन की वसूली भी नहीं होती और किसानों के अपने प्यारे खेतों से हाथ धोना पड़ता है। हमारा इलाका रेतीला, ऊंचा नीचा है। ऐसी हालत में सिंचाई किस तरह सफल हो, यह एक बहुत ही अध्ययन की चीज है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि ऊंची नीची जहां जमीन होती है वहां पर अगर लेवलिंग सिर्फ कराई जाय तो किसान कभी भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि जमीन का जो ४-६ इंच का हिस्सा होता है ऊपर का, वह उपजाऊ होता है। अगर लेवलिंग से वह हिस्सा हटा दिया जाय तो नीचे से जो फालतू जमीन निकल आती है वह उपज नहीं दे पाती है। ऐसी हालत में किसान अपने आप को संभाल नहीं पाता और आर्थिक दृष्टि से गिरकर बैठ जाता है। मैं इसका सरल निराकरण बता सकता हूं कि जहां रेतीला है, वहां पर कुए ऊंचे स्थान पर बने हुए होते हैं और वहां पर टैंक भी ऊंचे बने हुए होते हैं जिसको मारवाड़ी भाषा में कोठा कहते हैं। अगर वहां पर एलकेथिन का पाइप ले जाकर सिंचाई करें तो बहुत कम पानी से बहुत ज्यादा हिस्सा सिंचित हो सकती है लेकिन हमारे अधिकारी किसी भी किसान को यह राय नहीं देते और राय देते हैं कि जमीन की लेवलिंग करके सिंचाई करो, जिससे न तो इतना पानी उपलब्ध होता है और जमीन भी खराब हो जाती है। इस कारण से वहां का किसान असफल रहता है। आप अंदाजा लगायें कि जहां पर ३०० कुए हों, अगर एक कुआं २० एकड़ जमीन सिंचित कर सकता है तो वहां इस समय यदि बिजली पहुंच जाती तो ६,००० एकड़ जमीन सिंचाई में काम में आ सकती है और ६ हजार एकड़ जमीन का मतलब डेढ़ लाख मन अनाज दूसरी फसल में ज्यादा मिल सकता है। अगर यह प्रोत्साहन लोगों को मिले तो उससे आगामी जो फसल होने वाली है, उसमें इससे ८-१० गुना और ज्यादा मिलने की आशा बन जायगी।

हमारे इलाके में न तो खाद का प्रबन्ध है, न बीज का प्रबन्ध है न कोई दीमक की दवाई का प्रबन्ध है। मुझे जिस समय फसल बोनी थी, तो लालबहादुर शास्त्री बीज निकला है गेहूं का। उसकी मांग करने के लिए मैं दुर्गापुर गया। मुझे बताया गया कि जयपुर में जो नया हाई कोर्ट भवन है वहां पर इस जिले के कृषि अधिकारी हैं उनसे मांग करिए। मैं वहां पर गया तो मुझे उत्तर मिलता है कि

(श्री लाभचन्द वैद)
अपने पंचायत समिति के अधिकारी से बीज लें; यहां से नहीं मिलेगा। सौभाग्यवश कृषि अधिकारी वहां आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा बीज दे सकेंगे? उन्होंने कहा, हमें तो मिला ही नहीं। उन्होंने कहा, आपके जिले में इतनी कम सिंचाई है इसलिए वहां पर बीज उपलब्ध नहीं करा सकते। एक तरफ सरकार समाजवाद का नारा देती है, समानता का नारा देती है, दूसरी तरफ जहां पर कम सिंचाई होती है, उनके लिए इतनी उपेक्षा करते हैं। समानता को कार्य रूप में नहीं परिणित करते हैं तब तक सिर्फ राग आलापने से समानता नहीं आ सकते। इस तरह की जो हरकतें होती हैं हमारे जिले के साथ, ये निंदनीय और अशोभनीय हैं।

बिजली जहां पर भी कुओं पर उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वोल्टेज इतनी कम रहती है कि रात को ही चला पाते हैं, दिन में वोल्टेज की कमी के कारण चलायेंगे तो मोटर जल जायगी। ऐसी सिंचाई में पूरी सिंचाई नहीं कर सकते। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बिजली का पॉवर पर्याप्त मात्रा में दिया जाय जिससे वोल्टेज कम न मिले। अगर आपको दिक्कत है तो जहां-जहां ट्रांसफॉमर्स लगे हुए हैं, वहां उससे सीधी बिजली दी जाय, जिससे वहां किसानों को दिक्कत न उठानी पड़े।

हम से १४ पैसे प्रति युनिट का चार्ज होता है जबकि बड़े-बड़े उद्योगपतियों से आप ७ पैसे में बिजली मुहैया करते हैं। यह किसान के प्रति घोर अन्याय है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभानेत्री : (कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए) श्री रामानन्दजी, मैं चाहती हूं कि आपको समय दूं लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए निवेदन करूंगी कि आप अपना भाषण संक्षेप में समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभानेत्रीजी, सिंचाई विभाग की तरफ से जो पिक्चर प्रस्तुत की गई है, मैं समझता हूं, अनावश्यक तोर से डिस्मल पिक्चर प्रस्तुत की गई है। जिस तरह पानी हमारे यहां पर सर्फेस या अंडरग्राउण्ड उपलब्ध है, उससे अनुमान लगाया गया है कि केवल उस सब का हम उपयोग करलें तो ४० प्रतिशत हमारी कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। मैं नहीं समझता कि सरकार की ओर से अंडर-ग्राउंड वाटर का इस प्रकार से कोई सही सर्वेक्षण कराया गया है। खुद रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण जारी है। मैं समझता हूं, किसी भी सरकार को अपना मास्टर प्लान बनाने के लिए यह दृष्टिकोण आज दुनिया में अपनाया जाना चाहिए कि आपको एक एक इंच भूमि को सिंचित करना है। उस ईरिगेशन में आप पानी के साधन कहां से लावेंगे और कितना फाइनेन्स आपको दरकार होगा। आज संसार में ऐसे देश हैं जो न केवल अन्डर ग्राउन्ड वाटर, रिवर वाटर पर निर्भर हैं बल्कि समुद्र के पानी से अपने देश की जमीनों की सिंचाई करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक-एक इंच भूमि को सिंचित करना है, इस दृष्टिकोण से सरकार मास्टर प्लान बनाये और जो अन्डर ग्राउन्ड वाटर और सरफेस वाटर है उसका भी सही तखमीना बनाने की आवश्यकता है। मैं इसको बहुत अन्डर एस्टीमेट मानता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल):

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से जो हमारा एग्रीमेन्ट है उसके तहत १-४-७० से सतलज, व्यास और रावी का पूरा पानी हमको मिलेगा। एक मिलियन क्यूबिक फीट पानी राजस्थान के हिस्से का है उसकी क्या व्यवस्था है? राजस्थान कैनाल अभी जितनी बनी है उसको पूरा कर नहीं सकते। गंगानगर आन्दोलन के सिलसिले में वहां पर वहां के माननीय सदस्यों ने इस पर विचार किया कि गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल और भाखरा तीनों का ग्रिड बना कर पानी का उपयोग किया जाय। इस दृष्टिकोण से सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिये।

आज राजस्थान कैनाल के बारे में ऐसा भी दृष्टिकोण है उस पानी को जिसको जैसलमेर तक पहुँचाने की बात है उसको कोई लिफ्ट इर्रिगेशन की तरह उठाना चाहते हैं और दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं, सरकार भी वहां नहीं ले जाना चाहती, वह दृष्टिकोण गलत है। इस राजस्थान कैनाल को जैसलमेर एरिया तक लेजाना चाहिये। जो यह एस्टीमेट इनकम के हैं और उसके आधार पर कई योजनाओं के अपने पैरों पर खड़ा होने की बात प्लानिंग कमीशन की कही जाती है उस पर नये थिंकिंग की आवश्यकता है। अभी फाइनेन्स कमीशन ने जितना पैसा दिया वह प्लान एक्सपेन्डीचर में पूरा खर्चा न देकर यह कहा कि इन योजनाओं से खर्च पूरा होना चाहिये। मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंन्ट को यह कहना चाहिये कि ये योजनायें इर्रिगेशन रेट्स पर निर्भर करके बुनियादी तौर से गलत हैं। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट, इनकम टैक्स, वैल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी की इनकम होती है, गंगानगर जिले में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो उन तमाम आमदनियों का गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को फायदा होगा। गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया का क्या कन्ट्रीब्यूशन है उसमें? इसलिये गवर्नमेंन्ट का इन तमाम योजनाओं में उनका कन्ट्रीब्यूशन अपने तरीके उसे होना चाहिये। कम से कम ब्याज भी उस पर न छोड़े और महाजन के तरीके से उस पर विचार करे यह उचित बात नहीं है।

चौथी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेन्ट को इर्रिगेशन रेट्स पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चाही जमीन के बारे में बहुत ही इर्राशनल तरीके से रेट मुक़र्रर हैं। सामान्य किसान को यह बात नहीं समझा सकेंगे कि कुआ खुद बनाये इन्वेस्टमेन्ट खुद करे और चाही लगान के रूप में आप लगान वसूल करें और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेन्ट का इतना बड़ा एक्सपेन्डीचर हो, दोनों को एट पार लाना उचित नहीं बल्कि आज यह हो रहा है कि चाही जमीन वाले को अपना लगान बहुत ऊंची मात्रा में देना पड़ रहा है। मैं समझता हूं इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त फ्लड वाटर के जरिये जो सिंचाई होती है। खास तौर से अलवर और भरतपुर जिले में पानी भर जाता है, वह पानी वहां बह कर चला जाता है और उस पर सिंचाई की रेट से वसूल की जाती है राजस्थान रेवेन्यू लॉ कमीशन ने भी रिकमन्डेशन की थी कि यह अनुचित बात है कि किसान की काश्त खराब हो और फिर ऊपर से उसमे इर्रिगेशन चार्जेज वसूल हों। किसान पानी मांगे और उसको पानी दें तब इर्रिगेशन चार्जेज वसूल करे यह उचित बात है। फ्लडिंग से खराब हो और इर्रिगेशन चार्जेज लें

Page No. 143

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह अनुचित बात है। रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे इरिगेशन मंत्री हैं वे उसके मेम्बर हैं, गवर्नमेन्ट की भी इसमें सहमति रही है तो इस बात को गवर्नमेन्ट को मानना चाहिये।

सभानेत्रीजी, अभी पिछले दिनों में जो बाढ़ आयी खास तौर से अलवर और भरतपुर जिला प्रभावित हुआ। अलवर जिले में २७ बांध टूट गये। गवर्नमेन्ट का एस्टीमेट ६७ लाख का था लेकिन मुश्किल से २५ लाख मिले। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की मद में अलवर जिले में जितना पैसा मिला द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चार लाख के अलावा और मदों में जीरो लिखा है। पुराने बांध भी टूट गये, बढ़ाना तो दूर रहा, पुरानी जो व्यवस्था थी वह भी कम हो गई। इन बढ़ी हुई रेट्स में २५ लाख रुपयों से कैसे काम चलेगा ?

साबी नदी की योजना सन् १९५९ से चल रही है। ६७ में कहा और वह योजना वैसी की वैसी पड़ी है। फ्लड का जितना पानी वेस्ट जाता है राजस्थान को बरबाद करके हरियाणा में पानी जाता है, दिल्ली तक पहुँचता है फ्लड करता है। योजना मंजूर हो चुकी है। ४८ लाख रुपये राजस्थान का हिस्सा है। पिछले साल क्वेश्चन किया था तो बताया गया कि हरियाणा से पत्र-व्यवहार चल रहा है और उसमें यह योजना रखी है तो मैं यह चाहता हूं कि अलवर में कोई भी बड़ी योजना तो क्या माध्यमिक योजना भी पूरी नहीं हुई। यह तो इमरजेन्सी योजना है फ्लड कन्ट्रोल योजना। दिल्ली के सेक्रेटेरियेट पर पानी पहुँच गया तो यह मंजूर हुई। साबी का पानी जाकर दिल्ली के सेक्रेटेरियेट को ढहा दे तब ही पूरी करेंगे वरना करने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देरी लगायी जा रही है। हर साल बरबादी होती है। इस साल इतनी बरबादी हुई जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ और उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाये।

हमारे इलाके में फ्लड आया। विजयसागर बांध जिसमें महाराजा का पेलेस बना हुआ है, मोरियां खाली नहीं, उस कारण दूसरा हिस्सा टूट गया बाढ़ के कारण और उससे दूसरे बांध टूट गये। विजयसागर बांध के बाद टेनेसी बांध उसमें शरीक हो जाता है। पानी निकला। गवर्नमेन्ट को मोरियां बना देनी चाहिये। लोगों की पहले मांग रही थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विजयसागर बांध की महाराजा ने मोरियां खोली नहीं, यह बांध टूट गया। वहां मोरियां बना दें तो पानी का उपयोग इरिगेशन के लिये हो सकेगा। तो उस तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा।

भरतपुर जिले में फ्लड कन्ट्रोल की स्कीम बनी। १॥ करोड़ रुपया मंजूर किया। फ्लड को रोकने के लिये कुरका बांध, कुरका फीडर, और पिचुना कैनाल पर पैसा खर्च होना चाहिये था उस पर तो पैसा खर्च किया नहीं और दूसरे एक्स्ट्रेन्युअस काम कराये। स्थिति वैसी की वैसी है। इसकी जांच की जाय। १॥ करोड़ की मंजूरी हुई। एक्चुअल फ्लड कन्ट्रोल स्कीम पर क्यों नहीं किया, कुरका बांध, कुरका फीडर,

Page No. 144

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पिचुना कैनाल ये भरतपुर स्टेट की थीं उनको कम्पलीट करने से फ्लड कन्ट्रोल होता था इसको सिंचाई विभाग मंजूर करायेगा।

समाज कल्याण के बारे में दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। वृद्धों को जो आप पेन्शन देते हैं उसमें २० से ३० रुपये किये उसके लिये मुबारकबाद है।

श्री जसराज (उप मंत्री) : अलवर वाले हमेशा वृद्धों की ही बात करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेन्शन के नियमों के सरलीकरण की आवश्यकता है। आपके नियमानुसार जिस दिन कोई एप्लीकेशन दे उस दिन से उसकी पेन्शन मंजूर होनी चाहिये। यहां पर मैंने क्वेश्चन किया था गवर्नमेन्ट से उत्तर दिया गया कि हमने यह आदेश दिया था। जिस रोज एप्लीकेशन दी उसी रोज से वह राशि देय मानी जानी चाहिये। लेकिन अभी तक कलेक्टर्स इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अलवर कलेक्टर को आपके डिपार्टमेन्ट ने जो क्लेरिफिकेशन की चिट्ठी लिखी, फिर भी वे कहते हैं कि जिस दिन एप्लीकेशन कम्पलीट होगा उसी दिन से हम मानेंगे। आप कलेक्टर्स को यह आदेश दीजिये कि जिस दिन एप्लीकेशन दी जाय, उसी दिन से उसको राशि दी जानी चाहिये और उसी दिन से वह कम्पलीट माननी चाहिये। इस तरह की खाना पूर्ति में छः-छः महीने का समय व्यतीत हो जाता है और इस तरह से वे अपाहिज और वृद्ध आदमी, जिनका कोई सहारा नहीं होता, पेन्शन से वंचित रह जाते है। गवर्नमेन्ट को इस बारे में स्पष्ट नीति घोषित करनी चाहिये। जिस रोज एप्लीकेशन रिसीव हुई हो, उसी दिन से वह मानी जानी चाहिये।

दूसरा निवेदन यह है कि एज प्रूफ देने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर लोग ६ रुपया फीस का लिये बगैर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। हो सकता यह उनकी लीगल फीस हो लेकिन इस बारे में सरकार को सक्यूलर निकाल देना चाहिये। ऐसे लोगों से डॉक्टर लोग ६ रुपया वसूल न करें मुफ्त में उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाय।

इसी तरह से मजिस्ट्रेट के सामने तीन रुपये देकर एफिडेविट देने के लिये भी मजबूर करते हैं। मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। अलवर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अजमेर में हो रहा है। तीन रुपये का एफिडेविट मांगते हैं यह नहीं होना चाहिये। यदि इस तरह के नियम हों तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिये।

यही मुझे निवेदन करना है।

श्रीमती सभानेत्री : काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जिसके सदस्य न बोले हों। जितना समय था उसमें से जितना अधिक समय दिया जा सकता था, दिया जा चुका है। खाने का समय भी होगया है सदन के माननीय सदस्य ज्यादातर ठहरना नहीं चाहते इसलिये अब सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाय।

श्री महेन्द्रकुमार : हमें अभी तक बहुत कुछ बाते कहनी है।

श्रीमती सभानेत्री : अब आप जबाब देने दीजिये।

श्री डूंगाराम दाजोरिया : समय १२ बजे तक का निर्धारित था अब डेढ़ बज चुका है।

Page No. 145

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

इस डेढ घंटे के समय में हमारी पार्टी का भी समय शामिल, है वह हमें मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : समय देखते हुए सब को मौका दिया गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जवाब के लिये २४ तारीख रखी गई थी।

श्री मोहनलाल मोदी : केवल सिंचाई विभाग का जवाब २४ तारीख को होगा।

श्रीमती सभानेत्री : समाज कल्याण विभाग का जवाब आज ही होगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : २४ को जवाब देने के लिये तय हुआ था।

श्रीमती सभानेत्री : समाज कल्याण विभाग का जवाब आज होगा, सिंचाई का २४ को होगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जवाब आज होगा तो हमें बोलने का मौका दिया जाय।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमारी पार्टी का समय निकलता है, वह मिलना चाहिये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्यों ने....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : व्यवस्था का सवाल है?

श्री डूंगाराम राजोरिया : नये-नये आकर बैठ जाते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : व्यवस्था का मेरा सवाल है, हमें इस बात का पता नहीं था कि आज समाज कल्याण विभाग के बारे में जवाब होगा। इस बारे में काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये हमें बोलने का मौका दिया जाय। जब कि सदन का समय बढ़ाया गया है तो हमारी पार्टी का भी समय बढ़ा है वह मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो आज एजेन्डे में ही था कि समाज कल्याण और सिंचाई विभाग की मांगें पेश की जायगीं, आपको देखने की कोशिश करनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हरेक दल के माननीय सदस्यों को समय मिला है। सदन की भावना को देखते हुए अधिक सदस्य ठहरना नहीं चाहते। खाने का समय हो गया, इसको मद्दे नजर रखते हुए अब सरकार द्वारा उत्तर हो जाय। बोलने के और भी मौके मिलेंगे। यह विषय आज ही खत्म होने वाला नहीं। सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण मंत्री बहस का जवाब देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खाने की व्यवस्था आपकी ओर से हो जाय माननीय सदस्यों को बोलने दिया जाय।

श्री महेन्द्रकुमार : इसके लिये एक दिन का समय और बढ़ाया जाय।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्यों ने समाज कल्याण विभाग के बारे में रुचि ली है, जो-जो बातें बतायी हैं उससे हमें इसको सही दिशा में चलाने में सहायता मिलेगी....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, हमें बोलने का मौका नहीं दिया।)

Page No. 146

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : चेयरमैन महोदया, मेरा व्यवस्था का सवाल है, पिछड़ी जाति के विधायक इस मांग पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। आप हमें समय दीजिये ताकि हम इस पर बोल सकें।

एक माननीय सदस्य : आप इस तरह से दबा नहीं सकते।

श्री मोहनलाल मोदी : सुबह यह आदेश दिया गया था कि सिंचाई विभाग पर ही बहस हो। समाज कल्याण विभाग के सिलसिले में कोई सदस्य बोला नहीं। उनको बोलने का समय दिया जाना चाहिये। आसन की ओर से यह आदेश हुआ था कि आज सिंचाई विभाग पर ही बहस होगी। समाज कल्याण विभाग की मांगों पर बहस करने की इजाजत दी जानी चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : डिप्टी मिनिस्टर यहां हैं।

श्री विजयसिंह : व्यवस्था डिप्टी मिनिस्टर नहीं देते।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, इस बात को महसूस करेंगे कि जहां तक यह कहा गया और सिंचाई पर बहस होने की बात है, यह तब तक थी, जब तक माननीय मन्त्री मौजूद थे, और उनकी दिल्ली जाने की बात थी। उस वक्त यह कहा गया था कि सिंचाई पर पहले बहस हो जावे और मंत्री महोदय जवाब देकर दिल्ली रवाना हो जाय इसके बाद समाज कल्याण की मांग पर बहस हो। पर वह नामन्जूर कर दी गई इसलिये समाज कल्याण और सिंचाई पर साथ-साथ बहस हो गई थी और माननीय सदस्य बोले भी हैं समाज कल्याण पर। रामानन्दजी भी बोले थे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रामानन्दजी ऐसे क्या थे, जिनको आधा घण्टे का समय दिया ?

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हम बोलना चाहते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : निवेदन यह था........

(शोरगुल, अश्रव्य)

जब कोई बात ही नहीं रखी गई तो समाज कल्याण मन्त्री उत्तर किस का देंगे। तो बोलने का समय नहीं देते हैं तो बेहतर तो यही होगा कि डिमाण्ड पारित कर दीजिये। सरकारी उत्तर की भी जरूरत नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज कल्याण की मांग पर सदस्य बोलना चाहते हैं। मैंने तो सदन की भावनाओं को देखते हुए व्यवस्था दी थी कि सरकार की ओर से उत्तर हो जावे, पर संक्षेप में अगर माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें तो पांच पांच मिनिट से अधिक वे न लें। तो कुछ सदस्य और अपने विचार रख सकेंगे। श्री देवीलालजी।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : सभानेत्री महोदया, इस सारे प्रगति-पत्र में मेरे जिले के कामों के नाम कहीं नहीं है। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि लसाड़िया बांध कहां गायब हो गया ? सिंचाई

(श्री देवीलाल बुरासिया)
मन्त्रीजी लड्ढा साहब केकड़ी आये थे तो घोषणा की थी कि १ अप्रेल ६९ से बसाड़िया बान्ध शुरू कर देंगे। तो काम शुरू अभी तक नहीं हुआ है। ये कार्य आप करें। इनमें भी राजनैतिक दृष्टि से न सोचें। जनता की भलाई समझ कर काम करें।

बिसूनी बान्ध १९५८ से सेंक्शन शुदा है, पर बारह साल में भी उसने प्रगति नहीं हुई है। अजमेर जिले में मीडियम टाइप की ये दो ही योजनाएं हैं जिनको भी आपने पूर्ण नहीं किया।

अजमेर जिले में काफी नदियां और नाले पड़ते हैं और सिचाई के भी काफी सोर्स उपलब्ध हो सकते हैं। लिहाजा आप इन पर रपट बनवावें तो खेतों के लिये भी पानी का साधन बन सकेगी और कुओं में भी सेंजा रहेगा।

वैसे आपने ५ नदियों पर रपट बनवाई थी, पर यह गलत बनाई, इससे जनता नाराज है। यहां तक कि शाहपुरा क्षेत्र के फूलिया का आवागमन भी मिट गया। यह रपट खाजडिया के पास बनाई जाती तो ठीक रहता।

जनता की ओर से बूंदरी की खाल पर रपट की दर्खास्त आई है। मुख्य मन्त्रीजी अभी-अभी सितम्बर माह में सदारा गांव में तालाब की घोषणा करके आये हैं. उस तालाब का पता नहीं। इस बजट को देख लीजिये। उस तालाब का कहीं भी प्राव-धान नहीं किया गया है। सदारा तालाब जिसकी घोषणा उप-मन्त्री जसराजजी साहब ने सदन में की थी। इसके साथ साथ खुशी है आपने दल बदला है। पर कम से कम अजमेर जिले के लिये कुछ तो भला करते।

श्री जसराज : बहुत कुछ किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी।

श्री देवीलाल बुरासिया : कोई भी ऐसा तालाब नहीं है जिसका काम पूरा हुआ हो। मेरे क्षेत्र के सारे तालाब अधूरे हैं। राजसरोवर के लिये आपने फरमाया था कि आर्डर दे दिये हैं। तीससरवर की फीडर नहीं बनी है। आपके आदेश कहां अटक जाते हैं। गौरी नम्बर चार चंडाली में सिचाई करती है। अगर इस पर भी रपट बन जावे तो गांव वालों को राहत आ जावे।

लसाड़िया गांव में बान्ध की स्कीम चलाई जावे जिससे कि कम से कम दस गांवों को लाभ मिले।

इसके साथ धोकड़ खेड़ा–लसाड़िया–टोरडा फ़ीडर टोरडी में डालना चाहते हैं यह केकड़ी के साथ ज्यादती है। ५७ से यह बान्ध मन्जूर है। उस बान्ध के क्षेत्र में आई जनता को तो बिलकुल नजरअन्दाज करते हैं और उस बान्ध के पानी से टोडारायसिंह और टोंक जिले को आबाद करना चाहते हैं तो मैं इसके लिये पुरजोर शब्दों में अपील करूंगा कि इस नदी से टोरडी फीडर नहीं निकाला जावे। नहीं तो आन्दोलन होगा। क्रान्ति पैदा हो जावेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्रीमती सभानेत्री : आपने पांच मिनिट का समय चाहा था वह समाप्त हो गया।

श्री भैरोंसिंह : पांच मिनिट से क्या होगा, बहुत थोड़ा है।

Page No. 148

श्री देवीलाल बुरासिया : मान सागर देवली तहसील में टूटी फूटी हालत में है। उसको बड़ा बनाकर बोबला ग्रामवासियों को दें तो पांच सौ बीघा अधिक भूमि की सिचाई हो सकती है।

अजमेर के लिये पानी की समस्या महत्व-पूर्ण है।

वृद्ध अवस्था पेन्शन के लिये एस. डी. ओ. का सर्टिफिकेट चाहिये और इसीलिये तीन रुपया चाहिये। इस बारे में कलेक्टर से निवेदन किया जाय कि यह तीन रुपया खर्च करने की स्थिति में चूंकि वे नहीं हैं इसलिये कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से जानकारी कराली जाय। एफीडेविट का अड़ंगा न लगावें। कम से कम मेरे क्षेत्र के ऐसे सौ वृद्ध लोगों की पेन्शन के कागज पेंडिंग में पड़े हैं। उन पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है।

गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर आपने समस्त जन-जातियों और अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोगों को जो भूमिहीन हैं, भूमि अलाट करने की बात कही है। केकड़ी सर-वाड़ तहसील में अभी तक भी किसी व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं की गई है। तहसील-दार और एस० डी० ओ० को बार बार कहा भी गया पर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं को गई। यह आवंटन तत्काल कराया जावे।

केकड़ी नगरपालिका के हरिजन कर्मचारी आज भी मैला सिर पर ढोते हैं। तो इसकी भी ठीक से व्यवस्था की जावे। इन लोगों के लिये नल बिजली की व्यवस्था भी नहीं की गई है। इसे भी शीघ्र ही किया जावे।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (पाड़वा) : सभानेत्री महोदया डूंगरपुर जिले में तीन वर्ष से अकाल चलता आ रहा है। वहां पर लगभग ४०० तालाब हैं जो अधूरे हैं। सरकार की तरफ से उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वे अधूरे के अधूरे रह गये है इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा इन तालाबों को इस वर्ष किसी तरह पूरा कर दिया जाय। काम अधूरा रहने का कारण यह है कि ओवर-सीयर, इन्जीनियर हैं वे ज्यादा मजदूर नहीं लगाते हैं। एक तालाब पर ५०,१०० मजदूर लगाते हैं और ज्यादा मजदूर जब बरसात आती है तब लगाने की कोशिश करते हैं इसलिये वे अधूरे रह जाते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगाकर उनको पूरा कर दिया जाय। हमारे यहां ओवरसीयर की कमी है ज्यादा से ज्यादा ओवरसीयर भेजे जायं और वहां पर एक डिविजन खोला जाय तो, उसके मारफत फिर तालाब पूरे किया जाय। ओवरसीयर, इंजीनियर यह कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, रोलर नहीं है, सीमेन्ट की काफी कमी है।

लोग कहते हैं सीमेन्ट नहीं होने की वजह से काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की शिकायतें हैं, उनको दूर किया जाय। दूसरे सभापति महोदय लोभरथोडी में एक तालाब है गत वर्ष इस सदन में माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन किया था। रोहनवाडा और लोभरथेड़ो इन दो गांवों में जिनको नहर के लाभ मिल सकते है लेकिन अभी तक नहर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। ३०५ नम्बर की चेन है उसमें एम. एम. एस. नाम का ओवरसीयर है उसने नीचे नहर गिरा दी है। वह नहर १८ फिट नीचे चली गई है जिसमें पानी ले जाने की आवश्यकता थी वहां

Page No. 149

(श्री महेन्द्रकुमार मीणा)

नहीं ले जाया गया। मैं चाहूंगा उस ओवरसीयर के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसलिये उस नहर की ३०५ नम्बर की चैन है उसे अप्रोच नहर देकर दो गांवों को पानी मिलना चाहिये। वहां कमल भाबा पराबान्ध की भी बहुत बड़ी योजना है सरकार के पास वह पड़ी हुई है जिसकी सर्वे भी की हुई है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सोम नदी पर बान्ध बन सकता है और १० हजार मजदूर काम कर सकते हैं। अमरपुरा तालाब है, वह भी अधूरा है। सरकार के पास पैसा नहीं हैं, उसको भी पूरा करना चाहिये। इस तरह सभानेत्री महोदया मेरा आपसे निवेदन है डूंगरपुर जिले में इस सिचाई विभाग के जितने तालाब हैं उन सबको पूरा कर दिया जाय और उनकी नहरों का काम है उनको भी हाथ में लिया जाय। कई जगह मजदूर नहीं लिये जाते है तो भूखों मर रहे है। अगर तालाबों पर ज्यादा मजदूर नहीं लगावें तो कुछ सड़कों से कार्य खोलें जायं ताकि लोगों को काम मिल सके।

समाज कल्याण की तरफ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा का आदिवासी एरिया है वहां पर समाज कल्याण की तरफ से बिजली मिलनी चाहिये लेकिन आज तक आदिवासियों के एक भी कुए पर बिजली नहीं है। यह बड़े दुःख की बात है। मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आदिवासियों को बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : सभानेत्रीजी मैं आपके द्वारा माननीय सिचाई उप मंत्रीजी का ध्यान उदयपुर की तहसील सराड़ा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पंचायत समिति की ओर मैं विशेष ध्यान मंत्री जी का दिलाना चाहता हूं। मेरा एक कट मोशन का प्रस्ताव है जो पंचायत समितियों में धनराशि सिचाई की लघु योजना पर विशेष तौर से दी जाती है उसमें धन का बड़ा दुरुपयोग होता है। पंचायत समितियों में सिचाई की योजना बनाई जाती है लेकिन पंचायत समिति के पास और कोई धन होता नहीं तब जाकर उतनी सिचाई की योजना जो लेनी चाहिये उतनी नहीं ले पाते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग भी होता है। पंचायतों में मामूली १०-५ हजार रुपये आते हैं उससे पंचायत समिति में कोई योजना बन नहीं पाती है। छोटे तालाब उदयपुर में गिरवा और सराड़ा है उनमें करीब सभी पंचायत समितियों में एनिकट की योजनायें सर्वे शुदा पड़ी हुई हैं। पंचायत समितियों के पास धन नहीं होने से यह योजना रह गई है। रीलीफ का काम चलाने की योजना है, रीलीफ का काम पंचायत समितियों में चले लेकिन ओवरसियरों की आवश्यकता है। ओवरसीयर पंचायत समितियो में नियुक्त करें तो वहां काम अच्छे ढंग से चल सकता है, क्योंकि कौन उनका तखमीना बनाये, कौन उनका हिसाब-किताब करें। इसलिये ओवरसीयर बिना काम नहीं चल सकता है। इन्जीनियर और असिस्टेन्ट इंजीनियर तो केवल साइट देखकर चले आते हैं लेकिन साइट का पूरा तखमीना कौन तैयार करें, वहां सारी टेक्निकल व्यवस्था है दो ओवरसियरों की नियुक्ति बिना नहीं होगा पंचायत समिति में ओवरसियरों की नियुक्ति करनी चाहिये, बिना ओवरसियर के एस्टीमेट टाइम पर नहीं बनता है, पेमेन्ट समय पर

नहीं होता है। टेक्निकल अव्यवस्था होने के कारण ऑडिट आब्जेक्शन में परेशानी होती है। यह व्यवस्था माननीय सिंचाई मंत्री जी करेंगे। वहां राज्य सरकार ध्यान दें ताकि पंचायत समितियें अपना काम ठीक ढंग से चला सकें।

समाज कल्याण की ओर से पंचायत समितियों को धन राशि दी जानी चाहिये लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया जाता है।

श्रीमती सभानेत्री : सरकार की तरफ से उत्तर में कितना समय लगेगा ?

श्री बी० एन० जोशी : आधे घंटे से कुछ कम लगेगा।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री देवीलाल : एनीकट्स के लिये भी सराड़ा तहसील में सर्वे हुई है। सिंचाई विभाग को ध्यान देना चाहिये। पंचायत समिति क्या करेगी केवल स्टाफ का खर्च और विकास अधिकारी का खर्चा बना रहेगा। काम काज कुछ होंगे नहीं मेरा निवेदन है छोटी योजनायें नही बनेगी तब तक आदिवासी क्षेत्र में काम होने वाला नहीं है।

(२. ० म० प०)

पालों में छोटी छोटी जमीनें हैं, कम जमीन है और समतल भूमि अधिक नहीं है और ऐसे नदी नाले बड़े बड़े नहीं हैं कि बड़े बांध बन जायें और हजारों बीघा भूमि की सिंचाई हो जाये जैसा माननीय सदस्य श्री जुझारसिंह जी ने कहा था कि उदयपुर जिले में काफी सिंचाई की योजनाओं पर रकम खर्च हुई है और वहां काफी योजनायें पूरी हुई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अगर उनमें यह योजनायें नहीं ली गयी तो उनकी जमीन सारी सूखी पड़ी रहेगी। छोटे-छोटे तालाब बनाये जा सकते हैं छोटे नाले और दर्रे हैं वहां कुछ छोटे तालाब व एनिकटों का निर्माण हो सकता है इसलिए उधर केवल एक एनिकट व तालाबों की ही योजना बन सकती हैं उधर छोटे तालाब पर एनीकट्स बनाये जा सकते हैं।

इसके अलावा मेरा दूसरा कटमोशन लटी आमली के तालाब के बारे में है। इस तालाब का निर्माण पांच-छः लाख में हो सकता है। मैं इसके सर्वे के लिए बराबर दो–चार साल से कहता आ रहा हूं और इसकी सर्वे हो चुकी है केवल राइट नहर की सर्वे नहीं हुई है। इसमें करीब करीब २० आदिवासी आबादी के गांव पड़ते हैं और दो चार गांव दूसरे काश्तकारों के हैं। ऐसी स्थिति में लटी आमली तालाब की सर्वे पूर्ण की जाकर और इसके तखमीने तैयार करके निर्माण कराया जाना चाहिए। लेकिन मैंने मंत्री महोदय को लिखकर दिया उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह चौथी पंचवर्षीय योजना के निकलने के बाद निर्माण होगा या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद होगा या छठी योजना के बाद होगा, पता नहीं इसका निर्माण कब होगा। इसके नीचे काफी सिंचाई करने योग्य भूमि है। इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री देवीलाल)

गांव पलोदड़ा के ऊपर योजना है। सराड़ा तहसील में इस एक तालाब का निर्माण करा दें। माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं इसको सर्वे पूर्ण कराकर उस तालाब का निर्माण करना चाहिये।

दूसरा देलवास का तालाब है जिसकी सर्वे हो चुकी है। अब वह सर्वे होकर राज्य सरकार के पास आयी है या नहीं पता नहीं जबकि इसको इसी पंचवर्षीय योजना में लेना चाहिए। यह एक जागीरदार का तालाब है और वह देने के लिए तैयार है। वह इसका केवल मुआवजा लेना चाहता है और जनता तालाब के उपयोग के लिए देना चाहता है और उसका निर्माण केवल २ लाख में हो जायेगा और थोड़ा सा पैसा मुआवजा का देना होगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को ऐसे तालाबों को लेना चाहिए जब कि उसके नीचे पांच-दस गांवों की जमीन सिंचित होगी। वह टूट गया है इसलिए उसमें पानी नहीं रुकता। दूसरा तालाब है ऊंटी के पास जिसका सर्वे के लिए मैंने मंत्री महोदय को लिखकर दिया है और विभागीय अधिकारियों को लिखा है। लेकिन इसका सर्वे नहीं हुआ है। नदी के बराबर एनीकट के के रूप में तैयार किया जाये तो जयसमन्द के सीपेज का पानी आता है वह उस तालाब में आता है और इरलंद तालाब का सीपेज का पानी भी आता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह सारे काम हैं जो कि राज्य सरकार को जल्दी कराने चाहियें।....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री देवीलाल मीणा : दूसरे, समाज कल्याण मंत्री जी से भी आपके द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो आदिवासी छात्रावास चल रहे हैं वह राजस्थान आदिम जाति सेवा संघ की ओर से चल रहे हैं जिनमें केवल २५ लड़कों की ही जगह है उसको बढ़ाकर ४० की संख्या करनी चाहिए जिससे हरिजन, चमार और बलाई के लड़कों को भी साथ में रखा जा सकता है।

इसके अलावा समाज कल्याण की ओर से कुछ लघु सिंचाई योजना की रकम खर्च की जानी चाहिए ताकि राजस्थान में जहां आदिवासी लोग हैं। हमारे उदयपुर जिले में कुछ लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण हो सकता है। समाज कल्याण विभाग की ओर से यह व्यवस्था होनी चाहिए। कई एरियाज जो कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के घोषित किये गये हैं उन एरियाज से लगे हुए सराड़ा, सलूम्बर और गिरवा का क्षेत्र है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इन योजनाओं के अन्तर्गत काफी खर्चा हुआ है। इतना जरूर है कि हमारा एरिया शिड्यूल्ड ट्राइब्स का घोषित नहीं हुआ लेकिन जाति के हिसाब से तो उस एरिया में आया है तो उसी तरह सिंचाई योजनायें ली जानी चाहिए इस ओर समाज कल्याण विभाग ध्यान दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री देवीलाल मीणा : जो सरकारी नौकर हैं अभी दो तीन दिन पहले एक प्रदर्शन किया था और वह अपनी मांगें रख रहे थे कि उनकी पदोन्नति होनी चाहिये और इसके अलावा और भी कुछ मांगें थी। उप-मंत्री श्री जसराज जी पधारे थे और उन्होंने कहा था कि वे राज्य सरकार से बात करेंगे। मैं समाज कल्याण मंत्री को भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जो राज्य सरकार के नोकर हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलती....

श्री जसराज : वह समाज कल्याण मंत्री को दे दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : आप (श्री देवीलाल) कृपया समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल मीणा : नौकरियों के विषय में काफी विभागों में राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और दूसरे विभागों में देखा है कि वहां पर आदिवासी या शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या कहीं दिखाई नहीं देती है। आदिवासी जाति के लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सेक्रेटेरियट में भी नहीं मिलेंगे। भील जाति और मीना जाति के भी नहीं हैं....

एक माननीय सदस्य : भीखाभाईजी सेक्रेटेरियट में आपको नजर नहीं आते हैं क्या ?

श्री देवीलाल मीणा : कलेक्टरों के दफ्तर में भी नहीं मिलते। यह नहीं होना चाहिए। हर विभाग को हिसाब से लेना चाहिए लेकिन आज तक नहीं लिये तो क्या कारण है ? ऊपर से हम कहते हैं कि इतने और लोगों को हम नौकरी दे देंगे और नहीं दी तो क्या कारण है ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य कृपया समय का पालन कीजिए। सरकार की तरफ से उत्तर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : चेयरमैन महोदया थोड़ी कृपा करें।

श्रीमती सभानेत्री : मैं जरूर आपको समय देती लेकिन आपके दल की तरफ से जो सूची आई है उसमें आपका नाम नहीं है, इसलिए मैं असमर्थ हूं समय देने में।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बैठी हैं और समाज कल्याण का मामला और फिर बोलने का मौका नहीं दें इतनी सी बात है।

श्रीमती सभानेत्री : सरकार की तरफ से उत्तर।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदय, सर्व-प्रथम तो मैं आपके माध्यम से दानों और बैठने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन सुझावों के लिए जो कि उन्होंने बहस के दौरान में दिये और जिनकी रोशनी में हमारे विभाग को आगे बढ़ने में काफी सहायता मिल पायेगी। समाज कल्याण विभाग की मांग पर कुछ कटमोशन्स पेश करते हुए कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, जिनके ऊपर मैं बहुत संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा।

एक बात यह कही गयी कि अलग होस्टल नहीं होने चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स के होस्टलों में यह प्रावधान है कि उनमें 25 परसेन्ट शिड्यूल्ड

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या देते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : रकम तो इस वक्त में नहीं बता सकता लेकिन उचित रूप से खर्च करने के अनुपात से उनको देते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : थोड़ा सा कृपा करके यह बता दें कि सेंट जेवियर में कितने लड़के पढ़ते हैं और कितनों को देते हैं ? क्या किसी ऐसे आदमी के लड़कों को भी देते हैं जो कि लखपति हैं और जिसके हजारों रुपये महीने की आमदनी है और जो ५०० रु० महीना खर्च कर सकता हो ? गरीबों के बच्चों को ४०-४० रु० महीना नहीं देते हैं और उनको देते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सेंट जेवियर में चाहे गरीब के लड़के पढ़ते हों सब को देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको हम दे रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या किसी मंत्री महोदय के बच्चे को पिछले साल वजिफा नहीं दिया गया ?

श्रीमती सभानेत्री : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) माननीय सदस्य, एक वक्त में एक ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या किसी मंत्री के बच्चे को भी देते हैं ? क्या किसी मंत्री के बच्चे को मिलता है जो शिड्यूल्ड कास्ट के मंत्री हैं और उनकी लखपति की हैसियत है, उनके बच्चे को भी दिया जाता है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : कोई ऐसे बच्चे हैं या नहीं मंत्री महोदय के इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। यह मुद्दा उठाया नहीं गया था और न यह कटमोशन में था।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उठाया तो तब जाता जब कि समय दिया जाता । मिनिस्टर के बच्चों को दिया जाता है और गरीब शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को नहीं दिया जाता है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : गरीब तो रेत में पढ़ रहे हैं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने न मालूम कहां से हिसाब दिया है और कहां के स्टेटिस्टिक्स दिये हैं ? उन्होंने फर्माया कि कुल ५ करोड़ ४१ लाख रुपये तीनों पंच वर्षीय योजनाओं में खर्च हुआ है। इतना तो भारत सरकार से पैसा आया है तीनों योजनाओं में प्लान में वह खर्च हुआ है। उन्होंने जो फीगर्स बताये हैं वे गलत हैं । मैं बताना चाहता हूं कि जो रुपया खर्च हुआ है तीनों योजनाओं में वह इस प्रकार है :—

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ९४,३४,००० रुपये।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३,५४,१२,००० रुपये।
तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४,९७,४८,९४५.९३ रु०।

यह टोटल आता है ६-६-६९ को ३१९, ६,००० रु० और नान-प्लान का ७२, ६७,००० इस तरह से कुल मिलाकर २,९२, ०३,००० रुपये फिर ६८-६९ में ६,४५, ९३,००० रु० और २,९२,०३,००० रु०

Page No. 154

(श्री बिशम्बरनाथ जोशी)
ट्राइब्स के भी छात्र रखे जायें और जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के होस्टल हैं उनमें २५ परसेन्ट शिडयूल्ड ट्राइब्स के छात्र रखे जायें। इसके अलावा भी जो जनरल होस्टल हैं, हमारा राज्य सारे हिन्दुस्तान में एक ही है कि जहां जनरल होस्टल में भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रहने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह निर्णय ले लिया है क्या सरकार ने ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : ३ साल से दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसकी पालना हो रही है क्या ?

श्री गंगासहाय : क्या आपके यहां से ऐसे आदेश हुए हैं कि जो विद्यार्थी ५८ पर्सेन्ट और ५५ पर्सेन्ट अंक प्राप्त करें उन्हें ही छात्रवृत्ति दी जाय ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : जी नहीं।

श्री गंगासहाय : साइन्स के विद्यार्थियों के लिए ऐसे आदेश हुए हैं और उनको छात्रवृत्तियां आज तक डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुई हैं।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : मैं सवाल-जवाब में नहीं पड़ूंगा। आपने पूछा है इसलिए जानकारी के लिए कहा है कि होस्टल में एडमिशन लेकर रहते हैं वे चाहे प्रथम श्रेणी के हों, चाहे द्वितीय के हों, चाहे तृतीय श्रेणी के हों उन सबको दी जाती है। बाहर जो रहने वाले हैं और जिन्होंने कोशिश की थी एडमिशन पाने की उनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी वालों को दी जाती है।

श्री गंगासहाय : हायर सेकेन्डरी स्कूल के जो पढ़ते हैं उनको दी जाती है ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : मैंने कॉलेज का कहा है। हायर सेकेन्डरी स्कूल वालों का सवाल पैदा नहीं होता है इसलिए दलील उठाने की जरूरत नहीं है।

श्री गंगासहाय : कितनों पर पाबन्दी लगाई है और किस आधार पर लगाई है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपकी मारफत पूछना चाहता हूं....

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : प्रिमेट्रिक का ववेश्चन है, इसलिए मैरिट का पैनल रखना पड़ता है। यह बात सही है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैट्रिक से ऊपर पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कितनों को बाकी सहायता दे रहे हैं ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : कॉलेज में पढ़ने वालों को ४० रुपया प्रति मास कम से कम मिलता है। भारत सरकार से जो मिलती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उसके अलावा होस्टल में रहने वालों का एडिशनल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ४० और ५० रुपया होती है और जो इन्जीनियरिंग और मेडिकल में पढ़ने वाले हैं उनको ४० के बजाय ५०, ५५ और ६० रुपये तक देने का प्रावधान है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सेंट जेवियर में जो पढ़ते हैं उनको क्या देते हैं ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : पब्लिक स्कूलों को कुछ स्पेशल देते हैं। कुछ विद्यार्थियों जो वहां पर रहते हैं और उनको वहां पर एडमिशन मिल जाता है, उनको देते हैं।

(श्री विश्म्बरनाथ जोशी)

कुल मिला कर १२,३७,९६,००० रु० यह एस्टीमेट आता है तीनों पंचवर्षीय योजनाओं का जिसके अगेन्स्ट में बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने साढ़े चार करोड़ बता दिये तो उनके फिगर्स गलत थे। उन्होंने कुल प्लान का टोटल लगाया लेकिन प्लान के अलावा नान-प्लान में खर्च होता है और प्लान के स्टेट सेक्टर में आने वाला और सेन्टर सेक्टर में आने वाला अलग-अलग है इसलिए कुल मिलाकर तिगुना एस्टीमेट हैं। या तो माननीय सदस्य स्वयं भ्रम में थे या सदन को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे थे।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, दूसरे माननीय सदस्य निवाई से आते हैं उन्होंने कहा कि सरकार की जो घोषणाएं होती हैं उन घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं होता है। उसके बारे में एक मुद्दा तो यह उठाया कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी पहले कि इस गांधी शताब्दि के वर्ष में राजस्थान में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ही कृषि योग्य भूमि आवंटित की जायगी और दूसरे व्यक्तियों को नहीं की जायगी। यह बात सही है कि यह घोषणा की गई थी। मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को उनके सचिव के मारफत कलेक्टर्स को वायरलैस से जारी किये हैं कि हरेक जिले में जो एलॉटमेंट कमेटी है उसमें जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एम. एल. एज. न हों तो एक-एक मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का और रखा जाय, उनके इन्टरेस्ट को वाच करने के लिए। पिछले सालों में कागजों में तो उनको एलॉटमेंट हो जाता है लेकिन कब्जा मिलने में बड़ी दिक्कतें होती थीं। उनको दूर करने के लिए यह नियम बनाया गया है कि जिस दिन एलॉटमेंट किया जायगा उसकी ३० दिन की अवधि के अन्दर....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्रीजी ने यह बताया कि इस तरह की घोषणा पिछले साल हाउस में की गई थी तो उस घोषणा के तहत आज तक आपने कितने भूमिहीन हरिजनों को भूमि दे दी, यह बतायें।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आप बीच में ही रोक देते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : वह तो ठीक है। कितने हरिजनों को भूमि दे दी यह आप बता दें इस घोषणा के तहत ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : यह खामख्याली के फिगर्स बताये थे उनको कह रहा था। आप थोड़ा सा सबर तो रखिये। आप जब कह रहे थे तो मैं सुन रहा था और जब मैं कहता हूं तो आपको सुनना चाहिए। मैं यह कह रहा था कि यह नियम बनाया गया है कि जिस दिन एलॉट की जायगी जमीन उसके तीस दिन के अन्दर मौके पर जाकर उस जमीन का कब्जा कराया जायगा और जब तक कब्जा दिलाने की कार्यवाही नहीं की जायगी तब तक एलाटमेंट मुकम्मिल नहीं माना जायगा। यह आदेश जारी कर दिये गये हैं। इसके अलावा जो नम्बर लेने में दिक्कत होती थी, उसके लिए आदेश

(श्री बिशम्बरनाथ जोशी)

दे दिया गया है कि पंचायत ग्राम पंचायत के दरवाजे पर एक फहरिस्त लगा दी जाय कि किस नम्बर की जमीन, कितने बीघा किस व्यक्ति के नाम एलॉट हुई है और उस पर कितना लगान लिया जायगा। इस फहरिस्त में सारी सूचना होगी जिससे व्यक्ति देख सकता है, साथ ही इस प्रकार की जो फहरिस्त बनाई जायगी वह फ्री बांटी जायगी एलाटमेंट के लिए जो फार्म भर कर देना होता है उसके लिए भी पंचायत राज में काम करने वाले जितने मास्टर हैं उनके लिए एक सरक्यूलर जारी कर दिया गया है वह उनको फ्री फार्म भर कर देगा।

इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य यहां हैं नहीं, यहां हों तो वह सुन लें कि कोटा के अन्दर हमने एक प्रोसीजर एडाप्ट किया है। मैं पिछले दिनों जब कोटा गया था तो इस सम्बन्ध में डिस्कशन किया था और जो सुझाव उस डिस्कशन में दिया उसका क्रियान्वयन भी हुआ है। मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कोटा जिले में यह प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है कि कलेक्टर सारे रिकार्ड को लेकर मौके पर जायगा, कलेक्टर और एस० डी० ओ० साथ साथ मौके पर जायेंगे, जब वह मौके पर होंगे तो वहीं का वहीं एलॉटमेंट करेंगे और एलॉटमेंट करके कब्जा उसी वक्त दिलायेंगे। इसके अलावा जो अमल बरामद होता है, जो नामांकरण होता है वह भी उसी वक्त किया जायगा। उनके साथ में लोन इन्सपेक्टर होगा तो उसी समय उसका वेल्यूएशन करके लोन सैंक्शन करेगा और लोन देने के लिए केशिअर भी उनके साथ होगा। क्योंकि बिना पैसे के उनको जमीन का कब्जा नहीं मिल सकता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करने से उनको वहीं का वहीं कब्जा मिल जायेगा....

श्री मोहनलाल मोदी : जमीन का एलॉटमेंट एलॉटमेंट कमेटी करती है, एलॉटमेंट कलेक्टर कहां करता है ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : रेवेन्यू का सबसे बड़ा इन्चार्ज कलेक्टर होता है और तहसीलदार उसके मातहत ऑफिसर है, इसलिए वह देखेगा कि राज्य सरकार की घोषणा का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : सभानेत्री महोदया, माननीय मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं, कलेक्टर जाता है, तहसीलदादर जाता है और वहीं एलाटमेंट करता है और उसी जगह कब्जा दिया जाता है और नामांकरण किया जाता है। यह गलत है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : गलत नहीं है। आपको जानकारी नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे पूरी जानकारी है। यह बिल्कुल गलत है। किसी मौके पर कलेक्टर नहीं जाता है। मैं सीकर के लिए बता सकता हूं कि कलेक्टर कभी मौके पर नहीं जाता है और न वहां जाकर कब्जा दिलाता है और कभी मौके पर जमीन एलॉट नहीं की गई है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं पूरे तौर पर....

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सभानेत्री महोदया, मैं एक जानकारी चाहता हूं....

श्री मोहनलाल मोदी : क्या कोटा के लिए अलग नियम हैं। एलॉटमेंट तो एलॉटमेंट कमेटी करती है। कलेक्टर एलॉटमेंट कहां करता है ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं एक जानकारी चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि क्या कलेक्टर एलॉटमेंट कमेटी का मेम्बर है ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : कलेक्टर जिला का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी है, जो चेयरमैन होता है एलॉटमेंट कमेटी का, तहसीलदार, उसका बड़ा ऑफिसर है वह देखता है और अपनी निगरानी में सारी कार्यवाही करा कर कब्जा दिलाता है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जैसा कोटा में किया है वह सब जगह करा देंगे क्या ?

श्री देवीलाल बुरासिया : कोटा के बारे में जो कहा वह बिल्कुल गलत है। कोटा के लिए जो फर्माया है वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : सभानेत्री महोदया, यह क्वेश्चन आवर नहीं है, मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा, और सारी बातें जो कही गई हैं उनका मैं जवाब दूंगा। इस सम्बन्ध में मैं कोटा के कलेक्टर की चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। आप जो कहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूं....

श्री मोहनलाल मोदी : मैं कहता हूं कि ज़मीन का एलॉटमेंट करने का एलॉटमेंट कमेटी का अधिकार है। यह कलेक्टर का अधिकार नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी सरकार की तरफ से उत्तर आ जाय और जो सदन में बातें कही जा चुकी हैं उनके बारे में मंत्री महोदय द्वारा बता दिया जाय। उसके बाद में कोई बात क्लेरिफिकेशन के रूप में माननीय सदस्य जानना चाहें, ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मंत्री महोदय उन्हीं बातों का जवाब दें जो माननीय सदस्यों ने उठाई हैं....

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन करती हूं मैं फिर से निवेदन करता हूं....

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं निवेदन करूं कि कोटा का किसने सवाल उठाया ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य सहयोग करें। सदन में व्यवस्था बनाये रखने का इस सदन के माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य हैं, वह मेरी मदद करें। मैं निवेदन करती हूं कि कार्यवाही को सफलता से चलाने में आप मेरी मदद करेंगे....

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : हम आपके साथ हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न बाद में एक-एक पूछे जा सकते हैं। तीन-चार माननीय सदस्य एक साथ प्रश्न पूछते हैं तो कोई भी व्यक्ति शांति के साथ उनका जवाब नहीं दे सकता है। मैं माननीय सदस्यों से

Page No. 158

(श्रीमती सभानेत्री)
निवेदन करना चाहूंगी कि इस सदन की मर्यादा को बनाये रखने में सहयोग दें।

श्री परसराम गंगाराम : हरिजनों के बारे में जब इस प्रकार की गलत बात कह रहे हैं तो दूसरी जगह तो न जाने क्या होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : वास्तविक बात रखी जाय, झूंठी बात सदन के सामने नहीं रखी जाय।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सभानेत्री महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी व्यवस्था दी कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने जो-जो सवाल इस सदन में उठाये हैं उन्हीं का जवाब मंत्री महोदय देंगे। एक तरफ तो आप हमें बहस करने के लिए टाइम नहीं देती हैं, दूसरी तरफ यह व्यवस्था देती हैं कि जो बहस में सवाल उठाये गये हैं उन्हीं का मंत्री महोदय जवाब देंगे। आज समाज कल्याण के सम्बन्ध में तो दो-चार बातें सदन में कही गई हैं, जब कि मंत्री महोदय इस विभाग के लिए इतनी बड़ी मांग रख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को सारी बातें बतानी चाहिएं।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज। जो कट मोशन पहले ही आ चुके हैं और जो कट मोशन्स के सिलसिले में बहस हुई है उस सबका मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री गोकुलचन्द : हम यही चाहते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : हम यही चाहते हैं।

श्री परसराम गंगाराम : हम यही चाहते हैं।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : सभानेत्री महोदया, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह रहा था उसके सम्बन्ध में मैं कोटा की मिसाल देता हूं, जहां पर २१,९८७ बीघा जमीन, ३,१३२ भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को एलॉट की गई है, हमारी इस घोषणा के अन्तर्गत और जो जमीन दी गई है उसके लिए मेरी अर्ज है कि कोटा के कलेक्टर का मेरे पास पत्र मौजूद है...

श्री देवीलाल बुरासिया : जो जमीन एलॉट की गई है, उसके लिए मंत्री महोदय बताएं कि यह जमीन एलॉटमेन्ट कमेटी के जरिये ही की गई है ? और दूसरे क्या यह घोषणा केवल कोटा के लिये ही की गई है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : माननीय सभानेत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जेब में कैसे रख लिया फाइल का कागज ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की दिक्कत देखता हूं उसको महसूस करते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों, कलेक्टर और एलॉटमेन्ट कमेटी के मेम्बर के लिये एक आदेश जारी किया है और माननीय सदस्य आश्वस्त रहें, हर सम्भव तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जमीन अवेलेबल है, वह भूमिहीनों को आवंटित होकर उनको उपलब्ध हो। सब जिलों में यथासम्भव मात्रा में जमीन अनुसूचित-जाति और

Page No. 159

(श्री बिशम्बरनाथ जोशी)
अनुसूचित जन-जाति के लोगों को आवंटित करने का सरकार का पक्का इरादा है

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : इतनी जमीन नहीं है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने तय किया है कि जो एलॉटमेंट, सर्टिफिकेट की कॉपी लेने के अन्दर दिक्कत होती थी, पहले दरख्वास्त देनी पड़ती थी लेकिन फिर भी नहीं मिल पाती थी। अब एलॉटमेंट कमेटी के चेअरमैन को यह हिदायत दी है कि एक पास बुक तैयार करके फ्री उनको दी जाय। पहले एक दरख्वास्त देनी पड़ती थी, फिर नकल मिलती थी और अहलकार को भी कुछ देना पड़ता था अब इसके लिये यह तय किया है कि एलॉटमेंट की उनको पास-बुक मिलेगी वह फ्री मिलेगी और उसकी जो कीमत एक रुपया होगी वह समाज कल्याण विभाग देगा। उनसे वह पैसा चार्ज करने की जरूरत नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं करते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज ! मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना समय और लेंगे।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : मैंने आरम्भ में ही कहा था कि मैं आधा घन्टा लूंगा। अभी दस मिनिट हुए हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मैंने इसलिए पूछा कि समय बढ़ाना है।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : पन्द्रह मिनिट।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से सदन का समय पन्द्रह मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : संतोषजनक है उत्तर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्लोज कर दीजिये। संतोषजनक है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मान लिया है सबने।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : एक बात पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कही।

श्री परसराम गंगाराम : सभानेत्री महोदया, मेरा एक व्यवस्था का सवाल

श्री सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज ! व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री परसराम गंगाराम : यह शिड्यूल्ड कास्ट्स का सवाल है, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति को जमीन देने का सवाल पूछा गया उसके लिए आप फर्मा रहे हैं कि कोटा जिले में दी है। आप सारे राजस्थान का फरमायें कि कितने एकड़ जमीन, किस पर्सेन्टेज में जमीन आवन्टित की गई है। आप कह रहे हैं, यह ठीक बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है, क्योंकि यह जन-जाति के नहीं है। हमारे इस विभाग में एक गोबर गणेश को बैठा दिया गया है। यह आज तक इस विभाग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। क्या किया जाय।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : सुनिये, मैं पूरे राजस्थान के आंकड़े देना चाहता हूं''''

श्री परसराम गंगाराम : जो सुविधा दी जानी चाहिए वह आज तक नहीं दे पाये हैं।

श्रीमती सभानेत्री : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : राजस्थान के आकड़े इस प्रकार है।

श्री गोकुलचन्द : सभानेत्री महोदया, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले कोटा में, फिर गंगानगर में, फिर केकड़ी, अजमेर जिले में जो चार मिनिस्टर हैं उनके जिलों में एलाटमेन्ट हो जाय तो अन्य जिलों को देख लें। उसमें हमें आपत्ति नहीं है। मैं एक पाइन्ट और रेज करना चाहता हूं जो पिछले दिनों भी उठाया था कि सेन्टर से जिस प्रकार की रिपोर्ट पिछड़े वर्ग कमीशन की प्रकाशित होती है उसी प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट यहां भी प्रकाशित हो जिसमें सारे फेक्ट्स और फिगर्स और हरिजनों के लिए किये गये कार्यों का ब्यौरा उसमें आ जायं तो माननीय सदस्यों को संतोष हो जायगा और जो जानकारी उसमें मिलेगी उसके आधार पर अच्छी चर्चा भी हो जायगी। यह आप करेंगे या नहीं ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : मुझे कोई एतराज नहीं है, जो भी आप चाहेगे, वार्षिक मुफस्सिल प्रतिवेदन आपको दे दिया जायगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हम सन्तुष्ट हैं। अब आप फिगर्स मत दीजिये।

(तीन चार माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं)

श्री बी. एन. जोशी : गांधी शताब्दि वर्ष में पब्लिक लेट्रिन्स के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हम संतुष्ट हैं।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : (शोरगुल में अश्रव्य)

फिर भी विभाग ने इस बात का प्रयास किया है, इसके सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन किया गया; कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है, उसको हम इस साल क्रियान्वित कर रहे हैं। उसके अन्तर्गत २६ जिलों के हैड क्वार्टर्स पर, ब्यावर जिसकी कि आबादी जनगणना के अनुसार ५० हजार से ऊपर की आबादी थी उसको मिला कर सार्वजनिक जितने तहारत हैं, उन्हें फ्लश सिस्टम का बनाया जायगा। और अनुसूचित जाति जन-जाति के लोगों को अपने घर की लेट्रिन्स के लिये ३०० रुपया फी हाउस होल्डर को अनुदान किया जायगा।

श्री रामनारायण चौधरी : केवल शहरों में देते हैं ?

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : जहां समस्या है, वहां खर्च किया जायगा, यह समस्या ही शहरों में है, और बड़े शहरों में ज्यादा है।

इस योजना के अन्तर्गत ६५ लाख रुपये का आवंटन किया जायगा, यह आदेश जारी हो गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हम संतुष्ट हैं अब बन्द करें।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : बिजली की व्यवस्था के लिये आर. एस. ई. बी. की रकम एलॉट कर दी गई है।

Page No. 161

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदया, आपकी मार्फत मैं एक जानकारी चाहता हूं, दो साल पहले राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जिन कस्बों में बिजली पहुंच गई है, पानी की व्यवस्था हो गई है, उन कस्बों में हम हरिजन बस्तियों में पानी और बिजली पहुंचा देंगे, इसके लिये क्या किया गया है ? आज तक तो एक भी जगह यह व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : इस साल बिजली के लिये १२ लाख का आवंटन और पानी के लिये ८ लाख ६८ हजार का आवंटन नल लगाने के लिये किया जायगा।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भिक्षावृत्ति को बन्द करने के बारे में कहा। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि भिक्षुक-वृत्ति को छुड़ाने के लिये अजमेर में पुष्कर रोड पर एक केन्द्र आलरेडी खुला हुआ है। उसमें ऐसे लोगों को खिलौने बनाना और दूसरे छोटे-मोटे काम सिखाये जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ३ लाख रुपये सालाना की हमारी यह योजना है।

अब आपकी जानकारी के लिये, आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। इस साल से जयपुर में जो कि राजस्थान की राजधानी है, में भी यह योजना लागू की जायगी और रिहेबिलिटेशन बेस्ड प्रोग्राम्स उसमें होंगे। जो लोग काम करने लायक होंगे उनसे काम लिया जायगा, उनको काम सिखाया जायगा और जो ओल्ड एज की पेन्शन के काबिल होंगे उनको ओल्ड एज पेन्शन दी जायगी। इस सम्बन्ध में पुरानी जयपुर स्टेट का कानून था, वह रिपील होने से रह गया, उस कानून को सरकार जयपुर में इस साल से चालू कर रही है।

श्री देवेन्द्रकुमार : डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि के आदिवासियों के बारे में कहा गया था कि उनके लिये बिजली-पानी की व्यवस्था नहीं की गई हैं। इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : बुढ़ापे की पेन्शन का जहां तक सवाल है, इसके नियमों के सरलीकरण का काम हाथ में ले लिया गया है और ओल्ड एज पेन्शन को २० रुपये से बढ़ा कर ३० रुपया कर दिया गया है। महिलाओं की उम्र ६० साल कर दी है। यह नियम फाइनेलाइज हो जाने के बाद में जो ओल्ड एज पेन्शन तहसीलदार और एस. डी. ओ. की मार्फत मिलती थी, वहां हमने यह काम पंचायत समितियों को सौंप दिया है।

मैं एक बात कह देना चाहता हूं। माननीय रामनारायणजी ने फरमाया कि झुंझुनूं में समाज कल्याण विभाग ने काम नहीं किया। एक काम किया कि हमारे एक पुराने वर्कर साथी थे वे एक छात्रावास चला रहे थे, उस छात्रावास को बन्द कर दिया। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। राजस्थान में ऐसा छात्रावास जिसमें १५ साल चलाने के बाद भी एक छप्पर की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की जा सकती। तीन छात्र एक छप्पर में रहते हैं, उससे तीन फर्लांग की दूरी पर दूसरे छप्पर में १० छात्र रहते थे, लड़कों के लिये रहने की कोई सुविधा नहीं। इसके अलावा जो-जो सुविधाएं छात्रों को देने के लिये हमारा विभाग उनसे कहता था पर वे सुविधाएं उन छात्रों को उपलब्ध नहीं

(श्री विशम्बरनाथ जोशी)

कराई जाती थीं। इतना ही नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने कहा कि तुम्हारे हिसाब में गड़बड़-घोटाला है, हिसाब मांगते तो यह आड़ लेते कि हमारा रेकार्ड जल गया है। जो हिसाब के कागजात को शो नहीं करें, सारे लड़कों को एक छप्पर के नीचे नहीं रख पाये, ऐसी संस्था को राजस्थान में नहीं चलने दिया जा सकता। हम राजस्थान में अपनी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, इसलिए ऐसी संस्था को बन्द किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बिलकुल गलत फरमा रहे हैं। उस छात्रावास में १३ छात्र नहीं, ८१ छात्र थे।

(श्री बी. एन. जोशी और श्री रामनारायण चौधरी दोनों साथ-साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री विशम्बरनाथ जोशी : वे मेरी जान पहिचान के थे। विभाग ने उनकी गारन्टी रोक दी थी, मैंने अपनी विशेष, स्पेशल पावर से उनकी ग्रान्ट पास कराई थी, मैंने भी उनसे क्योंकि वे मेरे पुराने साथी थे, बच्चों को सुविधाएं देने के लिए बार-बार कहा। पर जब स्थिति सुधरती हुई नहीं देखी तो उसकी जगह राजकीय छात्रावास खोल दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य एक व्यक्ति में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं, बच्चों का तो राजकीय छात्रावास में ज्यादा हित है। सामूहिक रूप से बच्चों के हित की उपेक्षा कर के एक व्यक्ति विशेष में दिलचस्पी ली जाय, उस तर्क का मैं कायल नहीं हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि श्री महादेवप्रसाद जो छात्रावास चलाते थे उसमें १३ छात्र या २० छात्र थे यह बिलकुल गलत है, वहां ८१ छात्र थे। समाज कल्याण विभाग ने उस छात्रावास की १० महीने की एड बिल्कुल रोक दी थी......

(श्री जोशी और श्री चौधरी दोनों एक साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री विशम्बरनाथ जोशी : मेरे पास कन्क्रीट डोक्यूमेंटरी एवीडेन्स है। ऑडिट ओब्जेक्शन्स हैं, जनहित में उसको चलाने ही नहीं दिया जा सकता था, इसलिये मैंने उसको बन्द किया और राजकीय छात्रावास खोल दिया।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज!

(शोर-गुल)

श्री विशम्बरनाथ जोशी : मेरा निवेदन है कि जो मांग मैंने सदन में मूव की थी उसको सदन पारित करे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबंध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २,९५,६१,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही २४ मार्च, १९७० को २.३० बजे मध्याह्नोत्तर तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही २.४१ बजे मंगलवार दिनांक २४, मार्च १९७० के मध्यान्होत्तर २.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या २३३ की सूची)

फहरिस्त रकबा मेटा-डुग बन्ध बन्सौली, ग्राम गाडरिया, तहसील नैनवा

क्रम. सं० १	नाम ग्राम २	नाम कालेदारान ३	रकबा ४
१.	गाडरिया	लक्ष्मीनारायण, गनपत पिता सोनारायण खाती, सा० कालाखेड़ा	२॥)
२.		मांगीलाल वल्द परमी करती, सा० कालाखेड़ा	॥)१
३.		डोली की ठाकुरजी महाराज सा०, सा० देह पुजारी सुन्दरदास वल्द नवलदास	२१)१
४.		घेसरा वल्द किशन मीना	७॥)१
५.		फुन्दिया वल्द रामचन्द्र खाती, सा० देह	१।)३
६.		रामनिवास वल्द परता मीना	२।)३
७.		रघुनाथ, रामनाथ, बंशी, गोपाल पिता रामरतन मीना	३०)३
८.		फन्दिया, बजरंगा पिता रामचन्द्र व. काना वल्द आला २/३, रामनिवास वल्द सरजा खाती १/३, सा० देह	)४
९.		रामगोपाल पिता रामनारायण १/२, सोजी वल्द सुखदेव मीना १/२	११॥)२
१०.		भैरू वल्द होटिया मीना, सा० देह	८)३
११.		आमला वल्द पाबो मीना	५)१
१२.		खमीमा, सूजा पिता कालू मीना, सा० देह	२।॥)१
१३.		डोली श्री देवनारायणजी वैश पुजारी कान्हा वल्द ओंकार बलाई, सा० मालेखा	॥)३
१४.		रामनाथ वल्द जुआ मीना, सा० देह	७॥)१
१५.		हरदेव वल्द मोड्डू चमार, सा० देह	१।)
१६.		देथ्या सुखदेव, हरपाल पिता महैमा, सा० देह	)४
१७.		हरदेव, सुखदेव पिता धन्ना मीना	२४)२
१८.		डोली श्री बालाजी महाराज, स्थान देह, पुजारी धन्नापुरी वल्द हरदेवपुरी	॥)४

१	२	३	४
१६.		अम्बा वल्द माधो मीना १/४, देवा, जगन्नाथ पिता श्रीकिशन १/४, रघुनाथ, रामनाथ, बंशी, गोपाल पिता रामचरन मीना १/२	।।।)३
२०.		भैरू वल्द छोट्या १/६, धन्ना वल्द माधो १/६ व देवा, जगन्नाथ पिता श्रीकिशन १/६, रघुनाथ रामरतन	)४
२१.		शेषमल वल्द लक्ष्मीचन्द १/४, सूरजमल, मानमल पिता मिश्रीलाल, श्रीनाथमल पिता मु० माधोलाल महाजन, सा० देह	७।।)३
२२.		कजोड़ वल्द रामचन्द्र मीना	७।।)४
२३.		देवा, जगन्नाथ पिता श्रीकिशन	५।।।)
२४.		घूधा वल्द सेवा, हरदेव वल्द मोडू	)४
२५.		मु० दुर्गावती बेवा सदाशंकर, ग्रा० सा० देह	११।।।)२
२६.		गोपाल, रामकुमार, रामकरण पिता देवीराम मीना	१)४
२७.		फून्दिया, भैरू, बजरंगा वगैरह पिता रामचन्द्र व कान्ता पि० २/३, काला रामनिवास वल्द बधा खाती १/३, सा० गाडरिया	)४
२८.		रामनिवास वल्द वल्लभ मीना	१७।)१
२९.		रामचन्द्र वल्द सुखदेव मीना	४।।)३
३०.		सुधा वल्द खेमा चमार	३।)४
३१.		देल्ला, झला, केसरा, रामनिवास पिता अलला मीना	२)३
३२.		रामचन्द्र वगैरह	।)
३३.		देल्ला, नाजू पिता बरधा मीना	४।।)
३४.		अर्जुन वल्द गिहाला १/४, गोपाल, रामकुमार, रामचरण पिता देवीराम मीना ३/४	१)
३५.		भैरू वल्द छोटा वगैरह	।)१
३६.		कल्यानदास वल्द गोपाल लालाजी	१३।।।)३
३७.		देथ्या वल्द हरला मीना	१३।।)१
		योग	२२५)२

परिशिष्ट–२

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

गंगानगर जिले में नाजायज कब्जे के मामले

२३७. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सत्य है कि गंगानगर जिले में भूमि पर समर्थ लोगों द्वारा नाजायज कब्जे कर लेने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी और इस पर सरकार ने जांच भी की थी ?

(२) उपरोक्त शिकायत की जांच में कितनी भूमि पर कितने लोगों द्वारा कब-कब से नाजायज कब्जा करना पाया गया और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(३) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) जब तक यह न बताया जावे कि किस अवैध कब्जे की शिकायत से तात्पर्य है कोई सूचना नहीं दी जा सकती है।

(२) किस शिकायत से तात्पर्य है यह बताने पर जवाब दिया जा सकता है।

(३) इसके लिये कानून में पर्याप्त प्रावधान है। अवैध कब्जा होने पर धारा ६१ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार अतिक्रमी को बेदखल कर सकता है।

स्थगित प्रश्न

(१०-३-७०)

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के मुकदमे

२४. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अ ाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् १९६८-६९ एवं सन् १९६९-७० में कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों (स्थायी एवं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अस्थायी) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में कितने मुकदमे किन-किन के किस-किस दफा में दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त मुकदमों में से कितनों की तफतीश कब से चालू है ? कितने मुकदमे कब-कब चालान हुये एवं कितने अदालतों में किस स्टेज पर चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त मुकदमों की कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

———

परिशिष्ट–३

(तारांकित प्र० सं० २१४ की सूची)

निगम के बस स्टेण्डों पर लाइसेन्स की सूची

क्र. सं.	बस स्टेण्ड का नाम		लाइसेन्सी का नाम	विषय लाइसेन्स	लाइसेन्स फीस	जमीन का विवरण	विशेष विवरण
१.	जोधपुर	१.	श्री हेर्मसिह मेहरा	पक्की बनी चाय नमकीन की केन्टीन	१५१) रु० प्रति माह	जोधपुर बस स्टेण्ड पर पक्की केन्टीन बनी हुई है।	
		२.	श्री भूराराम	फल का ठेला	३०) रु० प्रति माह	ठेला खड़ा रहने का स्थान	
२.	भरतपुर	१.	श्री ज्ञानचन्द	पकोड़ी का ठेला	३०) रु० ,,	,,	
		२.	श्री किशनलाल	,,	३०) रु० ,,	,,	
		३.	श्री बालूराम	फल का ठेला	३०) रु० ,,	,,	
		४.	श्री भूरासिंह	चाय की थड़ी	३०) रु० ,,	चाय की थड़ी	

परिशिष्ट-४

(तारांकित प्रश्न सं० २२५ की सूची)

List of villages governed by Lift Channel as per programme of May, 1968.

S.No.	Reference to Index Plan	Name of Villages	Area of Villages in acres	C. C. A.
1	2	3	4	5
		TEHSIL SURATGARH		
1.	2	Udaipur	12401	4741
2.	4	Maler	10620	1062
3.	5	Hindor	3170	817
4.	6	Pipasar	11614	1100
5.	7	Rajasar	4733	236
		TEHSIL LUNKARANSAR		
6.	8	Phulaji	4230	423
7.	9	Chak Amarpura	1916	191
8.	10	Khanisar	11840	118
9.	11	Chak Jor	2810	562
10.	12	Mokalsar	14854	7427
11.	13	Kharia	2891	578
12.	14	Chak Asarasar	3096	3006
13.	15	Ramsara	3263	489
14.	16	Mithria	9801	7350
15.	17	Jaswantsar	8916	1283
16.	18	Loleren	3579	1895
17.	19	Rathisar	5980	897
18	20	Chak Anwaria	5680	3408
19.	21	Chasura	6001	1800
20.	22	Surajpura	1220	244
21.	23	Rambhag	4511	451
22.	24	Mahajan	22860	2286
23.	24-A	Arjunsar	700	105
24.	25-A	Ranisar	3263	489
25.	26	Chak Arjansar	433	108

1	2	3	4	5
26.	26A	Sherpura	30193	750
27.	25	Mokhampura	7579	758
28.	27	Maliksar	17370	7685
29.	28	Kapurisar	20458	2045
30.	29	Copalan	12011	8407
31.	30	Bhim Malkisar	2359	2359
32.	31	Tejena	5299	2450
33.	32	Laximinarayanpura	4058	1014
34.	33	Bhadera	8549	8549
35.	34	Kankarwala	13425	5370
36.	35	Laximinaryansar	4058	1014
37.	36	Dalna	8289	829
38.	37	Rajhan	10752	5525
39.	38	Phuldesar	8209	2067
40.	39	Siniwala	23966	20966
41.	40	Udana	7589	1515
42.	42	Phuldesar Ch.	1344	1344
43.	43	Lakharansar	39223	15929
44.	44	Nathwala	6936	1960
45.	45	Jahharwala	3124	324
46.	44A	Suruana	8246	824
47.	46	Dulmera	2749	120
48.	73	Hansera 1	2560	2420
49.	48	Dhirera	7530	3012
50.	40	Hansera 2	7837	156
51.	50	Uttamdesar	8152	815
52.	47	Khari	27491	1749
53.	51	Makrana	1870	70
54.	52	Jesan	3760	170
55.	53	Brahamanwali	2552	122
56.	54	Kisturia	3152	163
57.	55	Nephasar	18365	915
58.	56	Dandsar	1417	52
		TEHSIL BIKANER		
59.	57	Jagdewala	4262	1465
60.	58	Jamsar	1890	120

1	2	3	4	5
61.	59	Jalsar	6454	2122
62.	60	Khichion	9964	3212
63.	61	Khara	14512	3212
64.	62	Sheadheloca	3133	213
65.	63	Dobleran No. 1	4088	612
66.	64	Ruperan	4442	444
67.	65	Noorsar Jalwali	32430	1520
68.	66	Mehrasar	13512	135
69.	67	Bhairunpawan	3658	3312
70.	68	Dinasar	3478	1392
71.	69	Kanasar	7209	395
72.	70	Chak Carbi	13315	1132
73.	71	Sharash Nathan	17005	850
74.	72	Bichhwal	20960	1040
				1,64,454

Limited to 1,26,000 acres

Note:—Hansern 1 & Hansern 2 are the same Village. Area has been shown bifurcated.

परिशिष्ट—५

(तारांकित प्रश्न सं० २२६ की सूची)

List of Persons Promoted to the Post of Nursing Superintendent Grade I and II during the period from 1-1-65 to 31-12-1969.

S. No.	Name	Nursing Supdt. Gr. II	Nursing Supdt. Gr. I
1.	Mrs. N. J. Dayal	Aug., 65	Oct,. 68
2.	Mrs. H. Cheema	—	Aug., 65
3.	Mrs. N H. Banjamin	Oct., 65	—
4.	Mrs. Basant Kaur	—	May, 66
5.	Mrs. M. P. David	—	Dec., 67
6.	Mrs. G. R. Johnson	—	Jan., 68
7.	Mrs. F. J. Joseph	—	May, 68
8.	Miss D. Bisnath	May, 68	
9.	Miss Janki Amma	Oct., 68	
10.	Mrs. C. I. Alexender	Oct., 68	
11.	Miss T. Lall	Dec., 68	

परिशिष्ट—६

(तारांकित प्रश्न सं० २३२ की सूची)

ग्रामों की सूची जिनमें दिनांक १९-१-७० को ओले गिरे, जिला—झालावाड़

नाम तहसील	क्र० सं०	नाम ग्राम	नाम तहसील	क्र० सं०	नाम ग्राम
झालरापाटन	१.	जानामांनी	खानपुर	२७.	मेंहदी
	२.	केलमड़ी खुर्द		२८.	खुन्जा
	३.	केलमड़ी कलां		२९.	आलनपुर
	४.	सिंघानिया		३०.	सुवाल्या
	५.	उरमाल		३१.	कवरपुरा मडवालान
	६.	बालगढ़		३२.	भेरूपुरा
	७.	वन्दा जैन		३३.	बिलोसरा
	८.	रायपुर		३४.	कोटला
	९.	गोपालपुरा		३५.	मोटला
	१०.	झालावाड़		३६.	चोखली
	११.	खेड़िया	पचपहाड़	३७.	श्रीछत्रपुर
	१२.	गावड़ी		३८.	कल्याखेड़ी
	१३.	गुड़ा		३९.	खोद
	१४.	गिन्दौर		४०.	करनपुरा
	१५.	गोविन्दपुरा		४१.	आमलियाखेड़ी
	१६.	खेरासी		४२.	खेजड़ियाखाल
	१७.	समराई		४३.	बुडनपुर
	१८.	मोतीपुरा		४४.	मिलवाड़ी
	१९.	भीलवाड़ा		४५.	रूनजी
	२०.	खानपुरिया		४६.	अरोल्या
	२१.	उन्डल		४७.	महुरावद
	२२.	गोर्धननिवास		४८.	पीपल्या
	२३.	रलायती		४९.	गुराडियाझाला
खानपुर	२४.	जोल्पा		५०.	राजपुरा
	२५.	बोहरा		५१.	सामिया
	२६.	खूंटाखेड़ी		५२.	गोविन्दपुरा

परिशिष्ट–७

(अतारांकित प्रश्न संख्या १५ की सूची)

सिंचाई विभाग के टौंक जिले में अभावग्रस्त क्षेत्र के तहसीलवार राहत कार्यों का विवरण

क्र० सं०	नाम राहत कार्य	एकड़ में सिंचाई की क्षमता
१	२	३
	तहसील टौंक	
१.	लावादर बन्ध	२४०
२.	लाम्बी	१५०
३.	बगड़ी बन्ध	५७०
४.	दौलतसागर बन्ध	१,६००
५.	लौक तालाब	३७
६.	बारखड़ी का तालाब	२००
७.	मोतीसागर बन्ध	२,९४०
८.	चंदलाई तालाब	१,६००
९.	विसनपुरा तालाब	१२०
१०.	ताखोली तालाब	४०
११.	वजीरपुरा तालाब	३४०
१२.	पाडली तालाब	१३०
१३.	ईसरदा तालाब	३०
१४.	नीमेहड़ा तालाब	३०
१५.	दाखियों तालाब	२३५०
१६.	घास तालाब	१५
१७.	पौतवास तालाब	१५
	तहसील निवाई	
१८.	मासी बन्ध	९,०००
१९.	लुहारा बन्ध	२२०
२०	हालालाव बन्ध	२८०
२१.	झोपड़ी बन्ध	४०

१	२	३
	तहसील अलीगढ़	
२२.	गोठड़ा बन्ध	३४०
२३.	मोहम्मदगढ़	११०
२४.	बड़ेल सागर	२७०
२५.	सुथड़ा बंध	अपूर्ण कार्य
२६.	खेडली सागर	४४०
२७.	हैदरीपुरा	२२०
२८.	चौक	३७०
२९.	रूपवास बन्ध	३०
३०.	बालापुरा बन्ध	२५०
३१.	नया गांव	३०
३२.	आगरा तालाब में विलासपुरा	७०
३३.	पाढोली	४०
३४.	धाकदान तालाब	अपूर्ण कार्य ३०
	तहसील मालपुरा	
३५.	टोरडी सागर	१६,६४६
३६.	किरांवल सागर	१,४२३
३७.	चांदसैन सागर	५,१८९
३८.	अड्डसिडा तालाब	५,१८९
३९.	सालमियावास	२३४
४०.	धारेडा	१,७८०
४१.	सप्लाईकट गनवर	कुओं में सेजा बढ़ता है।
४२.	कोटोली	,,
४३.	बम्ब तालाब	,,
४४.	सरदारपुरा	१९२
४५.	इन्दोदा रतनपुरा	३०
४६.	वलभण्डा	६०
४७.	तातरिया	कुओं में सेजा बढ़ता है।
४८.	आकोड़िया	,,
४९.	झालरा	,,

१	२	३
	तहसील टोडारायसिंह	
५०.	लाम्बाहरीसिंह	१,०६०
	तहसील टोडारायसिंह	
५१.	नया गांव	६०
५२.	ओडली बन्ध	३०
५३.	मोरेडा बन्ध	४०
५४.	भटेडा बन्ध	४४०
५५.	नेहरू सागर	३५०
५६.	कुहाड़ा बुजर्ग	६०
५७.	रतनबाई बन्ध	३०
५८.	ऊनियारा खुर्द	३०
	तहसील देवली	
५९.	दनी सागर	५००
६०.	सारदड़ा नाला	—
६१.	चानेट	कुओं में सेजा बढ़ता है।
६२.	राजकोट	,,
६३.	सरदारपुरा	,,
६४.	मानसागर अरनिया	५०० कार्य अपूर्ण
६५.	इन्दोड़ा	३०
६६.	टोकरवास	कुओं में सेजा बढ़ता है

परिशिष्ट—८

(अ० ता० प्र० सं० १७ की सूची)

पंचायत समितियों द्वारा खाद व बीज के लिये वितरित ऋण की राशि का विवरण

क्रं सं०	जिला	वितरित ऋण		
		खाद	बीज	योग
१.	अजमेर	१९,४५,७७३.९१	५२,५४,९८१.०८	७७,०८,५५३.३७
२.	अलवर	२१,६५,४७७.३३	५२,१६,९४३.९७	८२,६६,६७१.१२
३.	बांसवाड़ा	२२,४२,९७९.८४	१३,२८,९०६.४९	३५,७१,८८६.३३
४.	बाड़मेर	२,४४,४२४.७३	२६,४८,६९२.११	३१,०४,३७६.३४
५.	भरतपुर	१०,२४,८७१.४७	५५,८७,११७.२१	८५,४८,२८४.४७
६.	भीलवाड़ा	३९,५९,९१३.८९	३८,१६,८३०.६१	७७,७६,७४४.५७
७.	बीकानेर	—	८,८७,०९९.३६	८,८७,०९९.३६
८.	बूंदी	२६,७३,३४९.७७	२६,२६,७२३.९४	५३,००,०७३.७१
९.	चित्तौड़गढ़	५३,५५,१८५.७७	३२,१७,१२३.३३	९४,९८,१९१.७६
१०.	चुरू	२,२९१.२३	१०,५६,५३४.९१	१०,५८,८२६.१४
११.	डूंगरपुर	९,१८,८१९.२६	१०,९४,९४४.९९	२०,१३,८०४.२५
१२.	गंगानगर	१,१०,३९,८२६.०५	७८,०५,५५९.४२	२,८५,६२,५१०.५०
१३.	जयपुर	२६,६१,६८६.५६	५६,९७,६३७.४१	८८,९९,९९३.८५
१४.	जैसलमेर	२५,८६१.९९	३,६८,८७९.१४	३,९४,७४१.१३
१५.	जालौर	१२,४०,५८४.४३	४०,९०,४८८.८८	५३,३१,०७३.३१
१६.	झालावाड़	२२,६९,५६७.६८	१६,६९,८४५.८७	४२,६१,७१२.६३
१७.	झुन्झूनूं	३,२६,०६४.९१	९,०३,०११.२५	१२,२९,०७६.१६
१८.	जोधपुर	१,२८,६०२.९५	७,९८,५००.४३	२२,३४,३७०.९५
१९.	कोटा	७०,०२,२७३.९६	३४,९६,०२५.५२	१,१६,४७,९३४.९०
२०.	नागौर	४,१५,५२१.०१	२४,६४,७८३.४४	२८,८०,३०४.४५
२१.	पाली	७३,३३,२३०.१०	७९,५२,७२१.६४	१,५२,८५,९५१.७४
२२.	स० माधोपुर	२६,९३,६४९.४७	१८,६५,५६४.५६	४५,५९,२२४.०३
२३.	सीकर	३,३२,९०८.३८	१२,६१,४१३.०५	१५,९४,३२१.४३
२४.	सिरोही	१६,६५,५१२.४१	१८,१७,१५७.६३	४२,७७,३३३.७७
२५.	टौंक	७,४९,३११.७५	२२,२०,८८८.०४	२९,७०,१९९.७९
२६.	उदयपुर	४५,२७,७०१.६८	३३,०६,३५९.५१	७८,३४,०६१.६९
	योग ...	६,२४,४५,४४०,५३	७,८४,४७,७३३,८९	१५,९६ ९७,३११.१९

नोटः—(१) २०८ पंचायत समितियों से सूचना प्राप्त हुई है ।

(२) १ पंचायत समिति द्वारा खाद व ऋण की सूचना सम्मिलित दी गई है । अतः योग में दिखाई गई है।

परिशिष्ट—९

(अ० ता० प्र० सं० १९ की सूची)

पंचायत समितियों की सूची जहां एक साल से ज्यादा अकाल की स्थिति रही है—

जिला जोधपुर

समस्त पंचायत समितियां

जिला बांसवाड़ा

१. पंचायत समिति, कुशलगढ़
२. " सज्जनगढ़
३. " बागीडोरा
४. " भूखिया
५. " गढ़ी
६. " बांसवाड़ा
७. " घाटोल
८. " पिपलखूंट

जिला कोटा

१. पंचायत समिति इटावा (४६ गांव केवल)

जिला चुरू

१. पंचायत समिति, सरदारशहर
२. " डूंगरगढ़
३. " तारानगर
४. " रतनगढ़
५. " सुजानगढ़

जिला बीकानेर

१. पंचायत समिति, कोलायत
२. " लूणकरणसर
३. " नोखा
४. " बीकानेर

जिला बाड़मेर

१. पंचायत समिति, सिवाना
२. ” शिव
३. ” पचपदरा
४. ” गुड़ामालानी
५. ” बाड़मेर
६. ” सिन्धरी
७. ” बायतू
८. ” चौहटन

जिला जैसलमेर

१. पंचायत समिति, साकड़ा
२. ” जैसलमेर
३. ” समा

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २१ मार्च, १९७०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२	अन्तिम से ६	प्रोसक्राइब	प्रोस्क्राइब
३४	,, १३	तो	हो
३४	,, ७	पाकि तान	पाकिस्तान
३८	१०	क म	काम
४०	अन्तिम से ७	ग्रोर	ग्रौर
१४६	६	मैंरे	मेरे
१६४	अन्तिम से ६	मांगो	मांगों
१७५	१	ग्रापका	ग्रापके
१७५	१	का	के
१८६	अन्तिम से १३	छ नी	छंटनी
२३६	,, १७	सतीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
२४४	,, २२	ज ने	जाने
२४४	,, १३	लक्ष्मीकुमारौ	लक्ष्मीकुमारी
२४७	,, ५	क	की
२४७	,, २	वित ग्	वितरण
२४६	२	बे ट	बेल्ट
२५२	अन्तिम से ६	ज य	जाय
२५२	,, ८	इकनो	इनको
२६८	२	ध्यान	—
२६८	३	वहाँ	वहाँ की
३१४	१६	करत	करती